खण्ड-396, अंक-2
शुक्रवार, 25 ज्येष्ठ, शक संवत् 1912
(15 जून, 1990 ई0)

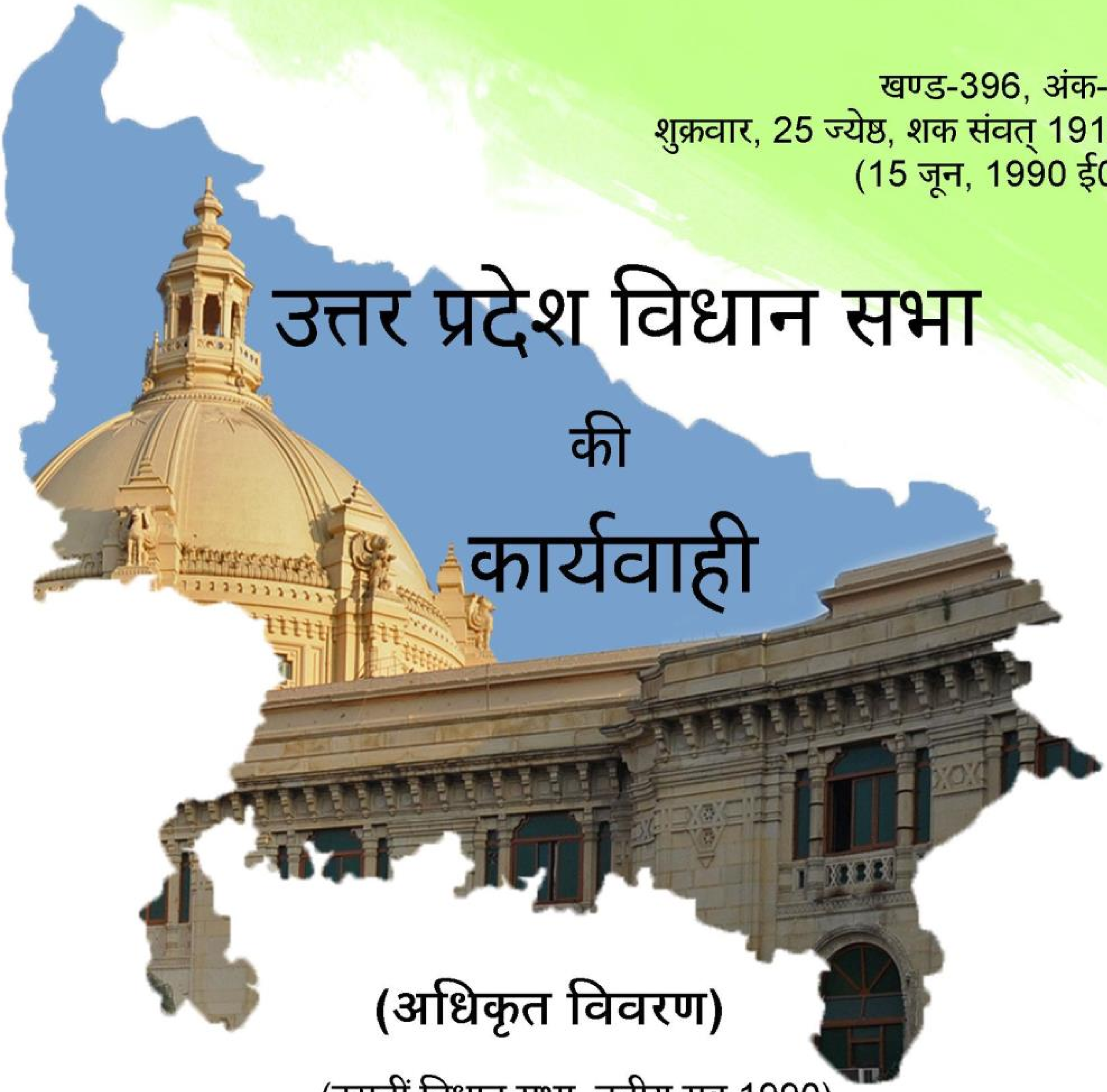

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(दसवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1990)

खण्ड 396 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1990

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
	क-ग
उपस्थित सदस्य	ङ
प्रश्नोत्तर	1--82
सदन में पत्रकार दीर्घा खाली होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	83--86
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	87--88
जनपद सीतापुर स्थित बालाजी वेजीटेबुल प्रोडक्टस् में मजदूरों के शोषण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	88
जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी में विद्युत आपूर्ति में गड़बड़ी होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	88
जनपद बाराबंकी की हैदरगढ़ तहसील के कतिपय गांवों में हुए भीषण अग्निकांड से भुखमरी उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	89
जनपद अलीगढ़ के सिकन्दराराऊ नगर में राजकीय डिग्री कालेज खोले जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	89
जनपद देवरिया में उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमि0 की लक्ष्मीगंज इकाई के बन्द होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	9[illegible]
नेकपुर चीनी मिल बरेली से हो रहे प्रदूषण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	90
जनपद मऊ में निर्माणाधीन शारदा सहायक नहर के शीघ्र निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	91
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	91
नियम 311 में प्राप्त सूचना के सूचनादाता सदस्यों को कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाओं के साथ सुने जाने का निर्णय	91
बाराबंकी जिले में मंत्री द्वारा तस्करों को संरक्षण दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	92-96
दिनांक 7 मार्च, 1990 की प्रकाशित कार्यवाही सदन की कार्यवाही के अनुरूप न होने होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	97
पुराने विधायक निवास 3 में जलापूर्ति न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ..	98
अंशकालिक नलकूप चालकों के विनियमितीकरण विषयक सरकारी घोषणा का अनुपालन न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	99
निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की सदस्यता वाली जिला स्तरीय समितियों में अधिकारियों द्वारा अध्यक्षता किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ..	100
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी नोटिफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1990 (पटल पर रखा गया।) ..	101
उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर (संशोधन) अध्यादेश, 1990 (पटल पर रखा गया)	101
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1990 (सदन के पटल पर रखा गया)	101
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1990 (पटल पर रखा गया)	101

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1990 (पटल पर रखा गया) 101

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 1990 (पटल पर रखा गया।) 101

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन एवं वैधीकरण) अध्यादेश, 1990 (पटल पर रखा गया।) .. 101

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 1990 .. .. (पटल पर रखा गया।) 101

उत्तर प्रदेश ईंट (संभरण का विनियमन) अध्यादेश, 1990 (पटल पर रखा गया।) 102

उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन योजना (विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1990 .. (पटल पर रखा गया।) 102

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1990 (पटल पर रखा गया) .. 102

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1990 (पटल पर रखा गया।) 102

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अध्यादेश 1990 .. .. (पटल पर रखा गया।) 102

उत्तर प्रदेश मोटर वैहिकिल्स (पचपनवां संशोधन) नियमावली, 1989 .. (पटल पर रखी गयी) 102

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन सेवा (विकास) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1989 (सदन के पटल पर रखा गयी।) 103

उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1988 (पटल पर रखी गयी।) 103

विशेष विवाह (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1990 (पटल पर रखी गयी) .. 103

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, 1990 तथा उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1990 .. .. (वापस प्राप्त न होने की सूचना) 104

उत्तर प्रदेश विनियोग (1989-90 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1990 .. .. (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) 104

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1990 राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना 104

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा वर्तमान सत्र के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) 105

कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं 106-126

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों की प्रत्येक ग्राम सभा में भी आवास विकास योजना लागू किये जाने तथा सुलभ शौचालय बनवाये जाने संबंधी संकल्प (अस्वीकृत) 127-129

मद्यनिषेध योजना को कड़ाई से लागू किये जाने तथा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, विद्यालय तथा घनी आबादी के बीच में शराब की दूकान न खोलने के संबंध में संकल्प (अस्वीकृत) 130-142

नियमित आय से उच्चस्तर का जीवन यापन करने वाले उत्तर प्रदेश के सरकारी सेवकों की चल एवं अचल सम्पत्ति की जांच हेतु उच्च अधिकार प्राप्त सदन की एक स्थायी समिति का गठन किये जाने के संबंध में संकल्प .. 143-147

वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक संबंधी साहित्य के विवरण हेतु की गई व्यवस्था की सूचना 148

वर्ष 1990-91 का आय-व्ययक (प्रस्तुत किया गया) 149-188

प्रदेश के कतिपय जनपदों में बिगड़ती हुई कानून-व्यवस्था तथा दुर्नामि दस्यु सरगना संतोषा यादव द्वारा बर्बर आतंक फैलाये जाने से जन आक्रोस के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत सूचना (स्वीकृत) 189

नत्थियां 190-201

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

बिहार पूर्वेश्वर विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 15 जून, 1990

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ, में 11 बजे दिन मे उपाध्यक्ष श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे---

अख्तर, श्री	गाजियाबाद
अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा
अरिदमन सिंह, श्री	आगरा
अशोक पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
अहिबरन, श्री	शाहजहांपुर
एदल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
ओम प्रकाश यादव श्री	मुरादाबाद
करन चन्द्र सिंह, श्री	नैनीताल
करन सिंह श्री	मुरादाबाद
कालीचरण, श्री	मिर्जापुर
काशी सिंह ऐरी श्री	पिथौरागढ़
किरनपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
किशोरी श्याम श्री	मथुरा
कृष्ण कुमार नवमान श्री	अलीगढ़
गणेश दीक्षित, श्री	कानपुर
चन्द्रपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
चन्द्रमणिकान्त सिंह	बहराइच
चन्द्रभानसिंह, श्री	बांदा
चन्द्रविजय सिंह, श्री	मुरादाबाद
छन्नु लाल शास्त्री, श्री	वाराणसी
छेदा लाल चौधरी, श्री	खीरी
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री	अल्मोड़ा
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नारायण दत्त तिवारी, श्री	नैनीताल
पारस नाथ यादव, श्री	जौनपुर
बाबू लाल, श्री	हमीरपुर
बिजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
भोपाल सिंह, श्री	मेरठ
मण्डलेश्वर, श्री	आगरा
मास्टर कंवर पाल, श्री	सहारनपुर
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजा मो0 अमीर मोहम्मद खां, श्री	सीतापुर
रामकरन आर्य, श्री	बस्ती
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
राम लखन यादव, श्री	प्रतापगढ़
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रेशमा आरिफ, श्रीमती	कानपुर
विक्रमादित्य, पाण्डेय श्री	बलिया
विजय सिंह राणा, श्री	आगरा
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
वीरेन्द्र नाथ दीक्षित, श्री	कानपुर
वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री	एटा
समीउल्ला, श्री	गोण्डा
सरदार सिंह, श्री	मथुरा
सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
हरेन्द्र सिंह मलिक, श्री	मुजफ्फरनगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, दिनांक 15 जून, 1990

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, पहले सारे नियम निलम्बित करते हुये, जो नियम 311 के अन्तर्गत प्रस्ताव दिया गया है उसे ले लीजिए. .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि प्रश्नकाल बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए पहले कृपया प्रश्न हो जाने दें? माननीय सदस्य ने जो एक सम्मानित विधायक वाला मामला उठाया है वह वास्तव में बहुत गम्भीर है, किन्तु उसे प्रश्नकाल के समाप्त होने पर, बाद में उठायें।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के खण्ड पीठ की स्थापना विषयक संस्तुति

**1–श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य तथा श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित किये जाने के बारे में राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से संस्तुति की गयी है? यदि हां, तो कब और क्या?

जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री मुख्तार अनीस)–

जी हां, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना के सम्बन्ध में मंत्रि परिषद् ने 19-12-76 मार्च 1978 मई, 1979 तथा अंतिम बार मार्च, 1981 में संस्तुति की।

मंत्रि परिषद् ने यह निर्णय लिया कि मेरठ, आगरा, मुरादाबाद, बरेली, गढ़वाल व कुमायूं मण्डलों के लिए उच्च न्यायालय की एक बेंच को स्थापित करने के प्रस्ताव से सरकार सहमत है। मुख्यालय के उचित स्थान का निर्णय भारत सरकार पर छोड़ा जाय।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

क्या माननीय न्याय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1981 में गठित जसवन्त सिंह आयोग ने क्या संस्तुति इस सम्बन्ध में की थी और उसने कौन से स्थान की संस्तुति की थी? कृपया यह भी बतायें कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रि मण्डल ने खण्ड-पीठ की स्थापना के बारे में केन्द्रीय सरकार से क्या संस्तुति की? क्या बरेली, बदायूं, सहारनपुर और पीलीभीत के जनपदों को उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ लखनऊ से सम्बद्ध करने का भी प्रस्ताव विचाराधीन है या नहीं?

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, केन्द्र सरकार ने 4 सितम्बर, 1981 को जसवन्त सिंह आयोग गठित किया था। इस आयोग में 3 सदस्य थे। इस आयोग के समक्ष दो मुद्दे विचार

के लिए थे । पहला मुद्दा यह था कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खण्डपीठ की स्थापना की जाय और दूसरा मुद्दा यह था कि इसका कार्य क्षेत्र क्या हो ? कमीशन ने खण्डपीठ की स्थापना के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति यह की है कि खण्डपीठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनवायी जाये और उसमें 18 जिले शामिल किये जायें ।

(व्यवधान)

एक सदस्य–

उन्होंने किस स्थान के लिए सुझाव दिया है और वे 18 जिले कौन से हैं ?

श्री मुख्तार अनीस–

उन्होंने आगरा के लिए कहा है और यह 18 जिले हैं :–आगरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, मथुरा, चमोली, देहरादून, पौड़ी-गढ़वाल, टेहरी-गढ़वाल, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर ।

श्री कुंवर सिंह नेगी–

मान्यवर, भारत सरकार के माननीय विधि मंत्री ने 15-1-90 को माननीय मुख्य मंत्री जी को एक पत्र भेजा है जिसमें उनकी राय इस बारे में मांगी है कि वह उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में कहां पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित करना चाहते हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने उनको क्या जवाब दिया है, माननीय मंत्री जी कृपया इसे बताने की कृपा करें?

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, मैंने प्रश्न का उत्तर दे दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से मार्ग दर्शन इस सम्बन्ध में चाहा है ।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई पत्र भारत सरकार को लिखा है और भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में आपसे कोई उत्तर मांगा है ? कृपया यह बताने का कष्ट करें।

श्री मुख्तार अनीस–

मैं वर्तमान परिस्थितियों के बारे में बता रहा हूं कि इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन ने केन्द्र सरकार से अपनी राय जानने के लिए एक पत्र लिखा है ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने 4 अप्रैल, को आगरा में स्पष्ट कहा था कि वह अपनी राय से केन्द्र सरकार को अवगत करा देंगे । केन्द्रीय विधि मंत्री ने कुछ दिन पहले कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार की राय स्पष्ट नहीं है और अगर देंगे और जहां के लिए कहेंगे वहां पर खण्ड पीठ स्थापित कर देंगे । तो मैं स्पष्ट आश्वासन चाहूंगा कि क्या जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आगरा में खण्ड पीठ स्थापित करने के लिये प्रदेश सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्री मुख्तार अनीस–

यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है और यह एक कमीशन की संस्तुति है और वह संस्तुति सरकार के विचाराधीन है और उन्हीं तमाम विषयों के बारे में केन्द्र सरकार से हमने मार्ग दर्शन चाहा है । अब केन्द्र सरकार जो मार्ग दर्शन देगी उसी के अनुसार कार्य किया जायेगा ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, विधि मंत्री भारत सरकार ने यहां की सरकार से राय मांगी है, तो आपको मार्ग दर्शन मांगने का क्या औचित्य है ? हमारी सरकार का स्पष्ट रुख क्या है ? मैं यह जानना चाहता हूं और जो पत्र लिखा है उसको सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि खण्ड पीठ को लेकर उत्तर प्रदेश में कई तरह के विचार आये हैं ।

(व्यवधान)

मान्यवर, विस्तार से हर बात का जवाब देना सम्भव नहीं है । मान्यवर, कुछ लोग आगरा में चाहते हैं, कुछ मेरठ में चाहते हैं कुछ देहरादून में चाहते हैं लेकिन इलाहाबाद के वकीलों ने सामूहिक हड़ताल की ।

(व्यवधान)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, मंत्री जी का स्पष्ट उत्तर आना चाहिये ।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, 6 महीने हो गये हैं परामर्श मांगे हुये और दूसरी चीज है कि सरकार ने क्या प्रयास किया है? क्या राज्य सरकार अलग-अलग जगहों पर खण्ड पीठ की स्थापना की बात कह कर आपस में झगड़ा खड़ा करना चाहती है, जिससे खण्ड पीठ की स्थापना न हो सके ?

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, सत्ता में आये अभी 6 महीने ही हुये हैं आप सालों तक हवा खाते रहे।

(तालियों का शोर)

(व्यवधान)

श्री रघुबर दयाल बर्मा–

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से मार्ग-दर्शन की अपेक्षा की है कि जसवन्त सिंह आयोग की संस्तुति के अनुसार आगरा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खण्ड पीठ स्थापित करने के लिये आप क्या मार्ग दर्शन भारत सरकार से चाहते हैं, यह माननीय मंत्री जी ने कहा है । श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने तो आपसे मांग की है कि आप कहां पर खण्ड पीठ चाहते हैं । उत्तर प्रदेश सरकार स्पष्ट रूप से भारत सरकार को यह अवगत कराये कि वह फलां जगह पर खण्ड पीठ स्थापित करने के पक्ष में हैं, उनकी स्पष्ट राय क्या है? यह मार्ग-दर्शन का मामला नहीं है । आप स्पष्ट राय भारत सरकार को दें कि फलां जगह पर खण्ड पीठ की स्थापना की जाय ।

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, जनहित में यह बताना उचित नहीं है ।

(घोर व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, ऐसा नहीं है । मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट के अनुसार. . .

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया बैठ जायं । आपको समय मिलेगा ।

एडवोकेट श्री हरद्वार दुबे–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने माननीय वर्मा जी के प्रश्न पर जो बात कही है और उन्होंने जो उत्तर दिया है उससे ऐसा लगता है कि वे पूरे सदन को गुमराह कर रहे हैं । इसमें जो उत्तर दिया गया है उसमें साफ लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सन् 1981 में अंतिम बार केन्द्र सरकार को संस्तुति की थी । 9 वर्ष के अन्तराल में जब कि पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जल रहा था । तो मान्यवर, मेरा निवेदन है कि सरकार ने जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू की जबकि उसमें संस्तुत किया गया था कि आगरा में खण्डपीठ की स्थापना की जाय । अतः मान्यवर, मेरा निवेदन है कि आप यह बतायें कि आगरा में कब इसकी स्थापना कर रहे हैं?

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, अभी किसी जगह पर खण्ड पीठ की स्थापना करने का प्रश्न नहीं है । हम केन्द्र सरकार से इस बारे में मार्ग-दर्शन मांग रहे हैं । . . .

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे जिससे सदन में व्यवधान हो गया।)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, जसवंत सिंह आयोग ने दो तीन काम उन दिनों मुख्य किये उसमें पहला यह कि तीन दिन के अंदर श्री भजनलाल जी को भ्रष्टाचार के सभी आरोपों से बरी कर दिया दूसरा काम संविधान की धज्जियां उड़ा दी जो संविधान में दिया हुआ है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। . .

श्री उपाध्यक्ष–

आप प्रश्न करिये ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि न्यायपालिका की गरिमा को बनाये रखने तथा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को शक्तिशाली बनाने के लिये उनको विखंडित न करने का जो निर्णय है उसी के परिप्रेक्ष्य में जो न्यायविदों की राय है को ध्यान में रखते हुये केन्द्र से मार्ग दर्शन मांगा गया है?

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, कुछ विधि शास्त्रियों, कुछ इलाहाबाद खण्डपीठ के वकीलों और बहुत से बुद्धिजीवियों की यही राय है जो माननीय सदस्य ने अभी बताई है ।

श्री सुरेन्द्र कुमार उर्फ मुन्नी–

मान्यवर, मंत्री जी ने अभी कहा कि जनहित में बताना उचित नहीं तो वह जनहित कौन सा है क्या उसका उल्लेख करेंगे ? दूसरा यह कि वह स्पष्ट बतायेंगे कि इस खण्ड पीठ की स्थापना कब तक करायेंगे?

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, जनहित की परिभाषा बहुत व्यापक होती है, शांति स्थापित रहे सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे और किसी विषय पर आम सहमति रहे यही जनहित माना जाता है और इसी संदर्भ में हमने पत्र लिखा है ।

श्री मईद अहमद–

माननीय उपाध्यक्ष जी मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं अभी आपने माननीय सदस्य इलाहाबाद के प्रश्न पर कहा कि कुछ विशिष्ट वकीलों की राय है कि खण्ड पीठ इलाहाबाद में ही रहे उसे दूसरी जगह स्थापित न किया जाय तो इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश की सरकार की क्या राय है?

एक और निवेदन करना चाहता हूं कि आप माननीय मंत्री जी को आगाह करें कि वह सीधे-सीधे जवाब दें, घुमाफिराकर न बतायें तो बतायें कि उत्तर प्रदेश सरकार की क्या राय है?

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, माननीय सदस्य सुल्तानपुर का मैं बड़ा आदर करता हूं वे मेरे पुराने साथी हैं । हम कभी घुमा फिराकर बात नहीं करते हैं इसी से हमारा बहुत नुकसान हो जाता है । मैंने सीधे-सीधे बताया है कि खण्डपीठ बनाने के लिये अब अनेक राय हो गयी है, मैं अपनी या राज्य सरकार की राय नहीं बता रहा हूं, कुछ चाहते हैं कि आगरा में खण्डपीठ हो, कुछ कहते हैं कि इलाहाबाद में ही रहे, कुछ कहते हैं कि गाजियाबाद में हो और पहाड़ के लोग नहीं चाहते हैं ।

श्री नकली सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूंछना चाहता हूं कि 28 मई को राज्य सभा में केन्द्रीय विधि मंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार से आगरा में खण्डपीठ स्थापित करने के लिये पत्र लिखे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई राय नहीं दी है । उन्होंने यह भी कहा है कि तीन तीन पत्र इस सम्बन्ध में लिखे जा चुके हैं कि खण्डपीठ आगरा में हो या मेरठ में अपनी राय दें लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है तो क्या यह सही है?

श्री मुख्तार अनीस–

राज्य सरकार को इसके बारे में विस्तृत सूचना नहीं है ।

(श्री नकली सिंह, श्री सुरेन्द्र कुमार उर्फ मुन्नी एवं श्री गजराज सिंह सदन के फ्लोर में आकर नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य अपना अपना आसन ग्रहण करें । (श्री जयराज गौतम के प्रयास से सदस्य अपने आसन पर चले गये)

श्री शेख मोहम्मद सुलेमान–

(व्यवधान) जनता दल ने चुनाव में वायदा और एलान किया था कि खण्डपीठ की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थापना करेंगे तो उस एलान के बारे में आप घोषणा करें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खंड पीठ की स्थापना होगी?

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, हमने एलान किया था और उसी को ध्यान में रखकर हमने केन्द्र सरकार से निवेदन किया है कि चूंकि यह कार्य केन्द्र सरकार को ही करना है, इसलिये केन्द्र सरकार को यह मामला भेजा है ।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना–

मान्यवर, औचित्य के प्रश्न की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि आपकी बायीं तरफ जो पत्रकार दीर्घा है वह एकदम खाली है, किन कारणों से हमारे पत्रकार बन्धु हमारी कार्यवाहियों में सिरकत नहीं कर रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष–

यह मामला प्रश्नकाल के बाद उठायें ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में विधवा पेंशन योजना

*1–श्री पंचानन राय–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विधवाओं को पेंशन या अनुदान स्वीकृत किये जाने के संबंध में कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

जी हां ।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण तथा उनके बच्चों की शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु अनुदान दिये जाने की योजना संचालित है । अनुदान नियमावली के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृत किया जाता है ।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, यह प्रश्न पिछले सत्र में असंतोषजनक उत्तर के कारण स्थगित हुआ था । मैं प्रश्न के अंत की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं जिसमें पूछा है कि उसकी रूपरेखा क्या है ? बता दिया कि नियमावली है । तो यही तो पूछा था कि उसके प्राविधान क्या हैं जो नहीं बताया गया है और दुबारा वही फिर उत्तर लेकर चले आये हैं ।

मान्यवर, मैं अब जानना चाहता हूं कि क्या मुख्य बिन्दु हैं जिनके आधार पर भरण-पोषण के लिये अनुदान स्वीकार किया जाता है ?

दूसरा सवाल है कि सभी विधवाओं को बिना भ्रष्टाचार के पेंशन अनुमन्य हो सके इसलिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

श्री अवधेश प्रसाद—

मान्यवर, जहां तक मा0 सदस्य ने नियमावली के बारे में जानकारी की है तो इसमें सर्वप्रथम तो वह विधवा भारत की नागरिक हो । दूसरी शर्त प्रार्थना-पत्र देने की तिथि से एक वर्ष पहले से वह उत्तर प्रदेश राज्य सीमा की स्थायी निवासिनी होनी चाहिए और तीसरी शर्त उसके नाबालिग बच्चे हों, अगर वारिस बच्चे हों लड़के, नाती, पोते हैं और वह उसके भरण-पोषण करने में असमर्थ हों या भरण-पोषण न करते हों । अंतिम शर्त है कि सभी स्त्रोतों से उसकी आय 200 रुपये से कम हो । उसी के साथ ही साथ पेंशन को देते समय कुछ खास चीजों का ध्यान देना होगा और इसमें यह है कि 60 साल की उम्र से कम नहीं होना चाहिए, निराश्रित के संबंध में और दूसरे उसको प्राथमिकता दी जायेगी जो अपंग हो, लाचार हो, और इसके साथ-साथ यह भी व्यवस्था है कि पेंशन अनुदान देते समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का 20 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा ।

श्री पंचानन राय—

मंत्री जी ने यह कहा कि उसके 20 वर्ष से कम के बच्चे हों, तो और किसी विधवा के इससे बड़े बच्चे हों और वह उसका भरण-पोषण न करते हों, तो इस चीज को कैसे सरकार सुनिश्चित करेगी ? बहुत सी ऐसी विधवाएं हैं, जिनके व्यस्क और कमाने वाले बच्चे कोई सहारा नहीं देते हैं उनकी वृद्धावस्था में । तो ऐसी दशा में उसको पेंशन दी जाएगी या नहीं ? और दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं, सरकार ने घोषणा की कि जितनी विधवाएं पात्र होंगी, उन सबको पेंशन दी जाएगी, तो सबको दी जाएगी जो पात्र होंगी या उनमें से कुछ को दी जाएगी और कुछ को नहीं दी जाएगी ?

श्री अवधेश प्रसाद—

मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में अभी निवेदन किया कि उन समस्त निराश्रित विधवाओं को पेंशन देने की व्यवस्था है, जिसमें माननीय सदस्य ने शंका जाहिर की । तो उसमें हमने यह व्यवस्था की थी कि देते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की विधवाओं को अवश्य दिया जाए । इससे स्पष्ट है कि प्रदेश की उन समस्त निराश्रित विधवाओं को भरण-पोषण अनुदान देने की व्यवस्था है ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त—

माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया, उससे पंचानन राय जी का शंका-समाधान नहीं हुआ । हमारे यहां पेंशन दो स्तर पर दी जाती है । एक हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग से विधवाओं के लिए और दूसरे श्रम विभाग से वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है, जिनकी आयु 60 वर्ष की हो गयी है, और यहां पर शत प्रतिशत ऐसी

वृद्धाओं को पेंशन देने की व्यवस्था है, प्राविधान है । किन्तु हरिजन विभाग में जो व्यवस्था है, उसमें प्रति वर्ष एक निश्चित धनराशि बजट में इस हेतु निर्धारित की जाती है ।

इसमें वृद्धि भी की जाती है । यह बहुत ही कम होता है, हमारे यहां जनपद में प्रात वर्ष 40/50 विधवाओं को पेंशन देने की ही व्यवस्था होती है । तो क्या मंत्री जी अपने कथन की पुष्टि में इस बात का सदन में आश्वासन देंगे कि जिस तरह से वृद्धावस्था पेंशन में शतप्रतिशत पात्र लोगों को देने की व्यवस्था है, उसी तरह से हरिजन विभाग में भी इसकी व्यवस्था की जाएगी ? यानी जितने भी प्रार्थना-पत्र आपके कार्यालय में आ जाएंगे और संगत पाए जाएंगे, उन सभी को पेंशन देने की कृपा की जाएगी ?

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, जैसा कि माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने सवाल किया, तो उनके सवाल के उत्तर में, अपने वित्तीय संसाधनों को देखते हुए हम प्रदेश की समस्त निराश्रित विधवाओं को अनुदान देने की व्यवस्था करेंगे ।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, अभी गुप्त जी के प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं आया है, इसलिए पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी को जानकारी है कि हरिजन एवं समाज कल्याण कार्यालयों में हजारों प्रार्थना-पत्र सारी औपचारिकताओं को पूरा करने के बावजूद पेंडिंग पड़े हुए हैं ? क्या इसकी वह जानकारी करायेंगे और जो पूरी औपचारिकतायें पूरी कर चुके हैं उनको पेंशन दी जाएगी। दूसरी बात मान्यवर, यह कहना चाहूंगा कि जिसको पेंशन स्वीकृत हो गई और मिलने लगी उनको एक-एक वर्ष से, दो-दो वर्ष से पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है । जिनको एक बार पेंशन दे दी गई उनको भी नहीं दी जा रही है, ऐसा ही मामला बाराबंकी जनपद का भी है । तो इसको दिखवाने का कष्ट करें ।

श्री अवधेश प्रसाद–

जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, तो अगर किसी विशेष जिले की माननीय सदस्यों के पास सूचना हो–

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

सब जिलों में ऐसा हो रहा है ।

श्री अवधेश प्रसाद–

और इस बात की सूचना हो कि तीन साल से या छः महीने से या एक साल से पेंशन नहीं मिली, तो उसमें हम जांच कराकर पेंशन दिलाने का काम करायेंगे और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से एक प्रश्न हरिजन समाज कल्याण मंत्री जी से पूछना चाहता हूं । क्या मंत्री मंडल राज्यपाल की संस्तुति पर कार्य कर रहा

है, या उनके विश्वास पर कार्य कर रहा है । मान्यवर 10 जनवरी, 1990 को माननीय राज्यपाल के अभिभाषण का अंश सुनाना चाहता हूं, जो पृष्ठ-4 के पैरा-8 पर कहा गया है-"सरकार ने कार्यभार ग्रहण करने के तत्काल बाद विधवाओं, विकलांगों और 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को दी जाने वाली पेंशन को 60 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये प्रतिमास करने की घोषणा की है ।" जब महामहिम राज्यपाल ने कहा था कि विधवाओं को पेंशन दी जाएगी तो उससे अलग जाने के क्या कारण हैं ?

श्री अवधेश प्रसाद—

हमारी सरकार की कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है और इस संबंध में हम माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहते हैं कि प्रदेश की जनता के सामने कहा गया था कि जनता दल की सरकार और राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार आएगी तो 100 रुपये मासिक पेंशन देने की व्यवस्था की जाएगी । मुझे आदरणीय सदन में बताते हुए खुशी है कि जनवरी, 1990 से प्रदेश की उन तमाम माताओं और बहनों को 100-100 रुपये मासिक अनुदान देने के निर्देश ही नहीं दिए गये हैं बल्कि वितरण व्यवस्था को भी सुनिश्चित कर दिया गया है ।

(मेजें थपथपाई गईं)

श्रीमती सियादुलारी—

मान्यवर, हमको भी मौका दे दें ।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

महिलाओं से संबंधित प्रश्न है, इसमें किसी महिला को समय नहीं मिला इसलिए मैं इनको समय दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्रीमती सिया दुलारी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहती हूं कि जो संवेदनशील जिले हैं, जहां पर दस्युओं द्वारा लोग मार दिये गये हैं उनकी विधवाओं को पेंशन देने की क्या व्यवस्था की गयी है? दूसरी बात इस वर्ष कितनी विधवाओं को पेंशन देने की व्यवस्था की गयी है और उसके लिये कितना बजट रखा गया है ?

श्री अवधेश प्रसाद—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्या को यह जानकारी देना चाहता हूं कि पेंशन के अलावा भी सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के तहत हम लोग अनुदान देते हैं और अगर उन विधवाओं की सूची वह हमको दे देंगी तो उस सूची का परीक्षण कराकर उनको पेंशन हम दिला देंगे ।

(ता0 प्र0 सं0-1 पुकारे जाने पर ।)

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

मान्यवर, सिंचाई मंत्री जी के पास लोग जमा हैं नियमों का उल्लंघन हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य अपना आसन ग्रहण करें, उधर से एतराज हो रहा है । माननीय सिंचाई मंत्री जी व्यवधान पैदा हो रहा है । प्रश्नों का समय बहुत महत्वपूर्ण है । व्यवधान के कारण माननीय नगर विकास मंत्री जी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं ।

श्रीमती सिया दुलारी—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ?

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया व्यवधान न करें । आप मंत्री जी के कक्ष में चली जायं । आपकी शंका का समाधान कर देंगे ।

[शुक्रवार, दिनांक 15 जून, 1990 के लिए तारांकित प्रश्न]

जनपद वाराणसी में पेयजल आपूर्ति

*1—श्री श्यामदेव राय चौधरी दादा—

क्या नगर विकास मंत्री को यह जानकारी है कि वाराणसी महानगर में पेयजल की भीषण कमी है तथा हैण्ड पम्पों में से आधे से अधिक खराब हैं ? यदि हां, तो वाराणसी महानगर में गर्मी में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री अवधेश प्रसाद—

वाराणसी नगर में पेयजल की कमी है तथापि लगाये गये हैण्ड पम्पों में से कुछ हैण्डपम्प खराब हैं ।

नगर में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु विश्व बैंक पोषित योजना के अन्तर्गत पुनर्गठन कार्य किया जा रहा है । साथ ही सभी अधिष्ठापित पम्पिंग प्लान्ट्स एवं नलकूपों को पूर्ण क्षमता से चलाये जाने हेतु हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं

श्री श्याम देव राय चौधरी दादा—

मान्यवर, पानी जीवन के लिए बहुत आवश्यक है । सरकार द्वारा जो उत्तर दिया गया है उससे बहुत दुख है । इतना तो सत्य है कि उन्होंने स्वीकार किया है कि वाराणसी नगर में पेयजल की कमी है तथा लगाये गये हैण्ड पम्पों में से कुछ हैण्डपम्प खराब हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न पूछिये ।

श्री श्याम देव राय चौधरी दादा–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जो हैण्ड पम्प लगाये गये हैं उनमें से कितने खराब हैं और कितनी संख्या में वह लगाये गये हैं । साथ ही माननीय मंत्री जी यह उत्तर देने की कृपा करें कि पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हेतु जो पुनर्गठन की योजना बनायी गयी है वह योजना क्या है और वह योजना कब तक पूरी कर दी जायेगी ?

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने पूछा है कि कितने हैंड पम्प लगाये गये हैं तो 785 हैंडपम्प लगाये गये हैं जिसमें से 98 खराब हैं और 67 ऐसे हैं कि जिनकी पुन: बोरिंग कराने की आवश्यकता है । इसमें आज ही निर्देश दे दिये गये हैं कि जिनकी पुन: बोरिंग करानी है, उनकी शीघ्रातिशीघ्र बोरिंग करा दी जाय, जिससे पानी की समस्या सामने न आ सके । दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य का योजना के सम्बन्ध में है । मान्यवर, यह योजना विश्व बैंक की योजना के तहत साढ़े 13 करोड़ रुपये की स्वीकृत हुई है । यह व्यवस्था पानी की सप्लाई ठीक करने के लिए की गयी है । यह व्यवस्था दो साल के अन्दर बिलकुल ठीक हो जायेगी ।

श्री श्याम देव राय चौधरी दादा–

मान्यवर, वाराणसी में पेय जल के लिए हाहाकार मचा हुआ है । वहां पर लोग पानी के लिए मारपीट कर रहे हैं । मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा जो उत्तर दिया गया है, मेरी जानकारी के अनुसार वह बिलकुल असत्य है और जो हैंड पम्प खराब होने की बात शासन द्वारा बतायी गयी है, यह बिलकुल [xxx] है।

श्री उपाध्यक्ष–

[xxx] शब्द असंसदीय है। उसे आप वापस लीजिए।

श्री श्याम देव राय चौधरी दादा–

मान्यवर, मैंने [xxx] शब्द वापस ले लिया। मान्यवर, जो हैण्ड पम्प खराब होने की बात शासन द्वारा बतायी गयी है, वह बिल्कुल असत्य है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप प्रश्न कीजिए ।

श्री श्याम देव राय चौधरी दादा–

मान्यवर, विश्व बैंक द्वारा जो यह योजना चलायी जा रही है, यह 1989 में पूरी हो जानी चाहिए थी और अब 1990 में माननीय मंत्री जी द्वारा कहा जा रहा है कि दो वर्ष इसमें और समय लगेगा । मान्यवर, यह विलम्ब का कारण क्या है ?

श्री अवधेश प्रसाद–

श्रीमन्, शासन की ओर से यह प्रयास है कि कहीं पर भी पेय जल का संकट न उत्पन्न हो, इसके लिए 250 हैण्ड पम्प और स्वीकृत कर दिये गये हैं और अधिकारियों को यह भी निर्देश दे दिये गये हैं कि ये हैण्ड पम्प बहुत जल्द लगाये जायं। माननीय सदस्य ने खराब हैण्ड पम्प की संख्या अधिक होने की जो बात कही है, उनकी सूचना के आधार पर मैं उसकी जांच करा लूंगा और जांच के आधार पर जो हमको

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

सूचना दी गयी है, उसमें अगर कहीं कोई कमी पायी गयी, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायगी । वैसे श्रीमन्, यह ऐसी चीज है कि आज मान लीजिए कि हमारे पास 100 की सूचना आई है और कल हो सकता है कम हो जाय । मान्यवर, हैण्ड पम्प तो खराब होते रहते हैं और ठीक भी होते रहते हैं। अगर सूचना में कहीं कोई गड़बड़ी है, तो मैं उसकी जांच करा लूंगा । मेरा ऐसा आदेश है कि हैण्ड पम्प खराब होने की जैसे ही सूचना मिले, उसके लिए अधिकारी और कर्मचारी जाकर उसे ठीक करायें ।

श्री श्याम देव राय चौधरी दादा–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय चौधरी साहब आप बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

आपको एक प्रश्न करने की और अनुमति मिलेगी ।

श्री चन्द्र शेखर सिंह (वाराणसी)–

मान्यवर, वाराणसी की जनसंख्या को देखते हुए कितने क्यूसेक पानी की जरूरत है ? जल संस्थान द्वारा कितने पानी की आपूर्ति होती है, हैण्ड पम्पों द्वारा कितने पानी की आपूर्ति है और जो पाइप लाइन बिछी हुई है उस पाइप लाइन के जरिये भी पानी आता है और उससे रिसाव कितना होता है और जहां सीवर के पाइप लाइन को उसके बगल में किया गया है उससे रिसाव होकर पाइप लाइन में कितना पानी जाता है, क्या इसकी जानकारी मंत्री जी को है? अगर है तो कृपया यह बताने की कृपा करें कि प्रति व्यक्ति कितने पानी की जरूरत है नहाने, धोने, पीने, कपड़ा धोने सब के लिए कितने क्यूसेक पानी की जरूरत है ? और इसके लिए कोई योजना हो तो माननीय मंत्री जी बतायें ?

(व्यवधान)

श्री अवधेश प्रसाद–

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने यह जानकारी चाही है कि बनारस में कितने पानी की आवश्यकता है तो प्रतिदिन 300 मिलियन लीटर पानी की आवश्यकता है और उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हैण्ड पम्प के माध्यम से और ट्यूबवेल के माध्यम से और नदी के माध्यम से उस आपूर्ति को पूरा करने के लिए शासन की तरफ से पूरा प्रयास है ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय नगर विकास मंत्री के उत्तर से संबंधित आपसे जानकारी चाहती हूं कि अभी-अभी इसी सम्मानित सदन में सम्मानित मंत्री जी ने कहा कि साढे 13 करोड़ रुपये विश्व बैंक से इस हेतु प्राप्त हुए हैं और उसको 2 वर्ष में लगाया जाना है, यह अभी माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया था माननीय प्रश्नकर्ता के उत्तर के संदर्भ में । मैं यह जानना चाहती हूं कि यह जो साढ़े 13 करोड़ रुपये हैं इसमें से पहली चीज यह है कि इस वर्ष के लिए कितना खर्च होगा और दूसरा यह है कि चूंकि यह प्रश्न केवल बनारस से संबंधित है तो क्या यह साढ़े तेरह करोड़ रुपये केवल बनारस में लगेंगे या सारे उत्तर प्रदेश के लिए है ?

श्री अवधेश प्रसाद–

श्रीमन्, यह सवाल बनारस जनपद से संबंधित है, इसमें करीब 10 लाख रुपये के करीब अभी खर्च हुआ है और चूंकि इसमें काम निरन्तर और तेजी से चल रहा है तो और खर्च होता रहेगा ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

मान्यवर, मेरी बात सुनें ।

(श्री श्याम देव राय चौधरी दादा का नाम पुकारे जाने पर व्यवधान)

मान्यवर, मेरे प्रश्न में मेरी रक्षा नहीं हो रही है। यह प्रश्न बनारस जिले से संबंधित है और माननीय मंत्री जी ने माननीय प्रश्नकर्ता के उत्तर में कहा कि साढ़े तेरह करोड़ रुपये विश्व बैंक से प्राप्त हुए हैं और 2 वर्ष में खर्च होगें तो मान्यवर, 2 वर्ष में इस वक्त कितना खर्च होगा और 10 लाख रुपये जो खर्च हुए हैं वह कहां खर्च हुए हैं और बनारस में कितना खर्च हुआ है? यह साढ़े तेरह करोड़ रुपया कहां खर्च होगा? माननीय मंत्री जी से संबंधित प्रश्न कर रही हूं आप मेरी रक्षा करें ।

श्री अवधेश प्रसाद–

श्रीमन्, जो माननीय सदस्या ने प्रश्न किया।

श्रीमन्, इसमें अब तक 683 लाख रुपया खर्च हो चुका है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग उत्तर तो सुनें ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अवधेश प्रसाद–

यह धन जीर्णोद्धार और नई लाइन बिछाने आदि पर खर्च हुआ है ।

जनपद सोनभद्र के गोंड जातियों की भांति पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोंड जातियों को अनुसूचित जाति मानने की मांग

*2–श्री विजय सिंह (अनुपस्थित)–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के कैमूर पर्वत के दक्षिण में रहने वाली गोंड जाति और उत्तर प्रदेश के पूर्वान्चल के जिलों में रहने वाली गोंड एक ही आदिवासी परम्परा को मानने वाली जातियां हैं ? यदि हां, तो क्या पूर्वान्चल के जिलों को गोंड जाति को अनुसूचित जाति की सुविधायें दी जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी नहीं । जनपद सोनभद्र के कैमूर पर्वत के दक्षिण में रहने वाली गोंड़ जाति और उत्तर प्रदेश के पूर्वान्चल के जिलों में रहने वाली गोंड एक ही आदिवासी परम्परा को मानने वाली जातियां नहीं हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

त्रिवेणीनगर वार्ड जनपद लखनऊ में जल निकासी एवं बाढ़ नियंत्रण की योजना

*3–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि त्रिवेणीनगर वार्ड लखनऊ के जल निकासी तथा बाढ़ नियंत्रण हेतु नगर महापालिका लखनऊ की कोई योजना आगणन सहित नगर विकास अनु0 10 को मार्च, 1989 में जिलाधिकारी लखनऊ के माध्यम से मिली है ? यदि हां, तो योजना क्या है ? योजना की स्वीकृति तथा वित्तीय स्वीकृति कब तक हो जायेगी ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी हां ।

सीतापुर रोड के पश्चिम में गोमती नदी के बायें तट बन्ध के बीच का भाग, जिसमें त्रिवेणी नगर क्षेत्र आते हैं । इस क्षेत्र की जल निकासी सम्बन्धी योजना है ।

चूंकि ऐसी योजनाओं के लिए आय-व्ययक में कोई प्राविधान उपलब्ध नहीं है, अतः कोई धनराशि दिया जाना सम्भव नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा कि उन्होंने स्वीकार किया है कि योजना है और आवश्यकता को देखते हुए योजना का क्रियान्वयन होना था, लेकिन असमर्थता इसलिये प्रकट की कि बजट में प्राविधान नहीं है । मैं मा0 मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि मात्र कार खरीदने के लिये बजट में प्राविधान न हो तो आकस्मिकता निधि से पैसा ले लिया जाता है । तो लखनऊ के लाखों लोगों के जीवन से संबंधित जो यह समस्या है, तो मैं जानना चाहूंगा कि इनकी आवश्यकता को समझ कर बजट में प्राविधान नहीं है तो आकस्मिकता निधि से पैसा निकाल कर काम क्यों नहीं किया? क्या अब यह काम आकस्मिकता निधि से पैसा निकाल कर किया जायेगा?

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में नगरपालिकाओं में, महापालिकाओं में विद्युत के लिये लगभग 100 करोड़ रुपया अवशेष था ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मुझे मा0 मंत्री जी की बुद्धि पर तरस आ रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी यह प्रश्न जल निकासी और बाढ़ नियंत्रण से संबंधित है ।

श्री अवधेश प्रसाद–

श्रीमन्, इसमें जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया, धनाभाव के कारण जो मा0 सदस्य ने इच्छा जाहिर की है, फिलहाल संभव नहीं है ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से त्रिवेणीनगर के बारे में मा0 मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं, मेरे पास इसकी प्रतिलिपि मौजूद है, जिसमें 1.22 करोड़ रुपये का प्राविधान है । इसकी प्रतिलिपि मेरे पास मौजूद है । मान्यवर, मैंने वहां का

चप्पा-चप्पा घूमा है, वहां पर जैसा कि पूर्व वक्ता सम्मानित गुप्त जी ने कहा, एक बड़ी भारी नगरी है, तमाम वार्ड बन गये हैं । लोगों को आने जाने में बहुत ही दिक्कत होती है, मंत्री जी भी चाहें तो वहां का निरीक्षण कर लें, वहां पर मोटरों के पहिये फंस जाते हैं, जैसा कि गुप्त जी ने कहा कि मोटर तो कंटीजेंसी से खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में जो काम हो रहा है, उस काम को क्यों बन्द कर दिया गया, जो 122 लाख रु0 की योजना बनी है, उसका क्या हुआ ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जहां तक निरीक्षण की बात माननीया सदस्या ने कही.

श्री उपाध्यक्ष–

मुख्य प्रश्न का उत्तर दीजिये, उसको छोड़ दीजिये ।

श्री अवधेश प्रसाद–

आर्थिक मजबूरी के कारण इस पर व्यय करना इस समय सम्भव नहीं हो पा रहा है।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, त्रिवेणी नगर में सारे वार्डों की नालियों को नगरमहापालिका द्वारा गिरा दिया गया है, बरसात के दिनों में तो वहां के लोगों का जीना बिल्कुल नरक हो जाता है। मंत्री जी ने कहा कि योजना विचाराधीन है, दूसरी तरफ यह कहते हैं कि पैसा नहीं है, इसमें विरोधाभास है । जब योजना सरकार बना रही है, योजना उसके विचाराधीन है तो पैसे की भी व्यवस्था होनी चाहिये । आने वाले बरसात के दिनों में तो और भी दिक्कत हो जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप प्रश्न करें ।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि जो योजना त्रिवेणी नगर की विचाराधीन माननीय मन्त्री जी ने बतायी वह योजना कब तक पूरी हो जायेगी, जो उसकी योजना लागत है उसकी व्यवस्था कब तक हो जायेगी ?

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मैंने अपने निवेदन में कहा था कि फिलहाल संभव नहीं है इसका यह अर्थ नहीं होगा कि यह जो हो रहा है इस पर सरकार का ध्यान नहीं है, सरकार का ध्यान है, इस पर चिन्ता है, लेकिन धन उपलब्ध होने के बाद माननीय सदस्य ने जो भावना व्यक्त की है, धन उपलब्धता के आधार पर इस मामले पर विचार कर लिया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप मूल उत्तर को भी देख लें । यह कहा जा रहा है कि बजट में प्राविधान नहीं है, बजट का तात्पर्य नगर महापालिका के बजट से है या उत्तर प्रदेश सरकार के आय व्ययक से है । नगरमहापालिकाओं और नगरपालिकाओं की योजना प्राविधान बजट में नहीं हुआ करते हैं । बजट में एक लमसम एमाउंट सेंक्शन होता है ताकि योजना पर कार्य प्रारम्भ हो सके । कोई विशिष्ट योजना जो स्थानीय निकाय से आती है उसका प्राविधान इसमें नहीं होता है । बजट जो आ रहा है उसमें बजटरी प्राविधान होंगे, जल निकासी की मदें होंगी । उस मद के अन्दर क्या इस योजना का प्राविधान कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अवधेश प्रसाद–

श्रीमन्, मैंने सवाल में स्पष्ट . . . (व्यवधान)

एक सदस्य–

सवाल में या जवाब में ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप उत्तर दीजिये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जो 90-91 का बजट है उसमें इसके लिये धन का प्राविधान किया जायेगा, मैं यह जानना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं ।

लखनऊ-कानपुर रोड के पास बाराबिरवा से सुभाषनगर के बीच जल निकासी व्यवस्था कराने की मांग

*4—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ-कानपुर रोड पर बाराबिरवा से सुभाषनगर (भोलाखेड़ा) मार्ग पर जल निकासी हेतु सीवर लाईन डालने के सम्बन्ध में तत्कालीन राज्यमंत्री नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन ने प्रश्नकर्ता को अर्ध0 पत्र संख्या 5323/9-10-85-84 एक्यू/85 नगर विकास अनुभाग–10, दि0 23-11-85 द्वारा सूचित किया था कि मुख्य लाईन बन जाने पर उक्त मार्ग पर भी सीवर लाईन डाली जायेगी ? क्या यह सही है कि कानपुर रोड पर, जल निकासी हेतु बड़ा नाला बनाया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग पर शीघ्र ड्रेनेज का निर्माण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

(श्रीमती प्रेमवती तिवारी के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

मंत्री जी को उत्तर तो पढ़ लेने दें ।

(व्यवधान)

श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

मान्यवर, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे निवास पर अतारांकित प्रश्न के उत्तर पहुंचे और इसकी प्रतिलिपि अभी तक नहीं मिली । अभी-अभी यह मिली है । मैं कक्ष में गयी थी ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह सुनिश्चित कर लें कि कापी आपको समय से मिले ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

मान्यवर, इसमें जवाब आया है कि सूचना एकत्र की जा रही है । छः महीने से ज्यादा समय मेरे प्रश्न को आये हो गये, तो फिर यह अभी तक सूचना एकत्र करने का मतलब क्या है, यह तो सीधे-सीधे टालने वाली बात है । मैं पूछना चाहती हूं कि क्या मंत्री जी को यह मालूम है कि सुहासखेड़ा और भोलाखेड़ा में ड्रेनेज खुद चुका है और जैसा कि पूर्व आश्वासन है, उसके आधार पर सुहासखेड़ा, भोलाखेड़ा में ड्रेनेज जाने की कोई योजना है ?

लखनऊ नगर में जलकर में की गयी वृद्धि को वापस लेने की मांग

*5—श्री रविदास मेहरोत्रा—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्व सरकार ने माह सितम्बर, अक्टूबर, 1989 में जलकर में जो चार गुना वृद्धि की थी उसे वर्तमान सरकार वापस करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि लखनऊ नगर में प्रदेश के अन्य नगरों से अधिक जलकर लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

सितम्बर, अक्टूबर, 1989 में जलकर में कोई वृद्धि नहीं की गयी है । वर्ष 1985–87 में कवाल नगरों व कुछ अन्य नगरों में जलकर में मामूली वृद्धि की गयी थी जो चार गुना नहीं थी । जल संस्थानों व जलकल विभागों की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण जलकर में की गयी वृद्धि को वापस लेना सम्भव नहीं है ।

कवाल नगरों सहित प्रदेश के समस्त जल संस्थानों में जलकर की दरें लखनऊ के समान या अधिक हैं । इतना अवश्य है कि प्रदेश के कुछ नगरों में जलकर की दरें लखनऊ से कम हैं । लखनऊ जल संस्थान में घाटे के कारण अपरिहार्य परिस्थितियों में अनेक वर्षों से लागू जलकर की दर, भवन के वार्षिक मूल्यांकन के, 8 प्रतिशत को वर्ष 1985 में बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत किया गया है ।

श्री रविदास मेहरोत्रा–

मान्यवर, जो जवाब आया है, वह स्पष्ट नहीं है और इस उत्तर के माध्यम से सदन को गुमराह करने का प्रयास किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि लखनऊ में कितना जलकर लिया जा रहा है और किन-किन नगरों में लखनऊ से जलकर कम है और वहां पर कितना जलकर लिया जा रहा है । इसके साथ ही क्या पूरे प्रदेश में एक सामान जलकर लागू करने की व्यवस्था माननीय मंत्री जी करेंगे। तीसरा प्रश्न है कि जल संस्थान में घाटा किन कारणों से हो रहा है और उसको दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है?

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य जी, माननीय मंत्री जी दूसरे विभाग का उत्तर दे रहे हैं, आप उनसे एक-एक करके प्रश्न पूछें, तो ज्यादा अच्छा उत्तर आ जायेगा।

श्री अवधेश प्रसाद–

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने दो सवाल किये हैं। पहला सवाल यह है कि वह कौन से कवाल टाउन्स हैं, जिनका जलकर लखनऊ से कम है और दूसरा सवाल यह किया कि जल संस्थान में घाटे के जो अपरिहार्य कारण हैं, वह क्या हैं? इस सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि जहां तक घाटे का सवाल है तो जितने भी उत्तर प्रदेश में कवाल टाउन्स हैं, उन सभी में जलकर लखनऊ से अधिक नहीं है, कहीं-कहीं से लखनऊ में ज्यादा है।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह पूछा गया है कि लखनऊ में कितना जलकर है और उत्तर प्रदेश के अन्य नगरों में कितना है?

श्री अवधेश प्रसाद–

लखनऊ में 12.5 प्रतिशत है।

श्री उपाध्यक्ष–

इस प्रश्न को स्थगित किया जाता है।

(सत्तारूढ़ दल की ओर से कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर–व्यवधान)

सभी सम्मानित सदस्य यह जानते हैं कि सदन का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसका एक-एक क्षण समाज व जनहित के लिए होता है। मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि जब एक माननीय सदस्य को बोलने का समय दे दिया गया है तो अन्य माननीय सदस्यों को नहीं बोलना चाहिए।

जल निगम द्वारा जल लाइनों में प्लास्टिक पाइपों के इस्तेमाल को बन्द करने की मांग

*6–श्री कृष्ण कुमार नवमान–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि जल निगम द्वारा डाली जा रही जल लाइनों में प्लास्टिक पाइप इस्तेमाल हो रहा है, जो थोड़े दबाव से ही फट कर सड़क तथा आसपास के भवनों को नुकसान पहुंचा रही है तथा इससे निगम को आर्थिक क्षति हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार प्लास्टिक पाइपों के स्थान पर पुनः स्टील पाइप प्रयोग करना सुनिश्चित करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी हां। सामान्यतः जल वितरण में प्लास्टिक के 100 मि0 मी0 तक के व्यास के पाइपों का इस्तेमाल हो रहा है।

जी नहीं।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रस्तावित स्थानों में प्लास्टिक के पाइप स्टील पाइप की तुलना में अधिक उपयुक्त हैं।

श्री कृष्ण कुमार नवमान–

मान्यवर, क्या नगर विकास मंत्री जी को पता है कि रोजाना कितनी बार पाइप फट रहे हैं और पाइप फटने से सड़कों पर पानी बह जाता है तथा सड़कें खराब हो जाती हैं साथ ही पानी भी बेकार चला जाता है।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य, आप प्रश्न कीजिए।

श्री कृष्ण कुमार नवमान–

कितनी बार रोजाना पाइप फट रहे हैं और कितना पानी उससे निकल जाता है और कितना पैसा उन पाइपों की मरम्मत में चला जाता है?

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न आपका स्पष्ट नहीं है।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि 100 मि0 मी0 तक के व्यास के पाइपों का इस्तेमाल हो रहा है परन्तु उन्होंने इससे इन्कार किया है कि पाइपों के फटने से कोई नुकसान हो रहा है, उन्होंने इस बात से भी इन्कार किया है कि इससे निगम को कोई हानि हो रही है और उन्होंने इस बात में भी इन्कार किया है कि प्लास्टिक पाइप के स्थान पर स्टील पाइप का प्रयोग नहीं होगा। मैं उनके उत्तर के सन्दर्भ में यह जानना चाहता हूं कि क्या उनकी जानकारी में यह है कि प्लास्टिक पाइपों के इस्तेमाल होने से जगह-जगह, जो भी भारी वाहन सड़कों पर चलते हैं, उनसे प्लास्टिक के पाइप टूट जाते हैं और उससे उत्तर प्रदेश के अनेक नगरों में मकान टूट रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

आप प्रश्न करें।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मैं जानना चाहता हूं कि प्लास्टिक पाइपों के स्थान पर जिस तरह पुराने समय में स्टील पाइपों का उपयोग होता था, उसे करने की कृपा करेंगे ?

श्री अवधेश प्रसाद–

माननीय सदस्य ने जो शंका व्यक्त की है पाइप के टूटने की, इस तरह की कोई सूचना नहीं है। दूसरी चीज यह है कि प्लास्टिक पाइप के इस्तेमाल के बारे में कि उससे पानी बहुत अच्छा आता है, जंग नहीं लगती है, ट्रांसपोर्टेशन में कम खर्चा आता है। उसके अस्त-व्यस्त होने की कोई सूचना नहीं है।

जनपद बदायूं की तहसील बिसौली की बाल विकास परियोजना में पुष्टाहार की कथित चोरी

*7–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि जनपद बदायूं की तहसील बिसौली में 1989–90 में बाल विकास परियोजना के गोदाम में रखे करीब 95000 रुपये के पुष्टाहार के स्टोरेज पर लगभग रु0 4,05,000.00 का खर्चा

किया गया है जबकि अधिकांश माल गोदाम में सड़ चुका है ? क्या यह सत्य है कि उपरोक्त पुष्टाहार में से सवा सत्रह हजार कुन्तल चोरी भी हो गया है जिसकी रिपोर्ट बदायूं भ्रष्टाचार उन्मूलन की अध्यक्षा श्रीमती रश्मि शंखधर ने अपराध संख्या–384/89 के तहत थाना बिसौली में लिखाई है ? यदि हां, तो इस पर अभी तक विभाग द्वारा क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद—

जी नहीं ।

बाल विकास परियोजना बिसौली के गोदाम में पोषाहार अदालत के आदेशानुसार पुलिस की देखरेख में मई, 89 से बन्द है । अतएव पोषाहार के सड़ने की पुष्टि नहीं की जा सकी है ।

वर्ष 1988–89 में सवा सत्रह हजार कुन्तल पोषाहार क्रय ही नहीं किया गया है । अतः इतना सामान चोरी होने का प्रश्न ही नहीं उठता बदायूं भ्रष्टाचार उन्मूलन की अध्यक्षा श्रीमती रश्मि शंखधर के अपराध संख्या–384/89 के तहत थाना बिसौली में रिपोर्ट लिखायी थी ।

इस मामले में उचित कार्यवाही पुलिस तथा न्यायालय द्वारा की जा रही है प्रश्न नहीं उठता ।

डॉक्टर दिनेश जौहरी–

मान्यवर, मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि पुलिस ने इनके गोदाम पर ताला डाल दिया है । स्वाभाविक है कि कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर हुई है । क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्या गड़बड़ी हुई थी कितने का पुष्टाहार खरीदा गया था और कितने का चोरी हुआ ?

श्री अवधेश प्रसाद—

यह वर्ष 1988 का मामला है । उस समय के वहां के एस0 डी0 एम0 ने इसकी जांच की थी । उसमें कुछ अनियमितता पायी । पाने के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी । रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद न्यायालय से जिला हरिजन समाज कल्याण अधिकारी की सुपुर्दगी में माल दे दिया गया । श्रीमती रश्मि ने एक प्रार्थना-पत्र न्यायालय में दिया कि घपला हो गया है कुछ सामान उठाया गया है । जांच की गयी तो 16 विव0 की शिकायत मिली । इसमें मुकदमा दर्ज हुआ और उस समय के पुलिस अधीक्षक, बदायूं ने यह अभियोजन चलाने के लिये शासन के पास पत्रावली भेजी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यह मामला दो साल से लम्बित था । परसों जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, गिरफ्तारी के आदेश दे दिये गये और दो साल तक फाइल जहां दबी रही है, उन अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ स्पष्टीकरण लेकर कड़ी कार्यवाही करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या पुष्टाहार कोल्ड स्टोरेज में रखा गया था ? कोल्ड स्टोरेज को कितना पैसा दिया गया था ? मेरी जानकारी में है कि 95 हजार रु0 के पुष्टाहार के लिये, 4 लाख रु0 कोल्ड स्टोरेज को दिया गया था ।

श्री अवधेश प्रसाद—

जिसमें सामान रखा गया है, उसका एक वर्ष का किराया केवल 6 हजार रु0 है । दूसरी तरफ यह कहना कि इसमें 4 लाख रु0 का किराया दिया गया है, बात सही नहीं है ।

जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों को नियमित करने की मांग

*8—श्री राम कुमार शुक्ल—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि सैनिक कल्याण विभाग में वर्ष 1975 से राज्य/जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों के पदों पर वेतनमान 1000–1900 (पुनरीक्षित 2350–4350) पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की जाती है ? क्या इन अधिकारियों को शासनादेश दिनांक 3 दिसम्बर, 1987 के अनुसार पेंशन, ग्रेच्युटी एवं पारिवारिक पेंशन अनुमान्य कराई जा चुकी है ? यदि हां, तो इन अधिकारियों को नियमित करने की कार्यवाही कब तक कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद—

जी नहीं । जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के पदों पर इमरजेन्सी कमीशण्ड/शार्ट सर्विस कमीशन प्राप्त अधिकारियों की नियुक्ति संविदा के आधार पर वेतनमान रुपये 1000–1900 (पुनरीक्षित वेतनमान 2350–4300) में की जाती है

जी हां ।

सेवा नियमावली बनाने की कार्यवाही चल रही है । इसके प्रख्यापित होने के उपरान्त नियमितीकरण के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

श्री राम कुमार शुक्ल—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सैनिक कल्याण विभाग में जब कमीशन से चुन कर लोग आते हैं या कमीशन के द्वारा अर्ह कर्मचारी रखे जाते हैं और जिनको वहां पर सेवा करते हुए 15 व 20 वर्ष हो गए हैं लेकिन फिर भी हर साल उनका रिन्युवल होता है और कोई कर्मचारी स्थायी नहीं किया जाता है, कोई परमानेन्ट नहीं किया जाता है तो इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उन्होंने जो नियमावली बनाने की बात अपने प्रश्नोत्तर में कही है कि सर्विस के रूल्स बनायेंगे तो जब इसका नियम ही कंट्रेक्ट है, तो फिर इसमें आपकी बनायी हुई नियमावली कैसे लागू होगी और कर्मचारियों का स्थायीकरण कैसे किया जायेगा ?

श्री अवधेश प्रसाद—

श्रीमन्, जैसा कि माननीय सदस्य ने चिन्ता व्यक्त की है और उनकी चिन्ता स्वाभाविक है । इस संबंध में मैंने निर्देश दिया है अपने अधिकारियों को कि बहुत जल्दी सेवा नियमावली बना ली जाय और नियमावली बन जाने के बाद सेवा योजन की संविदा को समाप्त कर दिया जायेगा ।

श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या बतायेंगे कि मा0 मंत्री जी दिनांक 3 दिसम्बर, 1987 के शासनादेश के आधार पर जिसमें पेंशन, ग्रेच्युटी एवं पारिवारिक पेंशन आदि अनुमन्य करायी जा चुकी है तो फिर सेवायोजन की संविदा को हटा कर कर्मचारियों को नियमित क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री अवधेश प्रसाद–

श्रीमन्, इस पर मेरा निवेदन है कि मा0 सदस्य ने जो संविदा हटाने के लिये अपनी चिन्ता व्यक्त की है और उनकी यह चिन्ता स्वाभाविक भी है, नियमावली अब बनायी जा रही है और नियमावली बन जाने के बाद ही संविदा को हटाने पर विचार किया जायेगा ।

*9–श्री केसरी नाथ त्रिपाठी–

[2रे बुधवार में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आर्थिक अभाव से प्रभावित परिवार के अविवाहित लड़कियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता

*10–श्री दशरथ सिंह–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि धनाभाव के कारण जिन लड़कियों की शादी 25 वर्ष तक नहीं हो पाती है उनकी शादी हेतु शासन द्वारा आर्थिक सहायता देने की कोई व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

केवल अनुसूचित जाति के निर्धन एवं असहाय व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता दी जाने की व्यवस्था है । योजनान्तर्गत ऐसे अनुसूचित जाति के व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 3500 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 4300 रुपये से अधिक न हो, की पुत्रियों के विवाह हेतु 1000 रुपये आर्थिक सहायता दिए जाने की व्यवस्था है । अनुदान विभागीय नियमावली के अधीन स्वीकृत किया जाता है ।

गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान की योजना पर वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में अब तक स्वीकृति नहीं दी जा सकी है ।

(मा0 मंत्री जी के द्वारा प्रश्न का मूल उत्तर पढ़ा गया)

श्री उपाध्यक्ष–

अब प्रश्नों का समय समाप्त ।

नोट :–नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न संख्या 10 से उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

पंजीकृत बेरोजगार नवयुवकों को साक्षात्कार हेतु सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा

*11—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या सरकार बेरोजगार पंजीकृत युवकों को साक्षात्कार हेतु जाने के लिए मुफ्त बस यात्रा की व्यवस्था कर रही है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)—

साक्षात्कार हेतु जाने के लिए यात्रा भत्ता देने के संबंध में संबंधित विभाग के नियुक्त प्राधिकारी द्वारा ही निर्णय लेना होता है । श्रम विभाग के समक्ष इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

*12—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

[पहले मंगल में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में मलिन बस्तियों का सुन्दरीकरण

*13—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के नगरों में बसे नागरिकों में से 67 लाख के लगभग नागरिक मलिन बस्तियों में रहकर नरकीय जीवन व्यतीत करते हैं ? यदि हां, तो इतनी बड़ी आबादी की मलिन बस्तियों के सुन्दरीकरण की क्या कोई योजना नगर विकास विभाग ने बनाई है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

नगर विकास मंत्री (श्री विक्रमादित्य पाण्डेय)—

किसी प्रमाणिक सर्वेक्षण के अभाव में मलिन बस्तियों में रहने वाले नागरिकों की निश्चित जनसंख्या उद्धृत करना संभव नहीं है किन्तु यह सत्य है कि प्रदेश की जनसंख्या का एक भाग मलिन बस्तियों में निवास करता है ।

मलिन बस्तियों में नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना का कार्यान्वियन वर्ष 1972 से किया जा रहा है । इस योजना के अंतर्गत मलिन बस्तियों में मूलभूत नागरिक सुविधायें जैसे गलियों को पक्का करना, जल एवं मल निकासी की व्यवस्था, पानी के नल, मार्ग-प्रकाश स्तम्भ, सार्वजनिक शौचालय एवं स्नानघर की सुविधायें उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है ।

झांसी में नगर की पेयजल योजना

*14—श्री रवीन्द्र शुक्ल—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी नगर में पेयजल समस्या के निदान हेतु 30 करोड़ रुपये की कोई योजना स्वीकृत है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक पूरी की जायेगी ? क्या नगर विकास मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना में अब तक कितनी धनराशि दी गई और उससे अब तक क्या कार्य कराया गया ? क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि झांसी नगर की पेयजल समस्या के समाधान हेतु नलकूपों पर आधारित कोई पेयजल योजना भी सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

झांसी नगर के पेयजल आवर्धन हेतु झांसी बबीना पेयजल आवर्धन योजना जिसकी अनुमानित लागत रुपया–2998.56 लाख है, तकनीकी रूप से स्वीकृत है ।

योजना के कार्य मार्च, 1994 तक पूर्ण किये जाने प्रस्तावित हैं ।

शासन द्वारा इस योजना पर अब तक रुपया 230.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है ।

योजना के निर्माण हेतु निम्नानुसार कार्य किये जा रहे हैं :–

(क) जलशोधन संयंत्र के लिये भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है । अधिग्रहण हेतु आवश्यक धनराशि जिलाधिकारी, झांसी के कोष में जमा करा दी गई है ।

(ख) माताटीला से बबीना तक कच्चा पानी लाने के लिए ग्रेविटी मेन की निविदायें प्राप्त की जा चुकी हैं ।

(ग) जलशोधक संयंत्र एवं शुद्ध जल की पाईप लाईन की निविदायें तैयार की जा रही हैं ।

जी हां ।

झांसी नगर को पेयजल तुरन्त राहत पहुंचाने की दृष्टि से "(झांसी तुरन्त राहत)" पेयजल योजना का विरचन किया गया है, जिसकी अनुमानित लागत रुपया–587.32 लाख है । इस योजना में झांसी नगर से लगभग 18 किलोमीटर दूर बराठा घाट के निकट 5 नलकूपों का निर्माण कर उनका पानी झांसी लाने के लिए पाईप लाईन तथा अन्य तत्संबंधित कार्यों का प्राविधान किया गया है ।

रिक्शा चालकों को रिक्शा मालिक बनाने की योजना

*15–श्री विमल प्रसाद तिवारी–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन प्रदेश के रिक्शा चालकों को उनके रिक्शे का मालिक बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो योजना की रूपरेखा क्या है तथा इसका क्रियान्वयन कब से प्रारम्भ होगा ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी हां ।

जी हां । रिक्शा क्रय करने हेतु रिक्शा की लागत का 25 प्रतिशत अनुदान तथा 75 प्रतिशत ऋण के रूप में देने की व्यवस्था है । इस योजना को प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्र में लागू किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

*16–श्री किशन सिंह तड़ागी–

[2रे मंगल में ता0 प्र0 सं0 20 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

मथुरा नगर में श्री कृष्ण जन्म स्थान के निकट स्थित बूचड़खाना एवं हड्डी गोदाम को हटाये जाने की मांग

*17–श्री रवीकान्त गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा नगर में श्री कृष्ण जन्म स्थान के समीप मनोहर पुरा स्थित बूचड़खाना व हड्डी गोदाम (जिससे क्षेत्र में प्रदूषण व बीमारी फैल रही है) को शीघ्र हटाये जाने हेतु शासन द्वारा कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मथुरा नगर में श्रीकृष्ण जन्म स्थान के समीप मनोहरपुरा स्थित बूचड़खाना व हड्डी गोदाम को नगरपालिका बोर्ड मथुरा के प्रस्ताव दिनांक 29-12-53 द्वारा बन्द कर दिया गया था परन्तु उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अन्य नवीन स्थल के अभाव में बूचड़-खाना पुनः प्रारम्भ करना पड़ा । इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा को उक्त बूचड़खाना व हड्डी गोदाम की अन्यत्र व्यवस्था कराने के लिए आदेश दिया गया है।

जनपद देवरिया के कचेहरी प्रांगण में जल जमाव की समस्या

*18–श्री राम छबीला–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 87-88, 88-89 एवं 89-90 में जल जमाव के कारण देवरिया जनपद में कलेक्ट्री कचेहरी, दीवानी कचहरी एवं जीवन मार्ग कानवेन्ट स्कूल कुल कितने दिन बन्द रहे ? क्या सरकार द्वारा इस जल जमाव समस्या के समाधान के लिए कोई उपाय किया गया है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

वर्ष 1987-88 में दीवानी कचहरी मात्र दो दिन बन्द रहा । कलेक्ट्री कचहरी बन्द नहीं रहा तथा कानवेन्ट स्कूल तीन दिन बन्द रहा । वर्ष 1988-89 में दीवानी कचहरी 19 दिन, कलेक्ट्री कचहरी 8 दिन तथा कानवेन्ट स्कूल 26 दिन बन्द रहा । वर्ष 1989-90 में दीवानी कचहरी व कलेक्ट्री कचहरी जल जमाव के कारण किसी दिन बन्द नहीं रहा तथा कानवेन्ट स्कूल मात्र दो दिन बन्द रहा ।

कलेक्ट्री कचहरी में परिसर का स्तर ऊंचा कराने का कार्य किया जा रहा है जो लगभग 75 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है । दीवानी कचहरी में परिसर में सड़क का स्तर ऊंचा कराये जाने का कार्य चल रहा है ।

*19–श्री कुंवर सिंह नेगी–

[3रे मंगल में ता0 प्र0 सं0 20 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटन विकास हेतु समयबद्ध कार्यक्रम

*20–श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटन विकास हेतु शासन द्वारा कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है ? यदि हां, तो इसकी रूप रेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्वतीय विकास मंत्री (श्री बरफिया लाल जुवाठा)–

पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटन विकास हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

1–श्री रिफाकत हुसैन–

[1ले सोम में अता0 प्र0 सं0 182 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

जिला बाराबंकी के कस्बा जैदपुर के मोहल्ला चिकना महल के निवासी स्व0 राहत अली के मकान पर श्री निसार श्री सैफू द्वारा अनधिकृत कब्जा

2–श्री फकीरे लाल वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-बाराबंकी के कस्बा जैदपुर के मोहल्ला-चिकना महल के निवासी स्व0 श्री राहत अली पुत्र स्व0 जुलफिकार अली म0 नं0–3034 के मकान पर श्री निसार, श्री सैफू पुत्र स्व0 हबीब हैदर निवासी मोहल्ला-चिकना महल पर अनधिकृत कब्जा करके निर्माण कर लिया है ? यदि हां, तो क्या उक्त अस्थायी निर्माण की स्वीकृति टाउन एरिया प्रशासन द्वारा दी गयी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार तत्काल उक्त कब्जा हटवायेगी ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जल निगम में बी0 टी0 परीक्षा में उत्तीर्ण मण्डलीय लेखाकारों को पदोन्नति किये जाने की मांग

3–श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जल निगम में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा बी0 टी0 परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त मण्डलीय लेखाकारों के पदों के लिए क्वालीफाईड घोषित कर्मचारी उक्त पदों पर पदोन्नति कर दिए गए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि विभाग में बड़ी संख्या में अनक्वालीफाईड मण्डलीय लेखाकार कार्यरत हैं ? यदि हां, तो महालेखाकार द्वारा क्वालीफाईड घोषित कर्मचारियों को उक्त पदों पर कब तक पदोन्नत कर दिया जावेगा ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी नहीं ।

पदोन्नति का मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है ।

जी हां ।

मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय प्राप्त होने के उपरान्त यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद फिरोजाबाद के नगरपालिका फिरोजाबाद के अध्यक्ष द्वारा अनधिकृत रूप से वाटर कनेक्शन लेना

4—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद फिरोजाबाद में नगरपालिका फिरोजाबाद के अध्यक्ष ने अपने व्यक्तिगत आवास में चार इन्च मोटी वाटर सप्लाई पाइप लाइन बिना किसी पूर्व स्वीकृति के नगरपालिका के धन से बिछवा ली है ? यदि हां, तो किस नियम उपनियम के अंतर्गत ? इस वित्तीय अनियमितता के खिलाफ सरकार को कार्यवाही करने में क्या कठिनाई है ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

नगरपालिका फिरोजाबाद द्वारा अध्यक्ष नगरपालिका के व्यक्तिगत निवास पर कोई पाइप लाइन नहीं डाली गयी । नगरपालिका द्वारा इस पर कोई व्यय नहीं किया गया । अतः प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

नगरपालिका फिरोजाबाद में लिपिक संवर्गों में रिक्त पदों की जानकारी तथा भरे जाने की मांग

5—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका फिरोजाबाद के अंतर्गत लिपिक, टंकक नायब मोहर्रिर के कितने पद मई, 1989 तक रिक्त थे ? क्या उन रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए नगरपालिका, फिरोजाबाद ने विज्ञापन का प्रकाशन कराया और संवायोजन कार्यालय, फिरोजाबाद एवं आगरा से आवेदनपत्र आमंत्रित किये और इन पदों के लिए किसी चयन समिति का गठन हुआ ? यदि नहीं, तो मई, 1989 में उक्त पदों पर अध्यक्ष नगरपालिका ने नियुक्तियां किस नियम के अन्तर्गत कीं? ऐसी अनियमित नियुक्तियों को अवैध करार करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मई, 1989 तक नगरपालिका फिरोजाबाद में नायब मोहर्रिर के चार पद रिक्त थे । लिपिक, टंकक लिपिक का कोई पद रिक्त नहीं था ।

रिक्त पदों पर की गयी नियुक्तियों की छानबीन करायी जा रही है ।

नगरपालिका फिरोजाबाद के वर्तमान अध्यक्ष द्वारा बिना मण्डलायुक्त की स्वीकृति के पांच हजार रुपये प्रतिदिन व्यय करने की शिकायत

6—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि क्या नगर पालिका फिरोजाबाद के वर्तमान अध्यक्ष ने प्रतिदिन पांच हजार रुपये व्यय करने हेतु नगरपालिका बोर्ड से स्वीकृति ली और क्या नियमानुसार इस प्रस्ताव को मण्डलायुक्त, आगरा को स्वीकृति अथवा अनुमोदन हेतु भेजकर पांच हजार रुपये के व्यय को स्वयं करने की पुष्टि कराई ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस नियम के विरुद्ध व्यय प्रस्ताव पर शासन द्वारा अब तक कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

बोर्ड के विशेष प्रस्ताव संख्या–2 दिनांक 7-3-80 द्वारा पालिका अध्यक्ष को बोर्ड फण्ड से रुपये पांच हजार तक की धनराशि स्वीकृति करने का अधिकार बहुमत से स्वीकृत किया गया है । उस प्रस्ताव की प्रतिलिपि नियमानुसार जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से आयुक्त आगरा मंडल आगरा को प्रेषित की गयी थी, किन्तु नगरपालिका बोर्ड द्वारा आयुक्त, आगरा मण्डल से अनुमोदन नहीं प्राप्त किया गया। अनियमितताओं के संबंध में निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को विशेष सम्परीक्षा कराये जाने के आदेश दे दिये गये हैं ।

लखनऊ नगर के जय प्रकाश नगर एवं आजाद नगर में जल निकासी की योजना

7–श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जयप्रकाश नगर एवं आजाद नगर दक्षिण आलमबाग, लखनऊ में जल निकासी हेतु कोई योजना विगत वर्षों से बनी थी और लगभग तीन वर्ष पूर्व श्री हरी नारायण सक्सेना के मकान के पास मुख्य सड़क में कुछ पाइप डाले गये थे जो आज भी जमीन के अन्दर पड़े हुए हैं किन्तु अभी तक कार्य नहीं प्रारम्भ हुआ है ? यदि हां, तो कार्य के पूरा न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या उक्त ड्रेनेज का कार्य शीघ्र कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लखनऊ नगर के कतिपय मोहल्ले में जल निगम द्वारा नलकूप बनाने की योजना

8–श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जल निगम द्वारा लखनऊ स्थित मोहल्ला सुभाष नगर (भोला खेड़ा) ग्राम कनौसी व ग्राम जलालपुर में नलकूप बनाने की योजना है? यदि हां, तो इसे कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी हां ।

संसाधन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव होगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ नगर के चारबाग बस स्टैण्ड पर टैम्पो चालकों के लिए आवंटित भूमि पर अनधिकृत कब्जा

9–श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ स्थित चारबाग बस स्टैण्ड पर टैम्पो चालक यूनियन को जो जमीन दी गयी थी उसके चारों ओर दुकानें बनी हुई हैं तथा किराये पर उठी हुई हैं? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उपरोक्त अनधिकृत दुकानों को तुरन्त हटाने हेतु आदेश देने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्रम विभाग के डाक्टरों का राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत संविलियन विषयक आदेश

10—श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि0 6-4-85 को ई0 एस0 आई0 को पी0 एम0 एच0 एस0 से अलग करके श्रम विभाग के अधीन करने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया था तथा श्रमायुक्त संगठन के चिकित्साधिकारियों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ को ई0 एस0 आई0 में संविलियन हेतु आदेश किया गया था, जिसके अनुपालन में श्रमायुक्त संगठन के 80—90 प्रतिशत चिकित्साधिकारियों ने संविलियन हेतु विकल्प भी दिये थे ? यदि हां, तो पांच वर्ष बीत जाने के पश्चात भी संविलियन न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

मंत्रि परिषद् द्वारा दिनांक 6-4-85 को श्रम विभाग के डाक्टरों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत मर्जर आदि के सम्बन्ध में विचार करने हेतु निर्देशित किया गया था । तद्नुसार संविलियन सम्बन्धी विचार किया गया परन्तु व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण यह सम्भव नहीं हो सका है ।

टाउन एरिया कर्मचारियों की बख्शी/सचिव के पद पर पदोन्नति की मांग

11—श्री राम सेवक सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 टाउन एरिया कमेटी तथा नोटीफाइड एरिया कमेटी (केन्द्रीयत) सेवा नियमावली, 1976 (उ0 प्र0 सरकार) स्वास्थ्य अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 5571/ टी0/9/1-75-22 सा/68, दिनांक 11-2-1976 की धारा 20 तथा उ0 प्र0 सरकार की अधिसूचना संख्या 1241/ 9-1-87-285सा-84, दि0 13 अप्रैल, 1987 की धारा 21 के अंतर्गत ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर टाउन एरिया के कर्मचारियों की पदोन्नति बख्शी/सचिव के पद पर करने का प्राविधान है ? यदि हां, तो प्रदेश में उक्त प्राविधान के अंतर्गत किस-किस जनपद में कितने कर्मचारियों की पदोन्नति की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

उत्तर प्रदेश टाउन एरिया कमेटी तथा नोटीफाइड एरिया कमेटी (केन्दीयित) सेवा नियमावली, 1976 के नियम—20 में लिपिकीय वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नत करके सचिव के पद पर तैनात करने का प्राविधान है । अधिसूचना संख्या-1241/9-1-87-285 सा/84 दिनांक 13-4-87 द्वारा उक्त नियमावली को संशोधित करके उसमें नियम-21-ए जोड़ा गया है । नियम-21-ए में सीधे तदर्थ आधार पर दिनांक 1-5-83 के पूर्व नियुक्त किये गये सचिवों को नियमित करने का प्राविधान है । नियमावली के नियम-21-ए में लिपिकीय वर्ग के कर्मचारियों को ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर सचिव के पद पर प्रोन्नत करने का कोई प्राविधान नहीं है ।

नियम-20 के अन्तर्गत अभी लिपिकीय वर्ग के कर्मचारियों को सचिव के पद पर प्रोन्नत नहीं किया गया है क्योंकि उनकी ज्येष्ठता सूची राज्य स्तर पर शासन द्वारा बनायी जा रही है ।

कानपुर नगर के कतिपय मोहल्लों में बनी श्रमिक कालोनियों में गैर श्रमिकों को मकान एलाटमेन्ट

12—श्री हनुमन्त सिंह—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर शहर में शास्त्रीनगर, जूही, नवाबगंज, उसमानपुर आदि स्थानों पर श्रमिकों के लिए बनी हुई कालोनियों में गैर श्रमिकों **के नाम मकान एलाट किये गये हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जो श्रमिक वर्षों से उन कालोनियों में रह रहे हैं, उनके नाम मकान न एलाट किये जाने का क्या कारण है** तथा उन्हें कब तक उन कालोनियों में मकान एलाट कर दिये जायेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

श्रमिक कालोनियों के आवास आवंटन में पात्रता संबंधी शासनादेश संख्या-1892/36-4-33 (अ)/69 दिनांक 16-6-1973 तथा संख्या-1409/36-4-33 (अ)/69 दिनांक **30-5-1974 (प्रतियां संलग्न) † के अनुसार मकान एलाट होते हैं ।**

अवैध कब्जे दारों एवं पात्रता की श्रणी में न आने वाले व्यक्तियों को नियमानुसार **श्रमिक कालोनी का आवास आवंटन नहीं किया जा सकता है ।**

प्रश्न नहीं उठता ।

श्रमायुक्त संगठन में उपकारखाना निदेशक (चिकित्सा) के एक रिक्त पद को भरे जाने की मांग

13—श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रमायुक्त संगठन में उप कारखाना निदेशक (चिकित्सा) का एक पद लगभग दस वर्षों से रिक्त है ? यदि हां, तो उसे अब तक न भरे **जाने का क्या कारण है ? उक्त पद को कब तक भर दिया जायेगा ?**

श्री मोहम्मद आजम खां—

जी हां ।

इस पद को उप निदेशक कारखाना (प्रशासन) के रूप में परिवर्तित करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन था परन्तु वह प्रस्ताव शासन द्वारा अस्वीकार किया जा चुका है । **उप निदेशक कारखाना (चिकित्सा) के पद को भरने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है ।**

श्रमायुक्त संगठन में कार्यरत चिकित्साधिकारियों को पी0 एम0 एच0 एस0 की भांति वेतन दिये जाने की मांग

14—श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी—

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि श्रमायुक्त संगठन में कार्यरत चिकित्साधिकारियों को पी0 एम0 एच0 एस0 की भांति समयबद्ध एवं उच्चतर वेतनमान नहीं

---

† छापा नहीं गया ।

दिया जा रहा है और श्रम विभाग के ई0 एस0 आई0 संगठन में कार्यरत चिकित्साधिकारियों को पी0 एम0 एच0 एस0 के समान वेतनमान अनुमन्य है ? यदि हां, तो उनको उक्त वेतनमान कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

श्रमायुक्त संगठन के चिकित्साधिकारियों को पुराने वेतनमान में उच्चतर समयमान वेतनमान अनुमन्य किया गया था, उन्हें तथा ई0 एस0 आई0 संगठन के चिकित्साधिकारियों को नये वेतनमान में पी0 एम0 एच0 एस0 की भांति उच्चतर वेतनमान अभी नहीं दिया जा रहा है ।

फिलहाल सम्भव नहीं है ।

लखनऊ नगर के विभिन्न हरिजन आबादी वाले मोहल्लों हेतु सुधार योजना

15–श्री राम कुमार शुक्ला–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के महबूबगंज, कोरीयन टोला, वजीरबाग, निवाजगंज में धोबियन टोला, झंडिया तालाब प्रथम, द्वितीय, तृतीय, दौलतगंज में बरफखाना, मुरमूरी टोला, पीरबुखान, कुरिया घाट, त्रिवेणी नगर वार्ड में खदरा, अहिबरनपुर, डालीगंज वार्ड में इरादतनगर, निराला नगर में मनकामेश्वर मंदिर की हरिजन बस्ती, अलीगंज तथा रहीमनगर आदि हरिजन बस्तियों में उत्थान हेतु आज तक कोई कार्य किया गया है ? यदि हां, तो क्या ? क्या उपरोक्त हरिजन बस्तियों में सुधार की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसे कब तक लागू किया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

लखनऊ नगर महापालिका द्वारा सड़क, गलियों आदि की मरम्मत का कार्य कराया गया है ।

प्रश्नगत बस्तियों के सुधार की कोई भी योजना शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है ।

चुंगी अधीक्षक, कर अधीक्षक, सीमा पथकर की भांति नजूल अधीक्षक एवं सम्पत्ति अधीक्षक को केन्द्रियत सेवा में सम्मिलित किये जाने की मांग

16–श्री रमापति शास्त्री–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उ0 प्र0 केन्द्रियत सेवा नियमावली, 1966 के अन्तर्गत शासनादेश सं0 410, दिनांक 3-5-83 के अन्तर्गत चुंगी अधीक्षक/कर अधीक्षक एवं सीमा पथकर अधीक्षक की भांति नजूल अधीक्षक, सम्पत्ति अधीक्षक भी केन्द्रियत सेवा में सम्मिलित हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी नहीं ।

नजूल अधीक्षक/सम्पत्ति अधीक्षक के पद अधिसूचना दिनांक 3-5-83 के पहले भी केन्द्रीयित सेवा में सम्मिलित नहीं थे । इन पदों को 3-5-83 को संशोधित अधिसूचना में भी सम्मिलित नहीं किया गया ।

वाराणसी नगर में जल संबंधी कतिपय समस्याओं से संबंधित प्रश्नकर्ता के पत्र में की गई कार्यवाही की जानकारी

17—श्री अमरनाथ यादव—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिए गये दिनांक 11 जनवरी, 90 के पत्रांक जो वाराणसी नगर में जल भराव, जल दबाव में कमी, जल शून्य क्षेत्र एवं जल आपूर्ति में व्यवधान तथा लापरवाही, मलिन बस्ती (ढेलबरिया, नवखीघाट, कोनिया नदेसर) के सुधार तथा नगर महापालिका वाराणसी के सीमा अन्तर्गत जो ग्रामीण क्षेत्र सम्मिलित किये गये थे वहां सीवर की व्यवस्था के संबंध में था, पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

वाराणसी नगर में जल जमाव की निकासी हेतु नालों के निर्माण की योजना विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत शासन के विचाराधीन है । जल दबाव में कमी को दूर करने के लिए नगर में लगे हुए 4 खराब नलकूपों की मरम्मत जल निगम के माध्यम से कराई गई है । इसके अलावा नगरीय क्षेत्र में 6 नलकूपों को बनाने की योजना बनाई गई है । विद्युत आपूर्ति में व्यवधान होने के कारण जल शून्य क्षेत्र तथा जल आपूर्ति में व्यवधान हुआ । वर्तमान में विद्युत आपूर्ति की स्थिति सामान्य है । मलिन बस्ती योजना के अन्तर्गत केवल ढेलबरिया में क्षेत्र सुधार की योजना तैयार की गई है जो नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के विचाराधीन है । नगर महापालिका वाराणसी सीमा के अन्तर्गत जो ग्रामीण क्षेत्र सम्मिलित किये गये थे उन क्षेत्रों में धनाभाव के कारण सीवर की कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है ।

लखनऊ नगर के नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत आने वाले गांवों के विकास की योजना

18—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के गांवों को लखनऊ नगर विस्तार योजना के अंतर्गत कब से लेना प्रारम्भ किया गया तथा नगर विस्तार योजना के अंतर्गत कितने ग्राम किन-किन वर्षों में लिये गये ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जो ग्राम नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत अब तक लिये गये हैं उनके विकास की क्या-क्या योजनाएं बनायी गयीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विगत वर्ष में मोहन मीकिन, गाजियाबाद से निकाले गये कर्मचारियों के बारे में विस्तृत विवरण

19—श्री शारदा प्रताप शुक्ल—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1989 में मोहन मीकिन, गाजियाबाद से कितने कर्मचारी किन-किन आरोपों में निकाले गये तथा उनके नाम एवं उनके अपराध क्या हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

वर्ष 1989 में मोहन मीकिन, गाजियाबाद से आठ कर्मचारी सर्वश्री नफीस अहमद, महेन्द्र सिंह, जगदीश, राज सिंह, नरेश कुमार, जितेन्द्र कुमार, नरेन्द्र सिंह तथा छुट्टन सिंह निकाले गये । इन कर्मचारियों पर श्री एस0 के0 बख्शी, सी0 ई0 ओ0/कारखाना प्रबन्धक पर प्रतिष्ठान के अन्दर प्राणघातक हमला करने का आरोप था ।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के राजकीय संरक्षण गृह महिला संचालन प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र

20—श्री राजकिशोर सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं राजकीय संरक्षण गृह महिला संचालन प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र के कर्मचारियों के वेतन विसंगतियों के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 21-1-90 के उत्तर में श्री एस0 आर0 एस0 यादव, सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय (विधायक कोष्ठक) एनेक्सी भवन, लखनऊ पत्र सं0 सी0 एम0 (वि0 को0) एम-1-व/39-212-90, दि0 8 फरवरी के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद—

प्रश्न में उल्लिखित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-1-90 प्राप्त हुआ है । प्रकरण में विभागाध्यक्ष से प्राप्त आख्या परीक्षणाधीन है ।

श्री हरभजराम कृपा देवी ट्रस्ट अस्पताल, चारबाग, लखनऊ में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन में सुधार की मांग

21—श्री सुबास—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरभजराम कृपा देवी ट्रस्ट अस्पताल, चारबाग, लखनऊ में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं तथा उसमें कितने फार्मेसिस्ट कार्य कर रहे हैं ? इन फार्मासिस्टों को किस दर पर कितना पारिश्रमिक वेतन भुगतान किया जा रहा है ? क्या उक्त ट्रस्ट पर श्रम कानून (लेबर एक्ट) लागू है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त फार्मासिस्टों को निर्धारित वेतन दिलाने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

श्री हरभजराम कृपा देवी ट्रस्ट, चारबाग, लखनऊ में 30 कर्मचारी कार्यरत हैं। इसमें फार्मेसिस्ट पदनाम से कोई कर्मचारी कार्यरत नहीं है । एक कर्मचारी आयुर्वेदिक कम्पाउन्डर के पदनाम से, चार हेल्पर/ड्रेसर के पदनाम से कार्यरत हैं, जो अप्रशिक्षित हैं । प्राइवेट क्लीनिक में कार्यरत शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत न्यूनतम वेतन निर्धारित है । उसको लागू कराने हेतु न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत सेवायोजकों के विरुद्ध निर्देशवाद दायर किये गये हैं ।

आगरा मण्डल में जनपद आगरा तथा फिरोजाबाद के बाल विकास परियोजनाओं में पुष्टाहार आपूर्ति में भ्रष्टाचार

22—श्री भोपाल सिंह, श्री एदल सिंह, श्री मयंकर सिंह तथा श्री अचल सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें फरवरी, 1990 या मार्च में आगरा मण्डल के जनपद आगरा तथा फिरोजाबाद में बाल विकास परियोजनाओं में पुष्टाहार की आपूर्ति में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में सांसद श्री रामजी लाल सुमन तथा विधायक श्री विजय सिंह राणा का कोई शिकायती पत्र मिला है ? यदि हां, तो पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अवधेश प्रसाद—

जी नहीं ।

जांच हेतु तीन सदस्यीय समिति गठित की जा चुकी है । जांच रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

23—श्री कुंवर सिंह नेगी—

[2रे सोम में अता0 प्र0 सं0 179 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सघन हथकरघा विकास निगम के अन्तर्गत संचालित गोरखपुर और खलीलाबाद कारखानों में कार्यरत बुनकरों की दैनिक मजदूरी

24—श्री गनपति सिंह—

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सघन हथकरघा विकास निगम, गोरखपुर, बस्ती लिमिटेड के नियंत्रण में गोरखपुर और खलीलाबाद में स्थित दो कारखानों में कार्यरत बुनकरों और मजदूरों को कितनी-कितनी दैनिक मजदूरी दी जाती है ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

सघन हथकरघा विकास निगम, गोरखपुर व बस्ती के कारखानों में श्रमिकों को कार्य के अनुसार रु0 24.00 से 30.00 तक प्रतिदिन की औसत मजदूरी दी जाती है ।

सघन हथकरघा विकास निगम के अन्तर्गत संचालित गोरखपुर व खलीलाबाद के कारखानें में कार्यरत बुनकरों एवं मजदूरों का श्रम न्यायालय में विचाराधीन मामला

25—श्री गनपति सिंह—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर व खलीलाबाद स्थित सघन हथकरघा विकास निगम के कारखानों में कार्यरत बुनकरों एवं मजदूरों में से कितने लोगों को श्रम न्यायालय द्वारा स्थायी एवं नियमित घोषित किया जा चुका है ? क्या उन्हें स्थायी और नियमित मजदूरों का लाभ दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सघन हथकरघा विकास निगम, गोरखपुर बस्ती लिमि0 के कार्यरत गोरखपुर खलीलाबाद में कार्यरत बुनकरों एवं मजदूरों का स्वीकृत न्यूनतम वेतन

26–श्री गनपति सिंह–

क्या श्रम मंत्री को ज्ञात है कि गोरखपुर एवं खलीलाबाद स्थित सघन हथकरघा विकास निगम गोरखपुर बस्ती लिमिटेड के उत्पादन केन्द्रों में कार्यरत बुनकरों और मजदूरों को आज भी आठ रुपये चालीस पैसे दैनिक मजदूरी दी जाती है जो नियम विरुद्ध है ? क्या मंत्री जी इन मजदूरों को विभाग द्वारा स्वीकृत न्यूनतम वेतन दिये जाने हेतु आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

यह कहना सही नहीं है कि प्रश्नगत निगमों के श्रमिकों को आठ रुपये चालीस पैसे दैनिक मजदूरी दी जाती है ।

गाजियाबाद में जल संस्थान की स्थापना

27–श्री सुरेन्द्र कुमार उर्फ मुन्नी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद शहर की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए वहां जल संस्थान की स्थापना कराने की व्यवस्था करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

गाजियाबाद में जल संस्थान की स्थापना पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है ।

पर्वतीय क्षेत्र के आठों जनपदों में वन अधिनियम के कारण निर्माण से रुकी मोटर सड़कों की संख्या

28–श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र के आठों जनपदों, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, पौड़ी, चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के कारण कितनी मोटर सड़कों का निर्माण रुका हुआ है ? कब तक इनमें निर्माण कार्य आरम्भ होगा तथा कब मार्ग पूर्ण होंगे ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा–

जी हां । उक्त आठों जनपदों में कुल 207 मोटर मार्गों का निर्माण प्रश्न में उल्लिखित अधिनियम के अन्तर्गत रुका हुआ है ।

वन विभाग की भूमि भारत सरकार द्वारा प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही उक्त मोटर मार्गों का निर्माण सम्भव हो सकेगा ।

मेसर्स साधन सहकारी समिति, ग्रा0 कसनही, पो0 निजामुद्दीनपुर, जिला जौनपुर से वसूली का मामला

29–श्री राज किशोर सिंह तथा श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी के कार्यालय से जारी किये गये वसूलयावी प्रमाण-पत्र सं0 (1)15665/आर0 आर0 केस सं0 12/87 दिनांकित 5 दिसम्बर, 1987 में वांछित धनराशि 17,119 रु0 (2) 10927/बनाम प्र/पी0 डब्लू0 44/85 दिनांकित 21-7-1988 में वांछित धनराशि 6,666 रुपया और (3) 16259/बनाम 115 वि0 वि0 74/88 दिनांकित 28 नवम्बर, 1988 में वांछित धनराशि 17,688 रुपया की वसूली मेसर्स साधन सहकारी समिति लि0, ग्रा0 कसनही, पोस्ट निजामुद्दीनपुर, जिला जौनपुर के नियोजकों से जिलाधिकारी, जौनपुर द्वारा वसूली कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं । वसूली में विलम्ब होने का कारण प्रश्नगत प्रतिष्ठान का तहसील–मड़ियाहूं से तहसील मछलीशहर को स्थानान्तरित हो जाना बताया जाता है । जिलाधिकारी, जौनपुर को इस में प्रभावी कार्यवाही के लिए लिखा जा रहा है ।

इन्दिरा नगर, लखनऊ एच0 ए0 एल0 से चर्च जाने वाली सड़क पर अवैध बाजार को हटाने की मांग

30–श्री श्याम बिहारी सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि इन्दिरा नगर, लखनऊ में एच0 ए0 एल0 से चर्च की ओर जाने वाली सड़क पर एक बहुत बड़ा अनधिकृत बाजार लगता है जिसे हटाने की शासन द्वारा अनेक बार कार्यवाही की गयी है परन्तु असफल होने पर अब उस क्षेत्र की तहबाजारी नगरमहापालिका द्वारा वसूल की जा रही है ? यदि हां, तो उस क्षेत्र की विशेष स्थिति को देखते हुए उस क्षेत्र को व्यवसायिक क्षेत्र घोषित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

इन्दिरा नगर, लखनऊ में एच0 ए0 एल0 से चर्च की ओर जाने वाली सड़क पर बाजार काफी समय से लग रही है । वहां की जनता दुकानदारों को काफी सहयोग दे रही है। यह कहना कि असफल होकर उनसे तहबाजारी वसूल की जा रही है, सही नहीं है । इन्दिरा नगर में पहले से ही कई व्यवसायिक क्षेत्र हैं, अतएव उक्त कथित बाजार को व्यवसायिक क्षेत्र घोषित करने की सम्प्रति आवश्यकता नहीं है

प्रदेश के जनपदों में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत स्नातक नवयुवकों की संख्या

31–श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जनपदों के रोजगार कार्यालयों में वर्ष 1986-87 व 1987-88 और जून, 1989 तक स्नातक उत्तीर्ण कितने युवक पंजीकृत हुए हैं और पंजीकृत लोगों में से कितने सरकारी सेवाओं और कितने गैर सरकारी सेवाओं के लिए चयनित हुए ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में वर्ष 1986, 1987, 1988 और 1989 जून तक स्नातक उत्तीर्ण युवक पंजीकृत एवं सेवायोजित अभ्यर्थियों की संख्या निम्न प्रकार रही है :—

वर्ष	पंजीकृत	सेवायोजित
1986	86,960	2587
1987	83,329	1904
1988	94,263	2737
1989 (जून)	36,049	1315

सरकारी एवं गैर सरकारी वर्गीकरण में सेवायोजित अभ्यर्थियों से सम्बन्धित आंकड़े एकत्र नहीं किये जाते हैं ।

बबीना स्थित वाटर फिल्टर का जल संस्थान झांसी को न दिये जाने की शिकायत

32—श्री रवीन्द्र शुक्ल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद में बबीना स्थित वाटर फिल्टर अभी तक जल संस्थान झांसी को नहीं दिया गया ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी हां ।

झांसी बबीना पेयजल योजना का निर्माण वर्ष 1967 में पूर्ण किया गया था । इस योजना का व्यय प्रतिरक्षा विभाग, भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने मिल-कर वहन किया था । अतः यह योजना भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त सम्पत्ति है तथा दोनों सरकारों की सहमति से उत्तर प्रदेश सरकार के स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग के चार्ज में थी । वर्ष 1975 में उ0 प्र0 जल निगम की स्थापना के साथ समस्त सम्पत्ति एवं आस्तियां जल निगम को आंतरित हो गईं ।

उक्त योजना से जल निगम भारत सरकार के झांसी तथा बबीना स्थित सुरक्षा संस्थानों को कुल आपूर्ति किये जा रहे जल का लगभग 56.3 प्रतिशत पेयजल उपलब्ध करा रहा है तथा शेष 43.7 प्रतिशत पेयजल की आपूर्ति राज्य सरकार के प्रयोजनार्थ झांसी डिवीजन जल संस्थान, मेडिकल कालेज, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंस्थान, पी0 ए0 सी0 कैम्प, बी0 एच0 इ0 एल0 तथा बबीना से झांसी के मार्ग पर पड़ने वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं को कर रहा है ।

अतः योजना को जल संस्थान को हस्तान्तरित किया जाना उचित नहीं है ।

गाजीमण्डी यहियागंज वार्ड मध्य क्षेत्र लखनऊ के नाले पर स्लेप डलवाने की मांग

33—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या विधान सभा के द्वितीय सत्र 1989 के 1ले सोम के अता0 प्र0 सं0—123 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजी मण्डी यहियागंज वार्ड मध्य क्षेत्र लखनऊ में 40 फिट नाले पर स्लेप डलवाने के लिए क्या इस वर्ष धन उपलब्ध हो गया है ? यदि हां, तो उक्त नाले पर स्लेप अविलम्ब डल-वाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी हां ।

प्रश्नगत कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने का प्रस्ताव है ।

नगर लखनऊ के यहियागंज वार्ड के अंतर्गत मोहल्ला बागमक्का में रास्ता बन्द किये जाने की शिकायत

34—श्री अमर मणि—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुहल्ला बागमक्का यहियागंज वार्ड लखनऊ की सरकारी गली में रास्ता बन्द किये जाने के संबंध में नवम्बर, 1987 में श्री गोपाल दास यादव का पत्र तथा जनवरी, 1988 में श्री हरेन्द्र सिंह मलिक स0 वि0 सभा का पत्र मुहल्ला निवासियों के प्रार्थना-पत्र के सहित उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नगर पालिका गाजियाबाद द्वारा स्थापित पटेल मार्ग कालोनी में रह रहे लोगों को मालिकाना अधिकार दिये जाने का मामला

35—श्री सुरेन्द्र कुमार उर्फ मुन्नी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका गाजियाबाद द्वारा स्थापित पटेल मार्ग कालोनी में किराये पर बसे लोगों को भवन का मालिकाना अधिकार दिए जाने पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या भवनों की लागत निर्माण लागत को आधार मानकर निर्धारित की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

नगरपालिका, गाजियाबाद द्वारा स्थापित पटेल मार्ग कालोनी में किराए पर बसे लोगों को भवन का मालिकाना अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में नवनिर्वाचित बोर्ड से प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा ।

श्याम नगर मोहल्ला आलमबाग नगर लखनऊ में जल भराव की समस्या

36—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या नगर विकास मंत्री की जानकारी में है कि श्याम नगर मोहल्ला आलमबाग जिला लखनऊ में जल भराव की समस्या है ? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र की जल निकासी हेतु क्या उपाय किये गये हैं ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी हां ।

मोहल्ला श्याम नगर (झलियन खेड़ा) पहले ग्राम था । यह क्षेत्र लगभग तीन ओर से रेलवे लाईन तथा रेलवे कालोनी से घिरा हुआ है । इस क्षेत्र में पहले

तालाब तथा भट्ठे थे, उन्हीं की जमीनों पर लोगों ने अपने मकान बना लिए हैं । इस लिए जिस स्थान पर जल एकत्र होता था, उसके बजाय उसके आस-पास के क्षेत्र में जल भरने लगा है । उक्त आबादी मुख्य नाले से काफी दूर तथा नीचा होने के कारण कोई स्थायी व्यवस्था धनाभाव के कारण किया जाना सम्भव नहीं है ।

37-38-श्री सुरेन्द्र कुमार उर्फ मुन्नी—

[1ले मंगल में अता0 प्र0 सं0 108-109 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अध्यक्ष नगर पालिका देवरिया के विरुद्ध गम्भीर भ्रष्टाचारों की शिकायत

39-श्री राम छबीला—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि अध्यक्ष नगर पालिका देवरिया के विरुद्ध गम्भीर अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के संबंध में श्री रामायण राव, सदस्य नगर-पालिका देवरिया द्वारा शासन को दिनांक 22-6-89 एवं 8-8-89 को आरोप पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

श्री रामायण राव, सदस्य नगर पालिका, देवरिया का पत्र दिनांक 22-6-89 तथा 3-8-89 प्राप्त हुआ है । अध्यक्ष नगरपालिका देवरिया के विरुद्ध लगाये गये आरोपों पर जिला मजिस्ट्रेट देवरिया की जांच आख्या प्राप्त हो गई है जिसका परीक्षण कर न्याय विभाग के परामर्श से आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

विकास खण्ड गजरौला, धनौरा, हसनपुर मुरादाबाद को पेयजल समस्या ग्रस्त घोषित करने, हैण्ड पम्प लगाये जाने की मांग

40-श्री रिफाकत हुसैन—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड गजरौला, धनौरा व हसनपुर जनपद मुरादाबाद के पेयजल समस्याग्रस्त कितने गांव हैं जिनमें इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प लगाये जा चुके हैं ? कितने ऐसे ग्राम हैं जो उ0 प्र0 शासन द्वारा समस्याग्रस्त घोषित नहीं किये गये हैं ? क्या मंत्री जी उपरोक्त विकास खण्डों के प्रत्येक गांव को समस्याग्रस्त घोषित करके हैण्ड पम्प लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जनपद मुरादाबाद के विकास खण्ड गजरौला, धनौरा एवं हसनपुर में वर्ष 1972 व 1985 के सर्वेक्षण के आधार पर क्रमशः 70, 76 व 85 ग्राम समस्याग्रस्त घोषित किये गये थे । इन सभी ग्रामों में इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प लगाये जा चुके हैं ।

शेष क्रमशः 68, 75 व 54 ग्राम हैं जो समस्याग्रस्त घोषित नहीं किये गये हैं ।

वर्ष 1987 के सूखे के आधार पर क्रमशः 67, 73 व 47 ग्रामों की सूची समस्याग्रस्त घोषित करने के लिए प्राप्त हुई है । इनमें से क्रमशः 51, 45 व 43 ग्रामों को विभिन्न कार्यक्रमों में एक या दो हैण्ड पम्प लगाकर आंशिक रूप से लाभान्वित किया जा चुका है ।

नगर पालिका बछरायूं जनपद मुरादाबाद को विकासशील सामूहिक जलपूर्ति योजना में सम्मिलित करने की मांग

41–श्री रिफाकत हुसैन—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका बछरायूं, जनपद मुरादाबाद में सर्वेक्षण कराकर एक विकासशील सामूहिक जलापूर्ति योजना स्वीकृत किये जाने पर विचार किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी हां । सामूहिक जलापूर्ति योजना नगर पालिका बछरायूं (मुरादाबाद) को अगले वित्तीय वर्ष तक स्वीकृत करने पर विचार किया जायेगा ।

42–श्री किशन सिंह तड़ागी—

[2रे सोम में अता0 प्र0 सं0 177 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्रमिक बस्ती (लाल क्वार्टर) गाजियाबाद में रह रहे श्रमिकों को मालिकाना अधिकार दिलाने की मांग

43–श्री सुरेन्द्र कुमार उर्फ मुन्नी–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रमिक बस्ती (लाल क्वार्टर) गाजियाबाद में रह रहे श्रमिकों को मालिकाना अधिकार दिलाये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त अधिकार उन्हें कब तक मिल जायेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

गाजियाबाद नगरपालिका द्वारा बाल्मीकियों को किराये पर आवंटित भवनों का मालिकाना अधिकार दिये जाने की मांग

44–श्री सुरेन्द्र कुमार उर्फ मुन्नी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद नगरपालिका द्वारा बाल्मीकियों को किराये पर आवंटित भवनों का मालिकाना अधिकार उन्हें दिलाये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्या उक्त अधिकार उन्हें दिलाये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी नहीं ।

निर्धारित शर्तों के अनुसार किराये पर ही भवनों को आवंटित करने की व्यवस्था है ।

अध्यक्ष, नगरपालिका, देवरिया के विरुद्ध जिलाधिकारी, देवरिया द्वारा शासन को भेजी गई जांच रिपोर्ट की जानकारी

45–श्री राम छबीला—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि अध्यक्ष, नगरपालिका, देवरिया के विरुद्ध जिलाधिकारी, देवरिया ने जांच आख्या जनवरी, 90 में शासन को प्रेषित की थी ? यदि हां, तो उस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी हां ।

अध्यक्ष, नगरपालिका, देवरिया के विरुद्ध जांच आख्या का परीक्षण कर न्याय विभाग का परामर्श प्राप्त किया जा रहा है । परामर्श प्राप्त होने के पश्चात् शीघ्र यथोचित कार्यवाही की जायेगा ।

पर्वतीय विकास विभाग में प्रवर वर्ग एवं अवर वर्ग सहायकों की ज्येष्ठता सूची

46–श्री राज किशोर सिंह तथा श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय विकास विभाग में कार्यरत प्रवर तथा अवर वर्ग सहायकों की कोई शाखा स्तर पर आपसी ज्येष्ठता सूची है ? यदि हां, तो क्या इसकी प्रति सदन के पटल पर रखेंगे ? इसके अनुसार शाखा में कितने रिक्त अस्थायी अनुभाग अधिकारी और नव सृजित नि-संवर्गीय पदों पर नियुक्तियां की गयी हैं ? क्या इस संबंध में प्रवर वर्ग सहायक श्री मसऊदुर्रहमान द्वारा दिनांक 12-10-89 तथा 17-3-90 को दिए गए आवेदन-पत्र प्रमुख सचिव, पर्वतीय विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो अब तक उन पर क्या कार्यवाही हुई है ? क्या मंत्री जी इन अनियमित नियुक्तियों को समाप्त कर नियमानुसार नियुक्तियां करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा–

सचिवालय कर्मियों की ज्येष्ठता का निर्धारण सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा किया जाता है । प्रवर वर्ग सहायकों के स्थानान्तरण के फलस्वरूप शाखा स्तर पर उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता सूची पुनः बनाये जाने की कार्यवाही सचिवालय प्रशासन विभाग के परामर्श से की जायेगी ।

अनुभाग अधिकारी के एक नियमित अस्थाई पद पर स्थानापन्न पदोन्नति तथा विशेष कार्याधिकारी (प्रशासन) के नवसृजित निःसंवर्गीय एक पद पर नियुक्ति की गई है ।

जी हां । सचिवालय प्रशासन विभाग से परामर्श किया गया है ।

सम्प्रति प्रश्न नहीं उठता ।

अग्रेतर परीक्षणोपरान्त निर्णय लिया जायेगा ।

लखनऊ नगर के आजाद नगर मोहल्ले में पांच नलकूप के बाद भी पानी की आपूर्ति में कमी

47—श्री राम कुमार शुक्ला—

क्या नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि आलमबाग, लखनऊ के आजादनगर मोहल्ले में 5 नलकूप बनने के बावजूद पूरे क्षेत्र में पानी न मिलने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि इन नलकूपों का उपयोग ओवर हेड टैंक न होने के कारण नहीं हो पा रहा है तथा क्षेत्र के निवासियों को 45 मिनट ही दबाव से पानी मिल पाता है ? यदि हां, तो इन स्थानों में ओवर हेड टैंक का निर्माण कब तक हो जायेगा ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि कृष्णानगर, सुभाषनगर आदि क्षेत्र में पूरन नगर, कानपुर रोड भी ओवर हेड टैंक से जुड़े 2 नलकूप हैं, जिसके कारण टैंक रात्रि में 1/3 भी नहीं भर पाता है और वहां भी पानी की समस्या है ? यदि हां, तो इस क्षेत्र को समुचित जलापूर्ति हेतु अन्य नलकूप का निर्माण कब होगा ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

आलमबाग क्षेत्र (लखनऊ) के आजादनगर मोहल्ला में 5 नलकूपों को पुरानी जल वितरण नालिका से जोड़ा गया है । इस पूरे क्षेत्र जिसकी आबादी लगभग 1 लाख 25 हजार है, में ऐसे मोहल्ले जो ऊंचाई पर स्थित हैं, में पानी की आपूर्ति प्रातः व सायं एक-एक घन्टे होती है ।

जी हां, अपेक्षाकृत ऊंचाई पर बसे क्षेत्रों में प्रातः व सायं लगभग एक-एक घन्टे दबाव से पानी मिल पाता है । नगरीय क्षेत्र में सीमित धनराशि के कारण इन स्थानों में ओवर हेड टैंक का निर्माण विचाराधीन नहीं है ।

जी हां, इस क्षेत्र में दो नलकूप कार्यरत हैं जो कृष्णा नगर ओवर हेड टैंक से जुड़े हैं । इन नलकूपों से टंकी रात्रि में 1/3 ही भर पाती है । इन क्षेत्रों में समुचित जलापूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु उ0 प्र0 जल संस्थान को निर्देश दिये गये हैं ।

लखनऊ शहर के राजाजीपुरम् कालोनी के ई0 ब्लाक में अनधिकृत रूप से ध्वज मंच की स्थापना

40—श्री रमापति शास्त्री—

क्या नगर विकास मंत्री को यह जानकारी है कि लखनऊ शहर की राजाजीपुरम् कालोनी के ई ब्लाक में मेनरोड पर स्थित यूनाइटेड कामर्शियल बैंक के द्वार के समक्ष कुछ व्यक्तियों द्वारा गणतंत्र दिवस पर ध्वज मंच की स्थापना कर उसमें शिला लेख लगाया गया? यदि हां, तो मार्ग के मध्य में शिलालेख लगाये जाने की अनुमति किसके द्वारा दी गयी ? क्या उक्त शिलालेख को मार्ग से हटाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

शिला लेख मध्य सड़क पर नहीं है । लखनऊ नगर महापालिका को प्रश्नगत शिला लेख को नियमानुसार हटाने के लिये निर्देश दे दिये गये हैं ।

अलीगढ़ जिले के गोण्डा, गभाना टप्पल को टाउन एरिया बनाये जाने की मांग

49–श्री रमापति शास्त्री—

क्या नगर विकास मंत्री को यह जानकारी है कि अलीगढ़ जिले के गोण्डा, गभाना तथा टप्पल कस्बों को काफी विकसित तथा बड़ी आबादी वाले हो जाने के उपरान्त भी ग्राम समाज की श्रेणी में रखा गया है ? क्या अलीगढ़ के जिलाधिकारी ने उक्त गांवों को टाउन एरिया बनाने की संस्तुति शासन से कई बार की है ? यदि हां, तो सरकार कब तक उक्त क्षेत्रों टाउन एरिया घोषित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी हां ।

जी हां ।

टाउन एरिया बनाने हेतु निर्धारित मानकों की पूर्ति न होने के फलस्वरूप प्रस्ताव अस्वीकृत किये जा चुके हैं ।

सेवा निवृत्त सहायक श्रमायुक्त श्री जय नारायण श्रीवास्तव की पेंशन आदि की बकाया धनराशि

50–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री जय नारायण श्रीवास्तव, सहायक श्रमायुक्त, उ0 प्र0 1971 में श्रम विभाग से सेवा निवृत्त हुये थे ? यदि हां, तो उनकी पेंशन अब तक निर्धारित न किये जाने का क्या कारण है ? पेंशन कब तक निर्धारित हो जायेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

श्री जय नारायण श्रीवास्तव, सहायक श्रमायुक्त दिनांक 6-5-72 को सेवा निवृत्त हुए थे । उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्तमान में श्री श्रीवास्तव को लगभग 700 रुपये मासिक पेंशन बैंक के माध्यम से प्राप्त हो रही है । पेंशन निर्धारण सम्बन्धी मामला शासन पर लम्बित नहीं है ।

रेलवे स्टेडियम के पीछे श्रम बिहार में कतिपय अव्यवस्था को ठीक किये जाने की मांग

51–श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ स्थित चारबाग रेलवे स्टेडियम के पीछे, गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों के लिये जो श्रम बिहार नामक बस्ती बनायी गयी थी, को जाने वाली सड़क क्षतिग्रस्त है ? क्या उक्त बस्ती में बिजली नहीं है तथा हैण्ड पाइप टूटे हुये हैं ? यदि हां, तो क्या इसका सुधार किया जायेगा ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेडियम के पीछे की मरम्मत सम्पत्ति उत्तर रेलवे की है । उक्त सम्पत्ति से नगर विकास विभाग सम्बन्धित नहीं है । श्रम बिहार बस्ती में बिजली तथा हैण्ड पाइप के सम्बन्ध में कार्यवाही रेलवे विभाग द्वारा की जानी है ।

लखनऊ नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत आने वाले गांवों में हुए विकास कार्यों का विवरण

52—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1960 से लखनऊ नगर विस्तार योजना के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये हैं उनके विकास के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नगर महापालिका लखनऊ में मेट के पद पर वर्क चार्ज में कार्य करने वाले कर्मचारियों को वेतन न दिये जाने की शिकायत

53—श्री असगर—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे नगर महापालिका लखनऊ में वर्कचार्ज के रूप में मेट के पद पर कार्य करने के उपरान्त वेतन का भुगतान न किये जाने के संबंध में श्री पंचानन राय एम0 एल0 ए0 का पत्र दिनांक 27-2-90 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों और विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अधिवर्षता की आयु के बाद सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारी की बीमा, ग्रेच्युटी नगर महापालिका द्वारा न दिये जाने के संबंध में शिकायत

54—श्री असगर—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिवर्षता की आयु पूर्ण करने के उपरान्त स्वास्थ्य विभाग नगरमहापालिका, लखनऊ में कार्यरत एक कर्मचारी की ग्रेच्युटी, बीमा एवं अन्य देयों के भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में चौ0 विजेन्द्र सिंह, एम0 एल0 ए0 का पत्र दिनांक 27-2-90 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है और लम्बित देयों का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

संशोधित वृद्धावस्था पेंशन की अदायगी की मांग

55—श्री रामपाल वर्मा—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि संशोधित वृद्धावस्था पेंशन किस तिथि से प्रभावी एवं भुगतान की जायेगी ? क्या सरकार ने शासनादेश निर्गत करके समस्त जिलाधिकारियों को संशोधित पेंशन के वितरण का निर्देश भेज दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

वृद्धावस्था पेंशन योजना के अधीन पूर्व में दी जा रही 60 रुपये प्रतिमाह की पेंशन में वृद्धि करके रुपये 100/-प्रतिमाह तथा न्यूनतम अर्हता आयु 65 वर्ष को घटाकर 60 वर्ष कर दिये जाने के आदेश 1 जनवरी, 1990 से प्रभावी हैं, जिसका भुगतान स्वीकृत तिथि से होगा। इस के अतिरिक्त दिनांक 1 अप्रैल, 1990 से उक्त योजना के अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति भी पात्र हैं जिनकी मासिक आय रुपये 225/-प्रतिमाह या इससे कम हो। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति पात्र हैं जो भूमिहीन हैं अथवा उनके पास ढाई एकड़ तक भूमि है। ग्रामीण क्षेत्र में उनकी आय से इसका कोई संबंध नहीं है। अब दिनांक 1 अप्रैल, 1990 से वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत करने का अधिकार जिलाधिकारी के स्थान पर परगनाधिकारी को अधिकृत कर दिया गया है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

56—श्री शारदा नन्द अंचल—

[1ले मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 110 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

57—श्री शारदा प्रताप शुक्ल—

[2रे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 167 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

नगरपालिका रसड़ा जनपद बलिया के मुहल्लों में रास्ते के निर्माण व पेयजल-व्यवस्था

58—श्री रामबचन धूसिया—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका रसड़ा, जनपद बलिया के महाबीर अखाड़ा (धोबही) मुहल्ले में रास्ते के निर्माण व पेयजल की व्यवस्था विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30-1-90 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी हां।

चूंकि नगरपालिका रसड़ा मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना हेतु निर्धारित मानकों की पूर्ति नहीं करती है। अतः उक्त नगर को प्रश्नगत् योजना में सम्मिलित करना संभव नहीं है।

जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड गाजीपुर एवं करण्डा आदि के दो दर्जन गांवों में पेयजल की अव्यवस्था

59—श्री खुर्शीद—

क्या नगर विकास मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड गाजीपुर एवं करण्डा के लगभग 2 दर्जन गांवों में पेयजल आपूर्ति करने हेतु एक सामूहिक पेयजल योजना वर्ष 1983-84 में लागू की गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही

है कि 14 गांवों में योजना के प्रारम्भ से ही पानी की आपूर्ति नहीं की जा सकी है जबकि उपरोक्त गांवों को पेयजल योजना में लगातार लाभान्वित होना दिखाया जाता रहा है तथा उन गांवों से भी जलकर वसूल किया जाता रहा है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? उपरोक्त ग्रामों में जलापूर्ति कब तक सुनिश्चित कर ली जायेगी ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड गाजीपुर, करण्डा एवं देवकली के 13 राजस्व ग्रामों में सहेड़ी ग्राम समूह योजना वर्ष 82-83 में पूर्ण कर पेयजल उपलब्ध कराया गया । यह सही नहीं है कि योजना के प्रारम्भ से ही गांवों में पानी की आपूर्ति नहीं की जा रही है । इस योजना में दो नलकूप बनाकर वर्ष 1982-83 में 13 ग्रामों में जल आपूर्ति प्रारम्भ की गई थी परन्तु इन नलकूपों के पानी में खारापन अधिक बढ़ जाने के कारण वर्ष 1985 में इन नलकूपों का उपयोग बन्द करना पड़ा । अनेक सर्वेक्षण तथा टेस्ट के बाद वर्ष 1988 में एक नया नलकूप बनाकर चालू किया गया जिसका पानी मीठा है । जिस अवधि में योजना पूर्ण रूप से बन्द थी ग्रामीणों द्वारा जगह-जगह पाइप लाइन क्षतिग्रस्त कर दी गई । नया नलकूप चालू होने पर पाइप लाइन की टेस्टिंग प्रारम्भ की गई और अब 13 में से 7 ग्रामों में पाइप लाइन मरम्मत के उपरान्त जलापूर्ति चालू की जा चुकी है । शेष ग्रामों में क्षतिग्रस्त पाइप लाइन के मरम्मत का कार्य प्रगति पर है । जिन ग्रामों में पानी नहीं पहुंच रहा है वहां जल-कर वसूल नहीं किया जा रहा है ।

दिनांक 30-9-90 तक शेष 6 ग्रामों में भी जलापूर्ति की नियमित व्यवस्था कर दी जाएगी ।

नगरपालिका गाजीपुर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के महंगाई भत्ता, पेंशन आदि का मामला

60—श्री खुर्शीद—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर नगरपालिका के रिटायर कर्मचारियों को पेंशन महंगाई भत्ता आदि की समुचित सुविधा प्रदान की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

सेवा निवृत्त पालिका कर्मचारियों को पेंशन के साथ महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता है । गाजीपुर नगरपालिका के रिटायर कर्मचारियों को भी यह नहीं दिया गया है ।

पालिका कर्मचारियों को पेंशन के साथ महंगाई राहत दिए जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

नगरमहापालिका, नगरपालिका, टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को अलग कालोनी बनाकर बसाने की योजना

61—श्री खुर्शीद—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका, नगर-पालिका, टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया के अन्तर्गत आने वाले सफाई कर्मचारियों/अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को कालोनी बनाकर बसाने की कोई योजना है ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

उप श्रमायुक्त, गाजियाबाद द्वारा नियुक्ति पर लगे प्रतिबन्ध के बावजूद भी नियुक्ति करने की शिकायत

62—श्री मिठाई लाल शास्त्री—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री ने दिनांक 27-12-89 को सभी जिलाधिकारियों को तार भेजकर सभी विभागाध्यक्षों से कार्यालय स्टाफ की स्थिति की जानकारी मांगी थी और केवल अनुसूचित जाति/जनजाति को छोड़कर भर्ती पर प्रतिबन्ध लगाया था ? यदि हां, तो क्या उप श्रमायुक्त, गाजियाबाद ने उक्त आदेशों की अवहेलना करके अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित फार्मेसिस्ट होम्योपैथी के पद पर दिनांक 9-1-90 को श्री राजेश कुमार तिवारी की नियुक्ति कर ली है ? यदि हां, तो उक्त श्रमायुक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खां—

उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है यदि कहीं भी अनियमितता पायी जाती है तो अवश्य ही प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी ।

उपश्रमायुक्त, गाजियाबाद के कार्यालय में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की नियुक्ति न करने की कथित शिकायत

63—श्री मिठाई लाल शास्त्री—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनगणना के छटनीशुदा तथा उप श्रमा-युक्त कार्यालय, गाजियाबाद में कनिष्ठ लिपिक पद से हटाये गये अनुसूचित जाति के कर्मचारी श्री अनिल कुमार ने मुख्य मंत्री को 16 जनवरी, 90 को पत्र भेज कर उप श्रमायुक्त द्वारा अनुसूचित जाति के रिक्त पदों को न भरने सम्बन्धी शिकायतें की हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार छटनीशुदा अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के पुनः नियुक्ति के आदेश प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जनगणना के छटनीशुदा कर्मचारी श्री अनिल कुमार को उप श्रमायुक्त, गाजियाबाद के कार्यालय में एवजी में नियुक्ति दी गई थी, जो बाद में समाप्त हो गई । अनु-सूचित जाति के अभ्यर्थियों, चाहे वे छटनीशुदा हों या न हों, को नियमानुसार नियुक्त करने पर कोई रोक नहीं है ।

श्रम विभाग कर्मचारी संघ एवं उप श्रमायुक्त, गाजियाबाद के मध्य कतिपय मांगों को लेकर समझौता एवं उसका पालन

64—श्री मिठाई लाल शास्त्री—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 25-1-89 को श्रम विभाग कर्मचारी संघ, गाजियाबाद इकाई तथा उप श्रमायुक्त श्री के0 एल0 द्विवेदी के मध्य कर्मचारियों की कुछ मांगों को लेकर समझौता हुआ था ? यदि हां, तो समझौते के अनुसार कर्मचारी संघ की किन-किन मांगों को पूरा किया गया है और किन-किन मांगों पर अभी तक विचार नहीं हुआ है और क्यों ? कब तक पूर्ण समझौते को लागू कर दिया जायेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लखनऊ में विधवाओं एवं विकलांगों की पेंशन हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्र एवं उस पर कार्यवाही

65—श्री रविदास मेहरोत्रा—

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि लखनऊ में कितनी विधवाओं एवं विकलांगों के पेंशन हेतु आवेदन फार्म वर्तमान समय में लम्बित हैं ? इन आवेदन पत्रों पर कब तक कार्यवाही करके निराश्रित विधवाओं एवं विकलांगों की पेंशन दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद—

लखनऊ जनपद में निराश्रित विधवाओं के 5021 तथा निराश्रित विकलांगों के 371 भरण-पोषण अनुदान हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ।

आवश्यक जांच की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित लक्ष्यों की सीमा तक पात्र निराश्रित विधवाओं/विकलांगों को अनुदान स्वीकृत किया जा सकेगा ।

प्रदेश स्तर पर नगरों में खुले गन्दे नालों को ढकने की योजना

66—श्री मुईद अहमद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के नगरों में गन्दे पानी के खुले नालों को पटवाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो योजना क्या है ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी नहीं, प्रदेश के नगरों में गन्दे पानी के खुले नालों को पटवाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है ।

जब कोई योजना है ही नहीं, तो उसका स्वरूप बताया ही नहीं जा सकता है

जल निगम में सात बड़ा दस वर्षीय वेतनमान से वंचित सहायक अभियन्ताओं को उक्त वेतनमान दिलाने की मांग

67—श्री हरिवंश सहाय—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 जल निगम में कुल कितने सहायक अभियन्ताओं को 7/10 वर्षीय वेतनमान दिया जा चुका है ? पात्रता क्षेत्र में आने वाले शेष सहायक अभियन्ताओं को उक्त वेतनमान कब तक दे दिया जाएगा ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

उ0 प्र0 जल निगम में 610 सहायक अभियन्ताओं को 7 वर्षीय वेतनमान तथा 519 सहायक अभियन्ताओं को 10 वर्षीय वेतनमान दिया जा चुका है ।

पात्रता क्षेत्र में आने वाले शेष सहायक अभियन्ताओं को उक्त वेतनमान वर्ष 1990-91 में दिए जाने का प्रस्ताव है ।

उत्तर प्रदेश जल निगम में सहायक एवं अवर अभियन्ता के रिक्त पदों की संख्या एवं उनको भरने की मांग

68—श्री हरिवंश सहाय—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 जल निगम में सहायक/अवर अभियन्ताओं के विद्युत/यांत्रिक संवर्ग में अलग-अलग कितने पद रिक्त हैं तथा इन पदों पर नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जल निगम में सहायक अभियंता विद्युत/यांत्रिक के दो पद तथा अवर अभियन्ता विद्युत/यांत्रिक के छः पद रिक्त हैं ।

उक्त पदों पर नियुक्तियां चालू वित्तीय वर्ष में करने का प्रस्ताव है ।

69—श्री किशन गोपाल—

[2रे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 169 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला वाराणसी के पोस्ट आफिस सिंधौरा के माध्यम से भेजी जाने वाली पेंशन धारी विधवाओं की संख्या

70—श्री उदल—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग से वर्तमान समय में किन-किन विधवाओं को पेंशन पोस्ट आफिस सिंधौरा जिला वाराणसी द्वारा भेजी जाती है? सही व्यक्तियों को पेंशन का भुगतान सुनिश्चित किये जाने हेतु क्या उपाय किये गये हैं ?

श्री बलबोध प्रसाद—

विभाग में विधवाओं को पेंशन देने की योजना नहीं है, किन्तु निराश्रित विधवाओं को भरण-पोषण अनुदान के अन्तर्गत 102 विधवाओं को भरण-पोषण अनुदान का भुगतान पोस्ट आफिस/सिंधौरा जिला वाराणसी द्वारा किया जाता है जिसकी सूची संलग्न है

सही व्यक्तियों को अनुदान का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

1—सामान्यतः अनुदान की धनराशि मनीआर्डर द्वारा भेजी जाती है

2—विभागीय सुपरवाइजर के माध्यम से सत्यापन कराया जाता है।

3—संदिग्ध मामलों में जिलाधिकारी स्तर से भी जांच की जाती है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 190–192 पर)

बालाघाट सोनभद्र में विभिन्न औद्योगिक इकाई में कार्य करने वाले मजदूरों के कल्याण की मांग

71—श्री विजय सिंह—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सोनभद्र जनपद में हिन्डालको, कनोरिया, रेनुपावर कम्पनी और हाईटेक कार्बन प्लान्ट में कितने मजदूर कार्य करते हैं ? उन मजदूरों के कल्याण व हितों की रक्षा के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खां—

सूचना एकत्र की जा रही है।

72—श्री राम बचन धूसिया—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

ग्राम महुआ खेड़ा विकास खण्ड बरौली अहीर में पानी की टंकी स्थापित करने मांग

73—श्री विजय सिंह राणा तथा श्री बहादुर सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में विकास खण्ड बरौली के अंतर्गत ग्राम-महुआ खेड़ा पर पानी की टंकी स्थापित किये जाने के संबंध में शासन ने क्या निर्णय लिया? टंकी का निर्माण कब प्रारम्भ होगा? यदि नहीं, तो क्यों?'

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

सूचना एकत्र की जा रही है।

74—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

[1ले मंगल में अता0 प्र0 सं0 148 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

टाउन एरिया चकिया के पूर्व सचिव श्री देवी दयाल के विरुद्ध शासन को भेजी गयी जांच रिपोर्ट

75—श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया चकिया के पूर्व सचिव श्री देवी दयाल के विरुद्ध चेयरमैन द्वारा की गयी शिकायत के आधार पर जिलाधिकारी वाराणसी के द्वारा उपरोक्त अधिकारी के विरुद्ध जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्त करने के लिए पत्र संख्या-1070 विविध (88-9), दिनांक 4-7-89 प्रदेश शासन के पास भेजा गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी हां ।

टाउन एरिया कमेटी, चकिया के पूर्व सचिव श्री देवी दयाल के विरुद्ध अध्यक्ष, टाउन एरिया द्वारा भेजा गया आरोप-पत्र त्रुटिपूर्ण पाया गया । अतः जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को यह निर्देश दिया गया है कि वे संशोधित आरोप-पत्र एवं जांच अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध करायें ।

76—श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)—

[2रे मंगल में अता0प्र0सं0 168 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड धाता के सूखे कुओं वाले एवं पेय जल से परेशान गांवों की संख्या तथा उपाय की मांग

77—श्री सैयद लियाकत हुसैन—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड धाता के किन-किन गांवों में कुओं का पानी सूख गया है जिसके कारण पेयजल की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है ? सरकार उन ग्रामों में पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु कब तक और क्या प्रभावी कदम उठायेगी ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड धाता में पानी सूख जाने वाले 78 गांवों की सूचना प्राप्त हुई है । इन गांवों में मार्च, 1990 तक 218 इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प लगाकर पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है तथा इस वर्ष सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत 104 इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प लगाये जा रहे हैं । इन गांवों तथा इनमें लगाये गये/लगाये जा रहे हैण्ड पम्पों की सूची संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 193–194 पर)

78—श्री गेन्दन लाल गंगवार—

[माननीय सदस्य का स्वर्गवास होने के कारण हटाया गया]

79—श्री कुंवर सिंह नेगी—

[2रे मंगल में अता0 प्र0 सं0 163 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जलागम परियोजना को जनपद चमोली के सम्पूर्ण जनपद में लागू करने की मांग

80—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जलागम परियोजना को समस्त चमोली जनपद में लागू करने पर शासन विचार कर रहा है ? यदि हां, तो कब तक लागू हो जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा—

चमोली जिले में रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग के बीच के क्षेत्र में जलागम परियोजना क्रियान्वित की जा रही है । अन्य कोई जलागम परियोजना चमोली जिले के लिए प्रस्तावित नहीं है ।

प्रदेश में तीर्थ स्थानों से लिये जाने वाले यात्री कर का विवरण

81—श्री रवीन्द्र शुक्ल—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस समय उत्तर प्रदेश में किन-किन तीर्थ स्थानों पर कितना तीर्थ यात्री कर लिया जाता है ? क्या सरकार इसे समाप्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

17 जनपदों में स्थित तीर्थ स्थानों पर यात्रीकर विभिन्न दरों पर लागू है, सूची संलग्न है।

यात्रीकर की आय से संबंधित पालिका एवं नगर क्षेत्र समितियों में आने वाले यात्रियों की सुविधा हेतु पथ, प्रकाश, पथ निर्माण एवं पेयजल आदि के कार्य कराये जाते हैं। चूंकि स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है और उनकी आय का स्रोत सीमित है। अतः यात्रीकर की कोई वैकल्पिक व्यवस्था होने पर ही इसकी समाप्ति पर विचार किया जा सकता है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 195–196 पर)

82—श्री श्याम बिहारी सिंह—

[2रे मंगल में अता0 प्र0 सं0 162 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

टाउन एरिया दोहरीघाट में सूखा राहत हेतु स्वीकृत ट्यूबवेल

83—श्री सुवास—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दोहरी घाट टाउन एरिया के लिए सन् 1987 तथा 1988 में सूखा राहत कार्य योजना के तहत एक ट्यूबवेल नगर में पानी आपूर्ति हेतु लगाने की स्वीकृति दी गयी थी ? यदि हां, तो उक्त ट्यूबवेल अब तक क्यों नहीं लगाया गया ? क्या तत्काल उसे लगाये जाने की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी हां।

वर्ष 87-88 में सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत टाउन एरिया दोहरीघाट में एक नलकूप की स्वीकृति दी गई थी।

रु0 240 लाख 70 ट्यूबवेल के लिए उत्तर प्रदेश जल निगम को अवमुक्त किया गया था किन्तु प्रति ट्यूबवेल रु0 4.00 लाख की दर से 60 ट्यूबवेल ही लगाये जा सके। शेष 10 ट्यूबवेल में टाउन एरिया दोहरीघाट भी सम्मिलित है। पेयजल की समुचित व्यवस्था की जायेगी।

जनपद अल्मोड़ा में पतलीबगड़ गणनाथ के चालू किये जाने की मांग

84—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माणाधीन मार्ग "पातलीबगड़—गणनाथ" कब तक यातायात हेतु चालू हो जायेगा? क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि उक्त मार्ग के बीच ममणछीना से पाटिया तक 10 कि0मी0 मार्ग का निर्माण इसी वित्तीय वर्ष से प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा—

उक्त "पातलीबगड़—गणनाथ" मार्ग दस कि0मी0 की लम्बाई में निर्माणाधीन है जिसमें से पातलीबगड़ की ओर से गधेरे तक तीन कि0मी0 की लम्बाई में यह मार्ग यातायात हेतु उपलब्ध है ।

लगभग 10 कि0मी0 की लम्बाई में ममणछीना से पाटिया तक के मार्ग का निर्माण अभी स्वीकृत नहीं है । उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए इसकी स्वीकृति पर विचार किया जाना सम्भव होगा ।

85—श्री रविदास मेहरोत्रा—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय द्वारा कलकत्ता बन्दरगाह से केयर कार्यक्रम के अन्तर्गत पुष्टाहार ढुलाई

86—श्री रविदास मेहरोत्रा—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय में पुष्टाहार के केयर कार्यक्रम के अन्तर्गत कलकत्ता बन्दरगाह से उत्तर प्रदेश की विभिन्न परियोजनाओं में पुष्टाहार ढुलाई करने हेतु वर्ष 1989-1990 में टेण्डर आमंत्रित किये गये थे ? यदि हां, तो उसमें कितनी पार्टियों ने टेण्डर भरा था तथा उनकी दरें अलग-अलग क्या थीं ? क्या सरकार यह भी बतलायेगी कि सबसे कम दर का टेण्डर किस पार्टी का था ? क्या उसके द्वारा ढुलाई का कार्य आरम्भ कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद—

जी हां ।

पांच पार्टियों ने (दरें संलग्न हैं) ।

मेसर्स कानपुर पटना रोड लाईन्स, कानपुर का ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

समस्त औपचारिकताएं पूर्ण न होने के कारण टेण्डर स्वीकार नहीं किया जा सका ।

(देखिए नत्थी 'घ' का उत्तर पीछे पृष्ठ 107 पर)

विगत पांच वर्षों में नगर इलाहाबाद में विभिन्न योजनाओं में बनी सड़कें तथा व्यय का विवरण

87—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद नगर में विश्व-बैंक योजना, कुम्भ मेला योजना तथा नगर महापालिका सड़क फण्ड से हाट मिक्स प्लांट द्वारा वर्ष 85-86, 86-87, 88-89 तथा 89-90 में किन-किन सड़कों का निर्माण कराया गया तथा कुल वर्षवार इस मद में कितना व्यय किया गया ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

प्रश्नगत वर्षों में विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत हाट मिक्स प्लान्ट से किसी मार्ग का निर्माण नहीं कराया गया। केवल कुम्भ मेला के अवसर पर वर्ष 1988—89 में हाट मिक्स प्लान्ट से 43 मार्गों के सुदृढ़ीकरण एवं निर्माण कार्य कराये गये।

रु0 1,66,93,445.00 का व्यय हुआ है जिसमें से अभी कुछ बिलों के भुगतान शेष हैं। 8 मार्गों के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को रु0 1,99,07,000/- की धनराशि हस्तान्तरित की गई है। नगर महापालिका तथा लोक निर्माण विभाग के माध्यम से जिन मार्गों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण कराया गया है, उनकी सूची क्रमशः संलग्नक—1 तथा-2 के रूप में संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ङ' का उत्तर पीछे पृष्ठ 198—199 पर)

जनपद झांसी में जल निगम द्वारा विगत तीन वर्षों में लगाये गये हैण्ड पम्पों का विवरण

88—श्री रवीन्द्र शुक्ला—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी में जल निगम की यांत्रिक शाखा द्वारा झांसी जिले में विगत 3 वर्षों में कितने नलकूप लगाये गये तथा इनमें से कितने नलकूप असफल घोषित किये गये ? असफल घोषित नलकूपों पर कितना धन व्यय हुआ ? क्या इस अपव्यय के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

सूचना एकत्र की जा रही है।

वर्तमान जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी गाजियाबाद के पूर्व स्थानान्तरण के संबंध में शिकायत

89—श्री राज किशोर सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि कु0 सरोज पन्त हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, प्रतापगढ़ का स्थानान्तरण गाजियाबाद के लिये दिसम्बर, 88 में हुआ था और दिनांक 13-2-89 को जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ ने उनको कार्यमुक्त कर देने की सूचना शासन को भेज दी थी? यदि हां, तो क्या यह सही है कि कार्यमुक्त होने के पश्चात् भी कु0 पन्त आहरण, वितरण अधिकारी

की हैसियत से कार्य कर रही हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी कु0 सरोज पन्त तथा अन्य दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही जनहित में सुनिश्चित करने की कृपा करेंगे ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी हां । यह सही है कि कुमारी सरोज पन्त तत्कालीन हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, प्रतापगढ़ का स्थानांतरण शासकीय आदेश संख्या 3800/26-1-88 दिनांक 20-12-89 के अन्तर्गत जनपद गाजियाबाद के लिए हुआ था और तत्कालीन जिलाधिकारी प्रतापगढ़ ने अपने रेडियोग्राम संख्या मेमो/शिविर/88 दिनांक 13 फरवरी, 1989 द्वारा यह सूचित किया था कि कुमारी सरोज पन्त को दिनांक 13 फरवरी 1989 की अपराह्न से कार्यमुक्त कर दिया गया है । लेकिन उसके बाद अपने अर्धशासकीय पत्र संख्या-257/शिविर/89 दिनांक 21 फरवरी 1989 द्वारा जिलाधिकारी प्रतापगढ़ ने शासन को सूचित किया कि कार्यहित को देखते हुये कुमारी सरोज पन्त को रिलीव नहीं किया गया और उन्हें 31 मार्च 1989 तक जिला प्रतापगढ़ में ही बनाये रखने का अनुरोध करते हुये जिलाधिकारी द्वारा संशोधित आदेश भेजवाने की संस्तुति की गयी थी । जिलाधिकारी के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया और दिनांक 29-4-1989 को जिलाधिकारी प्रतापगढ़ को निदेश दिया गया कि कु0 सरोज पन्त को स्थानीय व्यवस्था के अनुसार तत्काल कार्यमुक्त करें और यह सुनिश्चित कर लें कि उनके बारे में स्थानान्तरण आदेश का कार्यान्वयन 1-5-89 को अवश्य हो जाये। तदनुसार कु0 पन्त का कार्यभार अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) को दिनांक 1-5-89 को हस्तगत करा दिया गया ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीनगर व अल्मोड़ा में पर्वतीय विकास तथा पर्वतीय प्रभाग के खोले गये कार्यालयों में आरक्षित पदों पर नियुक्ति

90. श्री फौजदार–

पर्वतीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पर्वतीय विकास विभाग एवं पर्वतीय प्रभाग के दो-दो क्षेत्रीय कार्यालय श्रीनगर एवं अल्मोड़ा में खोले गए हैं ? यदि हां, तो इन कार्यालयों में अब तक स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने प्रतिशत आरक्षित पदों पर नियुक्तियां की गयी हैं?

श्री बरफिया लाल जुवांठा–

जी हां ।

पर्वतीय प्रभाग की मण्डलीय इकाइयों (कुमायूं मण्डल एवं गढ़वाल मण्डल) में स्वीकृत 20 पदों में से 6 पद अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों से भरे गये हैं, जो स्वीकृत पदों का 30 प्रतिशत है । क्षेत्रीय कार्यालयों में अभी नियमित नियुक्तियां नहीं की गयी हैं । नियमित नियुक्तियों के समय नियमानुसार आरक्षण का पूरा ध्यान रखा जायेगा ।

पता लगाकर बतायें ।

उप श्रमायुक्त, गाजियाबाद के यहां रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानकारी

91—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि उपश्रमायुक्त, गाजियाबाद कार्यालय से 6-4-89 को विज्ञापित विभिन्न रिक्त पदों में से लिपिक एवं चपरासी पदों को छोड़कर शेष पद भर लिए गये हैं ? यदि हां, तो शेष रिक्त पदों को कब तक भर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जी हां ।

नई नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध हटने पर ही नियमानुसार पदों को भरने की कार्यवाही हो सकेगी ।

उपश्रमायुक्त कार्यालय, गाजियाबाद में विभिन्न संवर्ग में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या

92—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपश्रमायुक्त कार्यालय, गाजियाबाद में अलग-अलग श्रेणी के कितने पद हैं और उसमें से कितने अनुसूचित जाति के हैं ? शासन के विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत उक्त समय में कितने अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी है ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय पी0 सी0 एस0 कोचिंग सेन्टर मारुतिपुरम्, इन्दिरा नगर, लखनऊ में स्थानों की संख्या

93—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय पी0 सी0 एस0 कोचिंग सेन्टर, 120, मारुति पुरम्, इन्दिरा नगर, लखनऊ हरिजन समाज कल्याण विभाग द्वारा सन् 1975 से चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त केन्द्र में अभ्यर्थियों हेतु कितनी सीट्स उपलब्ध करायी गयी हैं और गत तीन वर्षों में कितने-कितने अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया है ?

श्री अवधेश प्रसाद—

जी हां ।

इस केन्द्र में अभ्यर्थियों हेतु 50 सीट्स की क्षमता स्वीकृत है ।

गत तीन वर्षों में निम्नानुसार अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया :—

वर्ष	प्रवेश संख्या
1987–88	30
1989–90	30
1988–89	30
योग	90

जनपद सुल्तानपुर के गौरीगंज में लगी विज्ञान प्रदर्शनी में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय द्वारा लगाया गया स्टाल

94—श्री रविदास मेहरोत्रा—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गौरीगंज, जनपद सुल्तानपुर में वर्ष 1989 में लगने वाली विज्ञान प्रदर्शनी में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय द्वारा भी कोई स्टाल लगाया गया था? यदि हां, तो इस पर कितना धन खर्च हुआ था ? क्या विभाग द्वारा इसके लिए कोई प्रतियोगितात्मक टेण्डर भी आमंत्रित किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिए कौन अधिकारी दोषी हैं तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अवधेश प्रसाद—

जी हां ।

1,52,575 रुपये खर्च हुए हैं ।

नियमित टेण्डर मांगने का समय न होने के कारण कोटेशन आमंत्रित किये गये थे ।

समयाभाव के कारण ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अलीगढ़ में द्वितीय पुनर्गठन पेयजल योजना के अन्तर्गत उच्च जलाशय और दो नलकूप के निर्माण की मांग

95—श्री कल्यान सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नगरपालिका अतरौली, जिला अलीगढ़ के लिए द्वितीय पुनर्गठन पेयजल योजना के अन्तर्गत एक उच्च जलाशय और दो नलकूप स्वीकार किये जाने के संबंध में मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का दिनांक 18-12-89 का कोई पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शासन द्वारा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी हां ।

धनाभाव के कारण अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

उपरोक्तानुसार ।

महाप्रबन्धक हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लिमि0 कानपुर के विरुद्ध शिकायत एवं जांच की मांग

96—श्री कल्यान सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री विनोद कुमार चोपड़ा, महाप्रबन्धक, हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड कानपुर के भ्रष्टाचारों के संबंध में प्रश्नकर्ता के दिनांक 23-1-90 के ज्ञापन के साथ श्रीमती प्रेमलता कटियार प्रदेश मंत्री, भारतीय

जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश निवासी 12/500 ग्वाल टोली, कानपुर का दिनांक 22-1-90 का शिकायती प्रार्थना-पत्र जो मुख्य मंत्री को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ? क्या जांच अधिकारी ने आरोपकर्ता श्रीमती प्रेमलता कटियार को अपने आरोप सिद्ध करने का अवसर जांच के समय दिया है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी हां ।

उल्लिखित मामले का परीक्षण किया जा रहा है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

नगरपालिका फतेहपुर सीकरी में धनराशि के आवंटन के बाद सुलभ शौचालय का निर्माण न होने की शिकायत

97–श्री किशन गोपाल–

क्या नगर विकास मंत्री की जानकारी में है कि अक्टूबर, 1989 माह में एक लाख रुपया की धनराशि नगरपालिका फतेहपुर सीकरी (आगरा) ने शुलभ शौचालय निर्माण हेतु ठेकेदार को अग्रिम रूप में दिया किन्तु अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? शौचालय कब तक बनेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

98–श्री किशन गोपाल–

[प्रथम मंगल में अता0 प्र0 सं0 181 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ नगर महापालिका के अन्तर्गत भुगतान होने के बाद भी सड़कों का निर्माण पूरा न होने की शिकायत

99–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर महापालिका में ऐसी कितनी सड़कें हैं जिनके निर्माण कार्य का भुगतान भी हो चुका है परन्तु वह या तो अधूरी पड़ी हैं या बनी ही नहीं हैं ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

वाराणसी नगर महापालिका के अन्तर्गत सीवर विहीन मोहल्ले में सीवर लगाने की मांग

100–श्री अमर नाथ यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर महापालिका के अन्तर्गत कौन-कौन मुहल्ले सीवर विहीन हैं ? क्या शासन इन मुहल्लों में सीवर लगाने की व्यवस्था पर विचार कर रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

[illegible] के अन्तर्गत सीवर विहीन मुहल्लों की सूची संलग्न है । [illegible] सूची में वर्णित मुहल्लों में सीवर लाईन डालना [illegible] है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 200 पर)

जनपद पौड़ी गढ़वाल में स्वीकृत मोटर मार्गों के संबंध में कतिपय विवरण

101—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत ऐसे कौन-कौन से मोटर मार्ग शासन द्वारा स्वीकृत हैं जिनका निर्माण अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है? इन मार्गों की स्वीकृत शासन द्वारा कब दी गयी और प्रत्येक मार्ग की स्वीकृत लम्बाई क्या-क्या है ? इसके निर्माण में विलम्ब होने के कारण क्या है और कब तक स्वीकृत मार्गों का निर्माण पूरा किये जाने की सम्भावना है ?

श्री हरफिया लाल जुवांठा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद उन्नाव में नगर क्षेत्र समितियों, नगरपालिकाओं के विकास कार्यों हेतु आवंटित धन का उपयोग न करने की शिकायत

102—श्री हृदय नारायण—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जिलाधिकारी उन्नाव द्वारा जिले की सभी नगर क्षेत्र समितियों, नगरपालिकाओं के विकास कार्यों के टेण्डर न पास करने के कारण और 30 मार्च, 1990 को पास करने के कारण राजकीय अनुदान के प्रयोग करने में कठिनाईयां आयी हैं ? क्या यह सच है कि उन्नाव नगरपालिका की माह मार्च, 1990 की बैठक में जिलाधिकारी के इस आचरण पर रोष व्यक्त किया गया है ? यदि हां, तो इस संबंध में शासन द्वारा दोषी को दण्डित कराने की क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अल्मोड़ा जनपद में भूतपूर्व सैनिकों को सेवा में लिये जाने का विवरण

103—श्रीमती सरस्वती तिवारी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास हेतु राज्य सरकार सेवाओं में आरक्षण की सुविधा रखी गयी है? यदि हां, तो अब तक जिलाधिकारी अल्मोड़ा के कार्यालय में कितने भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार प्रदान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार भूतपूर्व सैनिकों हेतु निर्धारित आरक्षण कोटा भरने हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद—

जी हां ।

जिलाधिकारी अल्मोड़ा के कार्यालय में निर्धारित आरक्षण के आधार पर श्रेणी 3 में, 3 तथा श्रेणी-4 में 2 भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिया गया है। वर्तमान समय में निर्धारित आरक्षण के अनुसार कोटा पूरा नहीं है निर्धारित आरक्षण पूर्ण करने हेतु समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिये गये हैं ।

पर्वतीय विकास विभाग में उपाय लिमिटेड के द्वारा किये गये कार्यों का ब्यौरा

104—श्रीमती सरस्वती तिवारी —

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को ज्ञात है कि पर्वतीय विकास विभाग के तहत उपाय लिमिटेड नामक एक निगम का गठन किया गया है ? यदि हां, तो उक्त निगम द्वारा विगत वर्ष 1988-89 में क्या कार्य किये गये हैं ? सरकार उक्त निगम के गठन के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु क्या कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा—

जी हां ।

अब तक प्राप्त प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है । क्रमशः गढ़वाल मंडल विकास निगम तथा कुमायूं मंडल विकास निगम में औद्योगिक परियोजनाओं का कार्य किया जा रहा है, अतएव यह आवश्यक है कि उपाय लिमिटेड इस प्रकार के कार्य न करें जिससे पुनरावृत्ति हो। उपाय लिमिटेड के संचालक मंडल में विचार किया जा रहा है कि ऐसे कार्य किये जायें, जिससे निगम को हानि न हो तथा जो पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिये उपयोगी सिद्ध हो सके । प्रश्न नहीं उठता ।

हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय में नये वेतनमान के अनुसार वेतन न पाने वाले सभी कर्मचारियों का विवरण

105—श्री पंचानन राय—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन समाज कल्याण निदेशालय लखनऊ में कार्यरत कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनका वेतनमान द्वितीय वेतन आयोग, 1979 की संस्तुतियों के अनुसार पुनरीक्षित नहीं किया गया है? इसके क्या कारण हैं और इनका वेतन कब तक पुनरीक्षित कर दिया जायेगा?

श्री अवधेश प्रसाद—

प्रश्नगत निदेशालय में निदेशक के व्यक्तिक सहायक को छोड़कर अन्य किसी भी कर्मचारी का वेतनमान द्वितीय वेतन आयोग 1979 की संस्तुतियों के आधार पर पुनरीक्षित किया जाना शेष नहीं है।

वैयक्तिक सहायक के पद की निरन्तरता व स्थायीकरण आदि से संबंधित विवरण की अनुपलब्धता के कारण अब तक इस पद के वेतनमान का पुनरीक्षण द्वितीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर नहीं किया जा सका है जो शीघ्र ही कर दिया जायेगा।

जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत सेवा योजना कार्यालय में वर्ष 1987 से अब तक पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या

106—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अल्मोड़ा जनपद के रानीखेत सेवा नियोजन कार्यालय से 1987 से 1990 मार्च तक कितने बेरोजगारों को किस-किस विभाग में रोजगार दिया गया है और उक्त अवधि में उक्त कार्यालय में कितने बेरोजगार पंजीकृत किये गये हैं?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत नगर संवायोजन कार्यालय द्वारा वर्ष 1987 से मार्च 1990 तक कुल 310 बेरोजगार अभ्यर्थियों को निम्न विभागों में संवायोजित किया गया है :-

1-शिक्षा विभाग	80
2-स्वास्थ्य विभाग	26
3-श्रम विभाग	07
4-रक्षा विभाग	53
5-स्थानीय निकाय	34
6-बैंकिंग वाणिज्य विभाग	16
7-कृषि एवं उद्यान विभाग	23
8-डाक एवं तार विभाग	16
9-नियोजन विभाग (प्लानिंग)	02
10-तकनीकी शिक्षा विभाग	08
11-उद्योग विभाग	02
12-परिवहन निगम	03
13-औषधि निर्माणशाला	25
14-कुमायूं मंडल विकास निगम	01
15-जीवन बीमा निगम	11
16-राजस्व प्रशासन विभाग	03
योग	310

उक्त अवधि में कुल 9593 आवेदकों का पंजीयन किया गया है।

अपर परियोजना प्रबन्धक आई0 सी0 डी0 एस0 द्वारा ए0 डी0 डी0 ओ0 हरदोई के कार्यालय का निरीक्षण

107-श्री रमापति शास्त्री तथा श्री एदल सिंह-

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के ए0 डी0 डी0 ओ0 के कार्यालय का अपर परियोजना प्रबन्धक आई0 सी0 डी0 एस0 द्वारा फरवरी 1990 में निरीक्षण किया गया था? यदि हां, तो निरीक्षण रिपोर्ट का विवरण क्या है तथा उसके अनुपालन में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उप निदेशक आगरा मण्डल के विरुद्ध शिकायत

108-श्री भोपाल सिंह, श्री रामरती बिन्द तथा श्री एदल सिंह-

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि वर्तमान उप निदेशक आगरा मंडल जब वर्ष 1984-85 में जनपद सुल्तानपुर में प्रोग्राम अधिकारी थे तो उनके

विरुद्ध लगभग पांच लाख रुपये की खरीद (चना एवं मटर आदि) में भारी घपले में दोषी पाये गये थे, इसी कारण वर्ष 1987-88 में इनको प्रतिकूल प्रविष्टि भी दी गयी थी तथा वर्ष 1986 से जनवरी, 1990 तक इनको मुख्यालय में समयबद्ध रखा गया था यदि हां, तो उन्हें उप निदेशक के पद पर नियुक्त किये जाने का क्या औचित्य है?

श्री अवधेश प्रसाद–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

टाउन एरिया खुदागंज शाहजहांपुर में लगी अमर शहीद काकोरी काण्ड के ठाकुर रोशन सिंह की प्रतिमा के अनावरण की मांग

109–श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद शाहजहांपुर के अमर शहीद काकोरी काण्ड के ठाकुर रोशन सिंह जी की प्रतिमा टाउन एरिया खुदागंज में कपड़े से लगभग तीन वर्ष से ढकी हुयी है ? यदि हां, तो उसका अनावरण कब तक किया जायेगा ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी हां ।

शीघ्र ही इस प्रतिमा का अनावरण किया जायेगा।

लखनऊ नगर में मेडिकल कालेज से नीबू पार्क मार्ग पर विद्युत व्यवस्था

110–श्री काशी सिंह एरी–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में मेडिकल कालेज क्रासिंग से नीबू पार्क पर जाने वाले मार्ग प्रकाश की व्यवस्था न होने का क्या कारण है? उक्त मार्ग पर प्रकाश व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मेडिकल कालेज क्रासिंग से नीबू पार्क तक एच0 टी0 लाइन है । वहां पर एल0 टी0 लाइन नहीं है, जिसके कारण उक्त मार्ग पर मार्ग प्रकाश नहीं है । विभाग द्वारा नये पोल लगाकर प्रकाश व्यवस्था किये जाने हेतु आगणन बनाकर प्रकाश व्यवस्था किये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है ।

सुलभ शौचालयों के निर्माण का कार्य अन्य स्वयं सेवी संस्थाओं को दिये जाने की मांग

111–श्री काशी सिंह एरी–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि सुलभ शौचालयों के निर्माण के लिए शासन द्वारा केवल एक संस्था इण्टरनेशनल को ही कार्य कराने की अनुमति क्यों दी गयी है ? क्या अन्य स्वेच्छिक संस्थाओं द्वारा भी कार्य कराने की अनुमति प्राप्त करने के लिए शासन को प्रार्थना-पत्र दिये गये है ? यदि हां, तो अन्य स्वेच्छिक संस्थाओं को उक्त कार्य न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी नहीं ।

सुलभ शौचालय के निर्माण के लिये शासन द्वारा "सुलभ इण्टरनेशनल" तथा अखिल भारतीय रचनात्मक कार्य संस्थान" नामक दो संस्थाओं को कार्य कराने की अनुमति प्रदान की गई है ।

जी हां ।

जिन संस्थाओं ने शासन द्वारा निर्धारित मानक एवं शर्तों को पूर्ण किया उन्हें ही यह कार्य दिये गये हैं । अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा निर्धारित मानक व शर्तों को पूर्ण करने के उपरान्त कार्य दिये जा सकते हैं ।

जनपद मऊ के विकास खण्ड फतेहपुर मण्डाव, घोसी, दोहरीघाट में ब्लाक वार लगे हैण्ड पम्पों की जानकारी

112–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के विकास खण्ड फतेहपुर मण्डाव, घोसी व दोहरीघाट के किन-किन गांवों में कितने-कितने जल निगम के हैण्ड पाईप लगे हैं तथा किन-किन गांवों में अभी बाकी हैं ? शेष गांवों में कब तक लगा दिये जायेंगे ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जल निगम का खण्डीय कार्यालय को जनपद आजमगढ़ से बस्ती में करने की जानकारी

113–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जल निगम का खण्डीय कार्यालय आजमगढ़ से हटाकर बस्ती कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी नहीं, जल निगम की आजमगढ़ में स्थित कोई शाखा बस्ती स्थानान्तरित नहीं की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मऊ के मधुवन बाजार को टाउन एरिया घोषित करने की मांग

114–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या नगर विकास मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि मऊ जनपद में तहसील घोसी के अंतर्गत मधुवन बाजार को टाउन एरिया घोषित करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कार्यवाही कब तक की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी हां ।

वर्ष 1991 की जनगणना की समाप्ति के बाद विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता ।

115–श्री रवीन्द्र शुक्ल–

[2रे मंगल में अता0 प्र0 सं0 161 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

116–श्री शारदानन्द अंचल–

[2रे मंगल में अता0 प्र0 सं0 165 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

वाराणसी महानगर की घनी आबादी के बीच स्थित बूचड़खाना एवं हड्डी के गोदाम को हटाने की मांग

117–श्री अमर नाथ यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी महानगर में आबादी के बीच स्थित बूचड़खाना एवं हड्डी चमड़े के गोदाम से जो प्रदूषण फैल रहा है, उसके निवारण हेतु अन्यत्र हटाने का सरकार विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

वाराणसी महानगर स्थित चार बूचड़खानों में से एक का पूर्ण रूप से आधुनिकीकरण कर दिया गया है जिससे प्रदूषण का कोई भय नहीं है। दो अन्य के पूर्ण आधुनिकीकरण हेतु भारत सरकार से अनुदान प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है । चौथे को बन्द करने हेतु एक वाद सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है। उक्त स्थिति में इन्हें हटाने के प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है ।

मोहल्ला अहिबरनपुर लखनऊ की मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत किये जाने की मांग

118–श्री मीर मजहर अली उर्फ नन्हें मियां–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 89 के पहले सोमवार के लिए निर्धारित श्री गोपीनाथ वर्मा द्वारा पूछे गये तारां0 प्रश्न संख्या–20 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अहिबरनपुर, लखनऊ जो मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत लिया गया है, में क्या-क्या विकास कार्य कराये गये और कितने कुंओं का निर्माण नगर महापालिका द्वारा कराया गया है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि मलिन बस्ती पर्यावरण क्षेत्र में सफाई कर्मचारी तथा प्रकाश की व्यवस्था किये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो अहिबरनपुर में उक्त व्यवस्था अब तक न किये जाने के क्या कारण हैं तथा यह व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

अहिबरनपुर लखनऊ में मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत नाली, खड़न्जा मार्ग प्रकाश हेतु विद्युत पोल तथा एक कुएं का निर्माण कार्य कराया गया है ।

मलिन बस्ती पर्यावरण क्षेत्र के अन्तर्गत सफाई कर्मचारी की व्यवस्था नहीं की जाती है, निर्धारित धनराशि से मार्ग प्रकाश की व्यवस्था की जाती है । जहां तक उक्त बस्ती में प्रकाश व्यवस्था तथा सफाई का प्रश्न है, निर्धारित धनराशि से प्रकाश व्यवस्था का कार्य किया गया है तथा इस क्षेत्र में समय-समय पर सफाई का कार्य कराया जाता है ।

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय द्वारा विगत वर्ष में पुष्टाहार हेतु आवंटित धनराशि एवं उसके उपयोग का विवरण

119—श्री रविदास मेहरोत्रा—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0 प्र0 के लिए वित्तीय वर्ष 1989-90 में कुल कितने रुपये का बजट प्राविधान था ? उसमें से कितनी धनराशि शासन द्वारा योजनावार अवमुक्त की गयी ? क्या अवमुक्त की गयी समस्त धनराशि का उपभोग कर लिया गया ? यदि नहीं, तो कुल कितनी धनराशि समर्पित हुई एवं कितनी धनराशि विलुप्त (लैप्स) हुई ? समर्पित एवं विलुप्त धनराशि के लिए कौन अधिकारी दोषी है ? क्या सरकार उसके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद—

वित्तीय वर्ष 1989-90 में रुपया 42,02,55,000/-का बजट प्राविधान था ।

कुल रुपये 36,48,75,605/- की धनराशि अवमुक्त की गयी । योजनावार सूची संलग्न है ।

जी नहीं ।

अवमुक्त धनराशि में से रुपये 10,94,85,679/-की धनराशि समर्पित की की गयी जिसमें कोई धनराशि लैप्स नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नियुक्तियों पर रोक तथा भारी संख्या में पद रिक्त होने, पोषाहार वितरण योजना के अन्तर्गत क्षेत्र परिवर्तन होने के कारण बचत हुई है ।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 201 पर)

निदेशालय बाल विकास एवं पुष्टाहार के अन्तर्गत मुख्य सेविकाओं के स्थानान्तरण का मामला

120—श्री रविदास मेहरोत्रा—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय के अन्तर्गत कितनी ऐसी मुख्य सेविकायें हैं जिनका स्थानान्तरण 31 मार्च, 1990 तक के लिए रोका गया था ? क्या मंत्री जी ऐसी मुख्य सेविकाओं के नाम बताएंगे? इन मुख्य सेविकाओं में से ऐसी कितनी मुख्य सेविकायें हैं जिनका स्थानान्तरण रोकने के आदेश शासन द्वारा निदेशक को दिये गये ? क्या निदेशक द्वारा ऐसी मुख्य सेविकाओं का स्थानान्तरण रोका गया ? यदि हां, तो ऐसी कौन-कौन सी मुख्य सेविकायें हैं ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी हां ।

1–श्रीमती उषा सिंह
2–कु0 रम देवी
3–श्रीमती निर्मला देवी
4–श्रीमती मिथलेश कुमारी शुक्ला
5–श्रीमती रघुचिका हयांकी
पांच मुख्य सेविकायें ।

जी हां ।

उपरोक्त पांच मुख्य सेविकायें हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार की तत्कालीन निदेशिका द्वारा की गई हवाई यात्रा का विवरण

121–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन निदेशिका बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार (श्रीमती ज्योति चन्द्रा) हवाई यात्रा के लिए अधिकृत थीं ? यदि नहीं, तो उनके द्वारा अपने कार्यकाल में अगस्त, 1987 से जनवरी, 1990 तक प्रदेश के बाहर की कितनी हवाई यात्रायें की गयी तथा क्या इन हवाई यात्राओं की स्वीकृति विभागीय सचिव से ली गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जांच की जा रही है ।

निदेशालय बाल विकास एवं पुष्टाहार तथा फर्म राजा राम इण्स्ट्रीज डालीगंज लखनऊ के बीच भुगतान संबंधी चल रहे विवाद

122–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार द्वारा संचालित गेहूं पर आधारित पुष्टाहार बनाने की योजना के अन्तर्गत विभाग एवं फर्म राजा राम इण्डस्ट्रीज, लखनऊ के मध्य वर्ष 1988-89 में पुष्टाहार बनाने के संबंध में कोई अनुबन्ध हुआ था, जिसके तहत फर्म ने पूरा समय कार्य किया और निदेशिका ने अपने पत्र संख्या 34/3004/डब्लू0 बी0 एन/एस/वि0 परि0 89-90 दिनांक 11-4-89 द्वारा फर्म से पुरानी दरों एवं शर्तों के साथ वित्तीय वर्ष 1989-90 में कार्य करने की जानकारी मांगी थी तथा फर्म ने पुरानी शर्तों पर काम करने की सहमति दी थी? यदि हां, तो क्या पुरानी शर्तों में यह भी शर्त थी कि विभाग द्वारा फर्म को दिये गये गेहूं की कीमत के बराबर फर्म की धनराशि रोकी जायेगी? यदि नहीं, तो फर्म द्वारा निर्माण की सामग्री की धनराशि का भुगतान न करने का क्या कारण था ? फर्म द्वारा आपूर्ति रोकने के कारण लाभार्थियों को लाभ न मिलने के लिए कौन अधिकारी दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी हां ।

जी नहीं ।

कतिपय बिन्दुओं पर विवाद होने के कारण मामला मध्यस्थ (आर्बिट्रेशन) हेतु सौंपा गया है मध्यस्थ के निर्माण के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

123–डा0 दिनेश जौहरी–

[2रे मंगल में अता0 प्र0 सं0 164 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ के जियामऊ, मार्टिन पुरवा आदि मोहल्लों में जल आपूर्ति प्रकाश व्यवस्था आदि की मांग

124–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया यह बतायेगें कि 13 दिसम्बर, 89 को उन्होंने लखनऊ में जियामऊ मार्टिन पुरवा, बालू अड्डा, एकलव्य नगर, गुरू रविदास नगर आदि क्षेत्रों में दौरा किया था ? यदि हां, तो वहां के निवासियों ने उन्हें क्या मुख्य समस्याएं बतायी थीं ? क्या मंत्री जी इन क्षेत्रों में पांच हैण्ड पम्प लगाने, प्रकाश, सफाई तथा सड़कें बनवाने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो क्या यह सभी कार्य पूर्ण हो गये हैं ? यदि नहीं, तो कब तक यह सभी कार्य पूर्ण हो जायेंगे ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

सुचना एकत्र की जा रही है ।

जमानियां गाजीपुर में सीवर लाइन बिछाने की मांग

125–श्री रवीन्द्र कुमार सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में किन-किन नगरपालिका, टाउन एरिया में सीवर लाइन बिछाने पर सरकार विचार कर रही है? क्या जमानिया नगरपालिका में भी सीवर लाइन बिछाने हेतु सरकार कोई ठोस कदम उठायेगी? यदि हां, तो कब? यदि नही, तो क्यों?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण गाजीपुर की किसी नगर पालिका, टाउन एरिया में सीवर लाइन बिछाया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद गाजीपुर की नगरपालिका का चुनाव कराने की मांग

126–श्री रवीन्द्र कुमार सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की नगर-पालिका का चुनाव कराने हेतु सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो उक्त चुनाव कब तक करा दिये जायेंगे?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी हां।

चुनाव यथाशीघ्र सम्पन्न कराया जायेगा।

जनपद मऊ में बाल विकास परियोजना में पुष्टाहार में अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

127–श्री राम बचन धूसिया–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाल विकास एवं पुष्टाहार परियोजना रतनपुरा जनपद मऊ की अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30-1-90 शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी हां।

शिकायतों पर जांच की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठती।

प्रश्न नहीं उठता।

राजाजीपुरम लखनऊ में चल रही बाल विकास परियोजना में घटिया पुष्टाहार की आपूर्ति की शिकायत

128–श्री भारत सिंह रावत–

क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजाजीपुरम् लखनऊ में बाल विकास परियोजना चल रही है जिसके अन्तर्गत अत्यन्त घटिया किस्म के पौष्टिक आहार वितरण संबंधी शिकायतें जनता द्वारा फरवरी, 90 में निदेशक को दी गयी है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी हां।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ की सगड़ी तहसील में निराश्रित विधवाओं को दी जाने वाली पेंशन का विवरण

129–श्री पंचानन राय–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद की सगड़ी तहसील में कितनी निराश्रित विधवाओं को 3 मार्च, 90 को पेंशन मिल रही थी? उस तहसील के कितने आवेदन-पत्र उक्त तिथि को जिला कार्यालय में लम्बित थे जिन्हें पेंशन स्वीकृत नहीं की गयी है ? उन्हें पेंशन कब तक स्वीकृत कर दी जायेगी

श्री अवधेश प्रसाद–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जल निगम कोटद्वार में तैनात अवर अभियन्ता के स्थानान्तरण न किये जाने की शिकायत

130—श्री हरवंश सहाय—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि निर्माण शाखा उ0 प्र0 जल निगम, कोटद्वार में विगत 6 वर्षों से अधिक अवधि से कार्यरत अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण वर्ष 1989 में किया गया है? यदि हां, तो उनका स्थानान्तरण पुनः किस आधार पर स्थगित कर दिया गया है?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी नहीं ।

जल निगम में विगत वर्ष में स्थानान्तरित किये गये सहायक अभियन्ताओं का विवरण

131—श्री हरवंश सहाय—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रधान कार्यालय उ0 प्र0 जल निगम लखनऊ द्वारा वर्ष 1989 में कितने सहायक अभियंताओं के स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर किये गये? क्या यह सही है कि उसमें से कुछ सहायक अभियन्ताओं के स्थानान्तरण स्थगित/निरस्त कर दिए गये हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

प्रधान कार्यालय उ0 प्र0 जल निगम लखनऊ द्वारा वर्ष 1989 में सात सहायक अभियंताओं के स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर किये गये।

जी हां । उनमें से कुछ सहायक अभियंताओं के स्थानान्तरण मानवीय/पारिवारिक या प्रबन्धकीय कारणों से स्थगित किये गये।

बाल विकास पुष्टाहार की भूतपूर्व निदेशिका श्रीमती जयंति चन्द्रा के विरुद्ध शिकायत

132—श्री रविदास मेहरोत्रा तथा श्री मन्जूर—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन निदेशिका बाल विकास एवं पुष्टाहार के विरुद्ध भू0 पू0 विधान सभा सदस्य श्री रमाशंकर कौशिक ने दिनांक 4 जुलाई, 1984, श्री बंगाली सिंह, श्री भोपाल सिंह, श्री जगमोहन सिंह यादव सदस्यगण ने संयुक्त रूप से दिनांक 7 जुलाई, 1989 तथा 11 जुलाई, 1989 को श्री महराज सिंह यादव एवं श्री मयंकर सिंह का कोई शिकायती पत्र तत्कालीन मुख्य मंत्री को सरकारी धन के दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचार के संबंध में प्राप्त हुए थे? यदि हां, तो शासन द्वारा उन शिकायती पत्रों में दर्शाये गये बिन्दु को मद्दे नजर रखते हुए संबंधित निदेशक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है? क्या सरकार इस मामले को नये सिरे से जांच कराकर संबंधित अधिकारी को दण्डित करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अवधेश प्रसाद—

जी हां। संदर्भित पत्र शासन में प्राप्त हुए परन्तु श्री रमाशंकर कौशिक का पत्र 4 जुलाई, 1989 का है।

मामले की जांच की जा रही है।

जांच रिपोर्ट के बाद शासन द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

उन्नाव नगरपालिका के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध शिकायतें

133—श्री हृदय नारायण—

क्या नगर विकास मंत्री को उन्नाव नगर पालिका के अधिशासी अभियन्ता द्वारा पद के दुरुपयोग एवं घपलों संबंधी उन्नाव संसदीय क्षेत्र के सांसद अनवार अहमद का पत्र माह मार्च, 1990 में नगरपालिका के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अशोक कुमार दुबे के शिकायती पत्र के संलग्नक सहित मिला है ? यदि हां, तो जांच किसने की ? क्या जांच अधिकारियों ने मा0 संसद सदस्य से भेंट की ? क्या जांच में वरिष्ठ उपाध्यक्ष का सहयोग लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? जांच निष्कर्ष क्या है और उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी हां ।

परन्तु सांसद श्री अनवार अहमद के पत्र के साथ श्री अशोक कुमार दूबे का शिकायती पत्र संलग्नक के रूप में प्राप्त नहीं हुआ था । श्री दूबे का पत्र अलग से प्राप्त हुआ था ।

संयुक्त निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा मामले की जांच की जा रही है। जांच अधिकारी को सांसद एवं अन्य संबंधित शिकायतकर्ताओं से जांच के समय सम्पर्क करने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

134—135—श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय—

[उर मंगल में अता0 प्र0 सं0 182—183 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

136—श्री राम प्रसाद सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

पर्वतीय क्षेत्र में उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन द्वारा उद्योगों की स्थापना

137—श्रीमती सरस्वती तिवारी—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश सरकार द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन की स्थापना इलेक्ट्रानिक उद्योगों के विकास के लिए की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त निगम द्वारा अब तक कितने उद्योगों की स्थापना की गयी है तथा कितने उद्योग प्रस्तावित हैं ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा—

जी हां ।

अभी तक निगम द्वारा निम्न उद्योग स्थापित किये गये हैं :—

1—मैसर्स सत्या इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, देहरादून ।

2—मैसर्स बिनकास जनरल कार्बन लिमिटेड, भीमताल, नैनीताल ।

3—अपहिल क्वार्ट्ज लिमिटेड, पिथौरागढ़ ।

4—इस्टर्न टेलीकाम एवं टेक्नालाजी लि0, काशीपुर हिलट्रान ।

5–दौलत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, काशीपुर ।

6–ओमिनी इंडिया लिमिटेड, देहरादून ।

7–टी0 वी0 फैक्ट्री, नई टिहरी ।

8–मुनि की रेती, कोटद्वार सहकारी समितियों के माध्यम से टी0 वी0/इलेक्ट्रानिक्स वस्तुओं का उत्पादन ।

निम्न उद्योग प्रस्तावित हैं :–

1–निकिल कैडमियम बैटरी/सेल यूनिट रामनगर ।

3–मैसर्स रामाविजन लि0, किच्छा, नैनीताल ।

3–मैसर्स नैना सेमी कन्डक्टर्स लि0, हल्द्वानी ।

4–पिथौरागढ़, बागेश्वर सहकारी समितियों के माध्यम से टी वी0/इलेक्ट्रानिक्स वस्तुओं का उत्पादन ।

5–फोटोवोल्टाइक मॉडयूल्स एवं सिस्टम लिमिटेड, रामनगर ।

6–यू0 पी0 हिल फोन्स, ज्योलीकोट ।

जनपद फैजाबाद के ग्राम कोड़हा ग्राम के निवासी द्वारा गलत जाति बताकर सरकारी सुविधा लेने की शिकायत

138–श्री सुरेन्द्र कुमार उर्फ मुन्नी–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि श्री प्रियदर्शी जेतली निवासी-अकबरपुर, जनपद–फैजाबाद ने 23-3-89 को एक पत्र जिलाधिकारी, फैजाबाद को तहसील–अकबरपुर के ग्राम हरखपुर कोड़हा के एक निवासी द्वारा गलत धर्म बताकर शासन के नियमों के अन्तर्गत कर्ज व अनुदान, जो चमार जाति को मिलता है, प्राप्त करने की शिकायत की थी ? यदि हां, तो उक्त पत्र के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? जांच किस अधिकारी द्वारा व कब करवाई गई तथा उसमें क्या तथ्य प्रकाश में आये हैं ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जिलाधिकारी कार्यालय में उल्लिखित पत्र की प्राप्ति प्रतीत नहीं होती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नही उठता ।

नगरपालिका बिलग्राम, जनपद हरदोई के विभिन्न कार्यों हेतु पिछले दो वर्षों में मिलने वाली धनराशि

139–श्री गंगा भक्त सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई की बिलग्राम नगर पालिका को शासन द्वारा वर्ष 88-89 तथा 89-90 में कितनी धनराशि सड़क अनुदान स्वरूप दी गई है ? क्या नगरपालिका द्वारा सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग कर लिया गया है ? उपरोक्त अनुदान में नगरपालिका द्वारा कितना अंशदान मिलाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? शासन द्वारा उक्त के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जनपद हरदोई की बिलग्राम नगर पालिका को वर्ष 88-89 में रु0 4,15,000.00 तथा वर्ष 89–90 में रु0 5,40,000.00 सड़क अनुदान स्वीकृत किया गया था। कुल स्वीकृत धनराशि रु0 9,55,000.00 में से रु0 7,20,097.15 का उपयोग किया जा चुका है। नगरपालिका का अंशदान रु0 2,38,750.000 था जिसमें से केवल रु0 1,76,258.90 मिलाया गया। शेष अंशदान आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण नहीं मिलाया जा सका। वर्ष 1990-91 में सड़क अनुदान स्वीकृत करते समय शासन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

जनपद हरदोई में नगरपालिका बिलग्राम में विगत वर्ष में की गई नियुक्तियों का विवरण

140–श्री गंगा भक्त सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई की नगरपालिका बिलग्राम में गत जुलाई, 1989 से 31 मार्च, 1990 तक पालिका में विभिन्न पदों पर दैनिक वेतन पर कितनी नियुक्तियां की गई ? क्या सेवायोजन कार्यालय अनिवार्य अधिसूचना अधिनियम, 1959 के अनुसार नियुक्तियां करते समय जनपदीय सेवायोजन कार्यालय से अभ्यर्थियों की सूची मांगी गई थी ? क्या नियुक्तियों में आरक्षण नियम का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या नियुक्तियों में उपरोक्त अनियमितता बरतने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

नगर पालिका बिलग्राम में माह जुलाई, 1989 से मार्च, 1990 तक 356 दैनिक वेतन कर्मचारियों की नियुक्तियां की गई हैं। इन नियुक्तियों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, हरदोई से जांच कराई जा रही है।

नगरपालिका बिलग्राम, जनपद हरदोई में नियम विरुद्ध की गयी नियुक्तियों की शिकायत

141–श्री गंगा भक्त सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई की नगरपालिका बिलग्राम में नियमों के विरुद्ध नियुक्तियों से संबंधित कोई शिकायती पत्र सर्वश्री डा0 सईद अहमद तथा हबीब अहमद आदि का दिनांक 19-8-89 को आयुक्त, लखनऊ मण्डल को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शासन द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी हां।

जिलाधिकारी, हरदोई द्वारा जांच सम्पन्न करा ली गई है जांच के परिपेक्ष्य में शासन द्वारा यथा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

बिलग्राम नगरपालिका जनपद हरदोई के अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध शिकायत

142—श्री गंगाभक्त सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई की बिलग्राम नगरपालिका में कार्यरत अधिशासी अधिकारी श्री जयराम मिश्र पालिका के आवास में रह रहे हैं ? यदि हां, तो कब से तथा क्या इनके द्वारा आवास किराया श्रम मूल्य विद्युत शुल्क पालिका में जमा किया जा रहा है? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी हां ।

नगरपालिका, बिलग्राम में जलकल अभियंता की नियुक्ति न होने के कारण अध्यक्ष के आदेश दिनांक 20-2-89 द्वारा श्री मिश्र अपने पद के साथ जलकल अभियन्ता का भी कार्य देख रहे हैं । चूंकि जलकल अभियंता को निःशुल्क आवास अनुमन्य है, इसलिए कोई आवासीय किराया नहीं लिया जा रहा है । विद्युत संयोजन न होने के कारण विद्युत शुल्क लेने का प्रश्न नहीं उठता । इसके अतिरिक्त अन्य कोई छूट नहीं दी जा रही है ।

बदायूं जनपद के उझियानी नगर में पानी के निकास की योजना

143—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बदायूं नगर जनपद में उझियानी नगर में पानी के निकास की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस योजना पर कब तक कार्यवाही हो जायेगी ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

नगर पालिका का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

योजनान्तर्गत बजट में कोई प्राविधान न होने के कारण धनराशि अवमुक्त किया जाना सम्भव नहीं है ।

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय हरिजन फण्ड में कार्यरत अधीक्षक/अधीक्षिकाओं के स्थायीकरण की मांग

144—श्री अमरनाथ यादव—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय हरिजन फण्ड के अधीक्षक/अधीक्षिकाओं के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? इनमें से कितने स्थायी और और कितने अस्थायी हैं ? क्या अस्थाई अधीक्षकों को जिनकी सेवा अवधि 5 वर्ष से अधिक हो गयी है उनके स्थाईकरण पर शासन विचार कर रहा है? यदि हां, तो कब तक ?

श्री भवधेश प्रसाद—

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में अधीक्षक/अधीक्षिकाओं, जिनका एक ही संवर्ग है, के कुल 34 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 25 पद स्थायी और 9 अस्थायी हैं ।

उक्त स्थायी पदों के विरुद्ध वरिष्ठता के आधार पर अधीक्षकों के स्थायीकरण का मामला निदेशालय में विचाराधीन है जिसका निस्तारण शीघ्र ही कर लिया जायेगा ।

प्रदेश स्तर पर राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं की वरिष्ठता सूची

145–श्री अमर नाथ यादव–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के अध्यापक एवं अध्यापिकाओं की कोई अन्तिम वरिष्ठता सूची बनी हुई है ? यदि हां, तो क्या उसका पालन हो रहा है ? यदि नहीं, तो उक्त अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को स्थायीकरण प्रोन्नति एवं अन्य लाभों से वंचित रखने का क्या औचित्य है ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अंतिम कोटिक्रम सूची प्रकाशित करने की कार्यवाही की जा रही है और जैसे ही अंतिम कोटिक्रम सूची प्रमाणित हो जायेगी तो अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के स्थायीकरण/पदोन्नति करने पर विचार किया जायेगा ।

146–श्री पंचानन राय–

[2रे बुध में अता0 प्र0 सं0 165 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला सिद्धार्थनगर में नगरपालिका बांसी में सड़क निर्माण कार्य विषयक शिकायतों की जांच

147–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को यह जानकारी है कि जिला सिद्धार्थनगर के नगरपालिका बांसी के अन्तर्गत कस्बा नरकटहा के हरिजन नगर में कोई सड़क 80,000/-अस्सी हजार रुपये की लागत से माह जनवरी/फरवरी 1990 में खड़ंजा करायी गयी है ? यदि हां, तो इस सड़क पर कितनी से0 मी0 मिट्टी बाहर से लाकर शर्त के मुताबिक डालनी थी ? क्या यह सत्य है कि इस सड़क पर मिट्टी डाले बिना सड़क बराबर करके खड़ंजा लगा दिया गया है? क्या सरकार इसकी जांच किसी वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी से करावेगी?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी हां ।

40 से0 मी0 मिट्टी डालने का प्रयोजन अनुमानित किया गया था ।

जी नहीं ।

उक्त निर्माण कार्य के बिल की जांच व सत्यापन स्थानिक अभियन्ता लोक निर्माण विभाग सिद्धार्थनगर द्वारा किये जाने व सन्तुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान किया गया है अतएवं किसी तकनीकी जांच की आवश्यकता नहीं है ।

जिला सिद्धार्थनगर, नगरपालिका बांसी में टैक्सी स्टैण्ड का ठेका

क्या नगर विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जिला सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत नगरपालिका बांसी में टैक्सी स्टैण्ड का ठेका वर्ष 1989-90 के लिये कुल 1 लाख 1 हजार

रुपये में किया गया था, जिसका 1/4 रुपया 25 हजार 2 सौ पच्चीस रुपये की धनराशि ठेके के समय जमा करायी गयी थी । क्या यह सत्य है कि शेष धन आज तक वसूल नहीं किया गया, जबकि ठेके की अवधि समाप्त हो गयी है ? क्या यह सत्य है कि टैक्सी स्टैण्ड का ठेकेदार बैरियर लगाकर धन वसूल करता है ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी हां । धन की वसूली नहीं की जा सकी है । किन्तु वसूली के लिये कानूनी कार्यवाही की जा रही है ।

इस प्रकरण की जांच करायी जा रही है ।

जिला सिद्धार्थनगर, नगरपालिका बांसी में टोला मड़हवा को सम्मिलित करने की मांग

149–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को यह जानकारी है कि जिला सिद्धार्थनगर के नगरपालिका क्षेत्र बांसी में पूर्व ग्राम सभा बगहवाकोमर को सम्मिलित करते समय ग्राम सभा बगहवा कोमर का एक टोला मड़हवा भूलवश नगरपालिका में सम्मिलित नहीं हो सका ? क्या यह सच है कि टोला के नागरिक जिनकी संख्या 500 से अधिक है न तो नगरपालिका में है और न ग्राम सभा में ? यदि हां, तो क्या सरकार टोला मड़हवा को नगरपालिका में सम्मिलित करने हेतु आवश्यक आदेश पारित करेगी ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी नहीं ।

जी हां ।

टोला मड़हवा को नगरपालिका में सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

जनपद सिद्धार्थनगर, नगरपालिका बांसी के अध्यक्ष द्वारा की जा रही कथित अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार

150–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को यह जानकारी है कि जिला सिद्धार्थनगर के नगरपालिका बांसी के अन्दर व्याप्त भ्रष्टाचार एवं नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा किये जा रहे अवैधानिक कार्यों के सम्बन्ध में एक पत्र मुख्य मंत्री को सम्बोधित श्री कैलाशनाथ बाजपेयी मंत्री कम्युनिस्ट पार्टी जिला सिद्धार्थनगर इत्यादि के नाम छपवाकर बांटा गया था ? क्या पत्र की प्रतिलिपि जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर मण्डलायुक्त, गोरखपुर तथा मुख्य मंत्री को फरवरी 1990 में या उसके आस-पास रजिस्टर्ड डाक से प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इनकी जांच किससे करायी गयी और जांच परिणाम क्या है ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी हां ।

जांच परगनाधिकारी बांसी से करायी गयी जिसमें कतिपय अनियमितताएं प्रकाश में आई हैं । परगनाधिकारी बांसी ने नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा अत्यधिक धन खर्च किये जाने के संबंध में विशेष लेखादल द्वारा परीक्षण करायें जाने की संस्तुति की है ।

जनपद अल्मोड़ा में कतिपय पेयजल योजनाओं के शीघ्र चालू किये जाने की मांग

151–श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में लिफ्ट योजना मानीला देवी (रामगंगा से) लिफ्ट पेयजल योजना बिल्लेख कोसी नदी से लिफ्ट पेयजल योजना इंडा बाराखाम (गगास नदी से) बनाये जाने की कार्यवाही शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त लिफ्ट पेयजल योजना में अब तक क्या कार्यवाही की गयी और वे कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कुमाऊं मण्डल में जलागम परियोजनाओं के विवरण की जानकारी

152–श्रीमती सरस्वती तिवारी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमाऊं मण्डल में कितनी जलागम परियोजनाओं की स्वीकृत मिल चुकी है ? कितनी योजनाओं का सर्वेक्षण हो चुका है ?उक्त परियोजनाओं में कब तक कार्य प्रारम्भ करा दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बरफिया लाल जुवांठा–

कुमाऊं मण्डल में पनार उपजलागम प्रबन्ध परियोजना चलायी जा रही है ।

भीमताल, रामगाड़ तथा कंचगाड़ जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है ।

परियोजनाओं की स्वीकृति का प्रकरण विचाराधीन है ।

भीमताल गोला-कलसा जलागम प्रबन्ध परियोजना के शीघ्र निर्माण की मांग

153–श्रीमती सरस्वती तिवारी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कपा करेंगे कि सरकार द्वारा (भीमताल) गोला-कलसा जलागम प्रबन्ध परियोजना का निर्माण विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त परियोजना का निर्माण विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति क्या है ? क्या उक्त परियोजना को परियोजना निदेशक, अल्मोड़ा के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा–

जी हां ।

परियोजना के लिए वित्तीय संस्था से अभी वित्तीय अनुबन्ध होना शेष है ।

उक्त परियोजना के प्रशासनिक नियंत्रण वित्तीय संस्था ई0 ई0 सी0 के मतानुसार ई0 ई0 सी0 पोषित जलागम प्रबन्ध परियोजना (दक्षिणी भागारथी) देहरादून के परियोजना निदेशक के अधीन प्रस्तावित है ।

जनपद आगरा के कतिपय विकास खण्डों में ग्राम समूह पेयजल योजना बनाने की मांग

154—श्री बदन सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने जिलाधिकारी आगरा को अपने पत्र दिनांक 24-3-90 में जनपद आगरा के ब्लाक फतेहपुर सीकरी में सीकरी हिस्सा—4 और अछनेरा ब्लाक के ग्राम कचौरा, रायबा और भौरोटी में पेयजल के लिये वहां छोटी-छोटी ग्राम समूह पेयजल योजना बनाने की मांग की है ? यदि हां, तो उन पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी हां ।

माननीय विधायक के सुझाव पर तकनीकी दृष्टिकोण से जांच कराकर प्राथमिक लागत का अनुमान लगाया जा चुका है ।

लखनऊ के नाका हिण्डोला से हैदरगंज रोड पर अनाधिकृत कब्जे की शिकायत

155—श्री अर्जुन सिंह यादव—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ नगर के नाका हिण्डोला के माधव पैलेस होते हुये हैदरगंज जाने वाली सड़क पर भारी मात्रा में आरा मशीन मालिकों द्वारा अनाधिकृत रूप से सड़क पर कब्जा कर लिया गया है, जिससे यातायात में रुकावट एवं उनके बुरादे उड़ने से यात्रियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है ? क्या सरकार सड़क विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत उक्त आरा मशीन मालिकों से सड़क का किनारा तत्काल खाली कराने पर आवश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

नाका हिण्डोला से माधव पैलेस होते हुए हैदरगंज जाने वाली सड़क पर अनाधिकृत अतिक्रमण है । विकास प्राधिकरण द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्ट आने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अब्दुल मारूफ खां अधिशासी अधिकारी नगर पालिका मऊनाथ भंजन के स्थानान्तरण का मामला

156—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अब्दुल मारूफ खां,

अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका मऊनाथ भंजन का स्थानान्तरण अन्यत्र किये जाने के संबंध में दिनांक 23 मार्च, 1990 पत्रांक 2508/बी0 आई0 पी0/90 सचिव नगर विकास को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त पत्र पर कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

157—श्री ऊदल—

[2रे मंगल में अता0 प्र0 सं0 160 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

हरदोई जनपद में नगरपालिका बिलग्राम में कथित कतिपय भ्रष्टाचार की शिकायत

158—श्री गंगा भक्त सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई की नगरपालिका बिलग्राम में गत जुलाई 1989 से 31 मार्च, 1990 तक दैनिक वेतन पर चुंगी विभाग में तथा अन्य पदों पर जो नियुक्तियां की गयी हैं उन कर्मचारियों को क्या शासन द्वारा निर्धारित दर से मजदूरी का भुगतान किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? शासन द्वारा इसके लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

नगरपालिका बिलग्राम जनपद हरदोई में माह जुलाई 1989 से मार्च, 1990 तक दैनिक वेतन भोगी चुंगी विभाग तथा अन्य पदों पर जो नियुक्तियां की गयी हैं उन्हें अनुमन्य दर से मजदूरी का भुगतान किया गया है ।

159—श्री गंगा भक्त सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई की नगरपालिका बिलग्राम में अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में विहित प्राधिकारी (आयुक्त लखनऊ मण्डल, लखनऊ) को नगरपालिका बिलग्राम के सदस्य श्री हबीब अहमद खां का शिकायती पत्र दिनांक 23-1-90 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसका आयुक्त द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी हां ।

प्रश्नगत मामले में जांच करायी जा रही है । जांचोपरान्त यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

नगरपालिका देवरिया के सभासद श्री रामायण राव के गृहकर एवं जलकर माफ किये जाने विषयक शासन को सम्बंधित शिकायती पत्र

160—श्री राम छबीला—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आयुक्त, गोरखपुर को लिखे गये पत्र दिनांक 24-7-89 के सम्बन्ध में श्री रामायण राव सभासद नगरपालिका देवरिया का गृहकर, जलकर की माफी के सम्बन्ध में शिकायती पत्र सं0 293/89-90, दि0 16-1-90 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

आयुक्त, गोरखपुर को लिखे गए पत्र दिनांक 24-7-89 के सम्बन्ध में श्री रामायण राव सभासद, नगरपालिका देवरिया का गृहकर, जलकर की माफी के सम्बन्ध में शिकायती पत्र सं0-293/89-90, दिनांक 16-1-90 शासन को प्राप्त नहीं हुआ है।

चूंकि पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, अतः कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

नगरपालिका देवरिया में सफाई कर्मचारियों के पद सृजन हेतु शासन को प्रेषित पत्र

161—श्री राम छबीला—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर पालिका देवरिया में 100 सफाई कर्मचारियों के पद सृजन हेतु सभासद न0 पा0 देवरिया का पत्र दिनांक 17-1-90 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी हां ।

जिला मजिस्ट्रेट देवरिया को निर्देशित किया गया है कि यदि प्रस्ताव औचित्य पूर्ण हो तो उसे निदेशक स्थानीय निकाय के माध्यम से शासन को भेजा जाय ।

नगर पालिका क्षेत्र देवरिया में राज नेताओं की मूर्ति स्थापना विषयक शासन को प्रेषित पत्र पर कार्यवाही

162—श्री राम छबीला—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर पालिका क्षेत्र देवरिया में नगर के मुख्य चौराहों पर राजनेताओं के मूर्ति स्थापित करने विषयक श्री रामायण राव सभासद न0 पा0 देवरिया का पत्र दिनांक 19-3-90 शासन को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी हां ।

धनाभाव के कारण मूर्तियों की स्थापना हेतु अनुदान दिया जाना सम्भव नहीं हो सका । अतः प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया । सड़कों के नामकरण हेतु नगर-पालिका स्वयं सक्षम है जिन्हें अन्तिम निर्णय लेने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं ।

आई0 टी0आई0 गाजियाबाद के प्राचार्य के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत

163—श्री राम प्रसाद सिंह तथा श्री ऊदल—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आई0 टी0 आई0 गाजियाबाद के प्राचार्य के भ्रष्टाचार के बारे में जितेन्द्र शर्मा, मंत्री भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गाजियाबाद द्वारा मा0 मुख्य मंत्री, मा0 श्रम मंत्री, श्रम सचिव, एवं निदेशक श्रम विभाग को जनवरी 1990 में भेजे गये शिकायती पत्र प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जी हां ।

शिकायती पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर जांच करायी गयी । संबंधित प्राचार्य को गाजियाबाद से स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ के आजाद नगर क्षेत्र में जल आपूर्ति की व्यवस्था न होने की शिकायत

164—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

क्या नगर विकास मंत्री को यह जानकारी है कि आलमबाग, लखनऊ के आजाद नगर क्षेत्र में 5 नये नलकूप बनने के बाद भी सम्बद्ध मोहल्ले में पर्याप्त जलापूर्ति नहीं हो रही है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी सुचारु रूप से जल आपूर्ति हेतु टंकी का निर्माण कराते हुये कोई निश्चित व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी हां । नये बने 5 नलकूपों को पुरानी जल नलिका से जोड़ा गया है । उचित क्षमता की जल वितरण नलिका एवं अवर जलाशय के निर्माण न होने से इस क्षेत्र के ऐसे मोहल्ले जो ऊंचाई पर स्थित हैं, में पानी की आपूर्ति प्रातः व सायं एक-एक घन्टे हो पाती है ।

जलापूर्ति की समस्या के समाधान हेतु आलमबाग पेयजल पुनर्गठन पेयजल योजना उ0 प्र0 जल निगम ने वर्ष 1985 में रु0 286-69 लाख की बनाई थी । संसाधनों की कमी के कारण उक्त पर कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है ।

निजी संस्थाओं द्वारा संचालित मान्यताप्राप्त आई0 टी0 आई0 की संख्या

165—श्री प्रमोद कुमार—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने मान्यता प्राप्त आई0 टी0 आई0 निजी संस्थाओं द्वारा संचालित हैं ? क्या इनको शासन द्वारा कोई अनुदान दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

उत्तर प्रदेश में माह दिसम्बर, 1989 तक मान्यता प्राप्त निजी क्षेत्र के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या—87 थी ।

फिलहाल निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को शासन द्वारा अनुदान दिए जाने की कोई योजना नहीं है ।

नगरपालिका हरदोई में कतिपय अनियमितताओं की शिकायत एवं जांच की मांग

166—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगरपालिका हरदोई में गत वर्षों में आई0 डी0 एस0 एम0 टी0 स्कीम लागू की गई थी ? क्या यह सत्य है कि उस स्कीम के लिए जो किश्त दी गई थी उसे नगर पालिका, हरदोई ने अन्य कार्य में खर्च कर लिया, जिसके कारण शासन नगर पालिका को आगे की किश्त नहीं दे रही है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? शासन अगली किश्त कब तक देने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

वित्तीय वर्ष 1980-81 से हरदोई नगर में प्रश्नगत योजना चालू है ।

नगर पालिका द्वारा उक्त मद में प्राप्त धन का व्यय अन्य कार्यों पर नहीं किया गया है ।

उपरोक्त के आधार पर कोई दोषी नहीं है ।

वित्तीय वर्ष 1987-88 व 1989-90 में नगर पालिका, हरदोई को केन्द्रांश के रूप में क्रमशः रुपये 5.00 लाख तथा रुपये 2.50 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है । नगर पालिका से उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं प्राप्त हुआ है । नियमानुसार अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उत्तर प्रदेश के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही किसी नगर को योजना में अगली किश्त अवमुक्त करने के संबंध में अग्रेतर कार्यवाही की जाती है ।

167—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर पालिका हरदोई ने वर्ष 1988-89 में लाखों रुपये का बिजली का सामान (सोडियम बल्ब) व पाईप बगैर टेण्डर लिए उच्च दामों पर खरीदा है तथा क्या उक्त खरीद में लाखों रुपये की हेरा फेरी की गई है ? यदि हां, तो उपरोक्त खरीद किस नियम के अन्तर्गत की गयी तथा इसके लिए दोषी कौन-कौन लोग हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

वर्ष 1988-89 में केवल 15,000 रुपये शासकीय अनुदान तथा 35,092 रुपये का पालिका कोष से बिजली का सामान टेण्डर लेकर न्यूनतम दर से क्रय किया गया है । जनहित में सार्वजनिक स्थान पर लगाने हेतु केवल एक सोडियम बल्ब हेतु मूल्य 960 रुपये को बाजार से क्रय किया गया है ।

जी नहीं ।

केवल एक सोडियम बल्ब बिना टेण्डर आमंत्रित किये क्रय किया गया, जिसके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्राप्त करके दोषी व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

नगरपालिका हरदोई में सफाई कर्मचारियों के पद सृजन हेतु शासन को प्रेषित प्रस्ताव

168—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि हरदोई नगर में गन्दगी को देखते हुए नगरपालिका हरदोई ने 4 माह पूर्व 50 सफाई कर्मचारियों के पदों के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी हां ।

अध्यक्ष, नगरपालिका, हरदोई का प्रस्ताव दिनांक 14-3-1990 प्राप्त हुआ है । जिलाधिकारी, हरदोई तथा निदेशक, स्थानीय निकाय से पदों के औचित्य एवं संस्तुति प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

पालिका केन्द्रीयित सेवा के अन्तर्गत अधिशासी अधिकारियों की स्थानान्तरण नीति

169—श्री सुरेन्द्र प्रताप नारायण पाण्डेय—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पालिका केन्द्रीयित सेवा के

अन्तर्गत अधिशासी अधिकारियों का स्थानान्तरण उनके गृह जनपद या गृह नगर में किया जा सकता है ? यदि नहीं, तो श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव को सहायक नगर अधिकारी के पद पर उनके गृह नगर, लखनऊ में (नगर महापालिका, लखनऊ) में क्यों स्थानान्तरित किया गया ? क्या मंत्री जी इस नीति को समाप्त कर सभी अधिशासी अधिकारियों को उनके गृह जनपद या गृह नगर में स्थानान्तरण करने की छूट देंगे ? यदि नहीं, तो क्या श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव को उनके गृह नगर से अविलम्ब स्थानान्तरित करेंगे ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी नहीं । परन्तु विशेष परिस्थितियों में पालिका (केन्द्रीयित) सेवा के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात करने के बारे में गुण अवगुण के आधार पर निर्णय लिया जाता है ।

श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव का नगरमहापालिका, लखनऊ में विशेष परिस्थितियों में स्थानान्तरण किया गया था ।

जी नहीं ।

जी हां । श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव को नगरमहापालिका, लखनऊ से वार्षिक स्थानान्तरण में अन्यत्र कर दिया गया है ।

[समय 12 बजकर 20 मिनट]

सदन में पत्रकार दीर्घा खाली होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है और वह व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आप कृपा करके उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किए गये प्रक्रिया संबंधी निदेश (अष्टम संस्करण) को देखने का कष्ट करें, इसमें आपको अधिकार दिया गया है, आपसे मेरा तात्पर्य पीठ से है । इस पुस्तक के पृष्ठ 45 में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है उत्तर प्रदेश विधान सभा की विभिन्न दीर्घाओं के बारे में कि आपकी अनुमति से दीर्घाओं में दर्शक आयेंगे । इसी तरह से समाचार-पत्र की दीर्घा में समाचार-पत्र के प्रतिनिधि आयेंगे मान्यवर, आपको यह अधिकार दिया गया है । आप द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश के अध्याय 10 के उप नियम 23, 24, 25 और 26 देखने की कृपा करें, जिसमें यह स्पष्ट व्यवस्था की गयी है कि आप चाहें तो दर्शक दीर्घा को खाली करा सकते हैं, आप चाहें तो एक्सप्लेनेशन काल कर सकते

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है और अगर कोई 7 दिन तक न आये तो आप उसके प्रवेश के अधिकार को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन मेरी जानकारी भिन्न है । क्या आपने पत्र प्रतिनिधियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की है जिसके कारण पत्रकार दीर्घा खाली पड़ी है । आज यहां पर जो प्रश्न आये वह बहुत ही महत्वपूर्ण थे, उनकी जानकारी हमारी जनता को न हो पावेगी । हमारी जनता आज की कार्यवाही से वंचित रह गयी है । पत्रकारों ने विधान सभा के प्रश्न काल का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है । आज विधान सभा का बहुत ही मूल्यवान समय गया है । जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, वे प्रश्न काल की कार्यवाही का बहिष्कार करते रहेंगे, तो मैं जानना चाहता हूं कि किन कारणों से पत्रकार अपनी दीर्घा में नहीं आये हैं ? हमारे प्रश्न और शासन के उत्तर जो समाचार पत्रों में आते हैं, वह जनता तक नहीं पहुंच पायेंगे । विधान सभा में जो मूल्यवान कार्य हुए हैं, उनकी जानकारी से उत्तर प्रदेश की जनता वंचित रह गयी है । इसका कारण क्या है कि पत्रकारों ने विधान सभा की कार्यवाही को प्रकाशित न करने का महत्वपूर्ण फैसला किया है ।

*श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, संसदीय इतिहास का पहला दिन है कि किसी न किसी के आचरण के कारण से किसी न किसी के व्यवहार से और मैं तो दुर्व्यवहार ही कहूंगा, पत्रकार दीर्घा खाली पड़ी है । मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में शासन स्पष्ट रूप से बताये कि किन कारणों से ऐसा हुआ है और उन्होंने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया है। इसे तो दुर्भाग्य ही माना जायेगा । प्रदेश में यह दिन दुर्भाग्य का दिन है । आप पत्रकारों की जबान पर रोक लगाना चाहते हैं, उनकी लेखनी पर प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं, तो इससे निरंकुशता बढ़ी है और अन्याय बढ़ा है । मैं चाहूंगा कि सारी कार्यवाही को रोक कर उन कारणों का पता लगायें जिन के कारण पत्रकारों ने सदन की कार्यवाही से बहिष्कार किया है ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, वैसे तो हमको बोलने की आवश्यकता नहीं थी । माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो प्रश्न किया है, वह आपसे किया है । लेकिन तिवारी जी ने शासन का नाम ले लिया । शासन की इस सम्बन्ध में नीति और विचार स्पष्ट है कि पत्रकारों का समादर किया जाये । हम आपसे ज्यादा उनका आदर करते हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जायेगा और लोक तंत्र में हर एक को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है । उन्होंने किन कारणों से ऐसा किया है, यह आपके क्षेत्र में आता है । शासन स्तर पर पत्रकारों को पूरी सुरक्षा दी जायेगी और आपके शासन से ज्यादा दी जायेगी ।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

श्री प्रमोद कुमार--

जिन कारणों से बहिष्कार किया है, उसमें संसदीय कार्य मंत्री का भी हाथ है।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार--

संसदीय कार्य मंत्री से माननीय अध्यक्ष के कमरे में कुछ हाथ पैर चले थे ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

कोई नोटिस या सूचना हमारे संज्ञान में नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, मेरी एक बात सुन लें । आपने दोनों पत्रों की बात सुन ली ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्नों का समय समाप्त हो गया, आगे कार्यवाही चलने दें ।

श्री प्रमोद कुमार--

प्रश्नकाल में वहां पर कोई नहीं आया था ।

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि प्रश्नोत्तर काल में माननीय पत्रकार लोग दीर्घा में नहीं थे । इस वक्त जब यह मामला यहां पर उठाया गया प्रमोद तिवारी और राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने उनके बारे में जो बात कही, आपके संज्ञान में इसे लाये । तो मान्यवर, आप उन कारणों का पता लगवायें कि प्रश्नोत्तर काल में वे यहां पर क्यों अनुपस्थित रहे ? इससे हम अपनी बातों को प्रदेश के विभिन्न अंचलों तक नहीं पहुंचा सके । मान्यवर, आप उन कारणों का पता लगाकर इस सदन को भी अवगत कराने का कष्ट करें ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

मान्यवर, इस बात को माननीय उप नेता विरोधी दल आपके संज्ञान में लाये थे और सदन के प्रारम्भ होने के बाद उन्होंने इस ओर आपका ध्यान आकर्षित किया था ।

श्री अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, मैं आपसे इस बात के लिए व्यवस्था चाहता हूं कि यह किस नियम के अन्तर्गत चर्चा हो रही है ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने तथा माननीय प्रमोद कुमार जी ने यह प्रश्न उठाया था. . .

(व्यवधान)

एक सदस्य–

उन्होंने बहिष्कार किया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

बहिष्कार की कोई नोटिस सम्मानित पत्रकारों की तरफ से नहीं मिली है ।

श्री प्रमोद कुमार–

लिखित सूचना है ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय गुप्त जी ने और प्रमोद कुमार जी ने उठाया था । अब यह मामला खतम हो गया है। सम्मानित पत्रकार लोग आ गये हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, हमने आपकी बात का विश्वास किया है । लेकिन यह बात सही है कि 12.20 बजे तक पत्रकारों ने बहिष्कार किया है । मैं आपके संज्ञान में यह बात लाया हूं। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि सम्मानित सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस सदन का जो मूल्यवान समय नष्ट हुआ है, प्रदेश की जनता प्रश्नोत्तर काल की कार्यवाही से वंचित रही है, आप इस बात की जानकारी करा लें कि वे कौन से कारण थे जिनकी वजह से पत्रकार लोगों ने बहिष्कार किया। आज सायं 4 बजे तक उन कारणों का आप पता लगा लें और इस सदन को भी अवगत करा दें । ऐसा नहीं है कि शासन को इसकी जानकारी नहीं है । प्रतिपक्ष को जानकारी है हमें जानकारी है, आपके संज्ञान में यह बात लाई गई है। इसलिए मान्यवर, सायंकाल 4 बजे तक सदन उठने के पहले पूरी जानकारी प्राप्त करके इस आदरणीय सदन को भी विश्वास में लेने की कृपा करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, पहले लिखित सूचना भी दी गई है । जो व्यक्ति भी इसके लिए दोषी हो, जिस पद पर भी हो, उसे दण्डित किया जाना चाहिए । प्रश्नोत्तर काल में पत्रकारों की अनुपस्थिति के लिए उस व्यक्ति को दण्डित किया जाना चाहिए । पत्रकारों का अपमान करना लोकतंत्र का अपमान करना है ।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना–

मान्यवर आपने कहा कि कोई लिखित सूचना नहीं दी है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मेरा निवेदन सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आपकी व्यवस्था का मैंने उत्तर दे दिया आप पृष्ठ स0 45 पढ़ लीजिये । अब मैं नियम 301 की सूचना ले रहा हूं ।

*श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, सदन का एक-एक क्षण कीमती होता है और इसकी कार्यवाही नियमों से बंधी हुई है नियम के विरुद्ध किसी को जाने का अधिकार नहीं है। जो सूचना आपके संज्ञान में नहीं आयी है तो उस पर क्यों चर्चा हो रही है ? किस नियम के अन्तर्गत इस पर खुली चर्चा हो रही है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

इस पर अब कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना–

यह बात आपकी जानकारी में थी सदन चलने से पहले पत्रकार दीर्घा खाली थी जब यह हमारी जानकारी में आया तो मैंने प्रश्न काल में इस बात को आपके संज्ञान में लाने के लिए ध्यान आकर्षित किया कि क्या कारण है कि पत्रकार दीर्घा खाली है तो आपने कहा कि प्रश्नकाल के बाद ले लेंगे । उसके बाद माननीय सदस्य प्रतापगढ़ तिवारी जी ने लिखित सूचना दी उसके बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने भी आपके सामने रखी । हमारे माननीय सदस्य हरदोई बाजपेयी जी को ज्ञात होगा जब कोई बात संज्ञान में आती है तभी आपको दी जाती है । यह अहम विषय है इस पर पर्दा डालने की जरूरत नहीं है । पत्रकार जनतंत्र और जम्हूरियत में अहम् भूमिका निभाते हैं । आप भी मीडिया की बात करते हैं तो फिर क्यों परेशान हो रहे हैं । हम सभी लोग पत्रकारों का आदर करते हैं जनभाव-के प्रतीक होते हैं । जैसा गुप्त जी ने कहा यह जानने की बात है, वर्मा जी ने कहा यह जानने की बात है कि हमारे पत्रकार किस बात से क्षुब्ध हैं उसका पता लगाना चाहिए ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है नियम 301 में पुकारा है । नियम 301 में आज 18 सूचनाएं प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्न-लिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गयीं जो इस प्रकार हैं पहली श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की जनपद सीतापुर स्थित बालाजी वैजिटेशन प्रोडक्ट्स में कथित रूप से किये जा रहे मजदूरों के शोषण के संबंध में इसी प्रकार से श्री पंचानन राय, श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी), श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी, श्री पूर्णवासी, डा0 दिनेश जौहरी और श्री सुवास की सूचनायें हैं।

अगर माननीय सदस्यों की राय हो तो यह पढ़ी हुई मानी जायं ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

ठीक है ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह सात सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं ।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद सीतापुर स्थित बाला जी वेजिटेबुल प्रोडक्ट्स के मजदूरों के शोषण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[मान्यवर, सीतापुर स्थित बालाजी वेजिटेबुल प्रोडक्ट्स में मजदूरों के बड़े पैमाने पर हो रहे शोषण के संबंध में सदन तथा शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कारखाने में श्रमिक कानून सही तरीके से लागू नहीं हो रहे हैं । सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी वर्गीकरण के हिसाब से नहीं मिलती। दैनिक मजदूरों को न पूरा वेतन मिलता है, न उन पर सेवा की शर्तें लागू होती हैं । अब तक मजदूरों के संबंध में न्यायालयों द्वारा निर्णय अनुपालन नहीं किया गया । फलत: मजदूरों में भीषण असंतोष एवंउत्तेजना है । अभी हाल में मजदूरों ने हड़ताल भी की थी । मालिकान आये दिन बैठकी कर देते हैं ।

श्रम विभाग का ध्यान श्रमिकों की समस्याओं की तरफ अनेक बार आकृष्ट किया गया । परन्तु कोई समाधान नहीं निकला ।

अत: लोक महत्व के इस अविलम्बनीय समस्या की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कर आशावान हूं कि मामले में हस्तक्षेप कर मजदूरों की न्यायोचित मांगों को शीघ्र पूरा कराने का प्रयास किया जायेगा ।]

जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी में विद्युत आपूर्ति में गड़बड़ी होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंचानन राय–

[मान्यवर, इस सूचना के माध्यम से मैं माननीय सदन तथा सरकार का ध्यान आजमगढ़ जनपद के संगड़ी तहसील में विद्युत आपूर्ति के अस्त व्यस्त होने की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं ।

अमुवारी-नरायनपुर का नव निर्मित विद्युत उपकेन्द्र कर्मचारियों की लापरवाही के कारण खराब हो गया है और उससे विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है । जीयनपुर का विद्युत उपकेन्द्र प्राय: खराब रहता है । लाटघाट विद्युत उपकेन्द्र का एक फीडर कार्य नहीं कर रहा है । सबसे गम्भीर बात यह है कि भीषण आंधी और तूफान के कारण अधिकांश विद्युत लाइने अस्त व्यस्त हो गयी हैं । आजमगढ़ में खम्भों और तार का अभाव होने के कारण इनकी मरम्मत नहीं हो पा रही है । खम्भा जो आजमगढ़ में थे वह देवरिया भेज दिये गये।

विद्युत आपूर्ति ठप्प होने से जनता में हाहाकार मचा है तथा जनजीवन संकट में है।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

टिप्पणी–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद बाराबंकी की हैदरगढ़ तहसील के कतिपय गांवों में हुए भीषण अग्निकाण्ड से भुखमरी उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)–

[मान्यवर, जनपद बाराबंकी के तहसील हैदरगढ़ के अन्तर्गत रकसहा, हुसेनाबाद खरसतिया, चौकी मजरे इस्लामपुर, विद्दीकपुरवा मजरे शरीफाबाद, शहापुर आदि ग्रामों में अप्रैल माह में भीषण अग्नि काण्ड के कारण लगभग 1000 मकान की सारी चल और अचल सम्पत्ति करोड़ों रुपये जलकर नष्ट हो गयी है। शासन द्वारा जो राहत दी गयी वह पर्याप्त नहीं है। इस क्षेत्र के विभिन्न ग्रामीण अंचलों में हजारों अग्नि काण्ड के कारण पीड़ित परिवार के लोगों के सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो गयी। इन पीड़ित परिवार के लोगों को समय रहते हुए अग्नि काण्ड की क्षति की जांच करवा कर निम्न राहत कार्य किये। मैं प्रदेश के मुख्य मंत्री से मांग करता हूं।

(1) अग्नि काण्ड से पीड़ित प्रत्येक परिवार को आवास निर्माण हेतु 10,000 रुपये तथा अर्हतुक सहायता 5,000 दी जाय।

(2) तहसील मुख्यालय हैदरगढ़ फायर ब्रीगेड सेन्टर की स्थापना की जाय।

(3) पशुओं के चारे की व्यवस्था की जाय।

मुझे विश्वास है कि शासन एवं प्रशासन राहत कार्य करके सरकार अपनी जनप्रियता का परिचय देगी।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रकरण पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग।]

जनपद अलीगढ़ के सिकन्दराराऊ नगर में राजकीय डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी–

[मान्यवर, अलीगढ़ जनपद में सिकन्दराराऊ एक महत्वपूर्ण नगर व तहसील मुख्यालय है। सिकन्दराराऊ तहसील में बालक बालिकाओं के लगभग 12 इण्टर कालेज हैं परन्तु यहां पर कोई डिग्री कालेज न होने के कारण छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने में विशेष कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कोई भी डिग्री कालेज सिकन्दराराऊ के 40 किलोमीटर से कम दूरी पर स्थित नहीं है।

उक्त कारणों से सिकन्दराराऊ में डिग्री कालेज खुलने का प्रस्ताव शिक्षा विभाग की पहल पर सोशल सर्विसेज एण्ड इन्वेस्टमेंट बोर्ड की बैठक में पारित किया गया तथा यह निर्णय लिया गया निदेशक उच्च शिक्षा भूमि व भवन की व्यवस्था कर राजकीय डिग्री कालेज खोलने की क्लियरेंस शासन से प्राप्त कर लें। उल्लेखनीय है कि निदेशक उच्च शिक्षा सिकन्दराराऊ जाकर निरीक्षण कर आये हैं। गौरी शंकर इण्टर कालेज सिकन्दराराऊ की प्रबन्ध समिति ने तत्काल कक्षायें खोलने हेतु नौ कमरे तथा राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना हेतु नगर के मध्य स्थित 16 एकड़ कीमती भूमि निःशुल्क प्रदान करने

टिप्पणी–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया

का प्रस्ताव पारित कर निदेशक, उच्च शिक्षा के माध्यम से शासन को भिजवाया है। इस प्रस्ताव को स्वीकार कर डिग्री कालेज खोलने की व्यवस्था शासन स्तर पर शीघ्र न हो जाने से क्षेत्रीय जनता में निराशा व क्षोभ व्याप्त है, जनाकांक्षाओं के अनुरूप जुलाई से सिकन्दराराऊ में डिग्री कक्षायें प्रारम्भ किये जाने की विशेष आवश्यकता है !

अतः उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से प्रभावी कार्यवाही किये जाने की शीघ्र मांग करता हूं ।]

जनपद देवरिया में उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमि0 की लक्ष्मी गंज इकाई के बन्द होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पूर्णवासी–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से आदरणीय सदन के संज्ञान में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय को लाना चाहूंगा । देवरिया जनपद के उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0 इकाई लक्ष्मीगंज के अचानक बन्द हो जाने से गन्ना किसानों के सामने संकट उत्पन्न हो गया है, जिससे किसानों में घोर असंतोष व्याप्त है ।

उक्त चीनी मिल के क्षेत्र में लगभग 75 हजार क्विंटल गन्ना अब भी खेतों में पड़ा है । दूसरी तरफ अधिकारियों की साजिश से चीनी मिल सेवरही तथा पडरौना को बन्द कराके लाखों क्विन्टल गन्ना चीनी मिल लक्ष्मीगंज को अभियर्तित कर दिया गया है । जिससे लक्ष्मीगंज मिल क्षेत्र के कृषकों के समक्ष और भी संकट उत्पन्न हो गया है ।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर माननीय सदन और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते गन्ने के पेराई की वैकल्पिक व्यवस्था करने तथा दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

नेकपुर चीनी मिल बरेली से हो रहे प्रदूषण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्वत सूचना

*डा0 दिनेश जौहरी–

[मान्यवर, नेकपुर चीनी मिल बरेली की चिमनी से निकलने वाले धुएं के साथ बहुत कालिख निकलती है और निकट के सुभाषनगर सिविल लाइन्स, मढ़ीनाथ क्षेत्र में गिरती है । हवा में मिली हुई कालिख स्वास्थ्य के साथ फेफड़ों में पहुंचती है और जनमानस स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध होती है । इसी कालिख के घरों में गिरने से कपड़े गन्दे हो जाते हैं ।

चीनी मिल से मिश्रित शीरा व रसायन युक्त पानी नाले के माध्यम से निकलता था किन्तु अतिक्रमणकारियों द्वारा उक्त नाला पाट दिये जाने के बाद यह प्रदूषित जल खेतों में बह रहा है जिससे ग्राम करेली करगैना तथा नेकपुर के खेतों में भर रहा है और फसलों को चौपट कर रहा है ।

टिप्पणी–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

अतः स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए चौपट हो रही फसलों को बचाने के लिए आबादी के बीच में स्थित इस चीनी मिल को यथा शीघ्र इस क्षेत्र से हटाने एवं उक्त प्रदूषण समाप्त करने की मांग करता हूं]

जनपद मऊ में निर्माणाधीन शारदा सहायक नहर के शीघ्र निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष–

[मान्यवर, आपके माध्यम से अपने जनपद मऊ के किसानों के हित में विगत 10 वर्षों से निर्माणाधीन शारदा सहायक नहर की ओर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस नहर में निर्माण कार्य पूर्ण न होने के कारण पानी न देने के कारण किसानों की लाखों की क्षति हो रही है । राष्ट्रीय उत्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है । निर्माण कार्य में शिथिलता बर्तने वाले अधिकारी अभियन्ता, किसानों की गम्भीर समस्याओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं । यदि नहर अब तक पूर्ण हो गई होती और किसानों की भरपूर पानी की व्यवस्था हो जाती है तो इस पिछड़े क्षेत्र के जनपद मऊ बलिया के किसानों के पिछड़ापन पर काबू पाया जा सकता है ।

अतः इस लोक महत्व के मामले को माननीय सदन एक सरकार के संज्ञान में लाकर समाधान की मांग करता हूं ताकि नहर निर्याण का कार्य अविलम्ब पर्ण करा-कर किसानों की समुचित पानी की व्यवस्था की जा सके ।]

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 300 के अंतर्गत श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी) ,श्री मयंकर सिंह उसके बाद श्री पंचानन राय, फिर डा0 दिनेश जौहरी, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री कुंवर सिंह नेगी जी की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं (व्यवधान)

*श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

मान्यवर, मैंने भी एक सूचना दी थी हमारे यहां इलाहाबाद में कालरा से 100 लोगों की मौत हो गयी है ।

नियम 311 में प्राप्त सूचना के सूचनादाता सदस्यों को कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचना के साथ सुने जाने का निर्देश

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें । मैं अस्वीकार करता हूं । नियम 311 में श्री शिव करण सिंह, श्री अरुण कुमार सिंह मन्ना, श्री सुरेन्द्र कुमार उर्फ मुन्नी, श्री मुईद अहमद, श्री राजीव कुमार सिंह, श्री इन्द्रेश विक्रम, और श्री गजराज सिंह जी की सूचना प्राप्त

टिप्पणी–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

हुई है । नियम 311 की सूचनाएं कुछ ऐसी हैं जो नियम 56 में भी प्राप्त हुई हैं तो उन्हें नियम 56 को लेते समय सुन लिया जायेगा । नियम 311 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाओं को स्वीकार नहीं किया है । नियम 56 में विचार आपके सुन लेंगे ।

बाराबंकी जिले में मंत्री द्वारा तस्करों को संरक्षण दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष–

श्री सुन्दर लाल दीक्षित । आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)–

मान्यवर, आज मैं आपके माध्यम से प्रदेश के अन्दर, प्रदेश सरकार के अन्दर, एक राजनीतिक नेता जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके ऊपर बाराबंकी जिले में तस्करों को संरक्षण देने तथा उनसे हिस्सा लेने का आरोप है । (व्यवधान) वह तस्करों को संरक्षण दे रहे हैं जिसके बारे में नवभारत टाइम्स में छपा है (व्यवधान) कैबिनेट मंत्री पर यह गम्भीर आरोप है ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जायं। शांत रहें। दीक्षित जी आपका समय समाप्त हो गया, आपने बहुत समय ले लिया है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश के जनमानस में एक जनाआक्रोश व्याप्त है ।

(शोर)

श्री शारदानंद अंचल–

व्यवस्था का प्रश्न है । इस प्रकार का आरोप लगाना ठीक नहीं है ।

(एक साथ कई सदस्य बोलने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य शांत रहें और अपना-अपना स्थान ग्रहण करें । संसदीय कार्य मंत्री ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, यह प्रश्न सुबह हमको प्राप्त हुआ, तो मैं आपसे अनुरोध करने गया कि यद्यपि यह औचित्य की परिधि में नहीं आता है लेकिन आप सुन लें, चूंकि इस औचित्य के प्रश्न की नोटिस पर संकेत हमारे ऊपर है और मैं आज का नहीं सन् 1974 से . . . (व्यवधान)

इस माननीय सदन का सदस्य हूं और दुबारा कैबिनेट मंत्री हुआ हूं । मैंने राजनीति और राजनैतिक आदर्श सीखा । चौधरी चरण सिंह जी से । मैं समझता हूं कि अगर किसी के पास ईमानदारी और त्याग सार्वजनिक जीवन में नहीं है,

तो उसका सार्वजनिक जीवन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, आप जानते हैं कि मैंने आपसे... (व्यवधान) गृह मंत्रालय से भी मैंने यह जानकारी चाही थी, किन्तु मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। मान्यवर, मैं आपसे और माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि मुझसे इस्तीफा ले लिया जाए और इन आरोपों की जांच कराई जाए और जो लोग अनर्गल आरोप इस तरह के लगा रहे हैं, उनके बारे में मुझे जानकारी है कि इंजीनियरों से पैसा लेना, उनके ट्रांसफर के लिए हम पर दबाव डालना उनका हमेशा का काम है। मैं ऐसा गलत काम नहीं कर सकता हूं। रिश्वतखोरी और दलालों को प्रोत्साहन हम अपने विभाग में नहीं दे सकते हैं, चाहे कुछ भी हो। मैंने शासन-प्रशासन को स्वच्छ बनाने के लिए चौधरी चरण सिंह जी से जो सीखा है, उस कार्य को पूरा करूंगा और दलालों के दबाव में आकर मैं कोई काम करने वाला नहीं हूं।

*श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, मामला वास्तव में बड़ा गम्भीर है। माननीय सदस्य श्री सुन्दर लाल दीक्षित जी ने जो कुछ कहा, उसमें से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपने ऊपर उसका आक्षेप माना है और उन्होंने यह कहा है कि हमारे ऊपर यह आरोप है। इसी प्रकार से संसदीय कार्य मंत्री जी ने सुन्दर लाल दीक्षित के ऊपर स्पष्ट शब्दों में आरोप लगाए हैं कि वह इन्जीनियर्स से पैसा लेकर उनके ट्रांसफर के लिए दबाव डालते हैं (व्यवधान)

एक विधायक–

इन्जीनियरों से ही नहीं तस्करों से भी वह पैसा लेते हैं।

(घोर व्यवधान)

*श्री गोपीनाथ वर्मा–

मैं एक व्यवस्था के प्रश्न पर बोलना चाहता हूं मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या इस सदन में समाचार पत्रों का उल्लेख करके मामला उठाने की आपने इजाजत दी?

(व्यवधान)

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था (व्यवधान) यह तो आप सभी जानते हैं कि इस तरह के वातावरण में मैं नहीं बोलता हूं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

श्री गोपीनाथ जी आप बैठ जाइये, आपका व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता है।

श्री कल्यान सिंह–

मैं यह कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक जीवन में शुचिता और पवित्रता का होना अत्यन्त आवश्यक है। अभी चर्चा में इस प्रकार की भी बात बताई अभी तक एक विधायक की बात थी कि ट्रांसफर और पोस्टिंग में पैसा लेते हैं किन्तु आप अनेक विधायकों के नाम जो ले रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से इस बात का अनुरोध करना चाहता हूं कि जहां एक ओर माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि उनके ऊपर लगाए हुए आरोपों की जांच होनी चाहिए, तो मैं कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी दोनों के ऊपर लगाए गये आरोपों पर, दोनों पर क्या आरोप लगाए गये हैं, इसकी उच्च स्तरीय जांच करा लें।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, विधान सभा के गत सत्र में 7 मार्च को जो बैठक हुई थी ।

(व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय कल्याण सिंह जी ने बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु के बारे में कहा, माननीय पंचानन राय जी प्रश्न करें इससे पहले मैं व्यवस्था के प्रश्न के बारे में कहना चाहता हूं । हम लोग यहां काम करने आते हैं तो उनके आचरण और शुचिता के बारे में संदेह नहीं होना चाहिए । कल्यान सिंह जी ने चुनौती भरा प्रश्न उपस्थित किया है । मुख्य मंत्री जी बैठे हैं उनको हम जानते हैं । राजनैतिक और सामाजिक जीवन में पवित्रता कायम रहनी चाहिए । यह नहीं कि हम कहें कि हम ईमानदार हैं, ईमानदारी प्रतीत भी होनी चाहिए । माननीय मुख्य मंत्री जी को इस पर जांच करानी चाहिए । इस बात पर मैं पुनः ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूं ।

*मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी श्री कल्यान सिंह जी से पहले मुझे यह आशा थी कि यह कुछ सुझाव देंगे। हमेशा उनकी बातों, उनके सुझावों को इस सदन में गम्भीरता से लिया जाता है और मैं यह समझता था कि दोनों पक्ष के विधायकों की उत्तेजना को ठीक करने के लिए, या शान्त करने के लिए कोई ऐसी बात कहेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि दोनों पार्टी के लोगों की जांच हो जाए । मेरी शुरू से यह राय है कि हम सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोग हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बात लाते हैं और विपक्ष में रहकर भी मैंने कहा कि हम लोग एक दूसरे पर लांछन लगाकर असली भ्रष्टाचार की बात को दबा देते हैं। आज भी मेरी राय है, सुझाव है कि माननीय भारतीय जनता पार्टी नेता इस प्रश्न को शान्त करने के बजाय बढ़ाने की कोशिश न करें । यह हमारी प्रार्थना है अगर यह सिलसिला चलेगा, तो भ्रष्टाचार करने वाले बचेंगे और हम और आप में कोई नहीं बचेगा । जिसकी जांच होगी । माननीय सदस्य को बोलने का पूरा अधिकार है, लेकिन बिना प्रमाण के इतना गम्भीर आरोप एक मंत्री पर लगा देना उचित नहीं है अगर इसका प्रमाण है तो वह आप मुझे प्रमाण दें, जहां तक ट्रांसफर का सवाल है उसको न पूछिए, अगर पूछेंगे तो एक-एक सूची पढ़कर सुना दूंगा ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया बैठ जाएं । सब इकट्ठे बोल रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है।

(घोर व्यवधान)

श्री मयंकर सिंह–

मान्यवर, पूरे सदन का अपमान किया गया है और सारे सदस्यों को आरोपित किया गया है ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य बैठ जायं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों को बुरा लग रहा है, जब मैंने सूची की बात कही है तो उनको चिन्ता होनी चाहिए जिनके नाम सूची में हैं। उनको चिन्ता नहीं होनी चाहिए जिनके नाम सूची में नहीं हैं। हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने जहां तक स्थानान्तरण की बात कही तो मैंने बुरा नहीं माना। हमने यह कहा है कि कोई स्थानान्तरण अगर हुआ है, आपका रिश्तेदार है, भाई है उसको हम सुन लेंगे और सुन रहे हैं। लेकिन कहीं कोई ऐसे नाराज होकर एक मंत्री पर इतने गम्भीर आरोप बिना प्रमाण लगा दे तो यह मैं उचित नहीं समझता। अगर माननीय कल्याण सिंह, नेता भारतीय जनता पार्टी, संसदीय कार्य मंत्री के बारे में समझते हैं तो वह बाकायदा लिखकर प्रमाण लायें मैं जांच कराने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरी आपसे उम्मीद है कि आपकी जो गरिमा है इस सदन के अन्दर उसी तरह की बनाये रखेंगे, यह मैं आपसे उम्मीद करता हूं।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने बड़ी सफाई के साथ हमारे सामने यह प्रश्न प्रस्तुत किया कि ट्रांसफर्स के बारे में बड़ी लम्बी सूची उनके पास है। इसमें कौन नयी बात है? ट्रांसफर के लिए लोग आयेंगे और विधायक लिखते हैं। कोई दल ऐसा नहीं होगा जिसके विधायकों ने सिफारिश नहीं की होगी। मैं तो एक सुझाव दूंगा, अगर यह शासन कर सके। जानता हूं कि नहीं कर पायेगा। कोई निश्चित नीति, कोई निश्चित नार्म्स बना दें। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपके पास कोई ट्रांसफर के लिए नहीं आयेगा। जब आपकी ट्रांसफर के बारे में दोहरी, तिहरी, चौहरी और पांचवीं नीति होगी, कोई मापदंड नहीं रहेगा और लोग पीड़ित होंगे तो जिससे जिसका संबंध है, जिस जिले के रहने वाले हैं उस विधायक के पास जायेंगे और कहेंगे। अगर एक नीति बन जाय, नार्म्स हों कि इस नीति में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो कोई नहीं जायगा। कोई नियम नहीं है इस मौजूदा सरकार का ट्रांसफर और पोस्टिंग के बारे में। आप आज घोषणा कर दीजिये, मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि भा0ज0पा0 का कोई विधायक आपके पास ट्रांसफर के लिये नहीं जायगा। लेकिन जब दोहरे, तिहरे, चौहरे मापदंड अपनाये जायेंगे तो आपके पास पहुंचेंगे।

श्री उपाध्यक्ष–

आपने अपनी बात कह दी, आप बैठ जायें।

श्री कल्याण सिंह–

माननीय मुख्य मंत्री ने कहा, ट्रांसफर के लिए अगर किसी ने रिकमेंडेशन कर दी तो उसकी सूची बना रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। मान्यवर, मैं हरगिज नहीं बोलता यदि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उसी स्तर पर आकर आरोप और प्रत्यारोप न लगाये होते। मैं सुन्दर लाल दीक्षित से कहता और डांटता कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए लेकिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उसी तरह आरोप लगाये। सरकार उनके पास है, एजेंसी उनके पास है, उनकी निश्चित जानकारी होगी। उन

जैसे जानकार व्यक्ति ने ऐसी बात कही है । मैं यकीन दिलाना चाहता हूं और अब भी मांग कर रहा हूं कि दोनों की जांच करा लें । अगर सुन्दर लाल दीक्षित पर आरोप सिद्ध होते हैं तो मैं उनको पार्टी से निष्कासित कर दूंगा, एक क्षण नहीं रहने दूंगा ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

उपाध्यक्ष महोदय, पता नहीं माननीय नेता भा0ज0पा0 को क्या हो गया है ? वह जानते हैं, इससे बड़ी नीति क्या हो सकती है ? उत्तर प्रदेश के अन्दर हमने डी0 एम0 और एस0 पी0 का आज तक जब से यह सरकार बनी है, एक भी ट्रांसफर निरस्त नहीं किया है और मैंने यह नीति बनायी है । आप हमारी नीति नहीं जानते हैं ।

(कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े हो गये जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया शांतिपूर्वक सुन लीजिए ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मैं यह नहीं चाहता हूं कि माननीय सदस्य किसी तरह से उत्तेजित हों । अभी बहुत दिन तक सदन चलेगा, एक ही दिन में उत्तेजना निकाल देंगे, तो आगे क्या होगा? हमने नीति के अन्तर्गत ही स्थानान्तरण किये हैं और यह भी नीति बहुत दिनों तक थी कि जुलाई, अगस्त, सितम्बर तक स्थानान्तरण होते थे । कुछ विभागों को अपरिहार्य कारणवश छोड़ दिया है, जैसे शिक्षा विभाग, सहकारिता विभाग । सहकारिता विभाग में 30 जून तक वसूली चलती है । इन दोनों विभागों को छोड़कर सभी विभागों में नीति के अन्तर्गत ही स्थानान्तरण किये गये हैं ।

(व्यवधान होने पर)

अब आपको यह नीति नहीं पसन्द आयेगी ।

(व्यवधान के मध्य श्री गौरी शंकर भइया के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय गौरी भइया, आप बैठ जाइये ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

हमने नीति के अन्तर्गत स्थानान्तरण किये हैं और अगर हमें इन नीतियों में और सुझाव मिलेंगे, तो जो भी नीति होगी, वह बुद्धि और विवेक से होगी । लेकिन स्थानान्तरण हमने नीति के अन्तर्गत किये हैं । अगर आपको कोई नीति दिखायी दे रही है, तो आप उसे हमें बता दें ।

दिनांक 7 मार्च, 1990 की प्रकाशित कार्यवाही सदन की कार्यवाही के अनुरूप न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

(श्री पंचानन राय के पुकारे जाने पर)

*श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण है। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा की है कि स्थानान्तरण नीति के आधार पर किये गये हैं। इसके संबंध में मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

इसमें एलाउ नहीं है। इसमें स्पष्टीकरण नहीं बनता।

*श्री पंचानन राय–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 303 में सचिव का उत्तरदायित्व दिया हुआ है कि सचिव, सभा के प्रत्येक उपवेशन की कार्यवाही का सम्पूर्ण और शुद्ध प्रतिवेदन भी तैयार करायेंगे तथा उनको ऐसे रूप में और ऐसे ढंग से जैसा कि अध्यक्ष समय-समय पर निर्देश दें, प्रकाशित करायेंगे। मान्यवर, आपको यह अधिकार है कि कार्यवाही से कोई अंश आप निकाल सकते हैं और उसके लिए भी 204 में प्राविधान है कि जो हिस्सा निकाला जायेगा वहां तारांकित कर दिया जायेगा और टिप्पणी प्रकाशित की जायेगी कि अध्यक्ष के आदेश से इतना हिस्सा निकाल दिया गया। मान्यवर, 7 मार्च को जो कार्यवाही सम्पादित हुई इस सदन में वह उस रूप में नहीं लिखी गयी जिस रूप में सदन में सम्पादित हुई। मान्यवर, अभी औचित्य के सवाल के रूप में गुप्ता जी ने उठाया कि पत्रकार दीर्घा प्रश्नकाल में खाली थी। पत्रकार दीर्घा सदन के परिसर के हिस्से में है और पत्रकारों ने सुन लिया और 8 मार्च समाचार पत्रों में कार्यवाही प्रकाशित की और जिस रूप में यह कार्यवाही छपी हुई है और मुद्रित कार्यवाही छपी हुई है दोनों में भारी अन्तर है। मैं औचित्य का सवाल उठाकर आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि कि जब नियमावली में प्राविधान है कि कार्यवाही जिस रूप में सम्पादित होगी उसी रूप में अंकित की जायेगी और उसी रूप में मुद्रित कार्यवाही सदस्यों को वितरित की जायेगी। मान्यवर, अगर कोई हिस्सा आपत्तिजनक है तो आपको अधिकार है कि आप आदेश दे सकते हैं और जितना हिस्सा निकाला जायेगा उसको तारांकित करके एक टिप्पणी कर दी जाती है कि अध्यक्ष की आज्ञा से इतना हिस्सा निकाल दिया गया। क्योंकि आपने आदेश दिये नहीं और कार्यवाही जिस रूप में सम्पादित हुई उस रूप में लिखी नहीं गयी तो यह गम्भीर सवाल है। मैं इस सवाल की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करके आपकी व्यवस्था चाहता हूं इस औचित्य के सवाल पर कि आखिरकार कौन से अज्ञात कारण थे जिस कारण कार्यवाही जिस रूप में सम्पादित हुई उस रूप में प्रकाशित नहीं हुई, उस रूप में मुद्रित नहीं हुई है, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, माननीय राय साहब ने 7 मार्च की कार्यवाही के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाया है। हम तो यह मानकर चल रहे हैं कि जो कार्यवाही लिखी जाती है वह

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बिल्कुल सही लिखी जाती है जैसा आपके सम्बन्ध में वैसा ही हमारे सम्बन्ध में । लेकिन यह मान लेना कि 7 मार्च की कार्यवाही ठीक से नहीं लिखी गयी थी तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है ? किसकी ओर से सदन में इतना हंगामा किया गया कि कार्यवाही लिखने वाले लोगों को ठीक से कहीं के शब्द सुनाई नही दिये । मैं समझता हूं कि इसके जिम्मेदार राय साहब के लोग ही थे, उन्होंने कार्यवाही को ठीक से नहीं लिखने दिया और न सुनने दिया । इसलिए इस पर औचित्य का प्रश्न नहीं है इसको आप खारिज कर दीजिए । इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि जो लोकतंत्र की मर्यादा है उसका परिपालन करते हुए सत्ता-पक्ष और विपक्ष दोनों ही लोग कार्यवाही को सुचारु रूप से चलने दें ताकि भविष्य में इस प्रकार का प्रश्न उठने का मौका न आवे ।

श्री पंचानन राय–

संसदीय कार्य मंत्री जी के बारे में सदन में प्रतिदिन शोर होता है आज ही ले लें । मान्यवर, दीर्घा में बैठे हुए पत्रकार यह सुन गये और समाचार पत्रों में हिस्सा प्रकाशित हो गया ।

(व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, नियम विरुद्ध कार्यवाही सदन में नहीं होनी चाहिए । आप नियमावली देख लें । हमारी नियमावली में व्यवस्था है, हाउस आफ कामन्स की परिपाटी है कि जो यहां का सचिव है वह कभी भी सदन में आलोचना का विषय नहीं बनाया जायेगा । मुझे आश्चर्य है कि आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री बोलने के लिए खड़े हो गये । इस पर आपको तत्काल व्यवस्था देनी चाहिए । मेरा निवेदन है कि सचिव की आलोचना का जो भी संदर्भ चर्चा में आया है इसको सदन की कार्यवाही से निकाल दें और अपने चैम्बर में माननीय सदस्य को, नेताओं को, सचिव को बुलाकर इसका निस्तारण करें । लेकिन इस प्रकार की कार्यवाही नियम के खिलाफ है ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, कार्यवाही क्यों नहीं लिखी गयी, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं, मेरा तो यह कहना है कि कार्यवाही कुछ नहीं लिखी है ।

पुराने विधायक निवास 3 में जलापूर्ति न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, वैसे तो पूरे प्रदेश में जल संकट है, लेकिन कल से पुराने विधायक निवास नम्बर 3 में पानी की इतनी कमी हो गयी है कि कल रात से एक बूंद पानी नहीं आया है । मा0 सदस्यगण को पीने के लिए और नहाने के लिए पानी नहीं मिला है । सब लोग बिना नहाए आए हैं । इससे हमारे विधायी कार्य में बड़ी अड़चन है । मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि आप हमें संरक्षण दें । दोनों पुराने विधायक निवासों में रात भर पानी और बिजली नहीं रही । इस बारे में आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, इस तरह की कोई कमी रह गयी है तो विशेष रूप से दिखवा लिया जायगा ।

अंश कालिक नलकूप चालकों के विनियमितीकरण विषयक सरकारी घोषणा का अनुपालन न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं एक बहुत ही गम्भीर समस्या औचित्य के प्रश्न के माध्यम से आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं । जो सदन का पिछला सत्र हुआ था, उसमें मा0 सिंचाई मंत्री जी ने सम्पूर्ण प्रदेश के बारे में एक घोषणा की थी कि मार्च की आखिरी तारीख तक निस्तारित कर दी जायगी । समस्या यह थी कि जैसा कि सबको जानकारी है अंश-कालिक नलकूप चालकों को 290 रुपया वेतन मिलता है, उनका वेतन बढ़ाया जाना था और उनकी सेवाओं का विनियमितीकरण किया जाना था । इस समस्या का निस्तारण 31 मार्च तक करने का वादा मा0 सिंचाई मंत्री ने सदन में किया था । आज 15 जून हो रहा है, लेकिन इतने दिनों के बावजूद आज तक मेरी जानकारी के अनुसार, औचित्य का प्रश्न लिखने के पूर्व मैंने सिंचाई सचिव के कार्यालय से पुष्टि कर ली थी, आज तक निर्णय नहीं हो सका है । सिंचाई मंत्री जी ने एक बार इस बारे में वार्ता की थी । शासन उनको पगार बढ़ाने का निर्णय कर रहा है । लेकिन उनका नियमितीकरण भी होना चाहिए, जिस पर आज तक कोई निर्णय नहीं हुआ है । इससे इस सदन की अप्रतिष्ठा हुई है, मंत्रिमण्डल की अप्रतिष्ठा हुई है और इस तरह की घोषणाओं का सम्मान घटा है । घोषणाओं और आश्वासनों में अन्तर होता है । आश्वासन आश्वासन समिति में जाते हैं, लेकिन घोषणाएं सदन की अवमानना का सवाल बन जाती हैं । इसलिए इस विषय को आपके संज्ञान में लाते हुए चाहता हूं कि सरकार इस मामले का तत्काल निस्तारण करे । यह सम्पूर्ण प्रदेश का मामला है । उनका विनियमितीकरण किया जाय । इस मामले को सदन के संज्ञान में लाकर औचित्य के प्रश्न के रूप में उठा रहा हूं ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, गुप्ता जी कभी हमारी तरफ रहते हैं तो कभी विपक्ष में हो जाते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

हम हमेशा निष्पक्ष रहते हैं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, हम मानते हैं कि गुप्त जी विद्वान हैं, तो विद्वानों से जो अपेक्षा की जाती है, वह भी हम उनसे करते हैं । लेकिन मा0 गुप्त जी ने जो यह औचित्य का प्रश्न उठाया है, सदन में घोषणा की गयी थी, वह आश्वासन बन जाती है, उसकी पूर्ति करना शासन का दायित्व है । पूर्ति होनी चाहिए, इसमें विलम्ब हुआ है तो

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

अलग से दिखवा लेंगे, लेकिन यह औचित्य के प्रश्न के रूप में आता नहीं है। गुप्त जी जैसे सदस्य को इसे औचित्य के रूप में नहीं उठाना चाहिए। अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्णय के संकल्प के पेज 204 में इस बारे में दिया है। यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है। गुप्त जी इस बारे में आश्वासन समिति के अध्यक्ष को लिखते तो ज्यादा अच्छा होता। फिर भी इसको दिखवा लेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

समस्या की गम्भीरता के बारे में कुछ बोल दें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

आश्वासनों की पूर्ति समय के अन्दर होनी चाहिए, लेकिन यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है। आप जैसे विद्वान सदस्य को इसको औचित्य के प्रश्न के रूप में नहीं उठाना चाहिए।

निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सदस्यता वाली जिला स्तरीय समितियों में अधिकारियों द्वारा अध्यक्षता किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री कुंवर सिंह नेगी–

मान्यवर, समय-समय पर माननीय अध्यक्ष पीठ से यह निर्देश दिये गए हैं कि क्षेत्रीय बैठकें जो होंगी, जिलों में जो बैठकें होंगी, जिनमें सम्मानित विधायक या संसद सदस्य हों, उनकी अध्यक्षता सरकारी अधिकारी नहीं करेंगे। परन्तु मान्यवर, अध्यक्ष पीठ से दिये गए निर्णयों की घोर अवहेलना हो रही है, अवमानना हो रही है और आज भी निरंतर क्षेत्रीय समितियों में अधिकारीगण अध्यक्षता कर रहे हैं। जिलों में भी जो परामर्शदात्री समितियां हैं, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण हैं और जो समितियां हैं, उनकी अध्यक्षता आज भी जिलाधिकारी करते हैं। तो मान्यवर, यह माननीय अध्यक्ष पीठ से दिए गए निर्णयों की सरासर अवहेलना है, अवमानना है। मैं इस महत्वपूर्ण प्रश्न को औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाना चाहता हूं।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मान्यवर, माननीय नेगी जी ने जो प्रश्न उठाया है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। जन प्रतिनिधियों का सम्मान अधिकारियों से ज्यादा होना चाहिए, इसमें आपके और हमारे बीच कोई विवाद नहीं है। इस संबंध में पहले से ही निर्देश हैं। सिर्फ भारत सरकार के अधीन जो समितियां गठित होती हैं उनको छोड़कर उनमें हमारा आपका नियंत्रण नहीं है जो तकनीकी हैं। बाकी सभी सलाहकार समितियों के अध्यक्ष जन प्रतिनिधि होंगे, इस संबंध में पहले से ही स्पष्ट आदेश हैं। मैं इन आदेशों को पुनः हर जिले को भिजवा दूंगा और इसका कड़ाई से पालन कराऊंगा। यह तो पहले से ही आदेश हैं, इसलिये औचित्य का प्रश्न यह है नहीं कि कहीं भी जन प्रतिनिधियों के समादर में कोई कमी न रहे।

श्री उपाध्यक्ष–

इन पांचों प्रश्नों को औचित्य के प्रश्न के रूप में मैं अस्वीकार करता हूं।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1990 †

*हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1990 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर (संशोधन) अध्यादेश, 1990†

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर (संशोधन) अध्यादेश, 1990 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1990†

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1990 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1990†

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1990 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1990†

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1990 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 1990†

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 1990 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, 1990†

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, 1990 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

†छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1990†

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1990 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश ईंट (सम्भरण का विनियमन) अध्यादेश, 1990†

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश ईंट (सम्भरण का विनियमन) अध्यादेश, 1990 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन योजना (विधिमान्यकरण) अध्यादेश 1990†

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन योजना (विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1990 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1990†

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1990 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1990†

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1990 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 1990†

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 1990 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (पचपनवां संशोधन) नियमावली, 1989††

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से परिवहन अनुभाग–4 की अधिसूचना संख्या–2027 टी/20-4-6-पी0-79, दिनांक 30 जून, 1989 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश

---

†छापा नहीं गया ।

††छापी नहीं गयी ।

मोटर वेहिकिल्स (पचपनवां संशोधन) नियमावली, 1989, जो दिनांक 10 जनवरी, 1990 एवं 6 मार्च, 1990 को सदन के पटल पर रखी गयी थी तथा जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सभा के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हो सकी है, को मोटर वेहिकिल्स एक्ट, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन सेवा (विकास) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1989†

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से परिवहन अनुभाग–4 की अधिसूचना संख्या—1459 टी/30-4-89-63-के0 एम0-87, दिनांक 1 मई, 1989 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन सेवा (विकास) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1989 जो दिनांक 6 मार्च, 1990 को सदन के पटल पर रखी गयी थी तथा जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सभा के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हो सकी है, को मोटर वेहिकिल्स एक्ट, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1988†

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–1586/26-2-88-15(6)-83, दिनांक 13 मई, 1989 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1988 जो विलम्ब के कारणों सहित दिनांक 27 सितम्बर, 1989 एवं 7 मार्च, 1990 को सदन के पटल पर रखी गयी थी तथा जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सभा के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हो सकी है, को उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) अधिनियम, 1956 की धारा 54 (1) की अपेक्षानुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

विशेष विवाह (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1990†

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से न्याय (अधीनस्थ न्यायालय) अनुभाग की अधिसूचना संख्या 970/शास-अ0 न्या0-493-78, दिनांक 1 मार्च, 1990 के साथ प्रकाशित विशेष विवाह (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1990 को विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 50 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

†छापी नहीं गयी ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1990 तथा उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1990

सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 197 के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 150 (1) के अन्तर्गत घोषित करता हूं कि—

(1) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1990, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 16 जनवरी, 1990 को पारित हुआ था और जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ दिनांक 16 जनवरी, 1990 को ही प्रेषित किया गया था तथा जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 17 जनवरी, 1990 की बैठक में सदन की मेज पर रखा गया था, और

(2) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1990, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 16 जनवरी, 1990 को संशोधन सहित पारित हुआ था और जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ दिनांक 16 जनवरी, 1990 को ही प्रेषित किया गया था तथा जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 17 जनवरी, 1990 की बैठक में सदन की मेज पर रखा गया था,

के तीन मास से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उक्त दोनों विधेयक अभी तक विधान सभा सचिवालय में वापस प्राप्त नहीं हुए हैं ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1989–90 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1990†

सचिव विधान सभा—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि—

उत्तर प्रदेश विनियोग (1989–90 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1990 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 7 मार्च, 1990 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 16 मार्च, 1990 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 मार्च, 1990 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1990 का उत्तर प्रदेश का सातवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1990†

सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1990 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 7 मार्च, 1990 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित

---

†छापा नहीं गया ।

किया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिस के दिनांक 16 मार्च, 1990 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 मार्च, 1990 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1990 का उत्तर प्रदेश का आठवां अधिनियम बन गया ।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा वर्तमान सत्र के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

[1 बजकर 20 मिनट]

श्री उपाध्यक्ष–

विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 13 जून, 1990 की बैठक में सदन के वर्तमान सत्र के कार्यक्रम के सम्बन्ध में सिफारिशें की हैं कि दिनांक 14 जून, 1990 से 24 जून, 1990 तक का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाय :—

जून, 1990

14 गुरुवार	निधन के निर्देश ।
15 शुक्रवार	(1) औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, नियमों, अधिसूचनाओं आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि । (2) असरकारी संकल्प (पूरा दिन) (22-6-1990 तथा 29-6-1990 के स्थान पर) (3) 5.00 बजे अपराह्न वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण ।
16 शनिवार 17 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
18 सोमवार 19 मंगलवार 20 बुधवार	वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा ।
21 गुरुवार	(1) वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा । (2) 5.00 बजे अपराह्न विधायी कार्य ।
22 शुक्रवार	(1) वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (अन्तिम दिन) । (2) श्री राम स्वरूप वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर एक घण्टे की चर्चा—

उत्तर प्रदेश विधान सभा

"इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश की सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्ग का आरक्षण, अनुसूचित एवं अनुसूचित जन जाति की भांति प्रदेश में उसकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाय और इसे प्रभावी बनाने के लिए संबंधित चयन बोर्ड के सदस्य उक्त तीनों वर्गों की जनसंख्या के अनुपात में रखे जायं।"

23 शनिवार
24 रविवार बैठक नहीं होगी।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, कार्य मंत्रणा की सिफारिशों जिसकी सूचना आज माननीय उपाध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, से सहमत हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव रखा है, उससे यह सदन सहमत है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

आज दिनांक 15-6-1990 को नियम—56 के अंतर्गत 18 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिसमें करण संख्या—15 के अनुसार निम्नलिखित 10 सूचनायें चयनित की गईं :—

(1) सर्वश्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना, पंचानन राय, विमल प्रसाद तिवारी, रघुराज प्रसाद उपाध्याय, नकली सिंह और श्याम नारायण तिवारी की सूचना-दिनांक 23 मई, 1990 को गढ़ मुक्तेश्वर, जनपद गाजियाबाद के समीप विधायक डा0 अख्तर काजमी पर थाना बाबूगढ़ के थानाध्यक्ष द्वारा सर्विस रिवाल्वर से गोली मारकर प्राण घातक हमला किए जाने के संबंध में है,

(2) श्री राज किशोर सिंह और श्री अकबर हुसैन बाबर जी की सूचना-जनपद फतेहपुर में हरिजनों पर हो रहे अत्याचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है,

(3) श्री कुंवर सिंह नेगी जी की सूचना-तराई क्षेत्र में आतंकवादियों से जन जीवन में व्याप्त भय एवं खतरे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है,

(4) श्री श्याम देवराय चौधरी जी की सूचना-प्रदेश के कई जिलों में पेयजल के घोर अभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में,

(5) श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त एवं श्री केशरी नाथ त्रिपाठी जी की सूचना-9 मई, 1990 को करैली (इलाहाबाद) में साम्प्रदायिक तत्वों द्वारा अशोक कुमार गुप्त की हत्या किए जाने के संबंध में,

(6) श्री राम लखन वर्मा की सूचना-अकबरपुर (फैजाबाद) स्थित कताई मिल में एकाएक तालाबन्दी की घोषणा से पांच हजार से अधिक मजदूर व कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष के संबंध में है,

(7) सर्वश्री मस्त राम, हरद्वार दुबे, शिव प्रताप शुक्ल, कृष्ण स्वरूप वैश्य और श्री दंडपाणी नन्दन जी की सूचना-दिनांक 6 जून, 1990 को उन्नाव जिला कचहरी के पुलिस द्वारा वकीलों, न्यायालय कर्मचारियों एवं वादकारियों की बर्बर पिटाई से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है,

(8) सर्वश्री राम चन्द्र बख्श सिंह, असगर और श्री ऊदल जी की सूचना-उ0 प्र0 राज्य सीमेंट निगम के उद्योगों को निजी क्षेत्र में दिए जाने के सरकार के प्रस्ताव से प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों में रोष से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है,

(9) श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी जी की सूचना-जनपद इलाहाबाद के कौशाम्बी ब्लाक में कालरा से कई लोगों की मृत्यु एवं अधिकांश लोगों के प्रभावित होने के संबंध में है ।

(10) श्री देव कुमार यादव की जनपद बांदा की डाकू समस्या और पुलिस उत्पीड़न के संबंध में है ।

उपरोक्त 10 सूचनाओं में से अंतिम पांच सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, शेष पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायगा ।

(श्री अरूण कुमार सिंह मुन्ना का नाम पुकारे जाने पर श्री मयंकर सिंह एवं श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी) द्वारा खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयत्न करने से घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री मयंकर सिंह–

उत्तर प्रदेश शासन के एक मंत्री ने कानपुर में कहा था कि यह सरकार बाबरी मस्जिद की सरकार है . . .

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

ऐसे उत्तेजनात्मक विषयों पर सदन की परम्परा रही है कि हम स्वीकार नहीं करते हैं । आप बैठें ।

श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)–

मान्यवर, यह मसला जनजीवन से जुड़ा हुआ है ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

बजट पर चर्चा होगी तब आप कह लीजियेगा ।

[श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी) के खड़े रहने पर]

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय दीक्षित जी, आप कृपया बैठें ।

[श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी) के बैठ जाने पर]

श्री अरूण कुमार सिंह मुन्ना–

मान्यवर, 23-5-90 को इस संसदीय जनतंत्र में इतनी शर्मनाक घटना हुई जो प्रदेश और देश के पैमाने पर शायद ही कभी हुई हो । गढ़मुक्तेश्वर के सम्मानित विधायक डा0 अख्तर को एक सूचना मिली कि सुबह प्रातः 8 बजे उल्लानुर के पास एक दुर्घटना हुई है एक भद्र महिला जो गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा था, एक आकस्मिक दुर्घटना हुई और बच्चा बाहर हो गया और दोनों की मृत्यु हो गयी । स्वाभाविक था जन-आक्रोश का होना । पास-पड़ोस के लोग इकठ्ठे हो गये । उन्होंने कहा कि प्रशासन को पिछले दिनों भी जानकारी दी गयी थी कि यहां पर गति अवरोधक बनवा दिया जाय । उसी की वजह से दुर्घटना हुई है । इस दुर्घटना के कारण वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गयी । निश्चय ही आकस्मिक घटना और हत्या हुई थी । डा0 अख्तर को जब यह सूचना मिली, उनका क्षेत्र होने के नाते वह वहां पर पहुंचे । वहां के लोगों ने इस बात की मांग की कि गरीब महिला है, इसका पति इस लायक नहीं है कि कुछ कर सके, लिहाजा 20 हजार रु0 की धनराशि उसके आश्रितों को दी जाय । वे लोग इस बात की मांग कर रहे थे और यह मांग शान्तिपूर्ण ढंग से कर रहे थे । सुबह से तीन बजे शाम के बीच में यह घटना घटी, यह ठीक है कि बीच-बीच में थोड़ी देर के लिए सड़क पर अवरोध भी उत्पन्न हुआ लेकिन मांग जारी रही । पहले उन्होंने कहा कि वहां पर जो सी0 ओ0 या एस0 ओ0 और जो छोटे कर्मचारी उपस्थित थे उनसे कहा कि जिलाधिकारी को बुलाइये । इस पर उन्होंने कहाकि उनको सूचना भेज दी गयी है, वे आ रहे हैं । इसके थोड़ी देर के बाद वहां पर ए0 डी0 एम0 पहुंचे और एक हजार रु0 देने लगे जिससे आक्रोश होना स्वभाविक था । इसपर जनाक्रोश हुआ तब इसके थोड़ी देर के बाद एस0 डी0 एम0 सिटी, गाजियाबाद पहुंचने और उन्होंने कहा कि आपके 20 हजार की भी बात चल रही है और यह कह कर वे पुलिस फोर्स की तरफ चले गये । जब डा0 अख्तर ने विधायक की हैसियत से स्थिति जाननी चाही कि सही स्थिति क्या है तो उन पर गोली चला दी गयी। वहां धूप में खड़ी हुई सारी जनता परेशान हो रही थी तभी गोली चला दी गयी ।

हमारी सरकार के मुख्य मंत्री और इस सरकार के मंत्रिगण जो कि जनतंत्र की रक्षा और जम्हूरियत की दुहाई देते हैं उनके इशारे पर यह घटना घटित होती है । मैं कहता हूं कि इससे अधिक वीभत्स घटना और कोई हो ही नहीं सकती है कि वहां का थानेदार ऐसा हो ही नहीं सकता है कि क्षेत्रीय विधायक को न पहचाने, वहां के थानेदार ने दूसरे थानेदार से जो कि पड़ोस का ही था कहता है कि "इसको ठीक कर दो ।" तो उसी समय पर पिन प्वाइन्ट पर गोली चला दी गयी, फायर किया गया । इस सरकार का शासन बिलकुल निरंकुश हो गया है । जम्हूरियत और जनतंत्र की दुहाई देने वाली यह सरकार जनप्रतिनिधि की हत्या करने का दुस्साहस कर रही है । सरकार का कार्य है जनता की सुरक्षा करना और यहां जन प्रतिनिधि को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसकी हत्या का प्रयास किया जा रहा है । सामाजिक कार्यकर्ता के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है । एफ0 आई0आर0 नहीं लिखी जा रही थी, केस को दूसरे प्रकरण में डाला जा रहा है कि गोली किसी दूसरे आदमी को लगी है, विधायक को नहीं और बगैर उपचार के उनको वहां से

बाहर किये जाने की कोशिश की जा रही है, उनको आल इण्डिया मेडिकल इस्टीट्यूट से निकाला जा रहा है इससे घटिया घटना और क्या हो सकती है? राजनीतिक द्वेष के साथ आप उनके साथ कार्यवाही कर रहे हैं, यह कितनी शर्मनाक बात है कि इस सरकार के मुख्य मंत्री के शासन काल में यह बात हुई जिसे कि नहीं होना चाहिये था क्योंकि तमाम जनतंत्र की और जम्हूरियत की दुहाई ये देते रहते हैं और इनके ही शासनकाल में जनता के एक प्रतिनिधि को गोली लगी जबकि वहां कोई रास्ता जाम नहीं था ।

हमने भी राजनीति की है, जम्हूरियत और जनतंत्र की रक्षा की है हमारे समय में भी डी0 एम0 और कमिश्नर तक जेल में बन्द हुए हैं क्योंकि हम जनतंत्र में विश्वास करते हैं, विधायक को गोली मार कर उसकी हत्या का प्रयास नहीं करते हैं । जनतन्त्र में धरना प्रदर्शन और काले झंडे यही आपको शोभा देते हैं लेकिन आज इस सरकार में बैठे हुए मंत्रियों को अहंकार है लेकिन मैं बतला दूं कि जनतंत्र में अहंकार का कोई स्थान नहीं है । आज की सरकार में जो तमाम लोग बैठे हुए हैं, सब के सब अहंकार से पीड़ित हैं । मान्यवर, जनतंत्र में जैसे-जैसे पद और प्रतिष्ठा मिलती है, जन विश्वास मिलता है, उतना ही विनम्र होना चाहिए । लेकिन आये दिन तमाम विधायक हैं, शासन के मंत्री सभी विधायकों की इच्छा के अनुरूप कार्य कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर दफायें लगायी जाती हैं, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है । जो सम्बन्धित पुलिस अधिकारी थे, उनको गिरफ्तार किया गया, जमानत की व्यवस्था है, उनकी जमानत हो गयी । विधान परिषद् की सदस्या हैं और जिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं और 2-3 साथी सुरेन्द्र कुमार मुन्नी और गजराज सिंह, यह लोग पूछने के लिए गये । उन्हें निर्मम ढंग से पीटा जाता है, दफायें लगायी जाती हैं । सरकार की क्या नियत है, सरकार क्या चाहती है ? आप हमारी भावनाओं को दबा रहे हैं। जनता ने आपके प्रति विश्वास व्यक्त किया है । हम प्रदेश की जनता का आदर करते हैं, लेकिन आपके द्वारा आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है । यह हमको बरदास्त नहीं है । मैं चाहता हूं कि इस घटना की जांच आप सी0 बी0 आई0 द्वारा करायें और विधायकों पर जो फर्जी दफायें लगायी गयी हैं, उनको समाप्त किया जाय और तत्काल प्रभावी कार्यवाही की जाये । इस बात की पुरजोर मांग मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से करता हूं । लोगों का विश्वास पुलिस से उठ गया है, मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी आश्वासन दें ।

*श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, जैसा कि माननीय उप नेता विरोधी दल ने कहा कि 23 तारीख की घटना लोकतंत्र के इतिहास में सबसे काली घटना है और सबसे शर्मनाक घटना है । मान्यवर, जब जन प्रतिनिधियों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, तो जो साधारण जनता है उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार पुलिस करती होगी, इसका अन्दाज लगाया जा सकता है । आपकी पुलिस का यह हाल है, क्षेत्रीय विधायक के साथ उसी क्षेत्र के विधायक के साथ पुलिस इस प्रकार का व्यवहार करती है । पुलिस के दरोगा का दिमाग खराब हो गया है । उसने गोली मारने का प्रयास किया. . .

(व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष–

एक प्रस्ताव पर अगर 4–4 लोग बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा ?

श्री पंचानन राय–

मेरा नाम दूसरा है ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, मुझे भी न्याय दे दें . . .

श्री उपाध्यक्ष–

उपाध्याय जी आप मेरा सहयोग करें और किसी में बोल लीजियेगा । और किसी में समय दे दूंगा ।

श्री पंचानन राय–

इस नोटिस पर बोल रहे हैं या दूसरी पर बोल रहे हैं । मेरा नाम दूसरा है ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने श्री राज किशोर जी को बुला लिया है ।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, हम जनता की रक्षा के लिए उनके हितों की रक्षा के लिए प्रदर्शन करते हैं, लेकिन मान्यवर, दरोगा ने अपनी सर्विस रिवाल्वर से इस सदन के सम्मानित सदस्य की हत्या करने का प्रयास किया है । माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, क्रांति-रथ पर बैठ कर उन्होंने सत्ता हासिल की है । वे क्रांति की बात करते थे और आज ठीक उल्टा हो रहा है । यह बात मैं सदन में कह रहा हूं कि यदि इस सदन का कोई विधायक बाहर सुरक्षित नहीं रहेगा तो उसका अस्तित्व ही क्या रह जायेगा ? उनके ऊपर प्राण-घातक हमला हो गया मान्यवर, यह साधारण घटना नहीं है । यह विषय ऐसा नहीं है कि एक सदस्य को बुलवा कर दूसरे विषय को ले लें । आप मान्यवर, इसकी कल्पना करें । यह घटना कोई अनजाने में नहीं हुई है ।

माननीय सदस्य उस क्षेत्र के एक विधायक थे । वे दरोगा को पहचानते थे और दरोगा भी उन्हें पहचानता था । मान्यवर, आप भी सत्ता में रहे हैं, शासन में रहे हैं । विरोध पक्ष की भी एक भूमिका है । आप एक लम्बे अर्से तक इसमें रहे हैं । आपने संघर्ष किया है । यह आपके साथ ऐसा व्यवहार होता, पुलिस के दरोगा सत्ता के इशारे पर विधायकों की हत्या करती तो मान्यवर, आप सत्ता में न रहते । क्रांति रथ पर सवार होकर आपने सत्ता प्राप्त की । यदि इस तरह से विधायक का जीवन सुरक्षित न रहे, उसकी हत्या करने का प्रयास किया जाय तो यह कैसा शासन है . . . .

(कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव के खड़े होने पर)

श्री अरुण कुमार मुन्ना–

मान्यवर, माननीय सुरेन्द्र शर्मा जी उस क्षेत्र के विधायक हैं, उन्हें सुन लिया जाय ।

*श्री सुरेन्द्र कुमार उर्फ मुन्नी–

मान्यवर, यह मेरे जनपद का मामला है । घटना बहुत गम्भीर है इसलिए मुझे अपनी बात स्पष्ट करने में 5/7 मिनट लगेंगे । मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को यह बतलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार पिछली 23 तारीख को हमारे सम्मानित विधायक के लिये वहां के दरोगा तो उस क्षेत्र के दो एस0 ओ0 ने जो उस क्षेत्र में तैनात थे कहा कि इनको भून दो । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यदि माननीय सदस्य ने अपनी पीठ न घुमाई होती तो दरोगा की गोली उनके सीने में लगी होती । मान्यवर, गोली एक चली है और निशाना भी एक ही आदमी था । न दो आदमी थे न दो निशाने थे और व्यक्तिगत रूप से उन्हें गोली मारी गयी । निःसन्देह उनकी हत्या करने का प्रयास था । डाक्टरों ने उन्हें बचा लिया । शासन द्वारा दबाव डालकर उनका इलाज कराया गया । वे आल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से निकाले गये । उनके साथ क्या व्यवहार किया गया, यह बात सबके सामने है । जब मुकदमा दर्ज करने की बात आयी तो 307 में यह दर्ज हुआ । उससे पहले वे एक नर्सिंग होम में दाखिल हुए थे । उसी रात को सत्ता के डंडे, पांच सात सौ पुलिस फोर्स, दरोगा, एस0 ओ0, इन्सपेक्टर सी0 ओज, सिटी मजिस्ट्रेट और ए0 डी0 एम0 आदि द्वारा दबाव डाला गया डी0 एम0 के ऊपर और साढ़े आठ बजे उन्हें पेरोल दिया गया । दबाव में आकर उन्हें पेरोल लेना पड़ा । कोर्ट के अन्दर पेरोल लिया गया । हमने वकीलों से कहा कि आप जिरह कीजिये उनकी बेल नहीं हो रही है लेकिन उसके बावजूद हमारे शांत-प्रिय कांग्रेस जनों के ऊपर जिसमें दीपा कौल, गजराज सिंह आदि सम्मानित सदस्य मौजूद थे हमारे लोगों पर लाठियों और हाकियों से प्रहार किया गया । यह पहले से सुनियोजित षड़यंत्र था डा0 अख्तर को मारने का, प्रयास किया गया लेकिन आज तक जिन लोगों ने प्रहार किया उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी उल्टा हम लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया । मैं एक बात माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं आप बहुत पुराने समाजवादी हैं आपने 30, 35 साल तक आन्दोलन चलाये अपनी सरकार बनाने के लिये । जनतंत्र में अपनी बात कहने का हर एक को अधिकार है और अगर जनप्रतिनिधियों की हत्या होगी तो जनतंत्र कैसे चलेगा ? ऐसे लोगों के खिलाफ आज तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया ?

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री सुरेन्द्र कुमार उर्फ मुन्नी–

मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इस कांड की सी0 बी0 आई0 से या विधान सभा के सदस्यों की एक कमेटी बना कर जांच की जाय और दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष--

(श्री जयराज गौतम के खड़े होने पर) माननीय गौतम जी आप बैठें 4 सदस्य बोल चुके हैं ।

श्री जयराज गौतम--

इस पर एक घंटे की चर्चा करा दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह गाजियाबाद का मामला है इस पर गाजियाबाद के सम्मानित सदस्य बोल चुके हैं । आपके उप-नेता विरोधी दल बोल चुके हैं ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

जो बातें माननीय सदस्य बोल चुके हैं उन पर नहीं जाना चाहता हूं । मुझे याद है माननीय सदस्य माता प्रसाद पाण्डेय यहां मौजूद हैं उनके साथ एक एस0 ओ0 ने अभद्र व्यवहार किया और उनको धमकी दी थी उस समय श्री श्रीपति मिश्रा जी इस पीठ पर पीठासीन थे तो यह निर्देश हुआ था कि थानेदार को निलम्बित किया जाय । आज जन-प्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है अपने क्षेत्र की घटनाओं को जानने के लिये जाने पर उनको गोली मारने का प्रयास किया जाता है । इस शासन की क्रूरता का यह उदाहरण है कि 8-6-90 को जब गाजियाबाद के स्थानीय विधायक माननीय गजराज सिंह माननीय दीपा कौल जो परिषद् की सदस्य हैं तथा अन्य कार्यकर्ता घटना की जानकारी लेने गये तो उन पर मुकदमा दर्ज किया गया । उन पर लाठियों और हाकियों से हमला किया गया ।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का सम्मान करता हूं और कहना चाहता हूं कि आज उनके नाम पर एक एस0 ओ0 आपको कलंकित कर रहा है कहता है मैं उनका रिस्तेदार हूं मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है (व्यवधान) आज जन प्रतिनिधियों का अनादर हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें (व्यवधान) इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उप-नेता विरोधी दल श्री अरुण कुमार सिंह जी ने जो सवाल उठाया है इसकी गम्भीरता को मैंने पहले ही स्वीकार कर लिया है । माननीय सदन के एक सम्मानित सदस्य को गोली लगना मैं गंभीर मानता हूं । और उसी गंभीरता को देखते हुए मैं ही सबसे पहले उनको देखने गया था । सवाल आप उठा रहे हैं लेकिन आपके नेता दिल्ली में बैठे हैं कोई उनको देखने नहीं गया ।

श्री मुईद अहमद–

श्री राजीव गांधी उनको देखने गये थे ।

*श्री मुलायम सिंह यादव–

सबसे पहले मैं ही देखने गया था । मुझे इस बात की खुशी है कि डा0 अख्तर साहब ने मुझे सच्ची-सच्ची बात बताई । उनकी बात की सत्यता मानकर मैंने तत्काल जिनके नाम रिपोर्ट थी उन दोनों थानेदारों को निलम्बित किया, मुकदमा दर्ज कराया और उनको गिरफ्तार करने के आदेश दिये । मान्यवर, जिस महिला का निधन हो गया था, मुझे ठीक से याद नहीं, 25-30 हजार रुपये की मांग थी लेकिन 20 हजार रुपये दिया गया । शादी का मौसम था, इतनी जो व्यस्त सड़क थी उसको 8 घन्टे रोक दिया गया, तमाम शादियों के लोग परेशान थे, उत्तेजित थे इसलिये न्यायिक जांच की घोषणा किया और वह न्यायिक जांच होगी । मान्यवर, न्यायिक जांच भी मैंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मांगों पर हमने स्वीकार किया । भूतपूर्व मंत्री, श्री सईदुल हसन और नव निर्वाचित सदस्य के नेतृत्व में जो प्रतिनिधि मंडल मिला और जो मांग किया उनको स्वीकार करके दोनों दरोगाओं को गिरफ्तार कराया ।

श्री मुईद अहमद–

वह तो बाहर है ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, न्यायालय में जाकर जज जमानत पर छोड़ दें तो मैं क्या करूं ?

मान्यवर, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हमने कहा था कि जन-प्रतिनिधियों के सम्मान को बनाये रखूंगा और यहां तक कहा था कि जन प्रतिनिधियों का कोई हस्तक्षेप नहीं माना जायेगा । तो उसी के अनुसार आज भी वही नीति लागू है और उसके चलते जो यह सवाल उठाया उसकी आवश्यकता नहीं थी चूंकि सारी कार्यवाही हो गयी है । पिछली बातों को मैं याद नहीं दिलाना चाहता हूं क्योंकि आपके समय में दो-दो विधायक इधर की कुर्सियों पर बैठकर रो-रो कर कह रहे थे कि उनके नाम हैं डा0 रजनी कान्त दत्ता और राम लक्षन प्रसाद जो दोषी पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर के लिये कह रहे थे और यहां तक कि सारे नेता मिलकर लगातार सरकार से मिलते रहे और कहते रहे लेकिन 6-8 महीने बाद मुश्किल से उनका ट्रांसफर हुआ था डा0 दत्ता के मामले में लेकिन श्री राम लक्षन प्रसाद के मामले में जो गोरखपुर में घटना घटी थी उसमें एक भी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई । लेकिन हम तो आपके दल से मांग आयी तो उन विधायक से मिलने चले गये और उन्होंने जो कहा, जिनके नाम थे उनको गिरफ्तार कराया किन्तु न्यायालय में जमानत पर छोड़ दिया तो इसके लिये सरकार जिम्मेदार नहीं है । लेकिन मैं आपको सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय सदस्य की बात मानी जायेगी और उसी के अनुसार न्यायिक जांच हमने स्वीकार किया और जो-जो मांगें थीं उनको माना । तो मैंने सारी कार्यवाही कर दी है और मैं पूरे सदन को विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी माननीय सदस्य का अपमान किया जाएगा तो उस पर इस सरकार द्वारा कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री श्याम नारायण तिवारी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है । इस प्रस्ताव में मेरा भी नाम है (व्यवधान) नहीं है, इसलिए उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि सबसे पहले मैं गया और दिल्ली के लोग बैठे रहे । मैं इसके लिए अवश्य उन्हें बधाई दूंगा कि बिना दिल्ली की परवाह किये मुख्य मंत्री जी शासन चला रहे हैं । मुख्य मंत्री जी व्यवस्था परिवर्तन की बात कहते हैं, उस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि व्यवस्था यदि ऐसे ही परिवर्तित हुई कि विधायक को गोली मारी जाए ऐसे सीधे और सीनियर विधायक को गोली मारी जाए तो इससे ज्यादा शर्म की उनके लिए क्या बात हो सकती है (व्यवधान) तो उनसे मेरी पुरजोर मांग है कि इस मामले में सी0बी0आई0 से जांच कराई जाए । वह इसको मंजूर करें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मैंने यह भी कह दिया कि जितना भी उनके इलाज पर खर्च हो रहा है, उसको भी सरकार वहन करेगी ।

श्री मुईद अहमद–

लेकिन उनके विरुद्ध दायर फर्जी मुकदमें भी तो वापस करा दीजिए, जिसके बिना यह सब बेकार है ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

श्रीमती दीपा कौल और गजराज सिंह जी आदि जो अपने मुकदमें की जानकारी करने गये थे, उनके विरुद्ध वहां फर्जी मुकदमें गढ़ दिये गये हैं । इसके सम्बन्ध में मैं आपको क्या कहना है? यह बात 8-6-90 की है । उस दिन की यह घटना है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

इनकी पार्टी नेताओं के विरुद्ध जो मुकदमें सरकार द्वारा दायर किये गये हैं उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । उसको आप दिखवा लें श्रीमती दीपा कौल, भूतपूर्व राज्य मंत्री, गजराज सिंह और श्री सुरेन्द्र कुमार मुन्नी आदि के खिलाफ जो मुकदमें कायम हुए हैं, उनको आप दिखवा लीजिएगा ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

यह जो न्यायायिक जांच की घोषणा है, उसमें आएगा कि कौन दोषी नहीं है? (व्यवधान)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

या तो आप यह फर्जी मुकदमें वापस लें या फिर इस प्रकरण को भी आप जूडिशियल इंक्वायरी में शामिल करा दें । क्योंकि केवल दिनांक 23-5-90 की घटना के मामले में जुडिशियल जांच की बात हुई है । लेकिन ये लोग जब मुकदमें की जानकारी करने गये तो पुलिस और जनता दल के कार्यकर्ताओं ने उन्हें मिलकर बुरी तरह से मारा है, उसके सम्बन्ध में यह बात लागू नहीं है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष–

इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है । अब कृपया बैठ जायं । राज किशोर जी ।

(घोर व्यवधान होने पर)

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय उपनेता विरोधी दल से कहूंगा कि अपने माननीय सदस्यों से शान्ति करायें । जो रिपोर्ट पुलिस की है मैंने पूरी घटना का वर्णन नहीं किया है । पुलिस को भी चोट लगी है गोली से लगी या किससे लगी यह नहीं कहूंगा, लेकिन उनकी रिपोर्ट के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई । विधायक और उनके परिवार की तरफ से जो-जो रिपोर्ट की गई, न्याय की मांग की गई, मुआवजे की मांग की गई और जो भी मांग की गई उस पर कार्यवाही के आदेश कर दिए गये ।

(व्यवधान)

श्री राजकिशोर सिंह–

मान्यवर, दिनांक 5 अप्रैल, 1990 को जनपद फतेहपुर के मुख्यालय से तीस किलोमीटर दूर थाना असोथर, ग्राम धर्मपुर की घटना है । यहां साठे के 22 वर्षीय धनराज हरिजन की सामन्तों ने बुरी तरह पिटाई की और इसके बाद उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी । आग लगने के बाद धनराज हरिजन जान बचाने के लिए तालाब में कूद गया वहां उसकी हालत खराब हुई और उसके बाद पूरे परिवारजनों ने अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन अस्पतालों में डाक्टरों की हड़ताल के कारण कोई चिकित्सा नहीं हो पाई और उसने दम तोड़ दिया । इस तरह की घटना जनता दल की सरकार में नहीं हुई इसके पूर्व कांग्रेस (आई) ने पूरे फतेहपुर जनपद के अत्याचार को कांग्रेस के सामंतों का केन्द्र बना दिया । मान्यवर, लेकिन यह बी0 पी0 सिंह जी का क्षेत्र होने पर सारी घटनायें प्रकाश में आ रही हैं वहां जिनमें के हरिजनों अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्ग जिस पर कांग्रेस (आई) समर्थक सामन्तों ने अत्याचार किया था । (व्यवधान) मान्यवर, इसी क्रम में ध्यान आकर्षण करते हुए कहना चाहता हूं कि 14 नवम्बर, 1989 को विगत चुनाव हो रहा था फतेहपुर में जहां मतदान स्थल था, इससे पूर्व दुरगई किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई वहां कांग्रेस आई के खिलाफ कैम्प लगाए, इस बार मान्यवर भारत वासी के दरवाजे पर कैम्प लगाया गया हमारी पार्टी के कार्यकर्ता थे । सक्रिय रूप से कार्य कर रहे थे । प्रधानमंत्री वी0पी0सिंह को खबर हुई तो वह वहां पर पहुंचे । पहुंचने पर [xxx] गुण्डों ने उन पर जानलेवा फायर किया वह किसी तरह बच गये इसके बाद उन्होंने रपट लिखवाई । इसके बाद 12 दिसम्बर को भारतवासी जिसके दरवाजे पर जनता दल का कैम्प लगा था (व्यवधान) 12 दिसम्बर को [xxx] [xxx] (व्यवधान) भारतवासी के पेट में छुरा डालकर उसकी हत्या कर दी ।

मान्यवर, उसके बाद आज तमाम कांग्रेसी नेता चाहे वह केन्द्र के हों या प्रांत के, सब वहां जा रहे हैं और धनराज की हत्या पर परदा डालने की हरचंद कोशिश कर रहे हैं। [xxx] जितने वहां वकील हैं वह सब हत्यारों की ओर से पैरवी कर हैं । इतनी ही नहीं वहां पर कांग्रेस की वजह से यह सारा अत्याचार बढ़ा है । यह तो घटना पहली मर्तबा प्रकाश में आयी है, आज भी वहां फतेहपुर में सामंतों के अत्याचार

[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

अपनी चरम सीमा पर हैं । यह सभी भू-स्वामी कांग्रेस (आई) समर्थक हैं और उनके कारण यह सारे अत्याचार हो रहे हैं । [x x x] भू-स्वामी हरिजनों को बंधुआ मजदूर बनाकर रखे हुये हैं । धनराज हरिजन की हत्या के विरोध में बी0एस0पी0 के लोगों ने धरना दिया तो उन लोगों को जेल में ठूंस दिया गया । खेद की बात है कि जनता दल उपेक्षापूर्ण आचरण अपना रहा है । हम चाहते हैं कि इस हत्याकाण्ड के खिलाफ जनता दल के लोग आगे आयें । यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है । हरिजनों के ऊपर होने वाले अत्याचार आज पूरे प्रदेश में हो रहे हैं और आतंक फैला हुआ है । मैं चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही को रोककर आप इस पर चर्चा करायें ।

*श्री विमल प्रसाद तिवारी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । नियम 56 में निश्चित और तात्कालिक विषय पर चर्चा हो सकती है । इस काम रोको प्रस्ताव में कांग्रेस (आई) पर इलजाम लगाकर, चुनाव से लेकर अब तक की घटनाओं की चर्चा की गयी । मेरा आपसे अनुरोध है कि इसमें आप व्यवस्था दें और इसको कार्यवाही से बाहर निकाल दें क्योंकि अगर आरोप-प्रत्यारोप की बातें हुयीं तो जैसा कि हमारे वरिष्ठ माननीय सदस्य ने आरोप लगाये उनके उत्तर दिये जायेंगे । या तो आप हमें अवसर दें नहीं तो जो कुछ कहा गया है उसमें जो राजनीतिक दृष्टिकोण से कहा गया है उसको आप कार्यवाही से निकाल दें वरना सदन में एक गलत परम्परा पड़ेगी ।

श्री उपाध्यक्ष–

इसको दिखवा लेंगे ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, यह सही बात है । नियम 56 में आप सुन रहे हैं । नियम–56 में गुण और दोष तथा ग्राह्यता की शर्तों की जानकारी दी जाती है । अगर आपको आभास होता है कि जितनी बातें ग्राह्यता के बारे में कही गयीं हैं वह सही हैं तो यह आपके अधिकार में है कि आप उस पर चर्चा का समय दे दें या उसको रीजेक्ट कर दें । मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि जितने भी माननीय सदस्य नियम–56 में बोले हैं क्या एक भी आदमी ग्राह्यता की शर्तों पर बोला है । अगर बोला है तो बता दीजिए कि किसने ग्राह्यता पर बोला है । अगर किसी ने भी नहीं बोला होगा ग्राह्यता पर तो माननीय राज किशोर सिंह जी के भाषण को कार्यवाही से निकालने की मांग हो रही है तो जितने भी नियम–56 में भाषण हुये हैं उन सबको मैं कार्यवाही से निकालने की मांग करता हूं । ग्राह्यता की क्या शर्तें हैं, किस बातों के अंतर्गत नियम 56 में आता है, केवल उस पर आप सुनें और सदन का समय नष्ट न करने दें। इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि आप उस अपनी व्यवस्था दें ।

टिप्पणी :–[xxx] यह अंश की उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष–

चौधरी साहब ने अच्छा सुझाव दिया, केवल ग्राह्यता की शर्तों पर बोलें ।

*श्री अकबर हुसैन बाबर–

श्रीमन्, मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा । इस धनराज पासी की हत्या का कारण क्या है ? माननीय प्रधान मंत्री का चुनाव क्षेत्र होने के कारण सारे हिन्दुस्तान की निगाहें उधर लगी हैं । जहां तक हरिजन उत्पीड़न की बात है, धनराज की हत्या की बात है तो उसकी जवान पत्नी के साथ कुछ लोग बलात्कार करना चाहते थे । जो लोकतंत्र की बातें कर रहे हैं । लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं यही वह लोग हैं जिन्होंने एक निरीह हरिजन की पत्नी के साथ बलात्कार करने की कोशिश की और जब उसने बलात्कार करने का अवसर नहीं दिया तो उसको जलाकर मार डाला ।

श्रीमन्, अगर यह ग्राह्य नहीं है कि कोई अपनी पत्नी की रक्षा न कर सके, अगर यह ग्राह्य नहीं है कि पत्नी के साथ व्यभिचार हो और पति न बोले, अगर इस विषय पर सदन में चर्चा नहीं होगी, तो किस बात की चर्चा होगी ? एक महिला के साथ बलात्कार किया गया और विरोध करने पर उसके पति की हत्या कर दी गयी । यह भारत के , जहां पर मजदूरों न हो रहा है, आज यह चीज प्रकाश में आ रही है । भरत पासी की हत्या कर दी गयी और धनराज की हत्या कर दी गयी । जब एक हरिजन की बेटी के साथ व्यभिचार हो रहा था, तो जनता दल के साथी चुप क्यों बैठे थे ? इन शब्दों के साथ श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसे ग्राह्य करें और सदन में इस पर पूरी चर्चा हो ।

(घोर व्यवधान)

श्री शेख मोहम्मद सुलेमान–

मैं माननीय उपाध्यक्ष के माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि भारत के प्रधान मंत्री के क्षेत्र में हरिजनों पर अत्याचार हो रहा है. . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आपको बोलने की मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री सुलेमान–

[x x x]

(घोर व्यवधान)

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना–

माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी हमारे सम्मानित सदस्य ने हमारे दल के ऊपर आक्षेप लगाया कि इस घटना में कांग्रेस पार्टी से संबंधित लोग हैं, जबकि यह सर्वथा सत्य से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

टिप्पणी –[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेश से कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

पर है । वह जो हरिजन विधवा है, आज भी वह हमारी पूर्व विधान सभा सदस्या कृष्णा रावत के संरक्षण में है । उसे डर है कि जब वह फतेहपुर जायेगी, तो उसे जनता दल के लोग और राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह से संबंधित लोग उसे प्रताड़ित करेंगे । आज जो लोग यह कार्य कर रहे हैं, उनका मनोबल इसलिए ऊंचा है, क्योंकि उनको वहां पर सत्तादल का समर्थन प्राप्त है । इस प्रकार की घटनाएं अशोभनीय हैं, कोई भी शासन हो ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए । सरकार को इस पर कड़ाई से प्रभावी कार्यवाही करनी चाहिए । यह बलात्कार और उत्पीड़न की घटनाएं न केवल फतेहपुर में ही हैं, बल्कि पूरे प्रदेश के अन्दर बड़े पैमाने पर व्याप्त हैं । एक तरफ तो डा0 भीमराव अम्बेदकर का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, उनकी फोटो लगाई जा रही है और दूसरी तरफ हरिजनों के साथ पापाचार, दुराचार, व्यभिचार, बलात्कार और नाना प्रकार के उत्पीड़न किये जा रहे हैं । इस प्रकार की अनेकों घटनाएं प्रदेश के अन्दर व्याप्त हैं ।

(घोर व्यवधान)

[2 बजकर 20 मिनट]

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, माननीय राज किशोर, अकबर हुसैन बाबर साहब और तत्पश्चात् माननीय उपनेता विरोधी दल ने फतेहपुर जनपद में हरिजन पर हुए अत्याचार की ओर नियम 56 के जरिये सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, किसी विशेष घटना का उल्लेख इस सूचना में नहीं है, लेकिन माननीय राज किशोर जी ने धनराज की मृत्यु का विवरण सदन को भेजा था । धनराज की मृत्यु दुखद है और जिन लोगों के द्वारा हुई है, सरकार का यह दायित्व है कि उनके खिलाफ बगैर किसी प्रकार की रियायत किये हुए सख्ती से निपटे और उत्पीड़न की कार्यवाही करके उनको जेल में बन्द किया जाय ।

(व्यवधान)

कैसे चलेगा मान्यवर, इस तरह से, इनकी बात हम सुनते रहेंगे और मेरी बात कोई नहीं सुनेगा? (कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग कैसे खड़े हैं माननीय सदस्यगण बैठें। बाबर साहब आप भी बैठें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, धनराज के परिवार को 10 हजार रुपये नकद और 4 बीघा भूमि दी गयी है और उस गांव में पुलिस चौकी की भी स्थापना की गयी । इससे ज्यादा और सरकार क्या कर सकती है? मान्यवर, फतेहपुर प्रधानमंत्री का क्षेत्र है और इस देश के सामन्तवादी लोग यह नहीं चाहते हैं कि एक ईमानदार और स्वच्छ छवि वाला प्रधान मंत्री देश की कुर्सी पर बैठे । प्रधान मंत्री के क्षेत्र में अगर किसी साजिश के तहत, चाहे राजनीतिक हो, चाहे अपराधिक साजिश हो, इस साजिश के जरिये अगर कोई कार्यवाही होगी तो कार्यवाही करने वालों को हर तरह से कुचला जायेगा, इसमें कोई रियायत नहीं की जायेगी । राज किशोर जी ने कहा कि राजनीतिक साजिश के जरिये यह हो रहा है

तो सरकार इस तरफ पूरी तरह से सजग है । मान्यवर, पहली बार देश के प्रधानमंत्री को देश की जनता ने चुना है, तिकड़म से प्रधानमंत्री नहीं हुए हैं, उनकी ईमानदार छवि पर देश की जनता ने चुना है उनके क्षेत्र में किसी प्रकार की अपराधिक या राजनीतिक साजिश की कार्यवाही नहीं चलने देंगे और जो साजिश करेगा, सरकार उसका पर्दाफाश करेगी केवल उस क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में । यह कार्यवाही मुख्य रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, हरिजन हैं, उनके साथ होती है तो सरकार उनके प्रति उत्तरदायी मानी जाती है और सरकार की उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है । हरिजनों के ऊपर अत्याचार किसी प्रकार का बरदाश्त नहीं किया जायेगा और अत्याचार करने वालों के खिलाफ हर प्रकार से सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी ।

श्री कुंवर सिंह नेगी–

मान्यवर, प्रदेश का तराई क्षेत्र आतंकवाद से जुड़ा हुआ क्षेत्र है । आतंकवादी गतिविधियां निरन्तर बढ़ती जा रही हैं । हल्द्वानी में सिनेमाघर जला, काशीपुर में सिनेमाघर जला, बैंक लुटा और वहां पर रेलों में विस्फोट हुआ, बसों में विस्फोट हुआ, निरन्तर वहां पर निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही हैं । मान्यवर, दो तीन महीनों से उनकी गतिविधियां और भी ज्यादा बढ़ गयी हैं । आतंकवादी अत्याधुनिक, आधुनिक हथियारों से लैस हैं । हमारी पुलिस से जो उनके पास हथियार हैं वह बहुत अच्छे हैं। हमारी पुलिस, हमारा शासन हमारा प्रशासन पूरी तरह से आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में असमर्थ रहा है । आतंकवादियों के हौसले बुलन्द हैं और वहां का जनजीवन खतरे में है। मान्यवर, आतंकवादी लोगों को धमकी दे रहे हैं पत्र दे रहे हैं कि दिल्ली में और प्रदेश में हमारी सरकार है, हमें कौन रोक सकता है । मान्यवर, इस प्रकार की आतंकवादी घटनाओं को नहीं रोका गया तो जन-जीवन खतरे में पड़ जायेगा। मान्यवर, कुछ दिनों पहले काशीपुर में सिनेमा हाल में लोग मारे गये । सरकार ने मृतकों के आश्रितों को 5 हजार रुपये मात्र दिये, जबकि कांग्रेस सरकार के जमाने में हल्द्वानी में एक-एक लाख रुपये दिये गये । मान्यवर, यह बात अविलम्बनीय लोक महत्व की है । यह सारे जन-जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है । मेरा आपसे अनुरोध है कि सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराई जाय ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मा0 नेगी साहब ने तराई क्षेत्र में छुट-पुट हो रही आतंकवादी घटनाओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया । इस सम्बन्ध में विस्तार से बात करना उचित नहीं है, लेकिन सरकार पूरी तरह से सचेत है । ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं । हमारे तमाम बहादुर पुलिस के जवान वहां लगे हैं और तमाम हथियार बरामद किये गये हैं । यह सही है कि तराई क्षेत्र में तमाम आतंकवादियों के रिश्तेदार हैं, लेकिन हमारे प्रदेश के सिख पूरी तरह से राष्ट्रीय धारा में हैं और वहां पूरी तरह से हिन्दू सिख एकता मजबूत हुई है इस सरकार के बाद से । वहां जो आतंकवादी आ रहे हैं, उनके सिख भाई ही उनको पकड़वा रहे हैं, मरवा रहे हैं । इसलिये कहना कि वर्तमान सरकार आतंकवादियों की सरकार है, तो यह सरकार उनका खात्मा करने वाली सरकार है । उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों को किसी तरह भी फैलने नहीं दिया जायेगा ।

श्री शेख मोहम्मद सुलेमान–

मा0 उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी से अपील करता हूं कि काशीपुर सिनेमा हाल में जो बम काण्ड हुआ है, उसमें मरने वालों को जो मुआवजा दिया गया है, वह जायज नहीं है । मा0 सदस्य ने जो मुआवजे की मांग की है उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है । वे गरीब बेसहारा लोग हैं । उनको एक लाख रुपया मुआवजा दिया जाय ताकि उनके बच्चे जीवन यापन कर सकें ।

श्री सरस्वती प्रताप सिंह–

मान्यवर, लखीमपुर मेरा क्षेत्र है । यह मेरे क्षेत्र से सम्बन्धित है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपका नाम नोटिस में नहीं है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी दादा–

मान्यवर, आजादी के 42--43 वर्षों बाद दुख का विषय है कि प्रदेश में जल के लिये त्राहि-त्राहि मची है । मैं वाराणसी का प्रतिनिधित्व करता हूं । वाराणसी काशी नगरी है और सारे भारत की सांस्कृतिक राजधानी है । वहां पर 13-14 लाख लोग रहते हैं और रोजाना सारे भारत वर्ष के और विदेशी लगभग 2-3 लाख पर्यटक आते हैं । यहां पर पानी की इतनी घोर किल्लत है । यह बड़े दुख की बात है कि इस ओर शासन का बार-बार ध्यान आकृष्ट किये जाने के बावजूद कार्यवाही नहीं की जा रही है । वहां पर जल संस्थान का सैप्टिी टैंक टूट गया । नगर विकास मंत्री जी पहुंचे तो जल संस्थान के महा प्रबन्धक को निलम्बित कर दिया । पिछले दिनों मैंने ध्यान आकृष्ट कराया था कि जो हैण्ड पम्प खराब हैं उनकी मरम्मत होनी चाहिये । मरम्मत की जिम्मेदारी न जल संस्थान लेता है और न ही जल निगम लेता है । नागरिक शिकायत करते-करते थक जाते हैं ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

मान्यवर, यह बात तो आज सुबह एक प्रश्न के रूप में आ भी चुकी है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी दादा–

मान्यवर, आज काशी नगरी में वहां पर बूंद-बूंद पानी के लिये लोग तरस रहे हैं । मान्यवर, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहां की जो जनता है, वह पानी के लिये व्याकुल है । पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये आज वहां सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें, इस तरह का मामला तो आज प्रश्न के रूप में भी था । इस सम्बन्ध में प्रश्न था ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं मान्यवर, कार्य स्थगन के माध्यम से एक गंभीर प्रश्न की ओर गंभीर घटना की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मैं श्री राम गोविन्द चौधरी जी के सुझावों को ही ध्यान में रखते हुए इसकी ग्राह्यता पर कुछ बातें कहूंगा । घटना यह है कि 9 मई, 1990 को करेली इलाहाबाद में कुछ साम्प्रदायिक तत्वों ने अशोक कुमार

गुप्ता नामक एक समाज सेवी पर 12 चक्र गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी । एक महिला का सुहाग सदा-सदा के लिए चला गया । कारण क्या था, कि करेली में मान्यवर, एक अवैध रूप से पूजा स्थल का निर्माण हो रहा था न्यायालय के निर्णय के खिलाफ प्रशासन की बिना अनुमति के, प्रशासन वर्ग विशेष को प्रोत्साहन की नीयत से कड़ी कार्यवाही नहीं कर रहा था, अशोक कुमार गुप्ता ने मामले को उठाया, कोर्ट में गये और उसका परिणाम मान्यवर, यह रहा कि इलाहाबाद के साम्प्रदायिक तत्वों ने 10 लोगों की हिट लिस्ट बनायी उस हिट लिस्ट में अशोक कुमार गुप्ता का भी नाम था, इसकी जानकारी प्रशासन को दी गयी, मैं आपके माध्यम से वहां के प्रशासन से जानना चाहता हूं कि सूचना मिलने के बाद वहां के प्रशासन ने अशोक कुमार गुप्ता की सुरक्षा के क्या प्रबन्ध किये थे, क्या उनकी सुरक्षा का कोई प्रबन्ध किया गया था और यदि नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया था? उस हिट लिस्ट के हिसाब से 9 लोग बाकी हैं । मान्यवर, गंभीर बात यह है कि एक साजिश के तहत यह हत्या की गयी । मान्यवर, 1986 में 1988 में वहां पर दंगे हुए थे उस समय भी मैं सदन का सदस्य था, उस समय जो मैंने बात उठायी थी इधर बैठे इलाहाबाद के माननीय साथियों ने जो आज उधर बैठे हैं मेरी बात में स्वर-स्वर में मिलाया था । उस समय भी यही कहा गया कि जो अवैध निर्माण हो रहे हैं उन्हें बन्द किया जाना चाहिये । आज जो जनता दल में बैठे हैं साथी जो उस समय इधर बैठते थे उन्होंने उस समय समर्थन किया था हमारी बातों का ।

मान्यवर, मैं एक बात की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । इस राज्य सरकार के मंत्री हैं, आप कहेंगे तो मैं उनका नाम भी ले लूंगा वैसे मैं संसदीय परिपाटी का आदर करता हूं उनका नाम नहीं लूंगा । वे वहां पर दो बार गये, एक बार 22-1-90 को वहां पर गये, एक सभा हुई, उत्तेजनात्मक भाषण हुए मैं एक शब्द प्रयोग करूंगा राष्ट्रघाती भाषण हुए, उसके बाद 5 तारीख को फिर गये, एक सभा हुई, उत्तेजनात्मक भाषण हुए उसका परिणाम यह है कि 4 दिन बाद अशोक कुमार गुप्ता की हत्या कर दी गयी । अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुख्य मंत्री जी भी वहां पर गये आश्वासन दिया कि थाना खोला जायेगा, यह मांग 86 से चल रही है । पत्रावली में क्या हुआ नहीं पता, अभी तक वहां पर थाना नहीं खोला गया। आर्थिक सहायता की बात भी कही गयी थी । यह जो साम्प्रदायिक उन्माद की बातें हो जाती हैं, हमारी पार्टी कभी खोपड़ी नहीं गिनती है, खून का रंग लाल होता है चाहे हिन्दू का हो या मुस्लिम का हो । बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कानपुर में एक दंगा हुआ गोली बारी हुई, कुछ लोग पी0ए0सी0 की गोली से घायल हुए, मरे, 1-1 लाख रु0 दिये गये, वहां अशोक कुमार गुप्ता राष्ट्रवाद की बात कहते हुए, भारतमाता की जय बोलने के कारण शहीद हो गया, उसके परिवार को आर्थिक सहायता देने में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है

(शेम-शेम की आवाज)

शाहजहांपुर में शंकराचार्य जी की गिरफ्तारी के विरोध में एक लड़के ने आत्मदाह किया । मैंने मुख्य मंत्री जी से कहा था कि इस हत्या के पीछे उत्प्रेरित करने वाले सरकारी अधिकारियों के खिलाफ 306 का मुकदमा कायम किया जाना चाहिये, उसके बाद से सरकार इस पर मौन है और किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुयी । कहा गया था कि

24 घण्टे के अन्दर हत्यारों को गिरफ्तार करेंगे । यह 9 मई की घटना है और आज 15 जून हो गया है लेकिन केवल एक आदमी को आज तक पकड़ा गया है । इसी तरह घरों की तलाशी की बात कही गयी थी, 2-4 घरों की तलाशी हुयी थी, और वहां से नाजायज अस्त्रों का जखीरा पकड़ा गया । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह एक साजिश है इस देश में, इस प्रदेश में आग लगाने की । अभी हाल ही में कानपुर में दंगे हुए थे और वहां पर भी घरों की तलाशी के दौरान तमाम हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था । मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है, मैं एक बार पुनः अपने कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर बल देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि यह कोई साम्प्रदायिक तत्व आग लगाना चाहते हैं और साम्प्रदायिक सौहार्द को नष्ट कर देना चाहते हैं, इसलिये इस विषय पर खुलकर चर्चा करने की जरूरत है, अन्यथा हमारे देश की संस्कृति और साम्प्रदायिक सौहार्द नष्ट हो जायेगा । मान्यवर, संविधान में भी कहा गया है कि सबको न्याय मिलना चाहिये, लेकिन आज पूरे देश में आग लगी हुयी है और एक वर्ग विशेष के प्रति तुष्टीकरण की नीति चलायी जा रही है ।

श्री उपाध्यक्ष–

गुप्ता जी, अब समाप्त करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक समाज की कीमत पर किसी भी स्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जायगा, इसलिये आज आप मेरे कार्य स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करें और आज कार्य स्थगन के रूप में ही इस विषय पर चर्चा होनी चाहिये । इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अपने कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

*श्री केशरी नाथ त्रिपाठी–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री अशोक गुप्ता की हत्या केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा षडयंत्र है । श्री अशोक गुप्ता एक ऐसे संगठन का प्रतिनिधित्व करते थे, जिसके बारे में हममें से बहुतों को गौरव है । वह नगर राष्ट्रीय स्वयं सेवक के कार्यवाहक थे मान्यवर, यह इलाहाबाद के अन्दर अकेली घटना नहीं है, इससे पहले भी तमाम घटनायें हुयी हैं । आज इलाहाबाद साम्प्रदायिक विस्फोट के कगार पर खड़ा हुआ है । जब इलाहाबाद में कुम्भ मेला हुआ था, उस समय भी सांस्कृतिक केन्द्र में बम विस्फोट हुआ था, इसके अलावा भी कई बम विस्फोट मेला के परिसर में हुये थे और उस समय प्रशासन ने यह आश्वासन दिया था कि इन बम विस्फोटों के पीछे कौन लोग हैं, इसकी जानकारी करेंगे और यह मालूम करेंगे कि इस तरह की सभी घटनाओं के पीछे किन तत्वों का हाथ है ? इसी तरह इलाहाबाद के चौक में देश के बटवारे में विस्थापित हुये लोगों ने जो अस्थायी दुकानों का निर्माण किया था, उसमें भीषण आग लगी ।

सरकार ने यद्यपि उनको आर्थिक सहायता दी, परन्तु हम लोगों ने इस बात की मांग की थी कि यह मालूम किया जाय कि इस भीषण अग्निकांड के पीछे कौन सी शक्तियां हैं । हम लोगों ने साफ-साफ इशारा भी किया था कि इलाहाबाद राष्ट्रद्रोही,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

साम्प्रदायिक शक्तियों का अड्डा बनता चला जा रहा है इसका पर्दाफाश किया जाना चाहिये, इस घटना के सिलसिले में मैजिस्ट्रीरियल जांच का आदेश भी दिया गया था, परन्तु उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आयी । मैंने इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय से बात की, जनता के नुमाइन्दों से बात की। जब श्री गुप्ता की शवयात्रा जा रही थी, उस शवयात्रा में मैं भी शामिल था, तब उस शवयात्रा में एक मुहल्ले में एक विशेष वर्ग के लोगों द्वारा पथराव किया गया, जिससे जिलाधिकारी चिन्तित भी हुये । जब मैंने उनसे इस संबंध में जानना चाहा, तो उन्होंने कहा कि त्रिपाठी जी, इस मामले में कुछ ऐसी बातें हैं, जिसके बारे में मेरा मुंह मत खुलवाइये, वैसे वहां इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है । बाद में इस मामले में एक अपराधी पकड़ा गया और पुलिस अधीक्षक की ओर से एक विज्ञप्ति जारी हुयी कि इस हत्याकाण्ड में हत्या करने वाले तीन लोग हैं एक गोरखपुर के हैं और दो लोग इलाहाबाद के ग्रामीण अंचल के हैं । विज्ञप्ति में यह भी कहा गया कि गोरखपुर से लोग हत्या करने के लिए भाड़े पर बुलाये गये थे।

श्री उपाध्यक्ष–

त्रिपाठी जी, आप अपनी बात समाप्त करें

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी–

मान्यवर, इलाहाबाद एक अन्तर जनपदीय अराष्ट्रीय तत्वों का अड्डा बन गया है और यह अविलम्बनीय मह त्व का विषय है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं और आगाह करना चाहता हूं कि समय रहते स्थिति को संभाला न गया तो इलाहाबाद में दंगें हो सकते हैं, वहां साम्प्रदायिक आग भड़क सकती है, इसलिये इसकी जांच करानी जानी आवश्यक है और इस पर चर्चा होना भी अतिआवश्यक है, इसलिए समस्त कार्य को रोक कर आज ही इस कार्यस्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करायी जाय ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, किसी की मृत्यु हो या हत्या हो, हमें भी बहुत दुख होता है । किसी सामाजिक कार्यकर्ता की हत्या हो, उसका विशेष रूप से दुख होता है । श्री अशोक कुमार गुप्ता जी की कुछ अज्ञात लोगों ने हत्या की, हम भी उससे दुखी हैं । लेकिन इस घटना के बाद जो वहां पर साम्प्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश की गई, उस पर हमारी पुलिस ने पूरी तरह से काबू पा लिया और किसी प्रकार का दंगा नहीं होने दिया । जो यह कहा गया कि इलाहाबाद साम्प्रदायिकता का अड्डा बन गया है, मैं कहना चाहता हूं कि इलाहाबाद ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश में साम्प्रदायिक ताकतों को हर प्रकार से कुचलने के लिए इस सरकार ने संकल्प लिया है, चाहे वह कितनी ही बड़ी शक्ति क्यों न हो । उसके खिलाफ कानून की परिधि के अन्तर्गत सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी, इसमें हमारी सरकार कोई संकोच नहीं करेगी । इलाहाबाद में हमारी पुलिस ने बहादुरी से काम किया है । इलाहाबाद की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है ।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में इस बात की चर्चा कहीं नहीं की कि करैली (इलाहाबाद) में थाना स्थापित किया जायेगा, दूसरा, माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि मुआवजा दिया जायेगा, वह नहीं दिया गया, तीसरा, सी0आई0 सिटी प्रथम की हत्या करवाने में साजिश थी, उसका अभी तक वहां से स्थानान्तरण नहीं किया गया है। इन चीजों पर माननीय मंत्री जी प्रकाश डाल दें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो घोषणा की है उसका क्रियान्वयन तो होगा ही ।

श्री हरद्वार दूबे, एडवोकेट–

मान्यवर, इस मामले में अभी श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने अपने विचार रखते हुए एक बात कही थी कि इस हत्या की साजिश के पीछे एक मंत्री का हाथ भी है, तो मैं जानना चाहता हूं कि वह मंत्री कौन है ?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

पहली कार्य-स्थगन की सूचना पर माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से पूर्ण रूप से उत्तर आ गया है, इसलिए इसे अस्वीकार किया गया, दूसरी सूचना श्री राज किशोर सिंह व श्री अकबर हुसैन बाबर जी की है, इसे भी अस्वीकार किया गया, तीसरी सूचना श्री कुंवर सिंह नेगी जी की है, इस पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है, चौथी सूचना श्री श्याम देवराय चौधरी जी की प्रदेश में कई जिलों में घोर पेयजल के अभाव के सम्बन्ध में है, मैं समझता हूं कि यह पूरे प्रदेश का मामला है, इसलिए इस पर एक घण्टे की चर्चा स्वीकार करता हूं ।

(श्री कल्याण सिंह जी के खड़े होने पर)

श्री कल्यान सिंह जी आप कृपा करके बैठ जायं । मैं पहले व्यवस्था दे दूं ।

*श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, आप मुझे आधा मिनट दे दीजिए । आपकी व्यवस्था तो हमें शिरोधार्य है ही । मान्यवर, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने एक गम्भीर विषय की ओर ध्यान खींचा है । उन जैसे वरिष्ठ नेता द्वारा इस बहस का उद्घाटन हुआ है । सरकार में बैठे हुए एक मंत्री के उत्तेजक भाषणों के कारण ही वहां की स्थिति बिगड़ी । स्थिति यहां तक बिगड़ी कि वहां पर श्री अशोक कुमार गुप्ता की हत्या कर दी गई । माननीय मुख्य मंत्री जी वहां गये हुए थे, उन्होंने थाना खोलने की बात कही थी, उस परिवार को आर्थिक सहायता देने की बात कही थी, 24 घण्टे के अन्दर हत्यारों को गिरफ्तार करने की बात कही थी । इन सभी में आज तक कोई मांग पूरी नहीं हुई मैं मांगों की ओर नहीं जाना चाहता हूं मैं एक दूसरे विषय की ओर सरकार का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और यह सदन भी जानना चाहेगा कि वह कौन मंत्री है जिसके उत्तेजक भाषणों से आज प्रदेश में आग लग रही है । यह इलाहाबाद की ही अकेली घटना नहीं है, ऐसा नहीं है कि सरकार के एक मंत्री के उत्तेजित भाषण देने से केवल इलाहाबाद ही जल सकता है, अपितु ऐसे मंत्री के उत्तेजक भाषणों से कल कानपुर, मेरठ, बुलन्दशहर आदि स्थानों में भी आग लग जायेगी । मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्राह्यता का दूसरा कोई बिन्दु हो ही नहीं सकता । अगर किसी सामान्य आदमी की बात होती तो मैं मान लेता लेकिन चूंकि सरकार में बैठे हुए मंत्री की ओर संकेत किया गया है, यदि यह बिन्दु भी ग्राह्यता का नहीं माना जायगा तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि कौन सा बिन्दु ग्राह्यता का होगा ? इस पर कम से कम दो घण्टे की चर्चा स्वीकार करें ताकि सारे तथ्य सदन के सामने आ जायं कि साम्प्रदायिकता की आग कौन फैला रहा है ? यह तय हो जायगा कि साम्प्रदायिकता को यह सरकार बढ़ावा दे रही है या कुचलने का प्रयास कर रही है ।

सरकार में बैठे हुए एक मंत्री के साम्प्रदायिक भाषण की चर्चा राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने की है । इस नाते से यह मामला मात्र इलाहाबाद तक सीमित नहीं है । वह मंत्री अपने साम्प्रदायिक और उत्तेजक भाषणों से केवल इलाहाबाद ही नहीं बल्कि सारे प्रदेश में दंगे करा देंगे और इन जहरीले भाषणों से पूरा प्रदेश साम्प्रदायिकता की आग में झोंक दिया जायगा । इस नाते यह आवश्यक है कि इस पर दो घण्टे की चर्चा करायी जाय हम अपना पक्ष रखें और सरकार अपना पक्ष रखे और आरोपित मंत्री को भी अपनी स्थिति स्पष्ट करने का मौका मिले ।

सरकार बड़ा दावा कर रही है कि वह साम्प्रदायिक शक्तियों को मुंहतोड़ जवाब देगी । इससे पहले मैं चाहता हूं कि इस बात पर खुली बहस होकर परिभाषा तय हो जानी चाहिए कि साम्प्रदायिकता होती क्या है । यह तय हो जाना चाहिए उस परिभाषा के तहत कि कौन साम्प्रदायिक है और कौन राष्ट्रवादी है । मेरी अपनी मोटी परिभाषा के अनुसार जो वर्ग की पहले सोचता है देश की बाद में सोचता है वह साम्प्रदायिक है, जो जाति की पहले सोचता है देश की बाद में सोचता है वह भी साम्प्रदायिक है, जो बांट की पहले सोचता है राष्ट्र की बाद में सोचता है, वह भी साम्प्रदायिक है, जो अलगाववादी शक्तियों के साथ गठजोड़ करता है, वह भी साम्प्रदायिक है और जो अलगाववादी शक्तियों का समर्थन करता है, वह भी साम्प्रदायिक

मैं चाहता हूं कि इस पर व्यापक चर्चा हो जाय, सारा देश जान जायगा । इससे महत्वपूर्ण ग्राह्यता का प्रश्न नहीं हो सकता है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, ग्राह्यता की शर्तें नियमावली में दी हुई हैं । माननीय सदस्य ने एक लम्बा भाषण दे दिया । इससे ग्राह्यता से कोई मतलब नहीं है ।

(श्री अतीक अहमद के खड़े होने से व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

पांचवीं सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त एवं श्री केशरी नाथ त्रिपाठी जी की है, इस पर वक्तव्य स्वीकृत किया गया । छठी सूचना श्री राम लखन वर्मा जी की है, इस पर भी वक्तव्य स्वीकृत किया गया । सातवीं सूचना श्री मस्त राम, श्री हरद्वार दुबे, श्री शिव प्रताप शुक्ल, श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य, श्री देवकी नन्दन जी की है इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, आठवीं सूचना श्री रामचन्द्र बख्श सिंह, श्री असगर, श्री ऊदल की है, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, नवीं सूचना श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी की है इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है तथा दसवीं सूचना श्री देव कुमार यादव की है, इस पर भी शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

श्री अतीक अहमद—

मान्यवर, इलाहाबाद का होने के नाते मुझे भी सुन लीजिये ।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा अनुमति न दिए जाने पर श्री अतीक अहमद पहले सदन के वैल पर आ गये फिर पुनः स्वयं ही वापस चले गये ।)

श्री अतीक अहमद—

मान्यवर, मुझे भी सुन लीजिये ।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन के कूप में खड़े होकर नारे लगाते रहे कि "साम्प्रदायिक मंत्री को बरखास्त करो, बरखास्त करो" जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

डाक्टर दिनेश जौहरी—

[xxx]

श्री उपाध्यक्ष—

मैं सदन को आधे घण्टे के लिए स्थगित करता हूं ।

(तत्पश्चात् सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न होने के कारण श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 2 बजकर 45 मिनट पर 3 बजकर 15 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी । 3 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री राजेन्द्र त्रिपाठी के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

(3 बजकर 15 मिनट पर पुनः बैठने पर)

श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, जो कार्य स्थगन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उस पर आपने क्या निर्णय दिया है ?

टिप्पणी-[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया है।

श्री अधिष्ठाता–

उपाध्यक्ष जी ने पहले ही चर्चा की बात को अस्वीकार कर दिया था और वक्तव्य देने के लिए कह दिया था ।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, मैं महसूस करता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराने का अवसर नहीं मिला है । इसका मुझे दुख है कि चर्चा नहीं करायी जा रही है । इसके विरोध में मैं अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(इसके बाद श्री कल्यान सिंह भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य सहित सदन का बहिष्कार कर चले गये।) (श्री राम कुमार शुक्ल सदन में अनुपस्थित होने के कारण अपना संकल्प प्रस्तुत न कर सके ।)

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों की प्रत्येक ग्राम सभा में भी आवास विकास योजना लागू किये जाने तथा सुलभ शौचालय बनवाये जाने संबंधी संकल्प

*श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश के ग्रामीण अंचलों की प्रत्येक ग्राम सभा में भी आवास एवं विकास योजना लागू की जाय और सुलभ शौचालय बनवाये जायें ।

मान्यवर, हमारा देश महात्मा गांधी के ग्रामों में बसता है, लेकिन वहां पर शौचालयों की कोई व्यवस्था नहीं है । अभी तक तो जंगलों या झाड़ियों में शौच के लिए लोग चले जाते थे, परन्तु अब वह भी संभव नहीं रह गया है और वह शौच के लिए परेशान होते हैं । इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि गांवों में सुलभ शौचालय बनवाये जायें । इसके साथ ही साथ गांवों में गरीब लोग बसते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति इस प्रकार की नहीं है कि वह अपने मकानों को बनवा सकें, इसलिये मेरा सुझाव है कि गांवों में भी आवास विकास योजनायें चलायी जायें । मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे इस प्रस्ताव का समर्थन करें ।

श्री अधिष्ठाता—

जो माननीय सदस्य चाहें, वह अपना सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं ।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, मेरा पहला संकल्प है, मुझे भी अनुमति दी जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने तो कह दिया कि जो माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट करना चाहें, विचार प्रकट कर लें ।

(3 बजकर 20 मिनट)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, यह तो इस सरकार की स्पष्ट नीति है कि हम ग्रामीण अंचलों में सुलभ एवं स्वच्छ शौचालय बनायें। हम 2 लाख ऐसे शौचालय बनायेंगे। जो गरीबी की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रेखा से नीचे के लोग हैं उन्हें 100 फीसदी और जो उससे ऊपर हैं उन्हें 80 फीसदी अनुदान के रूप में अपना आवास बनाने के लिए देने का प्राविधान किया गया है । ग्रामीण अंचलों में हालांकि आवास विकास योजना नहीं है जैसा कि शहरों के लिए है फिर भी हमारी एक निर्बल वर्ग आवास योजना चल रही है । अभी सभी गांव इसके अन्तर्गत नहीं आ सके हैं किन्तु धीरे-धीरे इसका विस्तार होगा । आप संतुष्ट होंगे कि हमने सुलभ एवं स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्था ठीक कर दी है और हमारी निर्बल वर्ग आवास योजना चल रही है और पहले से ही चल रही है । हम इन दो योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करेंगे ।

*श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सुलभ शौचालय प्रत्येक ग्राम सभा में जवाहर योजना की तरह लागू करके बनाये जायं । गरीबी की रेखा से नीचे जो लोग रह रहे हैं उनके लिए तो मकान की व्यवस्था का प्राविधान पहले से ही हमारी सरकार ने कर लिया था । किन्तु इस योजना के तहत आप हर गांव सभा को भी ले लें, उसको बढ़ायें । शहरों की तरह गांवों में भी आवास योजना को लागू करें ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारी सुलभ शौचालय बनाने की योजना है । मान्यवर, यह तो पहले से योजना बनी हुई है लेकिन ग्रामीण अंचल में गांव सभा स्तर तक इसे कब से लागू कर देंगे ?

(व्यवधान)

*श्री रघुबर दयाल वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता जी, मुझे खेद है कि संकल्पों के बारे में जो रवैया आप अपना रहे हैं उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रस्तावक महोदय ने अपना प्रस्ताव कर दिया । आपने उस पर माननीय सदस्यों को बोलने के लिए कहा किन्तु जब कोई उस पर कुछ नहीं कहना चाहा तो आपने मंत्री जी का अभिमत भी जाहिर करा दिया। अब प्रस्ताव हो जाने के बाद और मंत्री जी के अभिमत जानने के बाद प्रस्तावक महोदय या तो उसे वापस लें या उसे सदन पास करे । यह प्रक्रिया नहीं हो रही है। आपने माननीय सदस्य से विचार करने के लिए बुलवा लिया । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । जो प्रक्रिया है उससे हटकर संकल्पों पर विचार करने का औचित्य नहीं है । वह अपने संकल्प को वापस लेते हैं या क्या कहना चाहते हैं, यह आप उनसे पूछ लें ।

श्री अधिष्ठाता–

इसमें कोई व्यवस्था की बात नहीं है । आपका कहना ठीक है प्रस्तावक ने अपना प्रस्ताव रखा और संकल्प पर भाषण दिया । मैंने माननीय सदस्यों को बुलाया, जब कोई नहीं उठा तो माननीय मंत्री जी ने संक्षिप्त में उत्तर दे दिया । मैंने पुनः कहा कि यदि कोई माननीय सदस्य इस पर अपना विचार प्रकट करना चाहें तो कर सकते हैं ।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, मैं माननीय रघुबर दयाल वर्मा जी की बौद्धिक क्षमता को चैलेंज नहीं करता लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं.

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मैंने निवेदन किया कि जब आपने संकल्प प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी, उन्होंने संकल्प पर भाषण भी दे दिया । मंत्री जी ने संकल्प का विरोध किया और उसके बाद माननीय प्रस्तावक ने अपनी बात कह दी । मंत्री जी ने कहा कि कोई औचित्य नहीं है तो फिर माननीय सदस्य से पूछ लें कि वे उसे वापस लेते हैं ? फिर उसे चर्चा में प्रस्तुत करने का औचित्य नहीं है । अब तक की परम्परा तो यही रही है । आप कोई नई परम्परा डाल रहे हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन यह व्यवस्था का प्रश्न अपनी जगह पर सही है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी ने शासन की ओर से अपनी बात कही । मंत्री जी ने अपने विचार प्रकट किये ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, मैं सदन के समय का मूल्य समझता हूं । माननीय मंत्री जी ने जो बात कही है उसके संबंध में जानना चाहता हूं कि वह इन दोनों योजनाओं को कब तक लागू करा देंगे और उसको लागू करने का क्या तरीका होगा? मान्यवर, इसकी जानकारी दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी को जवाब देना है उस वक्त आ जायेगा ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मेरा सुझाव है जैसा माननीय सदस्य का प्रस्ताव है कि प्रत्येक गांव सभा में यह शौचालय होने चाहिए ।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मेरा पहला संकल्प है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप नहीं थे इनका ले लिया था।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

अब इसको समाप्त कराईये पहले वाले में माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे दूसरा वाला ले लिया था उस पर विचार विमर्श हो गया है । अब दूसरे वाले को लीजिये । माननीय मंत्री जी को बुलाने से पूर्व माननीय सदस्य का उत्तर भाषण होना चाहिये (व्यवधान) अब इस पर सदन की राय ले लीजिये माननीय सदस्य से पूछ लीजिये कि वह वापस लेना चाहते हैं ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

मैं वापस नहीं लेता हूं इस पर सदन की राय ले लीजिये ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

माननीय मंत्री जी के भाषण के बाद अब इस पर चर्चा की कोई बात नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी ने शासन की तरफ से टिप्पणी दी है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

आपने सुना नहीं उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि उनकी सरकार का क्या प्रोग्राम है निर्बल वर्ग आवास बनाने के लिये ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, जैसा मैंने कहा ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण अंचलों में पहले से चल रही है । इस वर्ष हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक गांव सभा में एक स्वच्छ शौचालय बनाया जायेगा उसके लिये जो गरीबी के रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनको 100 प्रतिशत अनुदान और बाकी को 80 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा । इसके लिये 26 करोड़ 39 लाख रु0 की व्यवस्था करने पर विचार किया जा रहा है । इसके लिये सभी जिला मैजिस्ट्रेट और जिला परिषद् के अध्यक्षों को रणनीति तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं । आपका प्रस्ताव है कि आवास विकास परिषद् बनाई जाय । तो उसकी आवश्यकता नहीं है । वित्तीय संसाधनों को देखते हुये अलग से परिषद् बनाना ठीक नहीं है । पूर्व योजना को प्रभावी बनाने से माननीय सदस्य की मंशा पूरी हो जायेगी । इसलिये वह अपना संकल्प वापस ले लें।

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

मैं वापस नहीं ले रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश के ग्रामीण अंचलों की प्रत्येक ग्राम सभा में भी आवास एवं विकास योजना लागू की जाय और सुलभ शौचालय बनवाये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, यह आवश्यक विषय है जो इसमें रह गया है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं आगे के लोगों को बुला रहा हूं । पहले तीन और चार संकल्पों को लिये लेता हूं । प्रस्ताव पढ़ें ।

मद्य निषेध योजना को कड़ाई से लागू किये जाने तथा मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा विद्यालय तथा घनी आबादी के बीच शराब की दूकान न खोलने के संबंध में संकल्प

*श्री कृष्ण कुमार नवमान–

मैं संकल्प प्रस्ताव करता हूं कि "इस सदन का यह सुविचारित मत है कि मद्य निषेध योजना को कड़ाई से लागू किया जाय तथा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, विद्यालय तथा घनी आबादी के बीच शराब की दुकान न खोली जाय ।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मेरा विचार है और यह सदन एवं सरकार परिचित है कि इस मद्य निषेध पर सरकार लाखों रुपये खर्च कर रही है कि जनता इसको न पिये लेकिन सरकार दो मुंही बातें करती है जैसे मद्य निषेध और आबकारी मंत्री एक ही हैं । इसी प्रकार डी0 एम0 मद्य निषेध के अधिकारी हैं और जिले का भी काम देखते हैं जो दोमुंही सरकार का द्योतक है । सरकार की कथनी और करनी में अंतर है । सरकार एक तरफ कहती है कि शराब न पियो लेकिन दूसरी तरफ डी0 एम0 जगह जगह पर शराब की दुकानें अधिक आय बढ़ाने के लिये खोलते जाते हैं । आंकड़े बताते हैं कि 50 लाख रुपये की शराब पिछले साल बिक्री तो इस साल 70 लाख रुपये की बिके । यह विचार गलत है । शराब की दुकानें मंदिर, मस्जिद, विद्यालयों और गुरुद्वारे एवं घनी आबादी की बीच में खोलने से पति शराब पीकर घर आता है तो अपनी पत्नी को और बच्चों को प्रताड़ित करता है, इसलिये समाज के लोग चाहते हैं कि ऐसी जगहों पर शराब की दुकानें न खोली जायं । लेकिन कोशिशों के बावजूद ऐसी जगहों पर शराब की दुकाने खुल जाती हैं जहां आसानी से लोगों को शराब मिल सके । तो यह तरीका गलत है । मेरा निवेदन है कि अगर सरकार अपनी छबि बनाना चाहती है तो जो कथनी हो वही करनी हो, तो शराब बन्दी को इमानदारी से लागू करें और मंदिर, विद्यालय, स्कूल, मस्जिद और गुरुद्वारों एवं घनी आबादी के निकट शराब की दुकानें न खुलें । मेरा मत है कि इस पर चर्चा करा लें और इस संकल्प को पास करें ।

*श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, मैं प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं । मान्यवर, मैं 20 सालों से कांग्रेस के दिये पापों को देख रहा हूं जिससे शराब की दुकानें मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे के बीचों बीच में खुली हुई हैं जबकि नीति होनी चाहिए कि मंदिर, मस्जिद, विद्यालय, गुरुद्वारा और घनी आबादी के बीच शराब खाना नहीं होगा । मान्यवर, लखनऊ में ऐसी जगहों के बीच शराबखाने हैं जो पिछली कांग्रेस सरकार की देन है । अब मैं इस सरकार से उम्मीद करता हूं कि यह सरकार पिछली सरकार के कारनामों को जो खराब हैं उनको छोड़ने का काम करे क्योंकि मंदिर के बीच में ताड़ीखाना बना हुआ है । यह इस प्रकार का मद्यनिषेध है और जो एक्साईज एक्ट के खिलाफ है, उसके प्राविधानों के खिलाफ हो रहा है, यह जनहित में बिलकुल नहीं है । पहले जनता पार्टी की सरकार में पूर्ण मद्यनिषेध हुआ था, कड़ाई से लागू हुआ था। किन्तु उसके बाद होने वाले चुनाव में इस समय विरोध पक्ष में बैठे सदस्यों ने जनता से कहा था कि यदि हम चुनाव के बाद सत्ता में आएंगे तो शराबबन्दी खुल जाएगी। इस शराब के कारण लाखों लोगों का जीवन नारकीय बन जाता है । वह अपनी सारी की सारी कमाई की शराब पी जाते हैं। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि मद्यनिषेध को कड़ाई से लागू किया जाए और जिनकी पीने की स्थिति नहीं है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उन पर कोई ऐसी पाबन्दी लगाई जाए कि उन लोगों को शराब न मिले, न मिल सके। साथ ही यह भी चाहता हूं कि इस तरह से जहां जहां पर आपत्तिजनक स्थानों पर मन्दिर, मस्जिद और स्कूलों आदि के पास शराबखाने हैं, उनकी जांच कराई जाए और तत्काल उन निषिद्ध स्थानों से उन्हें बन्द कराया जाए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मोबीन अहमद आजमी–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य यूं ही बिना अनुमति के बोले हैं, इसलिए इनका कुछ नहीं लिखा जाएगा। यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

श्री किशन गोपाल–

आगरा की शराब की दुकान खोली गई, पिछले कई वर्षों से खोली गई, लेकिन 4 माह पूर्व बन्द कर दी गई थी। उसको बन्द करने का कारण जनहित है। क्योंकि वहां पर उस शराबखाने के पास मन्दिर मस्जिद और स्कूल सभी कुछ थे। लेकिन वहां पर जिलाधिकारी ने जबरदस्ती इसी माह में पता नहीं किन कारणों से किस दबाव में पुनः वही शराबखाना खुलवा दिया है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है, शासन की यह नीति हमारी समझ में नहीं आ रही है कि कभी बन्द करवा रहे हैं और कभी खुलवा रहे हैं। अगर यह इसी तरह से धन के प्रलोभनवश निषिद्ध स्थानों पर नई-नई शराब की दुकानें खुलवाते रहेंगे तो पता नहीं धन के लालच में और कौन-कौन से जघन्य और गलत काम यह नहीं करेंगे। आगरा पश्चिम में रुई मंडी कलारी में फिर से दुकान खुलवा दी गई है। मेरा निवेदन है कि इसे पुनः बंद करवा दिया जाए, अन्यथा इससे कोई जनहानि होगी तो उसकी जिम्मेदारी सरकार और वहां के जिलाधिकारी की होगी। अंतिम निवेदन मैं आपसे यह करना चाहता हूं कि 5 मार्च से आगरा में जो रुई मंडी के पास कलाली, शराब की दुकान थी पुनः चालू कर दी गई है उसको बन्द कराने के तुरन्त आदेश पारित करें यह निवेदन है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जो सदन में हैं वह शराब नहीं पिएंगे तो शराब बन्द हो जाएगी।

(हंसी)

श्री चन्द्रशेखर सिंह–

पाक जन्नत कहां नसीब होगी,
जहां साकी होगी, शबाब होगा, चश्मेहूर होगी।

आप एक ओर तो शराब बन्दी की बात करते हैं लेकिन शराब बन्द भी नहीं करते हैं। तो जब शराब होगी, तो शबाब होगा और साकी होगा, और वहां शराब होगी, किसी ने कहा है–

जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर,
या वो जगह बता, जहां पर खुदा नहीं।

मंत्री जी बहुत समझदार आदमी हैं, कांग्रेस के लोग भी चाहते हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि शराब बन्द होनी चाहिए।

श्री शेख मोहम्मद सुलेमान–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, संसदीय कार्य मंत्री एवं अन्य माननीय सदस्यों ने जैसा

टिप्पणी–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कहा कि सरकार की करनी और कथनी में फर्क है एक तरफ मद्यनिषेध की बात कही जाती है दूसरी तरफ शराब के करोड़ों रुपयों के ठेके दिए जाते हैं, शराब के ऊपर अभी कुछ शेर भी कहे गये, तो मैं भी एक शेर कहना चाहूंगा--

दामन पे कोई छींट, न खंजर पे कोई दाग,
वो कत्ल करे है, या कयामत करे है ।।

मैं आबकारी मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वह इस दिशा में कोई ठोस कदम उठायें, इसमें कोई स्पष्ट नीति होनी चाहिए।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, शेरों-शायरी के बीच जो अभी मा0 सदस्य और मौलाना साहब ने कहे, उन शेरों-शायरी के बीच माहौल परिवर्तित हो गया और मुझे बोलने को मजबूर होना पड़ा। श्रीमन् यह भी अपनी जगह सत्य है कि समाज में सामान्य और समाजवादी कमियों को दूर करने का जिम्मा शासन का और सरकार का है। शराब व्यसन है इससे अनेक प्रकार की ऐसी बातें पैदा होती हैं जिससे समाज में इतनी भयानकता पैदा हो जाती है जिससे आदमी हैवान बन जाता है इंसान नहीं रहता । शराब पीकर लोग नालियों में गिर जाते हैं। सड़कों पर रास्ता रोककर ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाती हैं जिससे शर्म आती है । मैं श्रीमन्, आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी जनता दल की हुकूमत को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे गलत परम्परा पड़े। जैसे काम कांग्रेस की हुकूमत में 42 सालों में इस मुल्क में हुए हैं वैसी कोई परम्परा हमें नहीं डालनी चाहिए। आप लोग जरा धीरज से मेरी बात सुनें, विपक्ष में बैठने के तौर तरीकें आपको सीखने पड़ेंगे। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले 42-43 सालों में शराब बंदी का एलान न करके शराब को राजस्व का स्रोत बना दिया गया है जिसका परिणाम आज हमारे सामने है।

शराब को बन्द करने के लिए आपको सामाजिक व्यवस्था करनी पड़ेगी और यह जो बुराई समाज में फैल गई है इसको दूर करने के लिए आपको बड़े संघर्ष की आवश्यकता पड़ेगी। शराब को बन्द करने के लिए एक तो आपको सामाजिक स्तर पर व्यवस्था करनी होगी और दूसरे जो आपने इसको राजस्व देने वाला जो स्रोत मान लिया है उस स्तर पर भी सरकार को खड़े होना पड़ेगा। जो संकल्प के तहत सुझाव आये हैं उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में शराब बंदी आपको करनी चाहिए। यदि हम अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन में शुचिता, पवित्रता लाना चाहते हैं, समाज में संस्कार लाना चाहते हैं, सभ्य समाज के रूप में प्रदेश की तरक्की करना चाहते हैं तो निसंदेह हमें शराबबंदी करनी पड़ेगी। शराब बंदी आपको इसलिए भी करनी पड़ेगी शराब के नशे में मदहोश ड्राइवर पता नहीं कब और कहां पर बस को लड़ा देता है और कितनी बड़ी बड़ी दुर्घटनायें हो जाती हैं। ड्राइवर नेशनल हाईवे पर जा रहा है रास्ते में उसने देखा कि मधुशाला लिखा है, ड्राइवर मधुशाला पर गाड़ी रोक देता है और शराब पीकर 60-70 आदमियों को लेकर चलता है तो उन सवारियों का जीवन शराब के साथ जुड़कर चलता है, पता नहीं कहां दुर्घटना हो जाय।

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी जो आबकारी विभाग के मंत्री हैं वह इस तरफ ध्यान दें। हम सब लोग बड़े गरीब घरों से आने वाले

लोग हैं, पिछड़े वर्गों से आने वाले लोग हैं इसके कहने में मुझे शर्म नहीं महसूस होगी। हमारे देश के जो सर्वाधिक शोषित लोग हैं वह शराब की तरफ भागते हैं इसलिए हमको शराब बन्द करने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाने पड़ेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सामन्तों ने इस देश में शराब को जारी किया और उससे समाज का शोषण किया है। उस शोषण के रास्ते पर आज हमारी सरकार को नहीं चलना चाहिए। स्वर्गीय डाक्टर लोहिया, चौधरी चरण सिंह और अभी मोरार जी भाई इन सबने जो शराब बंदी की नीति लागू की थी उसको अपनाना पड़ेगा और शराबबंदी के लिए निश्चित रूप से संघर्ष करना पड़ेगा।

इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को कृतसंकल्प होना पड़ेगा और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। जैसा कि संकल्प में कहा गया है कि मंदिर, मस्जिद, स्कूल के पास शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए उसके लिए कानून में भी व्यवस्था है लेकिन इन कानूनों का पालन नहीं होता है। शराब बंदी के लिए प्रदेश की जनता को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा और इस माननीय सदन के सभी सदस्यों को एक मत होकर सरकार से आग्रह करना पड़ेगा कि शराब बंदी कड़ाई से लागू की जाय। उपाध्यक्ष जी, मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि जो बड़े और साधन सम्पन्न लोग हैं उनको जरूर इससे परेशानी होगी क्योंकि उनको स्काच ह्विस्की चाहिए। उनको जरूर परेशानी होगी जिन मा0 विधायकों को बिना शराब के नींद नहीं आती है। उन मंत्रियों को भी परेशानी होगी जिनको शराब के बिना नींद नहीं आती है। श्रीमन् मंदिरों और मस्जिदों में मौलवी वगैरह को बिना शराब के नींद ही नहीं आती है, इसलिए मंदिर की पवित्रता बनाये रखने के लिए, राम जन्म भूमि की पवित्रता बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि शराब बन्दी की जाय। श्रीमन् राजस्व की हानि को देखते हुए शराब बन्दी के लिए यह सरकार कदम उठाये। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

*श्री रवीन्द्र शुक्ल--

मान्यवर, माननीय वर्मा जी ने बहुत उत्तम विचार सदन के समक्ष रखा। सारे सदन को एक मत होकर इस बात का समर्थन करना चाहिए। शराब के कारण जाने कितने परिवार आज प्रदेश के अन्दर तबाह हो रहे हैं। मान्यवर, जाने कितनी अबलायें अपने पति की प्रतीक्षा 12-1 बजे रात तक करती हैं और बच्चे भूखे पेट सो जाते हैं और उनके बाप कहीं नाली या किसी मधुशाला में पड़े हुए रात बिताते हैं। सरकार का लाखों रुपया मद्य निषेध के नाम पर बर्बाद होता है। एक तरफ मद्य निषेध की गोष्ठियां की जाती हैं और दूसरी तरफ शराब के बड़े-बड़े विज्ञापन छपाये जाते हैं और ऐसी जगहों पर शराब की दुकानें खोली जाती हैं, जहां पर साधारण रूप से लोगों को शराब उपलब्ध हो सके। सरकार की इस दोहरी नीति पर हमें एक शायर का शेर याद आता है। "हमी को कत्ल करते हो, हमी से पूछते हो, शहीदे नाज बतलाओ मेरी तलवार कैसी है?" यह जिस तरह से दुर्दशा हमारे समाज

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

की हो रही है, एक शायर ने कहा है कि–"हमें तो पता भी नहीं था कि हमारे तलवों से वो खूं रिसा है कि गर्द तक गुलाल हुई ।" मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि केवल इन जगहों पर दुकान खोलने का ही प्रश्न नहीं है, बल्कि निश्चित रूप से शराब बन्दी पूरे प्रदेश के अन्दर लागू कर देना चाहिए, अन्यथा कांग्रेस सरकार और जनता दल की सरकार में कोई अन्तर नहीं होगा ।

यह उत्तर प्रदेश के अन्दर शराब बन्दी निश्चित रूप से कर देनी चाहिए अगर यह हुआ, तो सारे प्रदेश के बच्चे और अबलायें सुखी हो जायंगी और यह हमेशा-हमेशा के लिए एक इतिहास बन जायगा । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

*श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो संकल्प रखा गया है, इसका मैं दिल और दिमाग से समर्थन करता हूं । मान्यवर, जो संकल्प सरकार के नियमों के प्रतिकूल शराब के ठेकों की दूकानें मंदिर और मस्जिद और शहरों के मध्य खोली जाती हैं, इसको रोकने के लिए सरकार को कृत संकल्प होना चाहिए और कड़ाई से रोकना चाहिए । मान्यवर, संकल्प जो रखा था कि मंदिर, मस्जिद और स्कूलों के नजदीक शराब की दूकानें न खोली जायं, उसका स्वरूप शराब बन्दी तक चला गया, बहुत अच्छा विचार है । इसका हम समर्थन करते हैं । मान्यवर, दुर्भाग्य की बात है कि जैसा कि बताया गया कि एक तरफ तो शराब बन्दी का एडवरटाईजमेंट होता है और दूसरी तरफ उसी पेपर में शराब पीने का भी एडवरटाईजमेंट होता है। और इस सरकार के लोग यह कहकर कि पुरानी सरकार की देन है पुरानी सरकार की जितनी अच्छाइयां हैं उन सबको तो भुला चुके हैं और एक बुराई यह है उसको ग्रहण किये हुए हैं, कितने दुर्भाग्य की बात है ! अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आज यहां एलान करें कि शराब बन्दी को कड़ाई से रोका जायेगा इस प्रदेश के अन्दर । आज मथुरा जनपद के अन्दर वृन्दावन शहर में शराब बन्दी लागू की जाती है लेकिन वृन्दावन के एक-एक दो-दो किलोमीटर की सराउंडिंग एरिया में शराब बेची जाती है। कितने दुर्भाग्य की बात है। आज इस संकल्प का मैं समर्थन करते हुए अनुरोध करता हूं कि आज प्रदेश के अन्दर कड़ाई से शराब बन्दी लागू की जाय।

*श्री गौरी शंकर भइया–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अगर इजाजत हो तो मैं संकल्प को दुहरा दूं, संकल्प है–"इस सदन का यह सुविचारित मत है कि मद्य निषेध योजना को कड़ाई से लागू किया जाय तथा मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, विद्यालय तथा घनी आबादी के बीच शराब की दुकान न खोली जाय ।" और बात चल रही है शराब बन्दी की ।

श्रीमन्, आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान के संविधान में भी व्यवस्था है वह कल्याणकारी राष्ट्र पूरा का पूरा शराब बन्दी की तरफ प्रयास करें । मान्यवर, हमारे कई साथियों ने शराब बन्दी की बात कही, यह शराब बन्दी जिला प्रदेश का विषय नहीं है अगर आपको शराब बन्दी करनी है तो पूरे भारत के स्तर पर इसे कड़ाई से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

लागू करना पड़ेगा । आपको याद होगा कि एक बार इसी प्रकार से जनता रिजीम में किया गया था, यह बिहार में लागू नहीं था उत्तर प्रदेश में लागू था और पूरे बिहार के जितने भी रास्ते थे उन रास्तों से शराब लाने का काम शुरू हो गया । जिन जिलों की बात हमारे माननीय सदस्यों ने कही, मैं उनका आदर करता हूं लेकिन मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि जिन जिलों में लागू किया गया है वहां शराब बिके या नहीं पी नहीं जाती, वहां अंधेरी गलियों में शराब पी जाती है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत आबकारी है, एक बार अगर इस स्रोत को बन्द कर दिया जाय तो कल जो बजट आयेगा तो सारे सदस्य मांग करेंगे कि हमारे इलाके में ट्यूबवेल लगा दिया जाय, हैण्डपम्प लगा दिया जाय और विकास के कार्यक्रम शुरू किये जायं तो इसके लिए पैसा चाहिए और पैसे का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत यही है । मान्यवर, जब से यह शराब निकली तब से इसका विरोध शुरू हुआ और निरन्तर इसकी बिक्री बढ़ती गयी और इस पर राजस्व बढ़ता गया और आज भी इस पर बात चल रही है ।

मैं समझता हूं कि इस पर समय व्यय करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि आप दूसरे संकल्प को लें । यह बात सदन में जितनी अच्छी लगती है व्यवहार में उसको लागू करना आसान नहीं है । लेकिन एक बात से मैं सहमत हूं कि शराब की खिलाफत करने वाले जितने लोग हैं इसमें से कितने लोग इसका उपयोग करते हैं, मैं नहीं जानता । मैं अनुरोध करता हूं माननीय आबकारी मंत्री जी से कि कम से कम जहां मंदिर, मस्जिद और मदरसे हैं वहां पर इस तरह की दुकानें खोली जायं । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं जब हम विपक्ष में थे तो हमें इसकी कटौती मिली थी इस बात पर बोलने के लिए। मान्यवर, एक उदयगंज चौराहा है इसी लखनऊ जिले के अन्दर, आप श्रीमन्, जब कभी निकलते हों तो गाड़ी रोककर इसको देख लें। एक ही बिल्डिंग में मन्दिर, मस्जिद, मयखाना और मदरसा चल रहा है । मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि जहां ऐसी स्थिति है, आपके पास नियम हैं, उन नियमों की कड़ाई से पालन करने की जरूरत है । मा0 सदस्यगण बता सकते हैं कि कई ऐसे स्थान हैं जहां शराब प्रतिबंधित है लेकिन शराब बिक रही है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह जो मद्य निषेध कार्यक्रम है, उसमें मौजूदा कानूनों का कड़ाई से पालन कर दिया जाय तो इस संकल्प के सदन में लाने की जरूरत ही न पड़े । मैं इस सदन के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि मद्य निषेध कार्यक्रम के अन्तर्गत जो कानून बने हैं, उनको कड़ाई से पालन करें ।

*डा0 सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर ईमानदारी से विचार किया जाय तो ऐसा लगेगा कि यह केवल इस प्रदेश की विधान सभा में बैठे हुए जनता के प्रतिनिधियों की आवाज नहीं है, अगर सामान्य रूप से जनता के बीच जाकर शराब और शराबबंदी दोनों पर चर्चा करें तो प्रत्येक व्यक्ति कहेगा कि इस प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारी सरकार का राजस्व शायद इससे गिर जायगा । लेकिन मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या केवल राजस्व बढ़ाने के लिए शराब और जो उससे भी ज्यादा गन्दे काम हैं, क्या सरकार वह काम भी कराने को तैयार है ? अगर नहीं तो शराबन्दी के विपक्षी लोगों से आपके माध्यम से अनुरोध है कि अपने मन मंदिर के पास शराब को फटकने मत दीजिये, ईंट पत्थर के मंदिर की तो बात ही दूसरी है । मा0 मंत्री जी से एक बार मेरी व्यक्तिगत रूप से बात हो चुकी है, शराबबंदी कठिन जरूर है लेकिन असम्भव नहीं है । एक बार विधान सभा में संकल्प ले लें कि इस प्रदेश में शराबबंदी करनी है और संकल्प के बाद सरकार तैयार हो जाय कि इसके लिए किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार है और राजस्व कुर्बान कर सकते हैं तो निश्चित जानिये कि आने वाली पीढ़ी इस सरकार की इस बात के लिए सदैव ऋणी रहेगी । एक अन्तिम बात कहना चाहता हूं कि मेरे वह मित्र जो शराबबंदी नहीं चाहते हैं और जो शराब के प्रेमी हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि एक बार शराबबंदी का संकल्प ले लें । यह कोई असम्भव कार्य नहीं है । कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता । पत्थर तो तबियत से उछालो यारो ।

श्री चैनसुख भारती–

मान्यवर, जिसके जीवन में एक बार शराब प्रवेश ले ले, उसकी शर्म और लज्जा जाने लगती है । हमारे देश में और प्रदेश में 60 परसेंट बलात्कार, झगड़े, चोरी और व्यभिचार शराब के कारण होते हैं । मैं कहूंगा कि आज जो प्रस्ताव आया है, मैं उसका समर्थन करता हूं । शराब के जरिये से ही चोरियां, व्यभिचार, आपसी झगड़े आदि होते हैं, शराबबंदी से 50 परसेंट खुद कम हो जायेंगे । तो जो मा0 सदस्य का प्रस्ताव है कि प्रदेश में शराबबन्दी होनी चाहिए, पूरी न सही तो इतनी तो कर दें कि जो लोग सड़कों पर पीकर गाली गलौज करते हैं वे ऐसा करने से बाज आ जायें । जो मां बहन की गाली देते हैं शराब पीकर, उनके लिए कड़ा कानून बनना चाहिए चाहे उनमें अधिकारी या जनप्रतिनिधि ही क्यों न हों । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं । जयभारत ।

श्री प्रभूदयाल प्रधान–

मान्यवर, जो विषय सामने हैं उस पर कई माननीय सदस्यों ने विचार रखे, मैं भी दो शब्द इस पर कहना चाहता हूं । इसके तीन नाम हैं, एक दवा, दूसरी दारू, तीसरी शराब, जो हम गांव की भाषा में कहते हैं । इसको कोई खत्म नहीं कर सकता है। मान्यवर, जो उधर के सामने बैठे साथी इसकी बाबत बोल रहे थे उसकी यूं समझें तारीफ कर रहे थे, उनकी डाक्टरी करा ली जाय, उसके बाद यदि मेरी बात गलत निकले तो जो सजा देना चाहें दे दें ।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

यह मान्यवर, कंठ की भाषा बोल रहे हैं, हृदय की भाषा नहीं बोल रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेंकना चाह रहे हैं । अगर इस चीज को बीमारी में इस्तेमाल किया जाय तो कोई इसका जवाब नहीं, उस समय यह दवा का काम करती है । थकान के बाद, परेशानी में उलझन में यह पी जाय तो यह दारू है । तीसरा है शराब, यह शराब उस वक्त होती है जब जवानी में आदमी हैसियत से ज्यादा पीता

है और तरन्नुम में रहता है उस वक्त यह शराब होती है और मातृ भाषा में इसे शराब कहते हैं । यह शराब जिसके लिये श्राप हो जाती है उसके लिए अभिशाप हो जाती है । यह हानिकारक नहीं है लेकिन इसके प्रयोग करने के तरीके हैं । अगर हम लोग यह समझें कि वाकई यह देश के लिए घातक है तो कम से कम इस सदन में बैठने वाले लोग इसे छोड़ने का पहले संकल्प लें कि अब नहीं पियेंगे और उनकी एक महीने तक लगातार डाक्टरी जांच करायी जाती रहे कि कितनों ने छोड़ी है । रहा रेवेन्यू का सवाल, अगर रेवेन्यू के लिए यह की जाती है तो फिर यह अच्छी बात नहीं है, देश की गरिमा को मिटाकर यह किया जाय तो गलत है । लेकिन देश चलाना है, अगर इसको खत्म करना है तो यह कानून से बन्द नहीं मन से की जा सकती है । यहां का कानून इतना कमजोर हो चुका है पिछली सरकार ने उसे इतना कमजोर कर दिया कि उसकी मालिश करनी पड़ेगी जैसे तपेदिक के मरीज को दवा देनी पड़ेगी, तब कानून कामयाब होगा ।

पिछली सरकार ने 40 साल में देश के कानून को कमजोर करने का काम किया । अब कहावत है कि जब लुट गयी तो फिर भगी । आज यह पल्ली तरफ बैठने वाले कानून की दुहाई देते हैं, कानून के नाम पर इसको बंद करने की बात कहते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि इनमें से 90 प्रतिशत इसे पीते हैं । मैं भी इन्हें जानता हूं और यह भी अपनी असलियत से वाकिफ हैं । हम तो इनके बताये हुए रास्ते पर चल रहे हैं उसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि यह सार्वजनिक जगह, गांव के आम रास्तों से अलग खोली जाय और सीधी दुकानें हों । उन पर प्रतिबन्ध हो ताकि खराब चीज न दी जाय । मैं इतना कहकर अपनी बात खत्म करता हूं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें मौका दिया ।

श्री हरद्वार दुबे एडवोकेट–

मान्यवर, इस सदन में आपकी सीट के ऊपर महात्मा गांधी जी के लगे चित्र को देखकर, कई माननीय सदस्यों ने इस विषय पर अपने विचार रखे । अभी एक माननीय सदस्य ने विचार प्रकट किया और कहा कि हम अनुयायी महात्मा गांधी जी के हैं, जयप्रकाश जी, चौधरी साहब का नाम लिया, लोहिया जी का भी उन्होंने नाम लिया । कोई किसी का अनुयायी बताता है, कोई किसी का परन्तु किसी भी मा0 सदस्यों ने उन महान विभूतियों का विचार अपनाया नहीं और न जीवन में अंगीकार करने की बात ही कर रहे हैं ।

मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस नशा बन्दी को लेकर सदन के समक्ष संकल्प आया है, उस शराब से यह सरकार तीन तरह से पीड़ित है । जैसा कि सुबह माननीय समाज कल्याण मंत्री जी वक्तव्य दे रहे थे, विधवा पेंशन के बारे में, यह नशाबन्दी का सवाल सबसे अधिक उसी से जुड़ा हुआ है । मान्यवर, हमारे माननीय सदस्यों ने वेरीफिकेशन किया होगा, तस्दीक किया होगा कि सबसे अधिक विधवायें जो हैं, वह अनुसूचित जाति की और पिछड़े वर्ग से जुड़ी हुयी महिलायें हैं, इसका कारण यह है कि शराब पीने वाले को खाने के लिये गिजा चाहिये और जो इस तरह के पीने वाले लोग होते हैं, उनको उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण गिजा मिल नहीं पाता, जिसके कारण कम आयु में तमाम लोग मर गये और उन्हीं की विधवा महिलायें आज विधवा अनुदान के लिये आगे आई है, तो मैं कहना चाहता हूं

कि अगर आप नशाबन्दी लागू करते हैं तो आपको इससे राहत मिलेगी और विधवाओं की संख्या में कमी आयेगी, जिससे सरकार के ऊपर काफी बोझ कम होगा ।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि विभिन्न स्थानों पर जो शराब की दुकानें हैं, उसमें भ्रष्टाचार किया जाता है और भ्रष्टाचार करने के लिये शराब पिया जाता है, शराब से भ्रष्टाचार किया जाता है इसलिये दोनों ही चीजों को बन्द किया जाना चाहिये । तीसरी बात कहना चाहता हूं कि व्यभिचार भी शराब से ही पैदा होती है, जितने कुकृत्य होते हैं, वह भी शराब के ही कारण होते हैं, अगर सरकार इस पर रोक लगाती है, तो सरकार को ला एण्ड आर्डर मेन्टेन करने में काफी सहयोग मिलेगा । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो लोग यह कहते हैं कि शराब पर रोक लगाने से राजस्व में कमी आयेगी और प्रदेश का विकास नहीं होगा, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि क्या आप गरीबों का खून बेचकर, उनको मारकर इस प्रदेश का विकास करना चाहते हैं, आप खुद जीना चाहते हैं 100 वर्ष और उनको जिलाना चाहते हैं केवल 30 वर्ष ।

सरकार के समझ में लगता है केवल अमीरों का खून होता है गरीबों का खून पानी है। इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार इस विषय को गहनता से देखे और अगर अपना दिशा सूचक महात्मा गांधी को, चौधरी साहब को या अन्य किसी को मानते हों, तो आज ही यह संकल्प करें और यह सरकार भी संकल्प के साथ घोषणा करे कि नशाबन्दी पूरे प्रदेश में लागू हो, शराब पीना निषेध हो, इसी के साथ मैं पुनः इस संकल्प का समर्थन करता हूं ।

*श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से, जो नोमान साहब द्वारा मद्य निषेध का संकल्प प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं । मैं बहस इस बात की नहीं करना चाहता कि मद्य निषेध पूरे प्रदेश में लागू किया जाय लेकिन जो मुख्य मुद्दा इस संकल्प में प्रस्तुत किया गया है कि मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, विद्यालय आदि स्थानों पर जो शराब बेची जाती है, उसको बन्द कर दिया जाय । मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहता हूं । हमारे यहां श्री रामवृक्ष चौबे विद्यालय, गांव सभा बिलौली में है, जहां छोटे-छोटे बच्चे पढ़ते हैं और इसी विद्यालय के सम्बन्ध में मैं व्यक्तिगत रूप से, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य के साथ, माननीय मंत्री जी से मिला था और मैंने अनुरोध किया था कि विद्यालय के परिसर में एक शराब की दुकान है उसको बन्द करा दिया जाय लेकिन आज तक वह दुकान वहीं मौजूद है ।

श्री अधिष्ठाता–

लाइसेन्स्ड है या अनलाइसेन्स्ड है ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, यह दुकान लाइसेन्सड है और गांव रामपुर में आती है, तो मैं बता रहा था कि मैं अपने पत्र के साथ माननीय मंत्री जी से मिला था, लेकिन 7 मार्च से आज तक इस शराब की दुकान को बन्द नहीं कराया गया और वह जहां की तहां मौजूद है । ऐसी बहुत सी बुराइयां हैं, जिनके बारे में अभी माननीय सदस्यों ने यहां पर अपने विचार व्यक्त किए । आज समाज में जितनी बुराइयां हैं, उसमें से 50 प्रतिशत

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

बुराइयां से फैलती हैं । मैं अपने क्षेत्र की बात कहता हूं कि जहां गांवों में लाइसेंस नहीं हैं, वहां पर शराब की दुकानें चल रही हैं, हर गांव में शराब की दुकान चल रही है । मैं इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय से भी मिला । ठेकेदार पैसा देकर बिना लाइसेन्स के दुकानें चला रहे हैं । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस तरह के कामों को बन्द किया जाय जिससे समाज में बुराई कम फैले ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, इस संकल्प के बारे में जो विचार यहां पर व्यक्त किए गये हैं, उनसे मैं एक भिन्न विचार यहां पर रखना चाहता हूं । लगभग सभी माननीय सदस्यों ने मद्यनिषेध के पक्ष में अपने विचार दिये । माननीय श्री गौरी भैय्या जी के विचारों से, जिसमें उन्होंने यह कहा कि मद्यनिषेध करने से सरकार के लिए सबसे मुसीबत का कारण बनेगा राजस्व की हानि । इसलिए इस विषय में उनका विचार यह था कि राजस्व की हानि को देखते हुए मद्यनिषेध नहीं होना चाहिए, यह चलता रहना चाहिए । उनकी इस सोच के प्रति मैं विनम्रता से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्व प्राप्ति के लिए क्या कोई ऐसा कार्य जो की कितना ही नुकसान पहुंचा रहा हो, लागू करना चाहिए । यदि ऐसी सोच रखी गई तो एक बहुत बड़ा खतरा होगा और आने वाले समय में किसी दिन यह प्रस्ताव भी आयेगा कि राजस्व प्राप्ति के लिए राहजनी व डकैती के लाइसेन्स भी दिये जायं । हजरतगंज एरिया में डकैती व राहजनी के लिए इतने अरब रुपए में लाइसेन्स दिया जा सकता है और फलां इलाके लिए इतने रुपए में लाइसेन्स दिया जा सकता है । ऐसी सोच कितनी भयानक होगी, इसका अन्दाजा आप लगा सकते हैं । मैं चाहता हूं कि जो संकल्प यहां पर प्रस्तुत किया गया है, उसे पारित किया जाय ।

लोक निर्माण संसदीय कार्य एवं आबकारी मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, आबकारी का बजट पेश होगा, उसमें माननीय सदस्य अपनी बात कह लेंगे ।

*श्री शिवकरन सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद । शराब पर चर्चा चल रही थी । मैं अपने को थोड़ा इससे अलग समझता हूं । क्योंकि फौज में सिपाही को अगर एक पैग शराब पिला दी जाती है तो वह देश के लिए कुरबान हो जाता है, उसमें कई गुना ताकत आ जाती है । उसका दुरुपयोग न किया जाय, उसका सदुपयोग किया जाय तो शराब एक अच्छी चीज है, दूसरा, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए । यदि मद्यनिषेध किया गया तो यह लघु उद्योग की तरह से घर-घर में भट्टियों की तरह लग जायेंगी । इससे राजस्व मिलना तो दूर, इस पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो जायेगा । अभी हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि इस शराब की वजह से तमाम महिलायें विधवा हो जाती हैं या हो रही हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि इस पर नियंत्रण होना चाहिए, इसकी डिग्री अच्छी होनी चाहिए, इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मैं तो यहां तक कहूंगा कि राजस्व के रूप में जो इस पर टैक्स लगाया जाता है, वह टैक्स कम होना चाहिए । मैं कहना चाहूंगा

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

[4 बज कर 20 मिनट]

कि अगर कहीं मद्य निषेध लागू हो गया तो जिस तरह से फौज के जवान का जोश खत्म हो जाता है, वैसे ही सरकार का जोश खत्म हो जायगा और वह गिर जायगी । मैं चाहता हूं कि इसे लागू रखें । यदि सम्भव हो सके तो मंत्री जी की तरफ से कोटा निर्धारित होना चाहिए जिससे अच्छी किस्म की शराब माननीय मंत्री जी की तरफ से मिल सके ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, जो संकल्प श्री नवमान जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं । इसके दो भाग हैं । एक भाग में यह कहा जा रहा है कि कम से कम गुरुद्वारा, विद्यालय, घनी बस्ती, मन्दिर और मस्जिद इनसे काफी दूर शराब की दुकानें खुलनी चाहिए । दूसरे भाग में कहा कि मद्य निषेध की तरफ कड़ाई से कदम उठना चाहिए । 43 साल से जब से देश आजाद हुआ यही मात्र एक ऐसा विभाग है जहां सरकार दोहरी नीति पर चलती चली जा रही है । एक तरफ मद्य निषेध का जोर शोर से प्रचार और प्रसार दूसरी तरफ दुकानें खोलने की जबर्दस्त होड़। मैं समझता हूं कि राजस्व के रूप में भारी आमदनी ही इसका एकमात्र कारण है । आज अगर राजस्व न मिलता होता तो यकीनन सरकार सबसे पहले आदेश यह देती कि मद्य निषेध कड़ाई से लागू होगा । आज स्थिति यह है कि हर नगर के कोने-कोने में शराब की दुकानें खुली हुई हैं। रात्रि में 9 बजे के बाद ही लोग शराब पी-पीकर जगह-जगह सड़कों पर आ जाते हैं झूमते हैं लड़खड़ाते हैं । मैंने स्वयं देखा एक आदमी शराब पीकर और ज्यादा रोब से चलता है मस्ती में गाता चला जा रहा था कह रहा था कि :—

या रब बनाना था मुझे भट्टी शराब की,
इन्सां बनाके तूने मेरी मिट्टी खराब की ।

तो इस तरह राजस्व के लाभ ने आज इन्सान को शराबी बना दिया है । मैं इस संकल्प का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं । महात्मा गांधी का चित्र सदन में लगा है । उन्होंने मद्य निषेध के लिये इस देश की जनता को प्रेरित किया था कि यह सरकार तो उनसे प्रेरणा ले ।

*श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, इस संकल्प का भाव दूसरा है, माननीय सदस्य उसे दूसरा भाव दे रहे हैं । मन्दिर, मस्जिद और पाठशाला के पास कोई शराब की दुकान न हो, यह कहा गया है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से कोई भी विज्ञापन कोई भी प्रचार नहीं होता है कि फलां शराब अच्छी है इसे पीजिये । सरकार की तरफ से अगर कोई प्रचार और प्रसार किया जाता है तो यह किया जाता है कि शराब जहर से भी ज्यादा जहरीली है और यह स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है । सिगरेट की डिब्बी पर लिखा रहता है कि स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है, इसके बाद भी लोग पीते हैं । पान पराग के बारे में सभी लोग जानते हैं कि इसको खाने से कैन्सर हो जायगा, फिर भी लोग खाते हैं । सरकार ने कभी भी यह विज्ञापन नहीं कराया कि शराब पीजिये । मेरा निश्चित मत है कि मद्य निषेध लागू होना चाहिये । आपको याद

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

होगा जनता सरकार के शासन काल में हिन्दुस्तान में शराब बन्दी हुई और सरकार ने कहा कि शराब की बिक्री नहीं होगी । जब कांग्रेस की सरकार आयी तो तुरन्त उसने शराब बन्दी को समाप्त कर दिया गया दारु की दुकानों को खुलवा दिया और इसी लखनऊ में जुलूस निकला । शराब बंदी समाप्त होने के उपलक्ष में तथा सिर पर दारू की बोतल लेकर भांगड़ा नाच करते हुए शराब खुल गया, शराब खुल गया का नारा लगा कांग्रेस के राज में । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी मद्ध निषेध लागू करने के लिये कड़ाई से पालन करेगी और इसका प्रचार व प्रसार करेगी । इस पर बहस करने का भाषण देने से कोई फायदा नहीं है । मैं आपसे कहता हूं कि इस संकल्प पर बहस बहुत हो चुकी अब आप अगला आईटम लें और उस पर बहस करवायें ।

*श्री कृष्ण कुमार नवमान—

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि सारा सदन मद्य की बुराई को बुराई मान रहा है लेकिन विषय का विषयान्तर कर दिया गया है । मेरा निवेदन मद्य निषेध से है, मद्य को दवा मान कर पीने से नहीं है । जो लोग शराब को मदिरा मान कर पी रहे हैं उनके लिये यह बुराई है और वे शराब पी कर बुरा काम कर रहे हैं । आप शराब के द्वारा गरीबों के विकास के लिये टैक्स लेते हैं यह बहुत ही घृणित बात है कि हमारे जनप्रतिनिधि जो कि जनता के द्वारा यहां चुनकर आये हैं वे कहीं महात्मा गांधी का नाम ले कर, कहीं डाक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम लेकर कहीं, पर चौधरी चरण सिंह का नाम लेकर यहां पर चुनकर आये हैं । उनकी आत्मा उनको क्या संदेश देती है ? जरा इस बात पर भी विचार करो । यहां भ्रष्टाचार की बात कही गयी तो मैं कहता हूं कि कहीं पर भ्रष्टाचार करने के लिये शराब पी जाती है और कहीं शराब पी कर भ्रष्टाचार किया जाता है ।

जब चुनाव आते हैं तो शराब के ही कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है । हम थोड़ा पैसा लेते हैं और जनहित की बात करते हैं । मैं कहता हूं कि अरे, इससे बड़ा जनहित क्या होगा ? इस देश की गरीब जनता इसी मर्ज से पीड़ित है, उसका मर्ज ही यही है । हमने यह कभी नहीं कहा कि आप आबकारी को बन्द कर दीजिए, लेकिन मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा तथा आबादी के इलाकों से दूर कहीं रेगिस्तानी इलाकों में जहां ऊसर हो, बंजर हो, ऐसी जगहों में आप इसकी बिक्री की व्यवस्था करें, जो इसको पीना ही चाहता है वह वहां पर प्रयास करके चला जाय लेकिन जो न पीना चाहे उसको आबादी की जगह पर वह अपनी ओर आकर्षित न करे । जो चाहता है कि मैं शराब न पिऊं तो रास्ते में चलने वाले लोग आबादी की जगह पर दुकान होने से विचलित हो सकते हैं । तो क्रान्तिरथ पर सवार होकर चलने वालों, अगर समग्र क्रान्ति लानी है तो कुछ तो क्रान्ति करो । आप और कोई रास्ता निकालिये टैक्स वसूलने का । मेरा निवेदन है कि सारे सदन को इस संकल्प पर विचार करके पारित करना चाहिये, यही मेरी प्रार्थना है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, इस संकल्प के माध्यम से सभी दल के माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये और उनके विचारों को सुनने के बाद और इसके पहले भी जब कोई इस तरह का प्रस्ताव आता था और उस पर भाषण होते थे, लेकिन भाषणों से केवल कोई काम हो नहीं सकता है, अगर हो सकता तो अब तक 80 प्रतिशत शराब बन्दी लागू हो गयी होती । लेकिन भाषणों से दोहरी बात सामने आती है । कथनी और करनी में अन्तर सामने आ जाता है । हमें स्वयं देखना होगा कि अपने संगठन में, अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में हम इसे कितनी ईमानदारी से लागू कर सकते हैं तभी इसकी आत्मालोचना करनी चाहिये । मैं शराब का पक्षधर नहीं हूं, हमारी नीति शराब बन्दी ही है । जब पिछली बार हमारी सरकार आयी थी तो उसने शराब बन्दी की थी । माननीय सदस्य की स्पीच में सच्चाई थी । हम आज शराब बन्दी कर दें, लेकिन लोग जहर पीना शुरु कर देंगे । मैंने इस साल शराब नीलामी का लक्ष्य बढ़ाया है; जिससे गरीब आदमी शराब की ओर आंख उठाकर न देख सके । गरीब तो कम पीता है, लेकिन जो सरसब्ज लोग होते हैं, वह अधिक पीते हैं । हमारे संविधान के जो तत्व हैं, उनमें भी है कि नशाबन्दी होनी चाहिए । आप इमानदारी से संकल्प करें, तो नशा बन्दी हो सकती है, केवल भाषण न करें । हमारी सरकार की नीति है और समय आने पर शराब बन्दी लागू भी होगी । मैं मानता हूं कि मन्दिर मस्जिद विद्यालय और घनी आबादी के बीच शराब की दुकान नहीं होनी चाहिये । मैं प्रस्तावक की भावनाओं से सहमत हूं । हम निचले स्तर पर इसका अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे । मैं लम्बा भाषण नहीं दूंगा । मैंने लम्बे भाषण की आलोचना की है । मैं चाहूंगा कि आप प्रस्ताव को वापस ले लें और मैं निचले स्तर पर इसके अनुपालन को सुनिश्चित कराऊंगा ।

श्री अधिष्ठाता—

क्या माननीय सदस्य अपने प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं?

श्री कृष्ण कुमार नवमान—

मैं वापस नहीं ले रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि इस सदन का सुविचारित मत है कि मद्य निषेध योजना को कड़ाई से लागू किया जाय तथा मन्दिर, मस्जिद गुरुद्वारा, विद्यालय तथा घनी आबादी के बीच शराब की दुकान न खोली जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

नियमित आय से उच्च स्तर का जीवन यापन करने वाले उत्तर प्रदेश के सरकारी सेवकों की चल एवं अचल सम्पत्ति की जांच हेतु उच्च अधिकार प्राप्त सदन की एक स्थायी समिति का गठन किये जाने के सम्बन्ध में संकल्प

श्री रविदास मेहरोत्रा—

मान्यवर, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि नियमित आय से उच्च स्तर का जीवन यापन करने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की चल एवं अचल सम्पत्ति की जांच हेतु उच्चाधिकार प्राप्त सदन की एक स्थायी समिति का गठन किया जाये ।

मान्यवर, आज प्रदेश में तरह तरह की भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चायें होती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जनता की गाढ़ी कमाई भ्रष्टाचारियों के पास जा रही है। अगर आप देखें तो ऐसे बहुत से भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो अपनी तनख्वाह से ज्यादा कमाई करते हैं। जितनी वे पाते हैं उससे कई गुना ज्यादा की कोठियां उनकी बनी हुई हैं। उन को जितना वेतन मिलता है उससे कई गुनी ज्यादा कीमत की कालीनें उनके ड्राइंग रूम में पड़ी हैं। आज जनता की गाढ़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा उनके पास पहुंच रहा है। एक ओर 12 महीने खेत में काम करने वाला किसान का बेटा भूखा सोता है, इन बड़े अधिकारियों की बिल्डिंगें बनाने वाले मजदूर और कर्मियों के पास झोपड़ी भी नहीं है। दूसरी ओर इन अधिकारियों की कोठियों में अथाह सम्पत्ति है। आज आवश्यकता इस बात की है कि इसकी जांच करा ली जाय। आज जब कोई गरीब आदमी इन बड़े लोगों के पास पहुंचता है तो उनके कुत्ते उनके घर नहीं पहुंचने देते हैं। इतनी बड़ी-बड़ी कोठियां बनी हुई हैं। हमने इसी लखनऊ शहर के अन्दर छोटी बस्तियों में जाकर देखा है। हमारे एक मित्र थे। बीमार पड़े हुए थे। उनको देखने के लिए मैं गया। उनके बच्चे तीन घन्टे से रो रहे थे। हमने पूछा क्यों रो रहे हो तो उनकी पत्नी ने कहा कि हमारे पास खाने के लिए कोई सामान नहीं है। मैंने कहा कि आधे घंटे से हम देख रहे हैं आपका चूल्हा जल रहा है उसमें क्या पक रहा है? क्या अभी तक खाना नहीं पक पाया है तो उन्होंने कहा कि हमारे घर में खाने का सामान नहीं है। तीन दिन से भूखे बच्चे सोने के लिए तैयार नहीं हैं।

इसीलिये बच्चों को बहलाने के लिए आग जला दी है और उनमें पानी में पत्थर डालकर उन्हें उबाल रहे हैं ताकि बच्चे यह समझें कि खाना बन रहा है क्योंकि भूख से पीड़ित बच्चे सोने के लिए तैयार नहीं हैं। इस तरह से एक ओर यह हालत है और दूसरी ओर जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं उनके पास जनता की लम्बी गाढ़ी कमाई है। मैं इस सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि आप फैसला करें कि 48 घन्टे के अंदर लखनऊ की सारी कोठियों को आप अपने कब्जे में कर लें और तब यह कहें कि उनके मालिक हमारे पास आयें और बतायें कि उनके पास कहां से यह सम्पत्ति आयी है तो आपको पता चल जायेगा कि इन तमाम बड़ी-बड़ी कोठियों में मजदूरों, किसानों और गरीब जनता की गाढ़ी कमाई और उनके खून पसीने का पैसा उनमें लगा हुआ है।

इसीलिए मैं मांग करता हूं कि आप एक ऐसी समिति बनायें जो इन भ्रष्ट अधिकारियों के घरों का जो रखरखाव है, जो उनको वेतन मिलता है उससे कई गुना अधिक वह है। उनके खर्चों के बारे में आप जांच करें। हमें आज ऐसे संकल्प की जरूरत है चाहे हम यहां रहें या न रहें। जो भ्रष्टाचार समाज के अन्दर आज व्याप्त है उसे समाप्त करना चाहिए। सत्ता परिवर्तन के साथ-साथ व्यवस्था परिवर्तन भी हमारा उद्देश्य है। जो इन भ्रष्ट अधिकारियों की काली और अघोषित सम्पत्ति है उसकी यह समिति जांच

करें पता लगाये जिनके पास जनता की गाढ़ी कमाई का रुपया पहुंच रहा है। उसकी रिपोर्ट सदन में भी प्रस्तुत हो सके।

*श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जनता दल के युवा मित्र रविदास मेहरोत्रा का हार्दिक अभिनन्दन करता हूं कि उन्होंने बहुत ही सामयिक और एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प को इस सदन के संज्ञान में लाने की कोशिश की है। मान्यवर, आज रविदास जी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं और इस सरकार में बैठे हुए अधिकांश मंत्रियों की कुर्सियों में जो लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जेहाद छेड़ा है, संघर्ष किया है वे भ्रष्टाचार करने वालों इन अधिकारियों के साथ रह रहे हैं। आज प्रदेश में तमाम ऐसे आइ0ए0एस0, पी0 सी0 एस0 और आई0 पी0 सी0 अधिकारी हैं जो महत्वपूर्ण ओहदों पर हैं जो कांग्रेस के जमाने में बदनाम थे आज भी वह वैसे ही हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग को ही ले लीजिये सार्वजनिक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर तत्कालीन सार्वजनिक निर्माण मंत्री को फाइनेंस करते थे, उनके निर्वाचन क्षेत्र में खर्च करते थे और उनका लखनऊ में एक विशाल भवन बनवाया है जिसमें बड़ी से बड़ी सुख सुविधायें विद्यमान हैं।

आपने जनता से वादा किया है उसको आप पूरा करिये। आप जनता से बहुमत प्राप्त कर यहां आये हैं जिसकी आप चर्चा करते हैं। आपने गरीबों के उत्थान की बात कही है तो उस वादे को मत भूलिये। आज प्रदेश में जिस विभाग में देखिये भ्रष्टाचार है इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाय जो इस सदन के माननीय सदस्यों की हो और मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में उसका संचालन हो। भ्रष्ट अधिकारियों ने पहली सरकार को हड़प लिया और अब वह आपकी झोली में बैठे हैं। कांग्रेस का दामन छोड़ कर वह आपके पास आ गये हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इनकी जांच करने के लिए एक उच्चस्तरीय जांच समिति गठित की जाय। मुझे पता चला है कि जिन अधिकारियों के खिलाफ विजिलेंस द्वारा सजायें दी गयी उसको दबाया जा रहा है और उनको पदोन्नति दी गयी है। वर्तमान परिस्थितियों में हम जनता दल की सरकार से अपेक्षा करते थे कि वह ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेगी लेकिन वह नजर नहीं आ रहा है।

आज भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लूट खसोट बढ़ रही है, गरीबों पर अत्याचार हो रहे हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ चाहे वह आई0 ए0 एस0 हों या आई0 पी0 एस0 या टैक्निकल या नान-टैक्निकल हों सबके खिलाफ जांच होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं माननीय रविदास जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, माननीय रविदास मेहरोत्रा जी को मैं बधाई देता हूं उन्होंने जो एक ज्वलंत समस्या की ओर इस संकल्प द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। यह वास्तविकता है कि जिन लोगों ने अपने भ्रष्ट आचरण से दौलत अर्जित की है उनकी जांच कराई जाय और उन्हें दंडित किया जाय इसकी व्यवस्था अगर नहीं होगी तो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गरीब हमेशा पिसता रहेगा चाहे आज आप शासन में हों या कल को दूसरे लोग हों। सब लोग चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों हमको इस बात पर विचार करना चाहिए। मैं इसकी परिधि बढ़ाने की बात करता हूं कि यह सिर्फ अधिकारियों तक ही सीमित न हो बल्कि जो सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोग हैं, उनको भी इसकी परिधि में आना चाहिए। जिन लोगों ने जितनी उनकी आय है उससे ज्यादा यदि संपत्ति अर्जित किया है तो उसकी जांच होनी चाहिए और उसके बाद कड़े दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। श्री दीक्षित जी कह रहे थे कि जिनके खिलाफ बिजीलेन्स की रिपोर्ट है और दोषी पाये गये, जिनकी फाइल चल रही थी, कम्पलसरी रिटायर करने की बात थी, उनकी पदोन्नति की जायेगी तो इसकी प्रदेश में चर्चा है जैसे कि जल निगम का प्रबन्ध निदेशक ऐसे आदमी को बनाया गया जिसको सतर्कता जांच में दोषी पाया गया था उसकी सेवा निवृत्ति होने वाली थी, पैनल में नाम नहीं गया था लेकिन उसके बाद वह प्रबन्ध निदेशक बना है।

इसलिए भ्रष्ट लोगों की पदोन्नतियां की जायेंगी तो इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा और भ्रष्टाचार करने वाले का हौसला बढ़ेगा। इस संकल्प को प्रस्तुत करके श्री रविदास मेहरोत्रा ने जनता के कल्याण का काम किया है, इसलिए मैं उनके संकल्प का समर्थन करता हूं और सदन की एक सर्वदलीय समिति बनायी जाये जो जांच करे। आप चाहे किसी जिले को ले लें और उसकी जांच करायें तथा सख्त कार्यवाही करें जिससे प्रदेश में उसका प्रभाव पड़े। धन्यवाद।

* श्री किशन गोपाल–

मान्यवर, मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय सदस्य को जिन्होंने यह संकल्प प्रस्तुत किया है। आज हम महसूस करते हैं कि कुछ विभाग तो ऐसे हैं जहां शत प्रतिशत घूसखोरी जब तक नहीं देंगे तब तक कोई काम नहीं होगा। आज ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जांच बिठाई जाय तो मैं समझता हूं कि सरकार का काम उनको हटाने में आसान हो जायगा। आज ट्रान्सफर और पदोन्नति के मामलों में लाखों रुपये खर्च किया जा रहा है, आखिर वह क्यों? इसका मूल कारण देखा जाये तो यही हो सकता है कि बड़े बड़े अधिकारी जिन्होंने गलत तरीके से धन इकट्ठा कर रखा है वह उसको इसी ट्रान्सफर और पदोन्नति के मामलों में खर्च करते हैं। यह अधिकारी आज तक अपने शासन तंत्र के प्रभाव से बड़े बड़े निर्णय करवा लेते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो पाती है। इसके साथ ही हम यह भी महसूस करते हैं कि हमारे प्रदेश की अधिकतर जनता गरीबी रेखा से नीचे है और वह पिस रही है लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो भ्रष्ट तरीके से मौज लूट रहे हैं और मालामाल हो रहे हैं।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं और सदन से मांग करता हूं कि इस संबंध में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाये जो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की जांच करें और उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करें।

* श्री किशोरी श्याम–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो बात कही है मैं उसका समर्थन करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि जो मामले पकड़े गये हैं उसमें व्यवस्था का प्रश्न जुड़ा है

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जैसे 100 फीट मिट्टी खोदने के लिए 25 रुपये से कम में नहीं खुदेगी चूंकि आज मजदूर 25 रुपये से कम में काम नहीं करेगा। परन्तु पहले सरकार की बनी हुई व्यवस्था के कारण आज ठेकेदार ठेका लेते हैं उसी मिट्टी को खोदने के लिए 12 रुपये में। जब 12 रुपये में ठेकेदार ठेका लेता है और उसे ऊपर सारे सरकारी अधिकारियों को भी देना पड़ता है, क्योंकि उसके भुगतान बिल पर ऊपर से ही दस्तखत होते हैं, तो फिर यह भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा? 12 रुपये में कैसे काम हो जाएगा? भ्रष्टाचार का कारण व्यवस्था का भी दोषपूर्ण होना है। किन्तु हमारी सरकारें यह बात देखने के लिए तैयार नहीं हैं। यह यदि सही हो जाए तो भ्रष्टाचार बन्द हो जाएगा। आज हर इंसान आधुनिकीकरण की ओर, साज सज्जा, भोगविलास पूर्ण जीवन यापन की ओर अन्धी दौड़ में दौड़ रहा है। आज हर एक को वह चाहे जिस स्तर का हो और चाहे उसकी जितनी आमदनी हो ठाटपूर्ण जीवन चाहता है, रंगीन टी0 वी0, कूलर, फ्रिज और गाड़ियां वह सभी कुछ अपने पास होना चाहता है।

(इस समय 4 बजकर 50 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इस प्रकार की सारी स्थिति से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। आदमी की जब आमदनी नहीं होती है तो वह सोचता है कि कहां से मैं यह साधन अपने पास जुटाऊं और उस आमदनी को वह भ्रष्टाचार के माध्यम से पैदा करता है और उनसे विलासपूर्ण जीवन के सारे साधन जुटाता है। इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है, जब वह सोचने लगे कि मैं अपने अंदर से भ्रष्टाचार मिटा दूंगा। मंत्री जी जिस दिन समझ लें कि हम भ्रष्टाचार मिटा देंगे, सदस्यों के मन में आ जाए कि हम भ्रष्टाचार मिटा देंगे – इस बात का दृढ़ संकल्प ले लें तो भ्रष्टाचार मिट जाएगा। मंत्रियों और विधायकों से कहूंगा कि वह यदि इस चीज को अपनी ओर से शुरू कर दें तो भ्रष्टाचार मिट जाएगा। यह भ्रष्टाचार को जान रहे हैं, भ्रष्टाचार सबके सामने हो रहा है, पर इसे रोकने का निश्चय लेने का मन किसी का नहीं है। इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए हम सब अपने मन मे भ्रष्टाचार मिटा दें तो भ्रष्टाचार अवश्य मिट जाएगा।

*श्री रामकुमार शुक्ल–

मान्यवर, यह जो भाई रविदास जी ने संकलन पढ़ा है, उसका मैं समर्थन करता हूं और यह भी बताना चाहता हूं कि वह लोग भी उसमें जोड़े जाएं, जो विधायक होते हैं। इनके पांच साल के कार्यकाल में इनके पास ट्रकें, बंगले और अनेक पेट्रोल पम्प हो जाते हैं, यह कहां से हो जाते हैं यह भी देखने की बात है। यह भी भ्रष्टाचार के कारण है। वह मंत्री जो पांच साल में करोड़पति हो जाते हैं, उनको भी हमें देखना है। वह भी भ्रष्टाचार का एक कारण है। जिसकी परचून की छोटी-मोटी दुकान है उसके दो तीन साल में लाखों रुपये की पूंजी और बड़ी-बड़ी दुकान हो जाती है, वह भी सब भ्रष्टाचार की ही देन है। तो उस परिधि में केवल अधिकारी ही नहीं, जितने इस तरह के लोग हैं, उन सभी को इस परिधि में लाना चाहिए।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जब तक इस तरह के सारे लोगों को इस परिधि में नहीं लाया जाएगा, तब तक भ्रष्टाचार समाप्त होने वाला नहीं है । इसके साथ मैं पुनः इस संकल्प का समर्थन करता हूं ।

*श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

मान्यवर, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का समय दिया, और जो इस महत्वपूर्ण विषय को रविदास जी ने उठाया है, उसके लिए भी मैं उनको बधाई देती हूं । मैं और यह दोनों ही लखनऊ के विधायक हैं । यह सही है कि जनहित के जो काम हैं, उन्हें हम लोग मिलकर दलविहीन होकर करते हैं और आगे भी करते रहेंगे । यह जो विषय है, गोमती नगर यह जितना अच्छा है, वह सारा उच्चाधिकारियों का है । जो सबसे बढ़िया माल होता है, वह उनके पास जाता है और घटिया माल श्रेणीवार क्रमशः ऊपर से नीचे आता जाता है और जो बिलकुल घटिया है उसको चाहे जो ले । जहां वह रहते हैं, विकास खण्ड और अन्य जगहों पर पार्क हैं . . .

मान्यवर, मैं यह भी आपसे कहना चाहती हूं कि आप रिश्वतखोरी और घूसखोरी, मुझे यह कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि यह पराकाष्ठा पर पहुंच गई है, जो रविदास मेहरोत्रा जी ने विषय उठाया है उसका मैं समर्थन करती हूं । इसके विषय में आप नोट करा लें और देखें कि लोगों के विचार सदाचार के साथ रहते हैं या घूसखोरी के साथ रहते हैं ।

*श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

मान्यवर, जो प्रस्ताव किया गया है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है । इसका मैं जोरदार समर्थन करता हूं । मान्यवर, आप किसी भी अधिकारी को देखें उनके मुख्य जिलों में आलीशान मकान बने हुए हैं । जो सुपरवाइजर स्तर के लोग हैं वह मारुति कार खरीद चुके हैं । जनप्रतिनिधि जब पैदल चलते हैं तो उनको हेय दृष्टि से देखा जाता है और गाड़ी को हम लोगों के पीछे लगाने का प्रयास किया जाता है । कुछ अधिकारियों की टैक्सियां, ट्रकें और बसें चलाई जाती हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और यही लोग अपने भ्रष्टाचार के पैसे जनप्रतिनिधियों कार्यकर्ताओं को खरीदने का प्रयास करते हैं । मनचाहे पदों पर अपने धन का दुरुपयोग करते हैं । अपने ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए अपने पैसे के बल से सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों को खरीदने का प्रयास करते हैं और इन सब कामों से जन प्रतिनिधियों की छवि धूमिल करते हैं। मैं इस प्रस्ताव का जोरदार समर्थन करते हुए उपाध्यक्ष महोदय से आग्रह करूंगा कि अगर उचित समझें तो इस पर मतदान भी कराने का कष्ट करें ।

वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक संबंधी साहित्य के वितरण हेतु की गई व्यवस्था की सूचना

श्री उपाध्यक्ष–

एक सूचना सदन को देनी है । कुछ समय के बाद ठीक पांच बजे वित्तीय वर्ष

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

1990-1991 का आय-व्ययक प्रस्तुत किया जाएगा। माननीय सदस्यों को वर्ष 1990-1991 के आय-व्ययक संबंधी साहित्य वितरित किए जाने के संबंध में की गयी व्यवस्था इस प्रकार है :—

"हां" सभा-कक्ष में समस्त महिला सदस्यगण तथा उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर, खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, बहराइच, गोण्डा, बस्ती सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, आजमगढ़ तथा मऊ जिलों के समस्त सदस्यगण,

और

"नहीं" सभाकक्ष में शेष अन्य जिलों के समस्त सदस्यगण अपना साहित्य प्राप्त करने का कष्ट करें ।

(मुख्य मंत्री के खड़े होने पर)

श्री धर्मपाल—

मान्यवर, बजट भाषण की प्रतिलिपि बंटवा दी जाए ।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

आपका हुकुम हो तो बैठ जाऊं ।

श्री उपाध्यक्ष—

बैठें ।

श्री धर्मपाल—

बजट भाषण प्रस्तुत करने जा रहे हैं बजट लीक हो गया है । पहाड़ों के बजट के बारे में स्पष्ट रूप से आ गया है ।

वर्ष 1990-91 का आय-व्ययक

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 1990-91 का आय-व्ययक प्रस्तुत कर रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

बजट भाषण की प्रतियां बटवा दी जायं ।

(बजट भाषण की प्रतियां सदस्यों को वितरित की गयीं)

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 1990-91 का आय-व्ययक प्रस्तुत कर रहा हूं ।

प्रदेश की तेरह करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे इस आदरणीय सदन के विद्वान और जनसेवारत सदस्यों के सम्मुख अपने इस पुनीत दायित्व का निर्वहन करते हुए मुझे गौरव का अनुभव हो रहा है ।

छः महीने पहले देश की जनता ने व्यवस्था परिवर्तन की आकांक्षा से सत्ता परि-

वर्तन का सामूहिक निर्णय किया था । सत्ता परिवर्तन की इस बयार में उत्तर प्रदेश की जनता ने हमारे दल की घोषित नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर हमें अपने स्नेह और विश्वास की थाती सौंपी । जनता के इस विश्वास और आकांक्षा को मूर्त रूप देने का दायित्व हमारे दल ने लोकतांत्रिक पद्धति का अनुसरण करते हुए सर्वसम्मति से मुझ जैसे ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को सौंपा । जनता को किये गये वायदे हमें सतत सतर्क और सक्रिय रहकर पांच सालों में पूरे करने हैं । प्रस्तुत आय-व्ययक इसी दिशा में पहला विनम्र प्रयास है ।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और भारत के गांवों तथा उनके लोगों को स्वावलम्बी बनाना ही आजादी के आन्दोलन का लक्ष्य था । वर्तमान सरकार के कार्यक्रमों का केन्द्र बिन्दु भी गांव है जहां गांववासी आज भी अपने उत्थान की आस लगाये बैठा है । गांवों और नगरों की आम जनता की उन्नति राजधानी में बैठकर केवल कागजों पर योजनाएं बनाने से नहीं हो सकती। इन योजनाओं को जमीन पर उतारना जरूरी है, इसलिए हम खुद चलकर जनता के पास जा रहे हैं । उससे समरस होकर हम उसका दुःख दर्द समझेंगे और तभी सही निदान कर सकेंगे । हमारा नारा है :–''चलो गांव की ओर'' । मुख्य मंत्री से लेकर छोटे-बड़े समस्त लोक सेवक गांवों और शहरी मलिन बस्तियों में जाकर नागरिकों की समस्यायें हल करेंगे और यह माननीय सदन जो आय-व्ययक स्वीकृत करेगा उसके पैसे-पैसे का सदुपयोग सुनिश्चित करेंगे ।

आप सभी सहमत होंगे कि हर कार्यक्रम का एक वैचारिक आधार होता है । यह वैचारिक आधार हमें महात्मा गांधी को सही मायनों में समझने वाले महासमाजवादी, क्रान्तिकारी विचारक डा0 राम मनोहर लोहिया से मिले हैं । मुझे गर्व है कि मैं भी उन तमाम सौभाग्यशाली कार्यकर्ताओं में से एक हूं जो अपनी तरुणाई में डा0 लोहिया के समाजवादी सपनों के साझेदार बने । सम्पूर्ण क्रान्ति के प्रणेता लोकनायक जय प्रकाश नारायण एवं समाजवादी मूल्यों के लिए समर्पित आचार्य नरेन्द्र देव के विचार भी हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं । गांव व किसानों के सबसे बड़े प्रवक्ता चौधरी चरण सिंह की नीतियां एवं अनूठी कार्यशैली हमें अपने लक्ष्य प्राप्त करने में अत्यन्त सहायक होगी । इन महान नेताओं के आदर्शों एवं विचारों का समावेश हमारे चुनाव घोषणा-पत्र की राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक नीतियों में है । अपने सीमित संसाधनों के अंतर्गत हमने इन्हीं नीतियों का परिलक्षण इस बजट में करने का प्रयत्न किया है ।

इस सदन के सम्मानित नेता विरोधी दल श्री नारायण दत्त तिवारी जी अपनी पत्नी के इलाज के लिए विदेश में होने के कारण आज उपस्थित नहीं हैं । हम कामना करते हैं कि श्रीमती तिवारी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करके श्री तिवारी के साथ वापस आयेंगी और श्री तिवारी इस बजट की चर्चा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे ।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में वर्तमान जनता दल सरकार द्वारा प्रस्तुत यह पहला बजट है, इसलिए पुराने बजट भाषणों की परम्परा से अलग हटकर आप सभी के माध्यम से आम जनता को इस सरकार के सामने खड़ी चुनौतियों, सीमित संसाधनों और प्रदेश के भावी विकास का दिशा बोध कराना बेहद जरूरी है।

1977 के बाद यह दूसरा अवसर है जब प्रदेश की जनता ने एक नई राजनीतिक धारा के पक्ष में ठोस और मजबूत बहुमत प्रदान किया है। जनाकांक्षा की इस महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति को देखकर ही मैंने सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन की बात उठाते हुए राज्य की जनता, विपक्षी दलों तथा समाचार-पत्रों से 6 माह का समय मांगा था। ताकि इस सरकार की आन्तरिक स्थिति और सामने खड़ी चुनौतियों का आंकलन किया जा सके। अत्यन्त संतोष के साथ मैं कह सकता हूं कि एकाध अपवादों को छोड़कर कांग्रेस संहित सभी पक्षों से हमें पूरा सहयोग मिला है।

यह आरोप नहीं बल्कि एक दुखद सत्य है कि सामाजिक रूप से विघटित प्रशासनिक रूप से निष्क्रिय और दिशाहीन तथा आर्थिक रूप से बेहद जर्जर ढांचा हमें विरासत में मिला है। इसके बावजूद व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में बढ़ते हुए पिछले 6 महीने में राज्य की जनता ने यह महसूस किया है कि यह सरकार एक खुली हुई सरकार है और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इस सरकार में कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। पिछली सरकारों की तुलना में यह एक गुणात्मक अन्तर है। यह खुलापन इस सरकार की शक्ति है। आम आदमी की यह अनुभूति महत्वपूर्ण है कि यह सरकार ढुलमुल नहीं रहेगी। यथास्थितिवादी और जड़ सरकार का कोई अर्थ नहीं है। पिछले चार दशकों की जड़ता से ग्रस्त लोगों के मन में पहली बार यह विश्वास पैदा हुआ है कि राजनीतिक विवाद या अलोकप्रियता का खतरा उठाकर भी यह सरकार जन-समस्याओं और चुनौतियों को लटकाने के बजाय हल करने की कोशिश करेगी। धैर्य, दृढ़ता और विद्वेष रहित होकर यह सरकार उन निहित स्वार्थी तत्वों के घेरे को तोड़ने का संकल्प करेगी, जिनके मुंह में सत्ता का खून लग चुका है और आक्टोपस की तरह जिनकी जकड़ नौकरशाही, पुलिस, राजनीति, बुद्धिजीवी और पत्रकारों की ओर बढ़ रही है। व्यवस्था परिवर्तन के मार्ग में यह अप्रत्यक्ष लेकिन सबसे गम्भीर चुनौती है। शपथ ग्रहण के बाद चाहे आरक्षण विरोधी आन्दोलन हो, साम्प्रदायिक विद्वेष या दूसरे तरह के वर्ग संघर्ष, सबके पीछे यही तत्व अलग-अलग शक्लों में खड़े थे, लेकिन अभूतपूर्व जन-समर्थन के द्वारा हमने इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया है। पिछले 6 महीने में लगभग 50 जिलों की जनता से सीधा सम्पर्क करके मैंने व्यवस्था परिवर्तन की ललक और सहयोग स्वयं अनुभव किया है।

पिछले 6 महीनों में चुनाव घोषणा-पत्र के माध्यम से अपनी जन-प्रतिबद्धता और साफ नियत सिद्ध करने की कोशिश भी व्यवस्था परिवर्तन का ही एक हिस्सा है। दस हजार रुपये तक की ऋण माफी योजना के पचास प्रतिशत से अधिक धन ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन, लोकतांत्रिक संस्थाओं को जीवन्त बनाने की कोशिशें तथा अंग्रेजी का प्रभुत्व समाप्त कर हिन्दी और देशी भाषाओं का व्यवहार इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के लिए वर्तमान आरक्षण नीति को जारी रखने के साथ ही साथ राष्ट्रीय मोर्चा के घोषणा-पत्र में किये गये वायदे के अनुसार हम मण्डल आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए भी दृढ़ संकल्प हैं। इन सिफारिशों को लागू करते समय यह ध्यान में रखा जायगा कि गरीब चाहे जिस जाति के हो उसे न्याय मिले।

मुझे सन्तोष है कि व्यवस्था परिवर्तन को असम्भव कल्पना मानकर व्यंग करने वाले बुद्धिजीवियों ने यह मानना शुरू किया है कि सचमुच कुछ सार्थक पहल हुई है। नौकरशाही और पुलिस ने भी 6 माह में सरकार की नीतियों और इरादों को समझकर अपने व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। सचिवों तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का गांवों में रात बिताने का निर्णय अभूतपूर्व है।

यह धारणा भी मजबूत हुई है कि पहली बार एक ऐसी सरकार बनी है जो अपने चुनावी वायदों के साथ बेईमानी नहीं करेगी और ईमानदारी तथा निश्छल भाव से अपनी विफलता भी स्वीकार कर लेगी। क्या यह एक नई राजनीतिक संस्कृति की शुरूआत नहीं है?

आप सब माननीय सदस्य मुझसे सहमत होंगे कि विकास के "क्रान्तिरथ" के अबाध गति से बढ़ते रहने के लिए रचनात्मक वातावरण, सामाजिक शान्ति और सौहार्द आवश्यक है।

आर्थिक स्थिति

हमारा दुर्भाग्य है कि गत वर्षों में गलत प्राथमिकताओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में कमजोरी के कारण अन्य प्रदेशों की अपेक्षा हमारा प्रदेश लगातार पिछड़ता गया।

1950-51 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 259 रु0 थी जो देश की प्रति व्यक्ति आय 267 रु0 की 97 प्रतिशत थी। इसके बाद प्रति व्यक्ति आय का यह अन्तर बढ़ता गया। 38 वर्ष बाद 1988–89 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 2698 रु0 देश की प्रति व्यक्ति आय 3835 रु0 की केवल 70.4 प्रतिशत थी। 1980 के बाद के वर्षों में प्रदेश और देश की प्रति व्यक्ति आय का अन्तर बराबर बढ़ता रहा है और अन्य प्रदेशों से हम बहुत पीछे रह गये हैं। वर्ष 1987–88 में पंजाब की प्रति व्यक्ति आय 5588 रु0 थी। महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात और तमिलनाडु में यह आय क्रमशः 4807, 4214, 3592 और 3163 रु0 थी, जबकि उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 2371 रु0 थी।

हमारे प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र वर्ष में दो या तीन फसलों के लिए सर्वथा उपयुक्त है। फिर भी वर्ष 1982-83 से 1986-87 तक की अवधि में प्रदेश की प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता खाद्यान्न में पंजाब का 47 प्रतिशत, गन्ना में तमिलनाडु का 50 प्रतिशत और आलू में गुजरात का 63 प्रतिशत ही है। इसका परिणाम यह है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 1983–84 से 1985-86 की अवधि में कृषि की प्रति व्यक्ति औसत आय केवल 954 रु0 रही है जो बिहार और तमिलनाडु दो राज्यों को छोड़कर अन्य सभी बड़े राज्यों से कम है। पंजाब और हरियाणा की यह प्रति व्यक्ति आय क्रमशः 2667 रु0 और 2122 रु0 रही है।

वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार लगभग 75 प्रतिशत कर्मी कृषि में कार्य करते थे, परन्तु कृषि की आय राज्य की कुल आय का केवल 49 प्रतिशत थी। इसके विपरीत अन्य खण्डों के कर्मियों, जो मुख्यतः शहरों में ही हैं, का कुल कर्मियों में

प्रतिशत भाग कम परन्तु आय में अधिक था । इससे भी अधिक चिन्ता की बात यह है कि 1971 और 1981 के बीच कृषि कर्मियों के प्रतिशत भाग में तो नाममात्र 3 प्रतिशत की कमी हुई, किन्तु कृषि की आय का प्रतिशत भाग 58.4 प्रतिशत से घटकर 49 प्रतिशत हो गया, अर्थात् इसमें 9.4 प्रतिशत की कमी हो गयी । इससे आय के वितरण में बढ़ते हुए असंतुलन की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है ।

परिणामस्वरूप, क्षेत्रीय असमानतायें भी बढ़ती जा रही हैं । लगभग 16 वर्ष पूर्व 1973-74 में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोक्ता व्यय शहरी क्षेत्रों के इस व्यय से 9.97 प्रतिशत कम था किन्तु वर्ष 1986-87 में यह कमी बढ़कर 26.35 प्रतिशत हो गयी ।

कृषि उत्पादन में सिंचाई का बहुत बड़ा योगदान है, परन्तु पर्याप्त जल संसाधन उपलब्ध होते हुए भी वर्ष 1985-86 में प्रदेश में सिंचित क्षेत्रफल केवल 58.9 प्रतिशत है जबकि हमारे सरीखे कृषि प्रधान पंजाब में सिंचित क्षेत्रफल 86.4 प्रतिशत है ।

इसी प्रकार प्रदेश में उद्योगों का भी वांछित विकास नहीं हो पाया है । औद्योगिक विकास में प्रदेश के पिछड़ेपन का एक मोटा अनुमान केवल इसी से हो जायगा कि वर्ष 1986-87 में उद्योगों के संगठित अथवा पंजीकृत सेक्टर में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय महाराष्ट्र की इस आय का केवल 28 प्रतिशत है ।

राज्यों की आय की वृद्धि मुख्यत: कृषि और औद्योगिक उत्पादन पर निर्भर करती है । उत्पादन बढ़ाने में विद्युत् का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, परन्तु विद्युत् की स्थिति हमारे प्रदेश में काफी असंतोषजनक रही है । 31 मार्च, 1988 को विद्युत् का प्रति व्यक्ति उपभोग प्रदेश में केवल 135 यूनिट था, जबकि पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा में क्रमश: 515, 373, 347 और 306 यूनिट था । हमारे यहां केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण की परिभाषा के अनुसार फरवरी, 1990 तक केवल 71 प्रतिशत ग्रामों का ही विद्युतीकरण हो पाया है जबकि 1987-88 तक पंजाब, हरियाणा, केरल और हिमांचल प्रदेश में 100 प्रतिशत ग्रामों का विद्युतीकरण पहले ही हो चुका था और तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और आन्ध्र प्रदेश भी 100 प्रतिशत के निकट पहुंच गये थे । विद्युत् की यह कमी प्रदेश के विकास में बहुत बड़ा अवरोध है ।

प्रदेश के भीतर अन्तर्क्षेत्रीय विषमतायें भी बढ़ी हैं। प्रदेश के तीन क्षेत्र, पर्वतीय, बुन्देलखण्ड और पूर्वी, पिछड़े हुए क्षेत्र हैं । प्रदेश की लगभग आधी जनसंख्या (46.8 प्रतिशत), आधे से भी अधिक क्षेत्रफल (56.5 प्रतिशत) और लगभग आधा शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल (47.7 प्रतिशत) इन्हीं पिछड़े क्षेत्रों के अन्तर्गत आता है । अत: जब तक इन क्षेत्रों के त्वरित विकास की ओर ध्यान नहीं दिया जाता, पूरे प्रदेश का विकास अवरुद्ध रहेगा । इन क्षेत्रीय विषमताओं के साथ-साथ विभिन्न आय वर्गों में भी व्यक्तिगत आय की विषमतायें गम्भीर हैं । वर्ष 1983 के सर्वेक्षण के अनुसार उपभोक्ता व्यय की दृष्टि से लगभग 8 प्रतिशत उच्चतम वर्ग के लोगों का उपभोक्ता व्यय राज्य के कुल उपभोक्ता व्यय का लगभग 22 प्रतिशत निम्नतम् वर्ग के 34 प्रतिशत लोगों का लगभग 18 प्रतिशत और मध्यम वर्ग के 58 प्रतिशत लोगों का लगभग 60 प्रतिशत है ।

प्रदेश की वर्तमान भयंकर गरीबी और बेरोजगारी इसी सबका परिणाम है। वर्ष 1983 के सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश की 45.3 प्रतिशत जनसंख्या अर्थात् 5.31 करोड़ व्यक्ति गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करते थे, जो 1977-78 की तुलना में 25 लाख अधिक थे।

गरीबी का कारण मुख्यत: बेरोजगारी अथवा अल्प रोजगारी ही होता है। अत: राज्य की गरीबी और उसमें हुई उचित वृद्धि से यहां की बेरोजगारी और अल्प रोजगारी एवं उनकी वृद्धि का भी अनुमान लगाया जा सकता है। रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित करके ही गरीबी की समस्या पर काबू पाया जा सकता है। रोजगार भी लाभकारी और उत्पादक होना चाहिए अन्यथा यह टिकाऊ नहीं होगा। वर्ष 1971 में पंजीकरण के आधार पर 4.25 लाख व्यक्ति रोजगार के अवसर ढूंढ रहे थे यह संख्या बढ़कर 1987 में 32.69 लाख हो गयी है।

माननीय सदस्यगण अवगत हैं कि चालू वित्तीय वर्ष आठवीं पंचवर्षीय योजना का पहला वर्ष है। भारत सरकार से आठवीं पचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण पत्र हमें प्राप्त हो गया है और अगली अठारह जून को राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में उस पर विचार-विमर्श होगा। राष्ट्रीय स्तर पर आठवीं योजना के लक्ष्य, कार्यक्रम और रणनीति को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही प्रदेश की आठवीं पंचवर्षीय योजना का भी अन्तिम स्वरूप निर्धारित हो सकेगा।

आप जानना चाहेंगे कि हमारे परिवर्तन की मुख्य दिशा क्या होगी। यह बताने के लिए आपकी अनुमति से मैं आदरणीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जिनका पूर्ण स्नेह मुझे प्राप्त था, एक वाक्य उद्धृत करना चाहूंगा। उनका यह वाक्य मेरे लिए मूलमंत्र और भारत के विकास-मार्ग की कुंजी जैसा है। उन्होंने कहा था :—

> "यदि देश को बचाना है तो नेहरूवादी नीति के स्थान पर गांधीवादी दृष्टिकोण अपनाना होगा।"

21 सूत्रीय कार्यक्रम

इसी रणनीति के तहत वर्तमान सरकार ने अपनी नीति निर्देशक तत्वों के रूप में 21 सूत्रीय कार्यक्रम स्वीकार किया है। इस कार्यक्रम में जहां एक ओर प्रदेश की जनता की दीर्घकालीन आर्थिक-सामाजिक प्रगति व समृद्धि का ध्यान रखा गया है, वहीं कल्याण कार्यक्रमों पर भी पूरा जोर दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम में कृषि एवं ग्रामीण विकास, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य के अलावा हमने अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों, शिल्पकारों तथा बुनकरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया है। महिलाओं को विकास प्रक्रिया में विशेष अवसर देने पर भी हमने बल दिया है। वृद्धजनों, निराश्रितों, विकलांगों, विधवाओं हेतु सामाजिक सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलू पर भी हम समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए शासन तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस तन्त्र को इसी दृष्टि से सुधारने के लिए हमने संवेदनशील, जवाबदेह एवं प्रभावी प्रशासन की स्थापना, सत्ता के विकेन्द्रीकरण और भ्रष्टाचार निवारण की ओर विशेष ध्यान देकर प्रशासनिक व्यवस्थाओं को पारदर्शी बनाने पर बल दिया है।

वार्षिक योजना

मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता है कि योजना आयोग ने हमारी वार्षिक योजना वर्ष 1990–91 के लिए 3383 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकार किया है। यह परिव्यय गत वर्ष 1989–90 के 2970 करोड़ रुपये के परिव्यय की अपेक्षा 413 करोड़ रुपये अर्थात् 13.9 प्रतिशत अधिक है। यह वृद्धि हमारी आठवीं योजना के लिए एक अच्छी शुरूआत है जब कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष 1985–86 के परिव्यय में छठी योजना के अन्तिम वर्ष 1984-85 के परिव्यय की अपेक्षा केवल 9.3 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई थी। 3383 करोड़ रु0 की योजना में 3035 करोड़ रुपये मैदानी क्षेत्र के लिए और 330 करोड़ रुपये पर्वतीय क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया है। केन्द्रीय योजना आयोग के इस न्यायसंगत दृष्टिकोण के लिए हम आभारी हैं।

माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए मुझे हर्ष है कि राष्ट्रीय मोर्चे के घोषणा-पत्र में किये गए वायदे के अनुरूप इस वार्षिक योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर कुल परिव्यय का 51.3 प्रतिशत खर्च किया जायेगा।

नई दिशायें : नये कार्यक्रम

वर्ष 1990-91 के लिए आज प्रस्तुत इस बजट की मदों का विभागवार विस्तृत विवरण आपको वितरित साहित्य में यथा स्थान मिलेगा और उन सबका जिक्र यहाँ करना न तो सम्भव है और न ही मुनासिब, क्योंकि अगर मैं वह सब गिनाऊंगा तो यह सभा रात काफी देर तक चलानी पड़ेगी। मैं यहां कुछ प्रमुख और नये बजट प्रस्तावों का जिक्र करूंगा जिनको जानने के लिए आपकी विशेष अभिरुचि होगी।

इस वर्ष के पहले सत्र में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में ऋण राहत योजना इंगित की गई थी। उसे आकार रूप देते हुए हमने किसानों, बुनकरों, दस्तकारों, शिल्पकारों तथा भूमिहीन कृषि मजदूरों को उनके द्वारा 2-10-1989 तक या उससे पूर्व सहकारी ऋण संस्थाओं से लिये गये ऋण के अदायगी से राहत दिलाने के उद्देश्य से ऋण राहत योजना घोषित की है। इस योजना में कोई की कोई सीमा नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत उन कर्जदारों को दस हजार रुपये तक राहत मिलेगी, जो आदतन नादहिन्द नहीं हैं। इस हेतु वर्ष 1990-91 के प्रस्तुत बजट में फिलहाल 350 करोड़ रु0 की व्यवस्था की गयी है। इस योजना का लाभ लगभग 36 लाख सदस्यों को मिलेगा और यह सभी सहकारी सदस्य नया ऋण प्राप्त करने के पात्र हो जायेंगे। माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि देश में सर्वप्रथम हमारी योजना घोषित हुई और ऋण माफी के कार्य का शुभारम्भ हुआ।

दिनांक 1 जुलाई, 1990 से प्रारम्भ होने वाले कृषि वर्ष में दैवी आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत की दरों में वृद्धि की गयी है। फसल को मुख्य रूप से ओले से भी काफी क्षति होती है। ओले से प्रभावित कृषकों को राहत पहुंचाने

तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि अगली फसल बोने के लिए उसकी क्षमता प्रभावित न हो, हमने यह निर्णय लिया है कि आगामी कृषि वर्ष में ऐसे किसानों को जिनकी फसल को ओले से 50 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई हो, 300 रु0 प्रति एकड़ क्षेत्रफल की दर से राहत दी जाय। इसकी अधिकतम सीमा 1500 रु0 होगी

हमारे चुनाव घोषणा-पत्र में वयोवृद्ध नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का विशेष संकल्प किया गया था। पूर्व में चल रही वृद्धावस्था पेंशन योजना मात्र प्रतीक स्वरूप थी और उसका लाभ बहुत थोड़े से लोगों को मिल पा रहा था। अपने वायदे के अनुरूप हमने इस योजना को काफी व्यापक और उदार बना दिया है ताकि बड़ी संख्या में हमारे ज्येष्ठ नागरिक लाभान्वित हो सकें। सरकार ने अब वृद्धावस्था पेंशन 60 रु0 प्रतिमाह से बढ़ाकर 100 रु0 प्रतिमाह कर दिया है और न्यूनतम अर्हता आयु भी 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष कर दी है। यह निर्णय दिनांक 1 जनवरी, 1990 से प्रभावी है। अब इस योजना का लाभ उन सभी वृद्धजनों को मिलेगा जिनके पास ग्रामीण क्षेत्र में ढ़ाई एकड़ भूमि या उससे कम हो अथवा वह भूमिहीन हो। शहरी क्षेत्र में 225 रु0 प्रतिमाह या उससे कम आय के व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन के पात्र होंगे। इस हेतु प्रस्तुत बजट में 56.62 करोड़ रुपये का प्राविधान है।

हमने निराश्रित विधवाओं तथा निराश्रित विकलांगों को दिये जाने वाले भरण-पोषण अनुदान को भी 60 रु0 प्रतिमाह से बढ़ाकर 100 रु0प्रति माह कर दिया है। वर्ष 1990-91 में लगभग सवा तीन लाख लाभार्थियों हेतु वित्तीय प्राविधान किया गया।

भूमि और श्रम शक्ति की परस्पर सम्बद्ध सम्पदाओं की समृद्धि के लिए भूमि सेना योजना इस वर्ष से लागू की जा रही है जिससे हम ग्रामीण अंचलों में रोजगार के नये अवसर उपलब्ध करायेंगे। प्रदेश की ऊसर, बंजर, कटावग्रस्त एवं बीहड़ भूमि का सुधार करके भूमिहीन मजदूरों को यथासम्भव आवंटित किया जायेगा। इस योजना में 16 जनपदों में बीहड़, कटावग्रस्त, ऊसर या बंजर भूमि निर्दिष्ट की जायेगी। बीहड़ और कटावग्रस्त भूमि पर वनीकरण का कार्य होगा और ऊसर व बंजर भूमि पर ऊसर सुधार कार्य होगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न जनपदों में तालाब-झील, बंधियां और कुएं खुदवाने तथा गहरा कराने तथा भूमि एवं कृषि सम्बन्धी अन्य कार्यों के लिए मजदूरों को संगठित करके रोजगार के साधन उपलब्ध कराये जायेंगे। एक वर्ष बाद इस योजना का मूल्यांकन करके विस्तार होगा। इस योजना के लिए 1990-91 में 35 करोड़ रु0 मैदानी क्षेत्र में तथा 3 करोड़ रु0 पहाड़ी क्षेत्र में प्राविधानित है।

आज भी हमारे गांवों में विशेष रूप से महिलाओं को शौचालयों के अभाव में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वह लज्जा का विषय है। इस समस्या के निदान के लिए हमने अपने चुनाव भाषणों में जो वायदा किया था उसकी पूर्ति की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। वर्ष 1990-91 में ग्रामीण क्षेत्रों में दो लाख निजी शौचालयों का निर्माण कराया जायेगा। कार्यक्रम में लाभार्थियों

के सक्रिय योगदान पर विशेष बल दिया जायेगा । लोक महत्व की इस योजना में अनुदान का अनुपात 80 प्रतिशत रखा गया है । इसमें अनुसूचित जाति/जन-जाति के परिवारों को प्राथमिकता दी जायेगी । इस परियोजना हेतु इस आय-व्ययक में 26.39 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

सात पंचवर्षीय योजनायें पूरी होने के बाद भी प्रदेश के सभी प्राइमरी स्कूलों के भवनों की व्यवस्था नहीं की जा सकी है । माननीय सदस्यों को मुझे यह बताते हुये प्रसन्नता हो रही है कि हमने इस वर्ष सभी प्राइमरी स्कूलों के भवनों का निर्माण पूरा कराने का निर्णय लिया है। इस वर्ष लगभग 15,000 स्कूल भवनों का निर्माण कराया जायेगा । उनके पूर्ण हो जाने के बाद सभी प्राइमरी स्कूलों के अपने भवन हो जायेंगे ।

प्रदेश में बालकों की शिक्षा केवल कक्षा आठ तक निःशुल्क है । मुझे सम्मानित सदन को सूचित करते हुए हर्ष होता है कि हमारी सरकार ने कक्षा बारह तक बालकों को भी निःशुल्क शिक्षा दिये जाने का निर्णय लिया है । इससे लगभग 22.57 लाख बालकों के परिवार लाभान्वित होंगे । इस कदम से राज्य कोष पर लगभग 13 करोड़ रु0 का वार्षिक व्ययभार बढ़ेगा ।

राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की यादगार में नगरों में उनकी मूर्ति स्थापित करने के लिए भी हमने आय-व्ययक में समुचित व्यवस्था रखी है । हमने यह निर्णय लिया है कि डा0 राम मनोहर लोहिया, लोक नायक जय प्रकाश नारायण, आचार्य नरेन्द्र देव, चौ0 चरण सिंह, श्री राज नारायण, श्री कर्पूरी ठाकुर, श्री वीर बहादुर सिंह, वीरांगना अवन्ती बाई, भारतरत्न बाबा भीमराव अम्बेदकर की मूर्तियां प्रथम चरण में स्थापित की जायेंगी ।

स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग एवं बलिदान के प्रति आभार प्रदर्शन के रूप में हमारी सरकार ने उनकी सम्मान पेंशन दिनांक 1 अप्रैल, 1990 से 401 रु0 से बढ़ा-कर 500 रु0 प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है।

हमारे पत्रकारों ने भी अपनी लेखनी के माध्यम से जन-जन में स्वतंत्रता की अलख जगाने में चिरस्मरणीय भूमिका निभायी थी । सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ऐसे वयोवृद्ध पत्रकारों को सम्मान स्वरूप 1 जनवरी, 1990 से वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायं ।

हम प्रेस को बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को सबल बनाने के लिए सजग प्रहरी के रूप में जिम्मेदारी निभायी है । सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है । लघु एवं छोटे समाचार-पत्र जो ग्रामीण अंचलों में पहुंचते हैं उनके आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकार ने प्रतीक सहायता के रूप में निर्णय लिया है कि ऐसे छोटे समाचार-पत्र जो प्रथम बार टेलीप्रिंटर की सुविधा 1 जुलाई, 1990 के पश्चात् प्राप्त करेंगे उन्हें पहले वर्ष में अर्थात् 12 महीनों के लिए अनुदान स्वरूप कुल व्यय का 25 प्रतिशत अथवा 10 हजार रु0 जो भी कम हो, स्वीकृत किया जायेगा । हमें विश्वास है कि इस कदम से छोटे समाचार-पत्रों को खबरें समय से और सही ढंग से जनता के मध्य पहुंचाने में सुविधा होगी ।

सामाजिक चेतना जागृत करने और सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने में साहित्यकारों एवं कलाकारों का बड़ा भारी योगदान है। अतः शासन ने यह निर्णय लिया है कि ऐसे ख्याति प्राप्त साहित्यकारों एवं कलाकारों को जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर है तथा जो विपन्न हैं, दिनांक 1 जनवरी, 1990 से आर्थिक सहायता दी जाय। साथ ही उन्हें सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाय।

अल्प-संख्यक समुदायों के सदस्यों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा उन्हें अपनी औद्योगिक इकाई स्थापित करने के योग्य बनाने के लिए अल्प-संख्यक वित्तीय विकास निगम द्वारा प्रशिक्षण की योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं। हमारा प्रयास होगा कि ऋण सेवा शिविरों के माध्यम से अल्प-संख्यक समुदाय के लाभार्थियों को स्व-रोजगार हेतु अधिकाधिक धनराशि उपलब्ध करायी जाय।

प्रदेश के राज्य सहायता प्राप्त अरबी, फारसी मदरसों के स्तर में गुणात्मक सुधार लाने तथा इन संस्थाओं के शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को नियमित मासिक वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संशोधित वेतन वितरण व्यवस्था लागू की गयी है। इस हेतु आय-व्ययक में 4 करोड़ रु0 की व्यवस्था की गयी है।

हज यात्रियों को और अधिक सुविधायें सुलभ कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के अनुदान को बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है। साथ ही उर्दू अकादमी के भवन निर्माण को पूरा कराने के लिए इस आय-व्ययक में 50 लाख रु0 की व्यवस्था की गयी है।

प्रदेश के लगभग दस हजार गांव अनुसूचित जाति, जन-जाति बाहुल्य हैं। इनके सम्पूर्ण विकास के लिए इस वर्ष नयी योजना का शुभारम्भ किया जा रहा है जिसमें ऐसे ग्रामों में पर्यावरण एवं जीवन स्तर में सुधार की व्यवस्था समन्वित एवं योजनाबद्ध ढंग से की जायेगी। भारतरत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर जन्म शताब्दी वर्ष में प्रारम्भ की जाने वाली इस योजना से लाभान्वित होने वाले ग्रामों को "अम्बेदकर ग्राम" के नाम से जाना जायेगा।

हमारी सरकार ने श्रमिकों के कल्याण हेतु कई ठोस कदम उठाये हैं। अभियंत्रण व वस्त्र उद्योग में वर्षों से चली आ रही ठेका श्रमिक प्रणाली निषिद्ध कर दी गयी है। तम्बाकू, चमड़ा व चर्म वस्तुओं के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों का न्यूनतम वेतन वर्ष 1984 के पश्चात पुनरीक्षित नहीं हुआ था। तम्बाकू निर्माण-कार्य में लगे श्रमिकों के 299 रु0 वेतन को अप्रैल, 1990 से पुनरीक्षित करके अब अकुशल श्रमिकों को 676 रु0 प्रतिमाह या 26 रु0 प्रतिदिन, अर्द्ध-कुशल श्रमिकों को 793 रु0 प्रतिमाह या 30.50 रु0 प्रतिदिन और कुशल श्रमिकों को 910 रु0 प्रतिमाह या 35 रु0 प्रतिदिन निर्धारित कर दिया गया है। चर्म वस्तुओं के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों के वेतन को भी अप्रैल, 1990 से बढ़ा दिया गया है तथा अब उन्हें अतिरिक्त परिवर्तनीय महंगाई भत्ता भी प्राप्त हो सकेगा।

औद्योगिक सम्बन्ध मधुर रखने के लिए अधिक से अधिक त्रिदलीय सम्मेलन किये जा रहे हैं। औद्योगिक झगड़ों को शीघ्र निपटाने के लिए 3 अतिरिक्त श्रम न्यायालयों की स्थापना की गयी है। बाकी छोटे-छोटे झगड़ों को हल करने के लिए श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को, जिन्होंने 16 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, संरक्षण

अधिकारी के अधिकार दे दिये गये हैं । प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी योजना को अधिक सक्रिय रूप देने के लिए हमारी सरकार तत्पर है । श्रमिकों को चिकित्सा सुविधा अधिक से अधिक उपलब्ध हो सके, इसके लिए 5 नये कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय खोले जाने का प्रस्ताव है तथा 60 शैय्या वाले दो चिकित्सालयों (वाराणसी तथा पिपरी) को क्रियाशील किया जायेगा ।

हमारे शहरों में रिक्शा परिवहन का एक मुख्य साधन है । अभी रिक्शा चालक मात्र चालक ही हैं जिनका उत्पीड़न ठेकेदारों द्वारा किया जाता है । हम इस स्थिति को सुधार कर रिक्शा चालकों को रिक्शा मालिक बनायेंगे । इस हेतु हमारी सरकार ने एक नई योजना लागू करने का निर्णय लिया है जिसके अन्तर्गत रिक्शा की लागत का 1/6 भाग ही रिक्शा चालक को देना होगा, 1/3 भाग राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिया जायेगा और 1/2 भाग बैंकों से ऋण के रूप में दिलाया जायेगा ।

माननीय सदन को ज्ञात है कि नगरों में बड़ी संख्या में अत्यन्त निर्धन एवं निराश्रित व्यक्तियों के रहने के लिए कोई स्थान उपलब्ध नहीं । मौसम की मार सहते हुए ऐसे लोग किसी न किसी तरह रात बिताते हैं । गत जाड़े के मौसम में इन निराश्रित व्यक्तियों की कठिनाइयों को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मैंने देखा तथा उद्वेलित हुआ । हमने यह फैसला किया है कि बड़े-बड़े शहरों में ऐसे निराश्रित व्यक्तियों के लिए रैन बसेरे बनाये जायं जिनमें यह लोग खराब मौसम से बचकर रात गुजार सकें ।

माननीय सदस्यों को यह जानकर हर्ष होगा, कि प्रदेश के पूर्वी जिलों के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हम इस क्षेत्र में दो औद्योगिक विकास प्राधिकरणों जौनपुर-सथरिया तथा सहजनवा–गोरखपुर की संकल्पना को मूर्त रूप देने जा रहे हैं । इनसे जहां एक ओर इस क्षेत्र में औद्योगीकरण के लिए पूंजी-निवेश में गति आयेगी वहीं स्थानीय लोगों के लिए नये रोजगार के अवसर भी सृजित हो सकेंगे

हमारी सरकार की यह मान्यता है कि जब तक इन पिछड़े क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिए कारगर उपाय नहीं किये जाते तब तक पूरे प्रदेश का विकास भी रुका रहेगा । इसलिये प्रदेश के पूर्वी तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्रों के त्वरित विकास हेतु इस आय-व्ययक में क्रमशः 20 करोड़ रु0 एवं 5 करोड़ रुपये की निधियां हम सृजित करने जा रहे हैं जिससे इन क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों के वित्त पोषण में सहायता मिलेगी । इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों के विकास के लिये केन्द्र से हम विशेष केन्द्रीय सहायता की मांग भी करेंगे ।

यह पाया गया है कि चुंगी एक जटिल शुल्क है तथा अनेक दोषों से ग्रसित है । बहुमूल्य वस्तुओं पर इसका यथामूल्य आपात कम होता है क्योंकि यह शुल्क वस्तु के वजन या संख्या के आधार पर वसूल किया जाता है । चुंगी चौकियों पर वाहनों और माल को काफी समय तक रोके रहने से माल की त्वरित ढुलाई में रुकावट पड़ने के साथ-साथ ईंधन की खपत में अनावश्यक वृद्धि होती है । फलस्वरूप वाणिज्यिक और औद्योगिक कार्य-कलापों का विकास अवरुद्ध होता है । परिवहन क्षेत्र की क्षमता के पूर्ण उपयोग में बाधा होती है । परिवहन तथा वस्तु सूची की लागत बढ़ जाने के फलस्वरूप राष्ट्रीय अपव्यय होता है । इसको वसूली में व्यापार और परिवहन

में लगे व्यक्तियों का उत्पीड़न भी होता है। चुंगी शुल्क के इन दोषों के सम्बन्ध में हमारी सरकार ने गम्भीरतापूर्वक विचार किया और प्रदेश में औद्योगिक विकास की गति में तीव्रता लाने तथा परिवहन क्षेत्र में क्षमता के पूर्ण उपयोग तथा इस कराधान में व्याप्त उत्पीड़न से मुक्ति दिलाने हेतु प्रदेश के समस्त स्थानीय निकायों से चुंगी शुल्क को दिनांक 1 अगस्त, 1990 से समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसकी समाप्ति से स्थानीय निकायों को होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु स्थानीय निकायों के वार्षिक आवंटन हेतु एक वित्त समिति का गठन किया जायेगा जो प्रथम वर्ष के आधार एवं वार्षिक वृद्धि के सिद्धान्तों पर संस्तुति देगी। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में बिक्री-कर पर वर्तमान में लागू 10 प्रतिशत अतिरिक्त कर को तत्काल बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया जा रहा है। यहां मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि स्थानीय निकायों के चुंगी से सम्बन्धित कर्मचारी वर्ग की छटनी नहीं की जायेगी तथा उन्हें स्थानीय निकायों में अन्य पदों पर खपाया जायेगा। इस प्रकार वर्षों से चली आ रही परिवहन, उद्योग एवं वाणिज्य वर्ग की यह मांग पूरी की जा रही है।

अब मैं माननीय सदस्यों को कुछ मुख्य विभागीय कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों से संक्षेप में अवगत कराना चाहूंगा।

पर्वतीय विकास

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र की विशेष समस्याओं के समाधान व पिछड़ेपन को दूर करने के लिए वर्ष 1990-91 के लिए 330 करोड़ रु0 का योजना परिव्यय निर्धारित किया गया है जिसमें 183.05 करोड़ रु0 की विशेष केन्द्रीय सहायता सम्मिलित है।

हमारी सरकार पर्वतीय क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं जैसे-सड़क/पुल, सिंचाई, विद्युत, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि को असेवित और दूर-दराज क्षेत्रों में उपलब्ध कराने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है। इसके अतिरिक्त हम उत्पादन/उत्पादकता बढ़ाने, स्व-रोजगार के अवसर बढ़ाने, ग्रामीण क्षेत्र में विकास प्रक्रिया की स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए विशेष प्रयासों पर बल दे रहे हैं। पारिस्थितिकी और पर्यावरण सन्तुलन हेतु बड़े पैमाने पर वनीकरण एवं जलागम विकास परियोजनायें जनता की सीधी भागीदारी में कार्यान्वित की जायेंगी।

कृषि क्षेत्र में वर्तमान भूमि उपयोग की दिशा में परिवर्तन कर उत्पादकता को बढ़ाने की दृष्टि से नकदी फसलों, बागवानी, फूलों की खेती, जड़ी-बूटियों के उत्पादन में विशेष बल दिया जायेगा। बागवानी विकास हेतु विदेशी सहायता से एक महत्वाकांक्षी परियोजना भी चलायी जायेगी।

पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए पर्यटन विकास के वर्तमान ढांचे को सुदृढ़ किया गया है। निजी क्षेत्रों में पर्यटन विकास पर भी जोर दिया जायेगा तथा चुने हुए पर्यटन केन्द्रों का इस प्रकार विकास किया जायेगा कि वे समग्र विकास हेतु केन्द्र-बिन्दु का कार्य कर सकें। तीर्थ स्थानों के सम्बन्ध में यात्री प्रबंधन संगठन का भी गठन किया जा रहा है। दुर्बल आय वर्ग के यात्रियों/पर्यटकों के लिए श्री बद्रीनाथ धाम में 500 शैय्याओं वाले यात्री निवास का निर्माण कराया जायेगा। इस योजना पर 4.34 करोड़ रु0 व्यय किये जाने का अनुमान है। इसी प्रकार ऋषिकेश में भी यात्रियों/पर्यटकों की कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए 1.12

करोड़ रु0 की लागत से 200 शैय्याओं वाले आवास गृह का निर्माण कराया जायेगा। यात्रा मार्ग पर उचित भोजन एवं जलपान की समस्या के समाधान हेतु तुरन्ता भोजनालय की स्थापना का भी प्रस्ताव है।

पर्वतीय क्षेत्र के दूरस्थ एवं अविकसित क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए हमने नई औद्योगिक नीति में सीमान्त क्षेत्रों तथा दुर्गम क्षेत्रों के लिए विशेष प्रोत्साहन रखा है।

कृषि

कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये प्रस्तुत बजट में हमने नयी रणनीति बनायी है जिसके अन्तर्गत कृषकों को कृषि निवेशों की आपूर्ति हेतु एक वृहद कार्यक्रम बनाया गया है। साथ ही विश्व बैंक की सहायता से 176 करोड़ रु0 की लागत से टी एण्ड वी (प्रशिक्षण एवं प्रसार) कार्यक्रम प्रदेश के 30 मैदानी जनपदों में प्रारम्भ किया जायेगा, जिससे प्रदेश के सभी मैदानी जनपदों में कृषि की नई तकनीक का प्रसार हो सकेगा।

भारत सरकार की सहायता से हम विशेष खाद्यान्न उत्पादन योजनायें गेहूं, चावल, मक्का, चना, अरहर तथा तिलहन के लिये चला रहे हैं। इस वर्ष किसानों को उन सभी जिलों में भी जहां केन्द्रीय योजनायें नहीं चल रही हैं, राज्य सरकार की ओर से बीज वितरण पर उतना ही अनुदान दिया जायेगा जितना कि भारत सरकार की योजनाओं द्वारा पोषित जिलों में दिया जाता है। इस प्रकार सम्पूर्ण प्रदेश में यह सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इसके अतिरिक्त हस्तचालित ट्रैक्टरों के क्रय पर कृषि शिक्षा के साथ इण्टरमीडिएट और उच्चतर डिग्री वाले बेरोजगार व्यक्तियों को 33 1/3 प्रतिशत अनुदान दिया जायगा, जिसकी अधिकतम सीमा 10,000 रुपये होगी। इसी प्रकार सुखोन्मुख क्षेत्रों में स्प्रिंक्लर ड्रिप सिंचाई सेटों पर किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 10,000 रुपये प्रति सेट होगी। इन सुविधाओं पर 3.5 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है।

प्रदेश के दस जनपदों में, जहां कम से कम 20,000 हेक्टेयर ऊसर भूमि उपलब्ध है, हम ऊसर सुधार के लिए एक वृहद कार्यक्रम बना रहे हैं। लगभग 280 करोड़ रुपये की इस परियोजना के लिए हमने विश्व बैंक से अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त योरोपीय आर्थिक समुदाय (ई0 ई0 सी0) की सहायता से आगरा और इटावा जनपदों में चल रही बीहड़ सुधार योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाई जायेगी।

कृषि विभाग द्वारा कृषि रक्षा रसायनों की बिक्री के साथ 5 प्रतिशत सेवा शुल्क और 5 प्रतिशत प्रासंगिक व्यय किसानों से लिया जाता रहा है। हमने इस वर्ष से यह 10 प्रतिशत प्रभार समाप्त कर दिया है। इससे किसानों को कृषि रक्षा रसायन सस्ती दर पर उपलब्ध हो सकेंगे और उन्हें 1.20 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी।

कृषकों को उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के उद्देश्य से हमने आलू के समर्थन मूल्य में 10 रु0 प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी कर दी है। इसी प्रकार सूरजमुखी के समर्थन मूल्य में 50 रु0 प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी की गयी है। सेब के समर्थन मूल्य में भी बढ़ोत्तरी की जा रही है।

मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत इस वर्ष खरीफ सीजन में लगभग आठ हजार मीट्रिक टन धान की खरीद की गयी जो विगत वर्ष से लगभग चार गुनी अधिक है। रबी सीजन में गेहूं खरीदने के लिए 6088 क्रय केन्द्र खोले गये हैं जिनसे 20 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के विपरीत अब तक कुल लगभग 13 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। विगत वर्ष इसी अवधि में लगभग 10 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गयी थी। इस साल किसानों के हक में एक खास नीतिगत परिवर्तन यह हुआ कि खरीददारी की इस प्रक्रिया से बिचौलियों को अलग रखा गया।

वर्ष 1949 से फसलों की औसत उपज को जानने के लिए फसल कटान पर प्रयोगों पर 7 रुपये प्रति प्रयोग शासन द्वारा खर्च किया जाता रहा है। इसमें से कुल 2 रुपये ही किसानों को मिलते थे। इस वर्ष से यह धनराशि भी 21 रुपये कर दी गयी है, जिसके फलस्वरूप अब प्रति प्रयोग 8 रुपये किसानों को मिलेंगे।

पर्वतीय क्षेत्र के कृषकों की बीज, उर्वरक, सिंचाई, कृषि रक्षा, कीटनाशक एवं मुख्यत: कृषि विपणन की समस्याओं के एक ही स्थान पर निदान हेतु पर्वतीय क्षेत्र की 15 विनियमित मंडियों में 15 कृषि पाली क्लीनिक स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है।

सहकारिता

उत्तर प्रदेश के नियोजित विकास में सहकारिता आन्दोलन की भूमिका अद्वितीय रही है। वर्ष 1989-90 में 409 करोड़ रु0 अल्पकालिक ऋण एवं 24 करोड़ रुपये मध्यम कालीन ऋण वितरित किया गया। वर्ष 1990-91 में इसे बढ़ा कर क्रमश: 500 करोड़ रुपये एवं 60 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार दीर्घकालीन ऋण में 133 करोड़ रुपये के पिछले वर्ष की उपलब्धियों के विरुद्ध वर्ष 1990-91 में 140 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बढ़ते हुए कृषि निवेशों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए साधारण एवं नकदी फसलों के वित्तमान में बढ़ोत्तरी कर क्रमश: 1200 रुपये एवं 1500 रुपये प्रति एकड़ निर्धारित की गयी है। इसी प्रकार अधिकतम ऋण सीमा 10 हजार रुपये से बढ़ा कर 12,500 रुपये की गयी है।

प्रदेश के जो लाखों किसान बकायेदार होने के कारण ऋण प्राप्त करने योग्य नहीं रह गये थे, आशा की जाती है कि नयी ऋण राहत योजना से इनमें से अधिकांश किसान पुन: ऋण लेने में सक्षम होंगे।

कृषि निवेश आपूर्ति व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से समितियों के स्तर पर संचालित "सिंगिल-विण्डो-सिस्टम" का विस्तार कर किसानों को एक ही स्थान से कृषि ऋण, उर्वरक, बीज, कृषि यंत्र, कृषि रक्षा रसायन एवं उपकरण, कृषि परामर्श सेवाओं के साथ-साथ उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण कराया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप उक्त क्षेत्रों में आशातीत प्रगति हुयी है। वर्ष 1989-90 में प्रथम बार 6.56 लाख मीट्रिक टन उर्वरक तथा 3.78 लाख कुन्तल बीज वितरित किया गया जिसे आगामी वर्ष 1990-91 में बढ़ा कर क्रमश: 9.00 लाख मीट्रिक टन एवं 4.39 लाख कुन्तल निर्धारित किया गया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रदेश में सहकारी समितियों के माध्यम से 10,340 उचित मूल्य की दुकानों को संचालित करा कर लेवी चीनी, मिट्टी का तेल तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुएं जैसे—खाद्यान्न, कपड़ा, साबुन, चाय, माचिस, स्टेशनरी, बल्व आदि का वितरण कराया जा रहा है। वर्ष 1990-91 में उपभोक्ता वस्तुओं के व्यवसाय का लक्ष्य 710 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

ग्राम्य विकास

राष्ट्रीय मोर्चे के चुनाव घोषणा-पत्र में किये गये संकल्प के अनुसार ग्रामीण आबादी को उत्पादक एवं लाभकारी रोजगार मुहैया कराने के लिए हमारी सरकार योजनाबद्ध तरीके और पूरी दृढ़ता से कार्य कर रही है। वर्ष 1990-91 में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत 147.28 करोड़ रुपये के संसाधनों की व्यवस्था की जा रही है जिसमे राज्य बजट का अंश 83.85 करोड़ रुपये होगा। प्रदेश सरकार का यह प्रयास होगा कि एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लाभान्वित परिवार इतनी अतिरिक्त आय अर्जित कर सकें कि वे सदा-सर्वदा के लिए गरीबी के दल-दल से उबर सकें। एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम की परियोजनाओं की औसत लागत 6,568 रुपये से बढ़ाकर कम से कम 10,000 रुपये का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ-साथ लागत में औसत अनुदान का अंश लगभग 2,000 रुपये से बढ़कर 2,500 रुपये हो जायेगा।

अनुसूचित जाति के लक्षित परिवारों में उद्यमिता के विकास हेतु अपेक्षाकृत अधिक प्रोत्साहन की आवश्यकता है। इसलिए उनको देय अनुदान का अनुपात 25 प्रतिशत/33 1/3 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत एवं अनुदान सीमा 3,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है।

अपने संकल्प के अनुसार हम इस वर्ष से एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम में मैदानी क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के परिवारों का आरक्षण 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर रहे हैं। महिलाओं के आच्छादन का लक्ष्य भी 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है।

एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के समवर्ती ग्रामीण महिला एवं बालोत्थान कार्यक्रम (डी0 डब्लू0 सी0 आर0 ए0) का विस्तार किया जायेगा और इसमें शामिल किये जाने वाले जनपदों की संख्या 21 से बढ़ाकर 26 कर दी जायेगी। पिछड़ेपन के मापदण्डों के आधार पर इस हेतु अल्मोड़ा, फैजाबाद, जौनपुर वाराणसी तथा मिर्जापुर जनपदों का चयन किया गया है।

जवाहर योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश का परिव्यय 510.93 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। इस परिव्यय में राज्य सरकार का अंश 20 प्रतिशत होगा। कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 1703.79 लाख मानव दिवस के समतुल्य रोजगार के अवसर सृजित किये जायेंगे।

निर्बल वर्ग ग्रामीण आवासीय योजना के अंतर्गत इस वर्ष 2 लाख आवास बनाये जायेंगे। "अम्बेदकर ग्राम विकास योजना" तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के संबंध में, मैं पूर्व ही उल्लेख कर चुका हूं।

ऊर्जा

ऊर्जा क्षेत्र के लिए वर्ष 1990–91 में 966.75 करोड़ रुपये (पर्वतीय क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए) प्लान परिव्यय निर्धारित किया गया है। इस क्षेत्र के मुख्य उद्देश्यों में विद्युत उत्पादन बढ़ाना, विद्युत परिषद् की वित्तीय स्थिति में सुधार करना तथा ग्रामीण विद्युतीकरण में प्रगति करना है।

पिछले वर्षों में जिस प्रकार विद्युत परिषद् के कार्यकलापों का संचालन हुआ उससे परिषद् के लगभग प्रत्येक क्षेत्र के कार्य में ह्रास हुआ। स्थिति यह है कि परिषद् के औसत मासिक राजस्व 94 करोड़ रुपये के विरुद्ध उसका औसत मासिक व्यय लगभग 145 करोड़ रुपये है जिसके परिणामस्वरुप लगभग 50–51 करोड़ रुपये मासिक का घाटा है। इस बढ़ते हुए घाटे के कारण विद्युत परिषद् कोयले की खरीद, रेल भाड़ा और बिजली के आयात के लिए भुगतान नहीं कर पा रहा है। 31 मार्च, 1990 को कोल इन्डिया, रेलवे तथा नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन को विद्युत परिषद् द्वारा लगभग 836 करोड़ रुपये देय थे। यह देय निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं। इसी प्रकार विद्युत परिषद् की अपनी देयों की वसूली की स्थिति भी अत्यन्त असंतोषजनक रही है। 1989–90 में लगभग 1136 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली की गई जबकि यह वसूली 1800 करोड़ रुपये हो सकती थी।

वर्तमान शासन द्वारा उठाये गये कदमों के फलस्वरूप विद्युत परिषद् की राजस्व वसूली जनवरी, 1990 में 96 करोड़ रुपये से बढ़कर फरवरी तथा मार्च में क्रमशः 111 करोड़ तथा 145 करोड़ रुपये हो गई।

विद्युत परिषद् द्वारा विभिन्न स्तर के अभियंताओं द्वारा किये जाने वाले मासिक निरीक्षणों की न्यूनतम संख्या भी निर्धारित कर दी गई है ताकि विद्युत चोरी के मामले प्रकाश में आ सकें। प्रत्येक अधिशासी अभियन्ता द्वारा डिवीजन में 50 सबसे बड़े बकायेदारों की सूची बनाई गई ताकि उनसे नियमानुसार वसूली हेतु प्रभावी कार्यवाही हो सके। इन कदमों के फलस्वरुप राजस्व वसूली की स्थिति में कुछ सुधार आया है।

वर्षों से कई अधिकारी एक ही स्थान अथवा पद पर बने हुए थे जिसके कारण खराब कार्य और भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त होती रहती थीं। इस वर्ष विद्युत परिषद् ने "स्थानान्तरण नीति" बनायी तथा ऐसे बहुत से अधिकारियों को जो निर्धारित अवधि से अधिक एक ही स्थान अथवा पद पर नियुक्त थे अथवा जो अपने कर्त्तव्यों के पालन में वांछित रूचि नहीं ले रहे थे, का स्थानान्तरण कर दिया है। परिषद् की सेवा में उच्चकोटि की दक्षता, कार्यकुशलता तथा सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए 50 वर्ष से अधिक की आयु के अधिकारियों की स्क्रीनिंग का कार्य प्रगति पर है तथा अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियन्ता स्तर के कुछ अधिकारियों को स्क्रीनिंग के फलस्वरूप सेवानिवृत्त भी किया जा चुका है। विद्युत परिषद् के इतिहास में इस प्रकार की कार्यवाही पहली बार की गई है।

पिछले महीनों में यह भी प्रयास किया गया कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं जैसे पावर फाइनेन्स कारपोरेशन, भारतीय जीवन बीमा निगम तथा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन से विद्युत परिषद् को यथासम्भव वित्तीय सहायता मिले और इस कार्य में कुछ सफलता भी प्राप्त हुई है ।

कार्यकुशलता तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए विद्युत परिषद् में संरचनात्मक परिवर्तन तथा पुनर्गठन की आवश्यकता प्रतीत होती है । इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने श्री एन0 एस0 वसन्त, अध्यक्ष, पंजाब राज्य विद्युत परिषद् की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की है । इसकी रिपोर्ट शीघ्र मिलने की आशा है ।

जबसे इस शासन ने कार्यभार सम्भाला है ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता में काफी परिवर्तन हुआ है और अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन 12 से 14 घंटे बिजली प्रतिदिन उपलब्ध कराई जा रही है । अक्टूबर तथा नवम्बर, 1989 में प्लान्ट लोड फैक्टर क्रमशः 36·5 प्रतिशत तथा 46·8 प्रतिशत था । जनवरी, फरवरी तथा मार्च, 1990 में यह बढ़कर क्रमशः 54·1 प्रतिशत, 59·7 प्रतिशत तथा 56·9 प्रतिशत हो गया ।

वित्तीय वर्ष 1989–90 के अन्त में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषा के अनुसार तथा एल0 टी0 मेन्स द्वारा क्रमशः 80,358 तथा 47,244 ग्राम विद्युतीकृत हुए थे, जो प्रदेश की ग्रामों की कुल संख्या का क्रमशः 71·4 प्रतिशत तथा 42 प्रतिशत है । वर्ष 1989–90 में विभिन्न कारणों से ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लक्ष्यों की तुलना में प्राप्ति काफी कम रही । वर्ष 1990-91 में इस कार्यक्रम में तेजी लायी जायगी ।

सिंचाई

खेती की उपज बढ़ाने और गांवों की खुशहाली के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार एक मूलभूत आवश्यकता है । हम चाहते हैं कि एक ओर तो नहरों एवं नलकूपों के माध्यम से सिंचन क्षमता का अनुकूलतम उपयोग किया जाय और दूसरी ओर निर्माणाधीन और नयी योजनाओं का कार्यान्वयन इस प्रकार किया जाय जिससे उनका अधिकतम लाभ कम से कम समय में प्राप्त हो सके । इसी नीति के तहत हमारी सरकार ने कार्यभार ग्रहण करने के तुरन्त बाद किसानों के हित में नलकूपों के परिचालन में सुधार लाने के उद्देश्य से 2 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की जिससे जीर्णशीर्ण संयंत्रों को बदल कर नलकूपों को सुचारु रूप से चलाया गया । इस कार्यवाही से नलकूपों की बन्दी 14 प्रतिशत से घटकर 8·5 प्रतिशत रह गयी । चालू वर्ष में जीर्णशीर्ण उपकरणों को बदलने हेतु 5 करोड़ रुपये, असफल नलकूपों के पुनर्निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपये तथा प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनावधि में निर्मित नलकूपों की जीर्णशीर्ण वितरण प्रणाली की पी0 वी0 सी0 पाइप लाइन द्वारा प्रतिस्थापना के लिये 4 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है । जीर्णशीर्ण लघु लिफ्ट नहरों के आधुनिकीकरण हेतु एक करोड़ रुपये का आवंटन प्रथम चरण में किया गया है ।

मान्यवर, इस साल हमने पहली बार खरीफ फसल में धान, मक्का, अरहर तथा सोयाबीन की सिंचाई के लिये 10 जून से 15 जुलाई तक प्रदेश की सभी नहर प्रणाली तथा राजकीय नलकूपों से निःशुल्क सिंचाई की व्यवस्था शुरू की है। हमें आशा है कि इस व्यवस्था से धान, मक्का, अरहर तथा सोयाबीन के क्षेत्र में वृद्धि होगी जिससे खाद्यान्न तथा दलहनों के उत्पादन में भी बढ़ोत्तरी होगी।

सप्तम पंचवर्षीय योजना के अन्त में 69,000 कि0 मी0 नहरों तथा 26,926 राजकीय नलकूपों से कुल मिलाकर 106.49 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता हो गयी है।

वृहद एवं माध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर 304.05 करोड़ रुपये के प्रस्तावित परिव्यय से लगभग 1.25 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता के सृजित करने का प्रस्ताव है। इस हेतु ली जा रही प्रमुख परियोजनाओं में पूर्वी यमुना नहर, मेजा बांध को ऊंचा करना, भीमगोड़ा हेडवर्क्स का पुनरुद्धार, निर्माणाधीन परियोजनाओं के भौतिक कार्यों को पूर्ण करने पर विशेष बल देते हुए अपर गंगा नहर का आधुनिकीकरण, सरयू नहर परियोजना राजघाट बांध तथा राजघाट परियोजना लखवाड़-व्यासी बांध, शारदा सहायक, मध्य गंगा (प्रथम चरण), पूर्वी गंगा नहर परियोजना, मौदहा बांध, चम्बल लिफ्ट सिंचाई, जमानिया पम्प नहर की क्षमता में वृद्धि को आवश्यकतानुसार धन उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि इन्हें पूरा किया जा सके।

राजकीय लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत 148.27 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित है। इसमें से नलकूपों के निर्माण हेतु 101.80 करोड़ रुपये का परिव्यय है जिसमें से 1.80 करोड़ रुपये पर्वतीय क्षेत्र के लिए है, मैदानी क्षेत्र के 600 तथा पर्वतीय क्षेत्र के 15 नलकूपों का ऊर्जीकरण कर 0.615 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन है। मैदानी क्षेत्र में 50 करोड़ रुपये परिव्यय से 250 नलकूपों का ऊर्जीकरण, अवशेष वितरण प्रणाली पूर्ण करने का कार्यक्रम है। 10 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश पब्लिक नलकूप परियोजना तथा 40 करोड़ रुपये इंडोडच परियोजना के परिव्यय से 350 नलकूपों की बोरिंग, 300 नलकूपों का ऊर्जीकरण, 50 नलकूपों का आधुनिकीकरण तथा 75 नलकूपों को स्वतंत्र फीडर से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश पब्लिक नलकूप परियोजना तृतीय चरण, जो विश्व बैंक की स्वीकृति हेतु विचाराधीन है, स्वीकृत होने पर 3000 नलकूपों का कलस्टरों में निर्माण किया जायेगा।

लिफ्ट नहर व बन्धियों के निर्माण हेतु 1.82 करोड़ रुपये तथा पर्वतीय नहरों के निर्माण हेतु 8.2 करोड़ रुपये के प्रस्तावित परिव्यय से 0.09 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्तता जोड़ते हुए इस वर्ष कुल 0.705 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता में वृद्धि का लक्ष्य है। पूर्व वर्णित "भूमिसेना" कार्यक्रम में भी तालाबों, झीलों, बंधियों आदि की खुदाई प्राथमिकता के आधार पर करके प्राकृतिक जलसंसाधनों का उपयोग सिंचाई के लिए किया जायेगा।

बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों में 15 करोड़ रुपये मैदानी तथा 1.50 करोड़ रुपये पर्वतीय क्षेत्र हेतु परिव्यय निर्धारित हुआ है जिससे 20 कि0मी0 सीमान्त बांधों का निर्माण एवं 40 कि0मी0 जलोत्सारण नालों का निर्माण करके 0.20 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है ।

आवास एवं नगर विकास

स्वच्छ पेयजल हमारे जीवन की अपरिहार्य आवश्यकता है, लेकिन यह अत्यन्त खेदजनक वास्तविकता है कि प्रदेश के अनेक अंचलों में पीने के पानी का संकट बना हुआ है । जैसा कि हमने वायदा किया था आठवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में प्रदेश के सभी ग्रामों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है । इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य ग्रामों को प्राथमिकता दी जायेगी । वर्ष 1990-91 में 7,290 हरिजन बस्तियों एवं 10 जनजाति ग्रामों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है ।

ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को सर्वसुलभ कराने हेतु न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1990–91 में 93.68 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है, जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा पोषित त्वरित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 42.68 करोड़ रुपये का प्राविधान शामिल है । इसमें प्रदेश के 7604 ग्रामों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा ।

इसके अतिरिक्त समस्याग्रस्त ग्रामों जहां 1 या 2 हैण्ड पम्प लगाये गये थे, वहां हैण्ड पम्पों की संख्या में विस्तार करके यह प्रयास किया जायेगा कि 250 व्यक्तियों पर 1 हैण्ड पम्प, विशेष रूप से समस्याग्रस्त ग्रामों में उपलब्ध हो जाये ।

आगरा तथा कानपुर महानगरों की पेयजल समस्या के स्थायी निदान हेतु यमुना व गंगा नदी पर बैराज बनाने का निर्णय लिया गया है और इस हेतु वर्ष 1990-91 में क्रमशः 4 करोड़ रुपये एवं 5 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है । साथ ही मथुरा में गोकुल बैराजके के लिए 2.50 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है । प्रदेश के 5 नये नगरों में पेयजल की सुविधा और 48 अन्य नगरों को वर्तमान जल सम्पूर्ति व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए वर्ष 1990-91 के बजट में 18 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है ।

हमने यह निर्णय भी लिया है कि स्वच्छकारों को सिर पर मैला उठाने के कार्य से मुक्ति दिलायी जाये । इस हेतु टाउन एरिया और नगरपालिकाओं में दो पहिया, चार पहिया वाली गाड़ी चलाने का फैसला किया है । इसके अतिरिक्त वर्ष 1990-91 में नगरों में 40,000 घरेलू शुष्क शौचालयों को सस्ते जलप्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित किया जायेगा तथा 100 सार्वजनिक सुलभ शौचालयों का निर्माण कराया जायेगा ।

कानपुर नगर के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न टेनरियों के लिए संयुक्त एफ्लुएंट उपचार संयंत्र स्थापित करने के लिए 1.22 करोड़ रुपये का वर्ष 1990–91 में प्राविधान किया गया है ।

आवासीय समस्या के निदान हेतु वर्ष 1990–91 के लिए नगरों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग हेतु 18,000 तथा अल्प आय वर्ग हेतु 7,500 आवासों के निर्माण का लक्ष्य है। इसी के साथ-साथ आवास की समस्या के निदान हेतु अन्य स्रोतों से धन इकट्ठा करके प्रदेश के विभिन्न नगरों में दुर्बल आय वर्ग हेतु 43,600 एवं अल्प आय वर्ग हेतु 16,900 का लक्ष्य रखा गया है।

सड़कें एवं परिवहन

वर्ष 1990–91 के अन्त तक सभी गांवों जिनकी आबादी 1500 या उससे अधिक है, को मुख्य जिला सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य है।

1000 से 1499 की जनसंख्या वाले लगभग 60 प्रतिशत गांव जिला मुख्य सड़कों से जोड़े जा चुके हैं। चालू वित्तीय वर्ष में इस श्रेणी के लगभग 500 गांवों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य है।

गाजियाबाद, देहरादून, लखनऊ, इटावा, सहारनपुर, नैनीताल, मेरठ, बाराबंकी आदि नगरों में नगरीय एवं महत्वपूर्ण मार्गों का सुधार/सुदृढ़ीकरण वर्ष 1990–91 में किया जायेगा।

दस्यु समस्याग्रस्त जनपदों में से आगरा, इटावा, झांसी, बांदा, जालौन, मैनपुरी, फर्रुखाबाद एवं बदायूं में नयी सड़कों एवं पुलों के निर्माण हेतु वर्ष 1990-91 में 15 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित है।

वर्ष 1990–91 में राज्य परिवहन निगम के बस बेड़े के सुदृढ़ीकरण हेतु 1,100 बसें क्रय करने का प्रस्ताव है। इस वर्ष 680 पुरानी बसों के रिनोवेशन हेतु 9.16 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। संचालन स्तर को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान 7 नये डिपो खोले जाने का प्रस्ताव है और नवीन यंत्र/संयंत्र के क्रय हेतु 3 करोड़ रुपये व भूमि भवन पर 14.51 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। प्रदेश के महानगरों में यातायात की भीड़भाड़ से उत्पन्न कठिनाइयों के समाधान व निदान के लिए ट्रैफिक प्लान बनाने की योजना है।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

पेराई सत्र 1989–90 में गन्ना उत्पादन 932.09 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 990 लाख मीट्रिक टन होने की सम्भावना है। चीनी का उत्पादन भी 23.01 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 29.00 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक होने की सम्भावना है।

हमने पिछले आम चुनाव, 1989 में किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने का आश्वासन दिया था। इसी आश्वासन को पूरा करते हुए सरकार द्वारा 1989–90 के पेराई सत्र के लिए गन्ना मूल्य मिल गेट पर 38 रु0 प्रति कुन्टल सामान्य जाति के गन्ना के लिए तथा 41 रुपये प्रति कुन्टल को0शा0 687 तथा सी0 ओ0 जे0 64 के लिए निर्धारित किया गया है। मिल गेट से भिन्न स्थानों से गन्ना आपूर्ति के लिए यह दरें एक रुपया प्रति कुन्टल कम रखी गयी हैं। गन्ना मूल्य की वर्तमान दरें विगत वर्ष की अपेक्षा क्रमशः 8 रुपये तथा 7 रुपये प्रति कुन्टल अधिक हैं।

मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि विगत वर्ष के गन्ना मूल्य का लगभग शत-प्रतिशत भुगतान हो गया है और हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि इस सत्र के देय गन्ना मूल्य का भुगतान भी किसानों को तुरन्त हो जाय । मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि गन्ना मूल्यों में वृद्धि के फलस्वरूप लगभग 27 लाख किसान परिवारों को लगभग साढ़े ग्यारह अरब रुपये अतिरिक्त मिलेंगे ।

राज्य के चीनी उद्योग के आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण को प्राथमिकता के आधार पर लिया गया है । इस समय देश में कुल 123 चीनी मिलों के विस्तारीकरण पर कार्यवाही चल रही है । उनमें से 67 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में हैं । इन चीनी मिलों में से 47 चीनी मिलें राज्य/सहकारी क्षेत्र में हैं । राज्य चीनी निगम की 16 जर्जर चीनी मिलों के स्थान पर नयी आधुनिक 2,500 टन प्रति दिन पेराई क्षमता की मिलें लगायी जा रही हैं । सहकारी क्षेत्र में भी 17 चीनी मिलों का विस्तारीकरण कर दुगुनी क्षमता का कार्य हाथ में लिया गया है । इनमें से 11 चीनी मिलों का क्षमता विस्तार गन्ना पेराई सत्र 1990–91 के पहले ही पूरा हो जायेगा । वर्ष 1990-91 में सहकारी तथा राज्य सेक्टर में क्रमशः 7,440 तथा 5,869 टन कुल 13,309 टन प्रति दिन गन्ना पेराई क्षमता सृजित किये जाने का लक्ष्य है।

पशुधन

नागरिकों को पौष्टिक खुराक उपलब्ध कराने और खेती-किसानी में लगे लोगों को आय का अतिरिक्त स्रोत जुटाने में पशुधन का विशेष योगदान है । इसलिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सुविधा का विस्तार किया जायेगा ।

वर्ष 1990–91 में 62 पशु चिकित्सालयों पर उन्नत नस्ल के बकरे, सांड की व्यवस्था किये जाने तथा 60 अतिरिक्त पशु चिकित्सालयों प शूकर प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव है । अण्डों एवं कुक्कुट मांस की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुक्कुट विकास कार्यक्रम को गतिशील बनाने के लिए निजी क्षेत्र में कुक्कुट पालकों को प्रोत्साहित किया जायेगा ।

विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के 18 जनपदों में लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा भूमिहीन कृषक मजदूरों को उनकी वर्णसंकर बछियों के भरण-पोषण एवं भेड़, कुक्कुट एवं शूकर इकाइयों के लिए अनुदान की सुविधा तथा बैंकों से ऋण आदि की व्यवस्था की जाती है । वर्ष 1990–91 में इस योजना के अन्तर्गत 10,300 परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है ।

चालू वित्तीय वर्ष में 10,000 हेक्टेयर भूमि प्रमाणित चारा बीज द्वारा आच्छादित करने हेतु 5,000 कुन्टल प्रमाणित चारा बीज की उपलब्धता का लक्ष्य रखा गया है ।

वन एवं पर्यावरण

वर्तमान वर्ष में उजड़े वन क्षेत्रों के नवीनीकरण हेतु वृक्षारोपण का एक वृहत् कार्यक्रम चलाया जायेगा । वन विभाग द्वारा 52,856 हेक्टेयर क्षेत्र में 9 करोड़ पौध लगायी जायेगी । इसमें से 20 प्रतिशत पौध फलदार वृक्षों की होगी । कृषि वानिकी के अन्तर्गत 31 करोड़ पौध वितरित की जायेगी । वनीकरण हेतु पौध उगाने के लिए 972 स्कूल नर्सरी व 961 किसान नर्सरी को प्रोत्साहित किया गया है । वर्तमान वर्ष में अभी तक पांच नये जल विहार घोषित किये जा चुके हैं । वर्तमान वर्ष में ही और पक्षी विहार घोषित किये जाने का प्रस्ताव रहेगा । आरक्षित वन से अवैध कटान की रोकथाम हेतु एक वन सुरक्षा बल के गठन का प्रस्ताव है । वन कानूनों का उल्लंघन करने वालों के लिए और कठोर दण्ड का प्राविधान करने के उद्देश्य से वन अधिनियम में संशोधन भी प्रस्तावित है ।

जल एवं वायु प्रदूषण को कम करने एवं जनमानस के लिए स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से प्रभावी कदम उठाये जायेंगे । युवावर्ग में पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा दिए जाने हेतु विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में "इको रेस्टोरेशन" निर्माण क्लबों की स्थापना की जा रही है । प्रदेश के लुप्त प्राय वनस्पति एवं प्राणियों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु एक समुचित संरक्षण नीति तैयार किया जाना भी प्रस्तावित है ।

उद्योग

पिछली पंचवर्षीय योजना में प्रदेश के औद्योगिक विकास की दर 12.5 प्रतिशत से अधिक होने का अनुमान है । आठवीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर का लक्ष्य पन्द्रह प्रतिशत रखा गया है ।

आम जनता के उपभोग के लिए आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये हम प्रतिबद्ध हैं । इसी प्रतिबद्धता के अंग के रूप में प्रदेश के तीव्र एवं संतुलित औद्योगिक विकास के लिए सरकार द्वारा नयी औद्योगिक नीति दिनांक 30 अप्रैल, 1990 को घोषित की गयी है । इसके मुख्य उद्देश्य प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था में औद्योगिक योगदान को बढ़ाना, रोजगार मूलक लघु एवं ग्रामीण उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन देना व क्षेत्रीय असन्तुलन समाप्त करना, समाज के कमजोर वर्ग के लोगों जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं व भूतपूर्व सैनिकों को विशेष सुविधाएं देकर उन्हें उद्योग लगाने के लिए आकर्षित करना, स्थापित क्षमता का भरपूर उपयोग सुनिश्चित कर उत्पादकता बढ़ाना, रुग्ण व रुग्णोन्मुख इकाइयों को समुचित सहायता देकर पुनर्वासित करना व परम्परागत ग्रामीण व लघु उद्योगों का आधुनिकीकरण करना है। इस नीति के अन्तर्गत कृषि व ग्रामीण शिल्पियों के शिल्पों तथा स्थानीय तकनीकी पर आधारित उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जायेगा । साथ ही खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि पर आधारित उद्योगों इलेक्ट्रानिक्स, ड्रग एवं फार्मास्यूटिकल, प्रेट्रोकेमिकल्स पर आधारित उद्योगों के विकास को वरीयता दी जायेगी। सामान्य उपयोग की जिन वस्तुओं का उत्पादन लघु एवं कुटीर उद्योगों द्वारा किया जा सकता है, उनके उत्पादन हेतु बड़े उद्योगों को

प्रोत्साहित नहीं किया जायगा । इस औद्योगिक नीति से जहां एक ओर आठवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की पूर्ति होगी, वहीं दूसरी ओर औद्योगिक विकास को वांछित दिशा एवं गति प्राप्त होगी ।

प्रदेश के सभी क्षेत्रों का संतुलित औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने तथा औद्योगिक विकास को ग्रामोन्मुख करने के उद्देश्य से विकास खण्ड को केन्द्र बिन्दु माना गया है । प्रत्येक विकास खण्ड में आठवीं योजना के अन्त तक आवश्यकतानुसार, यथासमय एक मिनी औद्योगिक आस्थान विकसित किया जायेगा ।

दिनांक 1-4-90 से पांच वर्ष की अवधि के लिए राज्य पूंजी उत्पादन योजना लागू की गयी है । इस योजना के अन्तर्गत पिछड़े जनपदों में स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाइयों को उनके अचल पूंजी विनियोजन पर निर्धारित वर्गीकरण के अनुसार दस प्रतिशत से बीस प्रतिशत उत्पादन उपलब्ध कराया जायेगा ।

पिछड़े क्षेत्रों के त्वरित औद्योगीकरण के उद्देश्य से ब्लाक स्तरीय पात्रनिकर इकाइयों को विशेष प्रोत्साहन के रूप में राज्य पूंजी उत्पादन दिये जाने का निर्णय लिया गया है ।

"शून्य जनपद विकास केन्द्र" योजना के अन्तर्गत प्रदेश में "शून्य उद्योग" जनपदों में प्रत्येक पर लगभग 6 करोड़ रुपये की लागत से औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है ।

1.50 लाख से अधिक खादी एवं ग्रामोद्योग इकाइयों से लगभग 3.90 लाख लोगों को रोजगार सुलभ हुआ है । इस वर्ष लगभग 74.000 इकाइयां स्थापित किये जाने का लक्ष्य है, जिनसे लगभग 2.30 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त होने का अनुमान है । इस क्षेत्र में विपणन-व्यवस्था को आधुनिक व सुदृढ़ बनाये जाने के प्रयास होंगे । इसके अतिरिक्त ग्रामोद्योग के लिए विपणन एवं प्रसार केन्द्र की योजना तथा बीमार इकाइयों का सर्वेक्षण, कच्चा माल विपणन व औद्योगिक सम्भाव्यता अध्ययन कार्यक्रम प्रारम्भ किये जायेंगे ।

हथकरघा उद्योग से प्रदेश के लगभग 15 लाख बुनकर जीविकोपार्जन कर रहे हैं । बुनकरों को धागा तथा अन्य कच्चा माल उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जायेगा । इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण, उत्पादकता वृद्धि एवं उत्पादों की विविधता पर बल दिया जायेगा । व्यावसायिक बैंकों तथा राजकीय स्त्रोतों से बुनकरों को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता कार्यशील पूंजी व आसान किस्तों पर ऋण उपलब्ध कराये जाने की समुचित व्यवस्था की गयी है । इस क्षेत्र में विपणन सहायता के अन्तर्गत हथकरघा निगम तथा यूपिका द्वारा बिक्री केन्द्र चलाये जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रवर्तित विपणन विकास सहायता योजना भी कार्यान्वित की जा रही है । बुनकरों को सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से आवासयुक्त कार्यशाला योजना, थ्रिफ्ट फण्ड योजना, बुनकर बहबूदी फण्ड तथा सामूहिक बीमा योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं । विभिन्न प्रकार की सुविधाओं एवं सहायताओं के उपलब्ध कराये जाने के परिणामस्वरूप हथ-

करघा वस्त्रों के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है। वर्ष 1989-90 में कुल वस्त्र उत्पादन 660.88 मिलियन मीटर हुआ तथा 1990-91 में 719 मिलियन मीटर वस्त्र उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

पिछड़े क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी हमारी नयी औद्योगिक नीति के अन्तर्गत विभिन्न सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी। बिक्रीकर से छूट/आस्थगन की नयी योजना के अन्तर्गत छूट को स्थायी पूंजी नियोजन से सम्बद्ध किया गया है। इसके अंतर्गत कुल स्थायी पूंजी विनियोजन के सौ प्रतिशत से डेढ़ सौ प्रतिशत तक बिक्रीकर में छूट, बिल के पिछड़ेपन के आधार पर दी जायेगी। इस छूट की अवधि आठ से दस वर्ष तक होगी। यह सुविधा अब प्रसार विविधीकरण तथा आधुनिकीकरण पर भी उपलब्ध है। यह प्रोत्साहन योजना अगले पांच सालों तक जारी रहेगी। इसके अलावा विद्युत आपूर्ति में विशेष सुविधायें, शत-प्रतिशत निर्यात मूलक इकाइयों को विशेष राज्य पूंजी उपादान इत्यादि भी उल्लेखनीय होंगे। हमने मार्जिन-मनी ऋण योजना सुविधाओं को चालू रखने का निर्णय लिया है। अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, प्रवासी भारतीयों व अल्पसंख्यक समुदाय के उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिये विशेष सुविधायें दी जायेंगी।

सातवीं योजना के अन्त तक भारी एवं मध्यम उद्योगों की संख्या 939 और उनमें पूंजी विनियोजन लगभग 7,843 करोड़ रुपये हो चुका था। आठवीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 20,000 करोड़ रुपये का पूंजी विनियोजन प्रस्तावित है। इस योजनावधि में 500 भारी एवं मध्यम इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य है।

देश की जनसंख्या का लगभग 16 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है, परन्तु केन्द्रीय सार्वजनिक उद्योगों में हुए पूंजी विनियोजन का मात्र 5.4 प्रतिशत पूंजी विनियोजन इस प्रदेश में हुआ है। माननीय सदस्य सहमत होंगे कि यह स्थिति अत्यन्त विसंगतिपूर्ण एवं हमारे लिये कष्टप्रद है। हम इसके निराकरण के लिये प्रयासरत हैं और प्रयास भारत सरकार से निरन्तर अनुरोध कर रहे हैं कि वे प्रदेश में नयी औद्योगिक परियोजनायें लगायें और लम्बित आशय पत्रों को शीघ्र स्वीकृति दें। हमने प्रदेश के माननीय सांसदों से भी इस दिशा में पहल करने का अनुरोध किया है।

भाषा नीति

वर्तमान सरकार ने सरकारी कामकाज हिन्दी में करने का कठोर आदेश किया और दूसरे दिन से दफ्तरों में अंग्रेजी की जगह हिन्दी में काम शुरू हो गया। कई अन्य राज्य सरकारों ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए अपने यहां हिन्दी लागू कर दिया। मंत्रिमण्डल ने प्रादेशिक सिविल सेवा की परीक्षा से अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त कर दिया। नौजवानों और आम जनता में इन दोनों फैसलों का व्यापक स्वागत किया गया क्योंकि सरकार और जनता के बीच उसकी भाषा में संवाद शुरू हो गया। लेकिन कुछ लोगों को बड़ा नागवार गुजरा है। यह वही लोग हैं जिन्हें प्रधान मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का हिन्दी में शपथ लेना भी बुरा लगा था।

हिन्दी में काम करने का आदेश पहले भी था । यह नया नहीं है । लेकिन इस सरकार ने दृढ़ संकल्प के साथ लागू करने का फैसला किया । पिछली सरकारों ने इसे लागू क्यों नहीं किया, इस विवाद में पड़े बिना मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं । इस सरकार की साफ राय है कि हर प्रदेश में उस प्रदेश की भाषा पूरी तरह चलनी चाहिए । अपनी-अपनी भाषा के माध्यम से शिक्षा, नौकरी या न्याय पाने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए । इस प्रदेश के औसत आदमी को भी यही अधिकार देने की कोशिश की गई है ।

निहित स्वार्थी तत्वों ने जिनका उल्लेख मैं पहले कर चुका हूं, मेरे विरुद्ध योजनापूर्वक यह साजिश फैलाई है कि मैं हिन्दी साम्राज्यवाद पूरे देश पर थोपना चाहता हूं । यही आरोप डाक्टर राम मनोहर लोहिया के विरुद्ध भी लगाया गया था । अंग्रेजों ने जिस तरह अंग्रेजी थोपी थी, उसी तरह इस देश में दो प्रतिशत अंग्रेजी बोलने वाले लोग जो पचास प्रतिशत सरकारी नौकरियों पर कब्जा किये हैं हिन्दी थोपे जाने का मिथ्या प्रचार कर रहे हैं ।

मुझे प्रसन्नता है कि अंग्रेजी के ऐसे विद्वानों ने जो भारतीय भाषाओं के समर्थक हैं, इस सरकार के काम का खुलकर समर्थन शुरू कर दिया है । अंग्रेजी के समाचार-पत्रों में लेख भी छपने लगे हैं । मुझे विश्वास है कि यह साजिश समाप्त होगी । राज्य सरकार ने विभिन्न राज्यों से उनकी भाषाओं में पत्र-व्यवहार का निर्णय लिया है । इसकी तैयारी भी हो रही है, साथ ही राज्य के आठ जिलों में कुछ चुने हुए विद्यालयों में दूसरी भारतीय भाषाएं पढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है ।

प्रारम्भ में कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलगू, बंगला, उड़िया, गुजराती और मराठी सिखाई जायेगी । इन भाषाओं को सिखाने वाले शिक्षकों की व्यवस्था भी हो रही है और सीखने वाले छात्रों को भी प्रोत्साहित किया जायेगा । मेरी दृष्टि में यह एक सार्थक और भावात्मक राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में ठोस प्रयास होगा ।

इसी तरह हम राज्य सरकार की उर्दू नीति को भी सच्चे दिल से लागू करेंगे । इसके अलावा प्रदेश में अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, रूसी, चीनी आदि विदेशी भाषाओं के पठन-पाठन की व्यवस्था जारी रहेगी ।

शिक्षा

शिक्षा के बहुआयामी विकास एवं विस्तार के लिए हम अपने चुनाव घोषणा-पत्र तथा 21 सूत्रीय कार्यक्रम के माध्यम से जनता के प्रति बचनबद्ध हैं । हमारी सरकार की नीति है कि गरीब के बेटे को भी उसी स्तर की शिक्षा सुविधा उपलब्ध हो जो एक अमीर के बच्चे को मिलती है । प्रारम्भ से ही हम समाज में दो वर्ग के नागरिक नहीं बनाना चाहते हैं । इसलिए हमने दुहरी शिक्षा प्रणाली को समाप्त करने की आवश्यकता बताई थी । इसे साकार रूप देने के लिये शिक्षा विभाग द्वारा कार्यशाला संगोष्ठी आयोजित की गई है जिससे एक आम राय बन सके और एक ऐसी शिक्षा प्रणाली शुरू होवे जो स्वस्थ, प्रबुद्ध और आत्मनिर्भर भावी पीढ़ी का निर्माण करे ।

जैसा कि पहले उल्लेख कर चुका हूं कि प्रदेश के समस्त प्राइमरी स्कूलों के भवनों का निर्माण वित्तीय वर्ष 1990-91 में पूर्ण करा दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त वर्ष 1990-91 में 300 अशासकीय सीनियर बेसिक स्कूलों को अनुदान सूची पर लिये जाने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार 200 अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिये जाने का भी प्रस्ताव है। उल्लेखनीय है कि यह सुविधा पिछले चार वर्षों से उपलब्ध नहीं थी।

इस वर्ष 100 ऐसे विकास खण्डों में राजकीय कन्या हाई स्कूल खोलने का प्रस्ताव है जहां बालिकाओं की शिक्षा के लिए राजकीय अथवा अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं।

जैसा कि मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं, कक्षा 12 तक पढ़ने वाले बालकों की शिक्षा भी बालिकाओं की भांति निःशुल्क कर दी गयी है।

अगले शिक्षा सत्र से छात्र परीक्षार्थियों को उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा परिषद् द्वारा आयोजित परीक्षायें अपने ही विद्यालयों में देने की सुविधा दी जायेगी। उन्हें आज की भांति परीक्षा के लिए दूसरे विद्यालयों में नहीं जाना पड़ेगा। परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों की कठिनाईयों को दूर करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

प्रदेश सरकार ने संस्कृत विद्यालयों के अध्यापकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वही पेंशन, ग्रेच्युटी तथा पारिवारिक पेंशन देने का निर्णय लिया है जो कि प्रदेश में सहायता प्राप्त दूसरे शिक्षण संस्थाओं में सुलभ है।

सरकार ने सहायता प्राप्त निजी महाविद्यालयों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों और बेसिक शिक्षा परिषद् के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के समान नगर प्रतिकर भत्ते की सुविधा देने का निर्णय लिया है।

प्रौढ़ों को साक्षर बनाने की दृष्टि से 13 नई प्रौढ़ शिक्षा परियोजनाओं के लिए आय-व्ययक में 1.17 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णय के अनुसार वर्ष 1990 को "अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष" के रूप में मनाया जा रहा है। प्रदेश में इस वर्ष विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन सुनिश्चित कराने के लिए कार्यक्रमों का पंचांग तैयार किया गया है।

मैदानी क्षेत्रों में 30 राजकीय महाविद्यालयों में से 11 राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माणाधीन हैं। इनके निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु वर्ष 1990-91 में 6 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

डा0 भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय में निर्माण कार्य हेतु चालू बजट में 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

प्राविधिक शिक्षा

आठवीं योजना काल में 200 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत पुरानी प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं में निर्माण कार्य पूरा कराना, साज-सज्जा, फर्नीचर आदि उपलब्ध कराना, पालीटेक्निकों हेतु आवश्यक स्टाफ की व्यवस्था करना एवं मुख्यतः महिलाओं हेतु नयी संस्थाओं की स्थापना सम्मिलित है। शिक्षकों के गुणा-

त्मक सुधार हेतु कार्यक्रमों का आयोजन, पालीटेक्निकों की पाठ्यचर्याओं में सुधार एवं उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाना, महिलाओं में प्राविधिक शिक्षा का प्रसार "मल्टी प्वाइंट एन्ट्री सिस्टम" तथा अनुरक्षण व्यवस्था लाग करना भी सुनिश्चित किया जायेगा।

खेलकूद एवं युवा कल्याण

शासन की यह नीति है कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक स्टेडियम, एक बहु-उद्देशीय हाल एवं एक तरणताल का निर्माण हो जाय जिससे जनपद स्तर पर खेलकूद के लिए मौलिक ढांचा उपलब्ध हो। इस योजना के अन्तर्गत अब तक 39 स्टेडियम, 10 हाल और 3 तरणतालों का निर्माण हो चुका है तथा 16 स्टेडियम, 31 बहु-उद्देशीय हाल तथा 15 तरणताल निर्माणाधीन हैं। इनके अतिरिक्त लखनऊ में सिन्थेटिक ट्रैक तथा वाराणसी और रामपुर में एस्ट्रोटर्फ भी लगाये जा रहे हैं।

हमारा यह दृढ़ मत है कि ग्रामीण युवाओं के व्यक्तित्व का विकास प्रदेश व राष्ट्र के विकास में एक महत्वपूर्ण निवेश है। इसे ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में युवा कल्याण एवं खेलकूद के विकास पर हमने बल दिया है।

ग्रामीण खेलकूद एवं अन्य कार्यक्रमों हेतु 5.28 करोड़ रुपये तथा ग्रामीण युवाओं के विकास के लिए 3.13 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है। ग्रामीण युवाओं को खेलकूद के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए तथा उनकी प्रतिभा का विकास करने के लिये 50 लाख रुपये का परिव्यय ग्रामीण स्टेडियम, 80 लाख रुपये का परिव्यय चार युवा केन्द्रों का निर्माण तथा 10 लाख रुपये का आय-व्ययक प्राविधान अखिल भारतीय ग्रामीण खेलकूद कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये है। इसके अतिरिक्त युवाओं में नेतृत्व को विकसित करने और ग्रामीण क्षेत्र में एक नयी लहर लाने के लिए महिलाओं के लिए पुरस्कार की योजना बनायी जा रही है जिसके लिए 43 लाख रुपये का व्यय प्रस्तावित है। 3 लाख रुपये की व्यवस्था राज्य स्तर पर ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए की जा रही है।

पहले मैं उन कार्यक्रमों का उल्लेख कर चुका हूं जो समाज के भावी कर्णधार नवजवान वर्ग, विशेषत: छात्रों के कल्याण के लिए बनाये गये हैं। मुझे इस बात का पूरा अहसास है कि हमारे युवकों और छात्रों के सामने बेरोजगारी की समस्या भयावह रूप में उपस्थित है। इस ओर हमने यह प्रयास किया है कि ग्रामीण अंचलों और छोटे कस्बों में भी रोजगार के अवसरों का विकास किया जाय ताकि नगरों की ओर नवजवानों का पलायन थम सके। सभी सरकारी विभाग और उद्यम अपने कार्यक्रम को इस प्रकार चलायेंगे कि स्थानीय श्रम शक्ति की तलाश में लोगों को अपने घर छोड़कर न जाना पड़े। हमारी औद्योगिक नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू ग्रामीण अंचलों में व उप नगरों में उद्यमिता का विकास कर स्थानीय संसाधनों, दक्षताओं और मांग पर आधारित छोटी-छोटी औद्योगिक इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहन देना है। उद्यमिता के विकास के इस सूत्र से हमारे अन्य कार्यक्रम भी बंधे हुए हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में कृषि निवेशों और यान्त्रिकी के प्रसार का कार्यक्रम हो या पशुधन के विकास का। इन कार्यक्रमों में शिक्षित बेरोजगारों को नियोजित करने का भरसक

प्रयास किया जायगा । ग्रामीण अंचलों की अनुभूत आवश्यकता के आधार पर हैण्ड पम्पों की मरम्मत, वास्तुशिल्प जैसे धंधों का विकास करने के कार्यक्रम भी शुरू किये जायेंगे ।

विकास कार्यक्रमों के फलस्वरूप ग्रामीण अंचलों में उत्पादकता की वृद्धि से भी रोजगार के नये अवसर उपलब्ध होंगे । भूमि सेना के माध्यम से गांव के मजदूर और किसानों को संगठित कर ऊसर, बंजर एवं कटान से प्रभावित भूमि की उत्पादकता में वृद्धि की जायगी और इन वर्गों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे । पहले से चली आ रही जवाहर रोजगार योजना को भी अधिक प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जायेगा ।

हमारा विश्वास है कि इन सब प्रयासों से बेरोजगारी की समस्या का कुछ हद तक समाधान हो सकेगा । सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वरोजगार और उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा जिससे रोजगार के लिए सरकारी तंत्र पर निर्भरता में उत्तरोत्तर कमी आयेगी ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

सन् 2000 तक सबको अच्छे स्वास्थ्य की गारण्टी देने वाली "अल्माअता घोषणा" हमारी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सम्बन्धी नीति का आधार है । यह हमारे चुनाव घोषणा-पत्र का भी एक महत्वपूर्ण बिन्दु रहा । इसी के अन्तर्गत सरकार प्रदेश में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाओं के प्रसार तथा विकास में तेजी लाने का प्रयास कर रही है । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बजट वर्ष 1990-91 में आवश्यक परिव्यय की व्यवस्था की गयी है । इसमें लगभग 74 प्रतिशत धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रसार एवं विकास में व्यय की जायगी जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में दूर अंचलों तक स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध करायी जा सकें ।

वर्ष 1990-91 में विभागीय सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 523 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 19 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है । ग्रामीण क्षेत्रों में 90 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन के निर्माण हेतु भी 13.31 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है । बस्ती में ओपेक फण्ड की सहायता से 500 शैय्यायुक्त आधुनिक अस्पताल हेतु भवन निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये की प्रासंगिक व्यवस्था की गयी है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में 4 शैय्यायुक्त, 70 आयुर्वेदिक/यूनानी तथा शहरी क्षेत्रों में 15 शैय्यायुक्त, 33 आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना भी प्रस्तावित है । हरिजन बाहुल्य तथा जनजाति क्षेत्रों में होम्योपैथिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये वर्ष 1990-91 में 30 नये होम्योपैथी चिकित्सालयों की स्थापना का भी प्रस्ताव है ।

नवसृजित जनपद सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, महराजगंज एवं मऊ प्रत्येक के मुख्यालय पर 100 शैय्यायुक्त जिला चिकित्सालयों के लिए भवन निर्माण हेतु 6 करोड़ रुपये का भी प्रस्ताव है । फर्रुखाबाद जनपद मुख्यालय पर डा0 राम मनोहर लोहिया की स्मृति में एक आधुनिक चिकित्सालय की स्थापना भी की जा रही है ।

हरिजन एवं समाज कल्याण

माननीय सदस्य यह जानकर प्रसन्न होंगे कि इस सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हेतु इस वर्ष पूर्वदशम् कक्षाओं में अनुसूचित जाति के छात्रों को पिछले वर्षों की अपेक्षा 20 प्रतिशत अधिक आच्छादन किया जायेगा । इसके अतिरिक्त आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना, आश्रम पद्धति विद्यालयों का उच्चीकरण और स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित अनुसूचित जाति के प्राइमरी पाठशालाओं को अधिक संख्या में आवर्तक सूची में लाने का प्रयास किया जायगा । अनुसूचित जाति के छात्रों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा भूमि क्रय करके अथवा अधिग्रहीत करके, स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा उपलब्ध करायी गयी निःशुल्क भूमि पर और स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान देकर, नये छात्रावासों का निर्माण कराया जायेगा ।

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आर्थिक दृष्टिकोण से स्वावलम्बी बनाने हेतु अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के कार्यक्रमों में वित्त पोषण योजना की सीमा 12,000 रुपये से बढ़ाकर 35,000 रुपये तक कर दी गयी है । 35,000 रुपये से अधिक लागत की योजना में निगम द्वारा 10 प्रतिशत की सीमा तक धनराशि विनियोजित की जा रही है ।

भारत सरकार की सहमति के पश्चात् एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के अनुरूप चलायी जाने वाली स्वतः रोजगार योजना के 25 प्रतिशत अथवा 33 1/3 प्रतिशत के अनुदान को बढ़ाकर 50 प्रतिशत किये जाने के प्रयास किया जायेगा ।

निराश्रित विधवाओं एवं विकलांगों को भरण-पोषण अनुदान की महत्वपूर्ण योजना के बारे में, मैं पहले ही अवगत करा चुका हूं ।

महिला कल्याण

21 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत हमने सभी महिलाओं को पिछड़ा मानकर उनको विशेष अवसर देने का संकल्प लिया था । इसी दृष्टि से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का आर्थिक विकास करके उन्हें स्वावलम्बी बनाने के लिये महिला रोजगार कार्यक्रम की समर्थन योजना कार्यान्वित की जायेगी । इस योजना के लिये वर्ष 1990-91 में 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था है ।

अभावीधी महिलाओं को आवासीय सुविधा दिलाने के उद्देश्य से लखनऊ, इलाहाबाद वाराणसी एवं आगरा में 60-60 महिलाओं के लिये छात्रावास निर्माण कराने का प्रस्ताव है

सैनिक कल्याण

मुझे यह घोषित करते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि सरकार ने वीर चक्र पदक श्रृंखला में परमवीर चक्र, महावीर चक्र तथा वीर चक्र के अन्तर्गत देय एकमुश्त पुरस्कार की धनराशि को बढ़ाकर क्रमशः 1,00,000 रुपये, 75,000 रुपये तथा 50,000 रुपये कर दिया है । इसी प्रकार हमने एक महत्वपूर्ण कदम उठाकर प्रदेश में निवास करने वाले द्वितीय विश्वयुद्ध के भूतपूर्व सैनिकों एवं

उनकी विधवाओं को 100 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन स्वीकृत करने का निर्णय भी लिया है । भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु स्थापित "उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम" के माध्यम से उनके पुनर्वास एवं स्वतः रोजगार के कार्यक्रम चलाये जायेंगे ।

राजस्व प्रशासन

राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाने एवं भू-अभिलेखों के रख-रखाव में आधुनिक तकनीक का उपयोग करने के लिये दो करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है । इस योजना के अन्तर्गत भूमि-सर्वे, मैनेजमेन्ट इनफारमेशन सिस्टम एवं प्रशिक्षण हेतु विभिन्न प्रकार के उपकरणों की व्यवस्था की जायेगी । इस व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों में भू-प्रबन्ध सुचारु रूप से होगा तथा अभिलेखों के रख-रखाव में सुधार होने के कारण वादों में भी कमी आयगी ।

नवसृजित तहसीलों तथा 100 वर्ष से अधिक पुरानी तहसीलों के भवनों के निर्माण/पुनर्निर्माण हेतु वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में 15 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है । इसके अतिरिक्त सप्तम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन आवासीय/अनावासीय भवनों के अवशेष कार्य को पूरा करने के लिये 4 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है । पर्वतीय क्षेत्र में पटवारी चौकियों के निर्माण हेतु पर्वतीय विकास विभाग के माध्यम से अगले पांच वर्षों में दस करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है । इस वर्ष नई मांगों के माध्यम से एक करोड़ रुपये की व्यवस्था करायी गयी है ।

जनता एवं जन प्रतिनिधियों की मांग पर चकबन्दी योजना का प्रसार प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में भी करने का निर्णय लिया गया है और इस निर्णय के अनुसार वर्ष 1990–91 में जनपद अल्मोड़ा एवं गढ़वाल में दो-दो चकबन्दी इकाई क्षेत्र स्थापित किये जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 के लिए 1600 एकड़ अतिरिक्त सीलिंग भूमि के आवंटन के लक्ष्य के विरुद्ध मार्च, 1990 तक 4491 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया जो निर्धारित लक्ष्य का 281 प्रतिशत है । उक्त भूमि में से 2257 एकड़ भूमि अनुसूचित जाति/जनजाति के 3130 पात्र व्यक्तियों को आवंटित की गयी ।

प्रदेश में भूमि के विविध उपयोगों, भूमि से सम्बन्धित प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध में गुणात्मक सुधार लाये जाने के उद्देश्य से एक भूमि प्रबन्ध संस्थान स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है । इस हेतु आय–व्ययक में दस लाख रुपए की व्यवस्था कर ली गयी है ।

वित्तीय वर्ष 1990-91 में राहत कार्यों हेतु दैवी आपदा राहत निधि की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है । इस हेतु इस आय-व्ययक में 90 करोड़ रुपये की व्यवस्था है ।

दैवी आपदाओं के कारण राहत कार्य हेतु पात्रता और सहायता की दरों को उदार बनाये जाने का उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है ।

खाद्य तथा रसद

हमने आम चुनाव के समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विस्तारीकरण व सुदृढ़ीकरण का जनता से जो वायदा किया था, उसको पूरा करने के लिये सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का पुनरावलोकन कर व्यापक परिवर्तन किये हैं । व्यवस्था के संचालन का विकेन्द्रीकरण करने के लिये प्रत्येक ब्लाक में "ब्लाक वितरण केन्द्र" खोले गये हैं, जहां से सभी उचित दर की दुकानों को निश्चित सप्ताह में गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल, आयातित खाद्य तेल तथा नियंत्रित मूल्य का कपड़ा जारी किया जाना है । निश्चित रोस्टर तथा मूवमेन्ट प्लान के अनुसार जिले से ब्लाक वितरण केन्द्र और ब्लाक वितरण केन्द्र से उचित दर की दुकान तक आवश्यक वस्तुयें पहुंचायी जायेंगी । इसकी उच्च स्तरीय समीक्षा भी की जाती है । कुछ श्रेणी के आवेदकों को संगत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर बिना किसी पूर्व जांच के तात्कालिक आधार पर राशन कार्ड उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है । इसी प्रकार पुराना कार्ड बदलने, विशेष परमिट जारी करने आदि की व्यवस्था का भी सरलीकरण कर दिया गया है । सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के कोटे से चीनी बचा कर उसे विशेष अवसरों पर परमिट पर बांटने की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है क्योंकि उसका कुप्रभाव ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े उपभोक्ताओं पर पड़ता था । इस वर्ष पहली बार 10,000 मीट्रिक टन अतिरिक्त चीनी शादी-विवाह एवं विशेष सामाजिक अवसरों पर वितरित करने हेतु दी गयी है । इसी प्रकार विशेष अवसरों पर परमिट पर आयातित खाद्य तेल दिये जाने की व्यवस्था भी लागू की गयी है जिससे गरीब उपभोक्ताओं को वनस्पति का सही विकल्प मिल सके । "अपनी राशन की दुकान स्वयं चुनें" योजना प्रयोग के तौर पर 14 जिला मुख्यालयों पर चलायी जा रही है । उचित दर की दुकानों के अतिरिक्त आवश्यक वस्तु निगम के 210 जनता स्टोर एवं 53 सचल वाहन भी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगाये गये हैं ।

ईंट के दाम बढ़ाकर मनमानी मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने "उत्तर प्रदेश ईंटा (आपूर्ति का नियन्त्रण) अध्यादेश, 1990" प्रख्यापित किया है और तदनुरूप नियन्त्रण आदेश लाया गया है ताकि ईंटों की उचित मूल्य पर उपलब्धता बनी रहे । मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारे इस कदम की सराहना करेगा ।

रेंट कन्ट्रोल एक्ट में सुधार कर वे सभी प्राविधान बदल दिये जायेंगे जिनकी आड़ में मकान मालिक किरायदार का अथवा प्रभावशाली और ताकतवर किरायेदार

मकान मालिक का शोषण करते हैं। किराया निर्धारण प्रक्रिया को भी सरल तथा वैधानिक रूप दिया जायेगा ताकि अनावश्यक मुकदमेबाजी को समाप्त किया जा सके और मकान मालिक तथा किरायेदार आपसी मनमुटाव के माहौल से निकल कर अच्छे सहयोगी के रूप में स्वच्छ सम्बन्ध विकसित कर सकें ।

सार्वजनिक उद्यम

सार्वजनिक उद्यमों के सम्बन्ध में सरकार की नीति स्पष्ट है । आवश्यक तथा जन-कल्याण उत्पादों में सार्वजनिक उद्यम की भूमिका पूर्ववत् महत्वपूर्ण बनी रहेगी । इसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां मूल्य नियंत्रण में अपनी भूमिका पूर्ववत् निभाती रहेंगी । सार्वजनिक उद्यम एक निश्चित उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं । अनेक सार्वजनिक उपक्रम वित्तीय हानि के कारण निर्बल एवं प्रायः रूग्ण हो गये हैं जिसके फलस्वरूप जनता से वसूल किये गये संसाधनों का सदुपयोग नहीं हो पाता । सामाजिक उद्देश्यों की आड़ में उपक्रम प्रबन्ध की उदासीनता, अकुशलता तथा अपव्यय को यह सरकार सहन नहीं करेगी । आप कदाचित अवगत होंगे कि वर्ष 1989-90 में राज्य विद्युत परिषद् को छोड़कर सार्वजनिक उपक्रमों में 130 करोड़ रु0 की हानि अनुमानित है । अतः उपक्रम प्रबन्ध अपेक्षित स्वायतता के साथ ही कार्य लक्ष्यों की पूर्ति तथा संसाधनों की उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी बनाये गये हैं । सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जो उपक्रम हानि पर चल रहे हैं उनमें समुचित सुधार लाने हेतु उद्देश्यों एवं क्रिया-कलापों के गहन अध्ययन के बाद उनके संविलयन, पुनर्गठन, संयुक्त क्षेत्र में देने अथवा निजीकरण के विकल्प पर भी विचार किया जाय । ऐसी रूग्ण सार्वजनिक इकाइयां जिन्हें पुनर्जीवित नहीं किया जा सका है उन्हें समाप्त करने के विकल्प पर भी विचार किया जायेगा । उद्देश्य यह है कि राज्य के संसाधनों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए । इसी पृष्ठभूमि में हम यह भी आश्वस्त करना चाहेंगे कि पुनर्गठन के इस कार्यक्रम से बेरोजगारी इत्यादि की समस्या न बढ़े और सभी को अन्य रोजगारों के अवसरों का विकल्प रहे । राज्य सरकार ने प्रारम्भिक अध्ययन के परिणामस्वरूप कुछ सार्वजनिक उपक्रमों में प्रबन्धकीय व्यवस्था में परिवर्तन के लिए निजी उद्यमियों से प्रस्ताव मांगे हैं । इन पर शीघ्र कार्यवाही के लिए प्रशासनिक व्यवस्था में एक सचिव स्तर के अधिकारी को जिम्मेदार बनाया गया है जिससे ठोस कार्यवाही निकट भविष्य में सम्भव हो सके

प्रशासनिक सुधार

सरकारी कार्यालयों की कार्य-क्षमता को चुस्त, दुरुस्त बनाने के लिए भ्रष्टाचार निहित स्वार्थ तथा अक्षमता के विरुद्ध कड़ा अभियान शुरू किया गया है । भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध प्रभावी ढंग से विभागीय कार्यवाहियां की गयीं । ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिन्होंने 50 वर्ष की आयु पूर्ण की है उनकी कार्य-कुशलता एवं सत्यनिष्ठा सम्बन्धी ख्याति की कड़ाई से समीक्षा करते हुए जनहित में सेवा-निवृत्त किये जाने का भी निर्णय लिया गया है । यह आदेश दे दिये गए हैं कि ऐसे समस्त अधिकारी/कर्मचारी जिन्होंने 1 जनवरी, 1990 को 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली

है उनकी समीक्षा प्रत्येक विभाग द्वारा कर ली जाय एवं उनके कार्य-निरन्तरता के बारे में निर्णय लिया जाय । भ्रष्टाचार निवारण अभियान को अधिक प्रभावी बनाने के लिए हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में संशोधन करके उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् और अन्य सरकारी उपक्रम तथा निगमों के कर्मियों पर मुकदमें चलाने के लिए संबन्धित प्रशासनिक विभाग को पूर्व स्वीकृति देने के लिए अधिकृत कर दिया है । समस्त विभागों में अब एक अधिकारी सतर्कता कार्यों से संबंधित नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। भ्रष्टाचार निवारण में सफलता तभी मिल सकेगी जबकि ऊपर से नीचे तक सभी लोग एक निश्चित आचरण नियमावली के अनुसार कार्य करें । इसी उद्देश्य से अब यह निर्णय लिया जा चुका है कि मुख्य मंत्री को भी लोकायुक्त जांच परिधि में रखा जाय और इस आशय का बिल भी इसी सत्र में पेश किया जायेगा ।

कर्मचारियों के मनोबल को ऊंचा रखने के लिए कार्मिक नीति में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं । जैसा कि मैंने पिछले सत्र में भी अवगत कराया था अब सेवा में सामान्य रूप से विस्तार तथा पुनर्नियुक्ति की स्वीकृति नहीं दी जाती । आप अवगत ही हैं कि पिछली सरकार ने सरकारी सेवा में विस्तार तथा पुनर्नियुक्ति की अस्वस्थ-परम्परा डल दी थी जो एक प्रकार से पक्षपातपूर्ण रवैया ही कहा जायेगा ।

इसी प्रकार समयबद्ध एवं स्पष्ट स्थानान्तरण नीति के भी निर्देश दिये गये हैं । यह निर्णय है कि सामान्य स्थानान्तरण पूरे वर्ष तक नहीं चलते रहेंगे । अन्यथा अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी स्पष्ट नहीं हो पाती । इस नीति के कार्यान्वयन का यह प्रथम वर्ष था, अतः अपवादस्वरूप कुछ विभागों में स्थानान्तरण अवधि में शिथिलता दी गयी है । भविष्य में इसका और कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा । इसी प्रकार इससे यह भी लाभ होगा कि कर्मचारियों/अधिकारियों को अपने निर्दिष्ट स्थान में जाकर बच्चों की शिक्षा इत्यादि से सम्बन्धित पारिवारिक समस्याओं को अब नहीं झेलना पड़ेगा ।

कर्मचारियों के मनोबल को ऊंचा रखने के लिए समयबद्ध ढंग से उनके वार्षिक मूल्यांकन की व्यवस्था की गयी है । यह कदापि अनुमति नहीं दी जायगी कि अधिकारी/कर्मचारी अपने अधीनस्थ कर्मियों को बिना किसी मूल्यांकन के अनियमित ढंग से दबाते रहें । यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी निहित अवधि में मूल्यांकन नहीं करता है तो उससे ज्येष्ठ अधिकारी, ऐसे अधिकारी/कर्मचारी के विषय में मूल्यांकन कर लेंगे ।

वर्तमान प्रशासकीय व्यवस्था में जन-भावनाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप परिवर्तन लाना अपरिहार्य है । लोगों की तकलीफें और उनके दुख-दर्द समझने तथा कारगर और बेहतर तरीके से सेवा करने के लिए प्रशासन का उनके साथ पूरी तरह एकात्म होना अनिवार्य है । जिला-तहसीलों के समस्त अधिकारियों ने अब नियमित ढंग से 10 बजे आकर एक निश्चित समय तक जनता से मिलना और समस्याएं सुलझाना प्रारम्भ कर दिया है । शान्ति एवं व्यवस्था कायम रखना, साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखना और अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों

की सुरक्षा एवं उनको सहायता प्रदान करना जिला प्रशासन का मुख्य दायित्व होगा। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की हाल में हुयी बैठक में हमने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि गलत नियत या लापरवाही से कार्य करने वालों को बख्शा नहीं जायेगा, साथ ही साथ शासन ईमानदार और कर्त्तव्य परायण अधिकारियों को पूर्ण समर्थन तथा सम्मान देगा।

प्रशासन में निर्देश दिए गए हैं कि वे विभिन्न विभागों के जनोपयोगी कार्यों के निष्पादन की समय-सीमा निर्धारित कर दें ताकि शासन और जनता के कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण हो सकें। राजकीय कार्यालय निरीक्षकों को अब मंडलायुक्तों से सम्बद्ध किया गया है ताकि वे उनके मार्गदर्शन में विभिन्न कार्यालयों में उन बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दे सकें जिनसे डिलिवरी सिस्टम प्रभावित होता है। जनता की सुविधार्थ विभागीय सचिवों से यह भी आग्रह किया गया कि अपने विभाग द्वारा आम जनता को उपलब्ध करायी गयी सुविधा के सम्बन्ध में सरल एवं सुबोध भाषा में पुस्तिकाएं/पम्फलेटस तैयार करें और उनके व्यापक वितरण की समुचित व्यवस्था करा दें ताकि पात्र व्यक्तियों को आसानी से यह ज्ञात हो सके कि उन्हें किन योजनाओं के अंतर्गत कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं।

शासकीय कर्मचारियों की सुविधायें

सरकारी सेवकों के कल्याणार्थ राज्य सरकार द्वारा संचालित "उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना" को अधिक लाभकारी और उदार बनाया गया है। इस योजना के अंतर्गत मासिक अभिदान की वर्तमान दरों को 1 मार्च, 1990 से बढ़ाकर डेढ़ गुना करने तथा तद्नुसार मासिक अभिदान की धनराशि के एक हजार गुने के बराबर धनराशि का बीमा आच्छादन प्रदान करने का निर्णय लिया है। सभी समूहों के सरकारी कर्मचारियों को बचत निधि पर 12 प्रतिशत की दर से त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज भी देय होगा। योजना में एकरूपता लाने के उद्देश्य से 1 मार्च, 1990 से अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों के लिए भी गैर-पुलिस कर्मचारियों की भांति व्यवस्था की गयी है।

हमारी सरकार एक म्यूचुअल फण्ड की स्थापना पर भी सक्रिय रूप से विचार कर रही है। इसका एक ओर जहां सीधा लाभ राज्य कर्मचारियों को मिलेगा वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार के संसाधनों में भी अभिवृद्धि होगी।

समता समिति की संस्तुतियों का क्रियान्वयन नई सरकार ने कार्यभार लेते ही प्राथमिकता से सुनिश्चित कराया। इसके अतिरिक्त वेतन विसंगति समिति ने जिन विशिष्ट पदों/वेतनक्रमों पर संस्तुतियां दीं, उन्हें भी स्वीकार कर लिया गया है। शेष प्रत्यावेदनों पर समिति द्वारा शीघ्र संस्तुति दिये जाने के आदेश दे दिये गए हैं।

राज्य के संसाधनों की विषम स्थिति के बावजूद हमने राज्य कर्मचारियों तथा स्थानीय निकायों एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को भारत सरकार के सादृश्य 1 जनवरी, 1990 से महंगाई भत्ते की एक और किश्त देने का निर्णय लिया है। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 110 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार आयेगा।

पेंशनरों को सुविधा

मुझे माननीय सदस्यों को यह अवगत कराते हुये हर्ष है कि 1 जनवरी, 1986 से पूर्व सेवा-निवृत्त ऐसे सभी राजकीय पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की, जिनकी पेंशन/पारिवारिक पेंशन 375 रुपये प्रतिमास से कम है, 1 अप्रैल, 1990 से पेंशन की धनराशि 375 रुपये करने का हमने फैसला किया है।

शान्ति एवं व्यवस्था

इस सरकार को बिरासत में जो समस्यायें मिली थीं उनमें से अशान्ति एवं अव्यवस्था, साम्प्रदायिक तनाव तथा छात्रों, युवकों में बेरोजगारी आदि की कुण्ठा से उत्पन्न असंतोष प्रमुख थी। इनकी अभिव्यक्ति पिछले छः माह में रामजन्म भूमि/बाबरी मस्जिद शिलान्यास सम्बन्धी विवाद, छात्र आन्दोलन, साम्प्रदायिक दंगे, दस्यु उत्पीड़न घटनाओं के रूप में हुई है।

इस सरकार की नीति इन सभी मामलों पर स्पष्ट थी। परिणामस्वरूप प्रदेश प्रशासन इसका सामना दृढ़ता एवं दक्षता के साथ करने में सक्षम हो सका। कानून एवं व्यवस्था की स्थिति में गुणात्मक सुधार के फलस्वरूप लोक सभा एवं विधान सभा के उप चुनावों एवं विधान परिषद् के चुनावों में कोई विशेष घटना नहीं घटी एवं मतदान केन्द्रों पर कब्जा आदि हिंसात्मक प्रवृत्तियों पर भी प्रभावी नियंत्रण रखा गया।

वर्ष 1990-91 में हमारी प्राथमिकता पुलिस बल का आधुनिकीकरण, संचार व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण एवं यातायात को व्यवस्थित करना है ताकि मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त असुरक्षा की स्थिति को दूर करने हेतु प्रभावी व्यवस्था की जा सके।

सत्ता का विकेन्द्रीकरण

सत्ता के विकेन्द्रीकरण के लिए प्रदेश सरकार दृढ़ संकल्प है। दिनांक 11 जून, 1990 को केन्द्र शासन ने पंचायतीराज एवं स्थानीय निकायों पर मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया था। इस सम्मेलन में मुझे राज्य सरकार की नीति स्पष्ट करने का अवसर मिला। राज्य सरकार गांव सभाओं, न्याय पंचायतों, जिला परिषदों, टाउन एरियाओं, नगर पालिकाओं एवं नगर महापालिकाओं को ऐसे आवश्यक वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार देना चाहती है, जिससे यह संस्थायें वांछित कार्यक्रमों को अपनाकर जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने में सक्षम हो सकें। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने इस विचारधारा का समर्थन किया कि यदि संविधान में संशोधन आवश्यक पाया जाये तो शीघ्र ही इस पर बिल संसद में पेश हो। मैंने सम्मेलन में यह भी स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश के गांव सभा प्रधानों ने प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। राज्य सरकार ने उसी विश्वास के साथ गांव सभा प्रधानों को प्राइमरी पाठशालाओं के निर्माण हेतु संसाधन भी उपलब्ध करायें हैं।

समस्त पंचायतीराज एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के चुनाव सम्पन्न हुए हैं। जिला परिषदें भी अब पहले से अधिक सक्रिय हैं। पंचायतों एवं स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि विधान परिषद् में भी निर्वाचित होकर आ गये हैं। मैंने केन्द्र सरकार के इस प्रस्ताव का समर्थन किया है कि यदि किसी परिस्थिति में पंचायतीराज की संस्थायें भंग की जायें तो उनमें 6 माह के अन्दर अथवा सम्भव हो तो 3 माह में ही नये चुनाव कराये जायें।

वास्तविक विकेन्द्रीकरण के लिए संसाधनों का अन्तरण भी आवश्यक है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु जिला सेक्टर में आवंटित धनराशि कुल योजना परिव्यय का 30 प्रतिशत रखी गयी है। जिला सेक्टर की आवंटित धनराशि का एक बड़ा भाग ऐसे कार्यक्रम पर व्यय होगा, जो स्थानीय निकायों की आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं के अनुरूप हो। जिला सेक्टर योजना की संरचना एवं क्रियान्वयन दोनों में ही स्थानीय जनता की भागीदारी आवश्यक है। इसी उद्देश्य से गांव सभाओं एवं संस्थाओं के लिए कार्यक्षेत्र भी स्पष्ट किया जायगा।

न्याय प्रशासन

प्रदेश में न्याय व्यवस्था को कम खर्चीली बनाने, जन-साधारण को सामयिक न्याय दिलाने तथा न्याय प्रक्रिया को सरल व सुगम बनाने के लिए ठोस कदम उठाये जायेंगे। घरेलू वादों के निस्तारण के लिए कुछ और जिलों में पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की जायेगी। उत्तर प्रदेश कानूनी सहायता एवं परामर्श बोर्ड का पुनर्गठन किया जायेगा ताकि आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों को विशेषकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति की महिलाओं, बच्चों और विकलांगों को निःशुल्क कानूनी सहायता तत्परता से उपलब्ध हो सके। अधीनस्थ न्यायालयों में वादों की वृद्धि को देखते हुए, वर्ष 1990-91 में 12 लघु वाद के अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना की जायेगी। जिला जजियों के आधुनिकीकरण की योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 में 12 जिला जजियों का आधुनिकीकरण किये जाने का भी निर्णय लिया गया है।

मद्य-निषेध

वर्तमान सरकार राष्ट्र की मद्य-निषेध नीति को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने का प्रयत्न कर रही है। प्रदेश के दो पर्वतीय जनपदों में पूर्ण मद्य-निषेध एवं पांच में आंशिक मद्य-निषेध तथा प्रदेश के समस्त महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में पूर्ण मद्य-निषेध लागू है। आबकारी दुकानों के संचालन पर कड़ा नियंत्रण रखा जा रहा है। अवैध मद्य-निष्कर्षण, अवैध मद्य-व्यापार तथा शराब से सम्बन्धित अन्य अपराधों तथा गांजा, भांग, चरस, अफीम एवं माफीन आदि मादक द्रव्यों की रोक-थाम के लिये प्रभावी कदम उठाये गये हैं।

नवम् वित्त आयोग

वर्ष 1990-91 से 1994-95 की अवधि के लिए नवम् वित्त आयोग की संस्तुतियों को केन्द्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। वित्त आयोग ने करों एवं शुल्कों के अन्तर्गत आयकर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क एवं रेल यात्री किराये पर कर के संवितरण हेतु सभी राज्यों के प्रतिशत अंश निर्धारित किये हैं। मानकित दृष्टिकोण से राज्यों की प्राप्तियों एवं व्यय का आंकलन करने के पश्चात् उन्होंने हमारे आयोजनेतर घाटे को 14225.14 करोड़ रु0 वर्ष 1990-95 के लिए आंका है और इसकी आंशिक पूर्ति 348.60 करोड़ रु0 अनुदान के रूप में दिये जाने की संस्तुति की है। शेष घाटे की पूर्ति अर्थात् 13876.54

करोड़ रु0 केन्द्रीय करों एवं शुल्क से संवितरण द्वारा राज्य को उपलब्ध होंगे। नवम् वित्त आयोग द्वारा वर्ष 1990-95 की अवधि में राज्यों के लिए कुल अन्तरण का 16.46 प्रतिशत हमारे राज्य को मिल सकेगा जबकि अष्ठम् वित्त आयोग द्वारा दिए गये कुल अंतरण का प्रतिशत 15.47 ही था। इस प्रकार राज्य सरकार को 1045.30 करोड़ रु0 के अतिरिक्त संसाधन 5 वर्ष के लिए उपलब्ध है। साथ ही प्रथम बार आयोजना के अन्तर्गत आर्थिक एवं सामाजिक सेवाओं की आवश्यकताओं के लिए आयोजनागत अनुदान देने की भी सिफारिश की है। नवम् वित्त आयोग ने दैवी आपदा राहत व्यय के वित्त पोषण हेतु वर्तमान नीति एवं प्रबन्धों को पूर्णत: बदलने की संस्तुति के साथ राज्यों के इस व्यय को पूरा करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुदान देने की संस्तुति भी की है। प्रत्येक राज्य में एक आपदा राहत निधि का गठन करने का सुझाव दिया गया है और आपदा राहत हेतु नीति निर्धारण एवं प्रबन्ध के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता मे एक समिति गठित करने का सुझाव दिया है।

नवम् वित्त आयोग ने विभिन्न प्रशासनों के स्तर के उन्नयन हेतु अनुदान देने की संस्तुति नहीं की है बल्कि "शून्य आधारित बजट प्रणाली" के आधार पर जारी योजनाओं की समीक्षा करके वचनबद्ध व्यय का वर्तमान योजनाओं में व्यवस्थित प्राविधान में समायोजन करने की संस्तुति की है ताकि बढ़ते हुए स्थापना व्यय पर कठोर नियंत्रण रखा जा सके। सिंचाई एवं सड़कों आदि के रख-रखाव की दरों में यथोचित वृद्धि करने की संस्तुति भी आयोग ने की है। राज्य के सीमित संसाधनों के बावजूद भी राज्य सरकार ने रख-रखाव की दरों में यथोचित वृद्धि का निर्णय ले लिया है जो प्रस्तावित बजट में परिलक्षित है।

ऋण राहत योजना के अन्तर्गत नवम् वित्त आयोग ने इस प्रदेश को वर्ष 1990-95 की अवधि में 71.91 करोड़ रुपये की राहत प्रदान की है।

संस्थागत वित्त

राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों के परिपेक्ष्य में विकास योजनाओं के लिए संस्थागत वित्त का अधिक से अधिक उपयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

वित्तीय वर्ष 1990-91 के दौरान लगभग 3,150 करोड़ रु0 के संस्थागत वित्त संसाधन वित्तीय संस्थाओं/व्यवसायिक बैंकों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध कराये जाने का अनुमान है। यह वित्तीय संसाधन प्रमुख रूप से कृषि कार्यों, कृषि से संबंधित अन्य कार्यकलापों, उद्योगों, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, आवास, ऊर्जा, परिवहन, हरिजन एवं समाज कल्याण, अल्प संख्यक कल्याण तथा ग्राम्य विकास के कार्यक्रमों के लिए प्राप्त कराये जायेंगे।

प्रदेश सरकार द्वारा बीमा कम्पनियों के सहयोग से लाइसेन्स शुदा आटो-रिक्शा चालकों के लिये, पंजीकृत हथकरघा बुनकर समितियों के सदस्यों के लिए, लाइसेन्स शुदा रिक्शा/तांगा चालकों तथा होमगार्ड के जवानों के लिए सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजनायें भी लागू की गई। इसी प्रकार की अन्य योजनायें जैसे खादी, कत्तिनों, छीपियों, व्यक्तिगत क्षेत्र के हथकरघा बुनकरों तथा नगरीय दुर्बल वर्गों के लिए भी कार्यान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है।

वित्तीय प्रबन्ध

मैं आपको पूर्व में ही अवगत करा चुका हूँ कि नई सरकार को विषम वित्तीय स्थिति विरासत में मिली थी। वर्ष 1989-90 की शुरुआत 116 करोड़ रुपये की बचत से प्रारम्भ हुई थी। परन्तु वर्ष के दौरान घाटे की स्थिति हो गयी। इसका मुख्य कारण यह था कि पिछली सरकार ने बेहतर बकाया वसूली, नये व्यवहारिक उपायों इत्यादि की जो वचनबद्धता वर्ष 1989-90 के बजट में की थी उसके अनुसार क्रियान्वयन नहीं हुआ।

वर्ष 1990-91 की प्रदेश की 3,383.05 करोड़ रु0 की वार्षिक योजना के पूर्ण वित्त पोषण के लिए सरकार पूर्णतः कृतसंकल्प है। हम बेहतर कर प्रशासन, बेहतर कर वसूली, राष्ट्रीय बचत में वृद्धि, राजकीय व्यय में मितव्ययता, अनुत्पादक व्यय में कटौती तथा विभिन्न सार्वजनिक उपक्रम के कार्यकलापों में सुधार द्वारा अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध करायेंगे। इन सभी बिन्दुओं पर हमने ठोस ढंग से कदम उठाये हैं। आकस्मिक व्यय के प्राविधान में 5 प्रतिशत की कमी करके, अनावश्यक पदों को युक्ति-संगत रिक्त रखते हुए तथा प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा 35 करोड़ रु0 की बचत अनुमानित है। मितव्ययता का वातावरण भी बनाना आवश्यक है। सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग तथा पेट्रोल उपभोग कम करने के आदेश दिए गए हैं। सरकारी बैठकों, समेलनों, स्वागतार्थ भोजन इत्यादि में भी मितव्ययता के आदेश लागू कर दिये गये हैं। बचत की शुरूआत मैंने अपने कार्यालय से की है। सुरक्षा व्यवस्था में लगभग 25 लाख की कटौती की गयी है। अन्य व्यय के मदों में भी मैंने 15 प्रतिशत कटौती के आदेश दे दिये हैं।

विकास की आवश्यकताओं तथा जनता को दिये गये वायदों को पूरा करने के लिये हमें अतिरिक्त संसाधन जुटाने होंगे। कर निर्धारण करते समय करदाता की कर देने की क्षमता का मूल्यांकन आवश्यक है।

तुलसीदास ने लिखा था :—

"बरषत हरषत लोग सब, करषत लखै न कोइ,
तुलसी प्रजा सुभाग ते भूप भानु सो होई।"

प्रजा के भाग्य से राजा को सूर्य की तरह होना चाहिए, सूर्य समुद्र से पानी खींचता है उसे कोई नहीं देखता पर जब वही बादल बनकर बरसता है तो लोग हर्षित होते हैं। यही हमारी कर नीति है। हम समुद्र की तरह जहां धन है कर प्राप्त करें और बादलों की तरह वहां बरसें, जहां आवश्यकता है।

आप अवगत हैं कि राज्य सरकार ने मंत्रि-परिषद् की संसाधन के लिये उप समिति बनायी है। इस समिति द्वारा विभिन्न करों/शुल्कों की वर्तमान स्थिति का परीक्षण किया गया है। उनकी संस्तुतियों से यह अनुमान है कि लगभग 100 करोड़ रु0 अतिरिक्त संसाधन जुटाये जा सकेंगे।

आय व्ययक अनुभाग 1990–91

अब मैं वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक अनुमानों के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। प्रस्तुत आय-व्ययक के अनुसार राजस्व व पूंजी लेखों को मिलाकर कुल प्राप्तियों का अनुमान 12163.56 करोड़ रुपये है। राजस्व प्राप्तियों की 8011.74

करोड़ रुपये की राशि में 2288.39 करोड़ रुपये केन्द्रीय करों में राज्य सरकार का अंश, 2220.66 करोड़ रुपये भारत सरकार से प्राप्य अनुदान, 2699.66 करोड़ रुपये राज्य सरकार का कर राजस्व तथा 803.03 करोड़ रुपये का करेतर राजस्व सम्मिलित है । पूंजी लेखे की 4151.82 करोड़ रुपये की अनुमानित प्राप्तियों में 4013.72 करोड़ रुपये की ऋणों से प्राप्तियां तथा 138.10 करोड़ रुपये की राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां सम्मिलित हैं ।

वित्तीय वर्ष में राजस्व व्यय 9688.20 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जिसमें केन्द्रीय आयोजनागत तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं सम्मिलित करते हुए 2267.04 करोड़ रुपये अयोजनागत मदों के लिए तथा 7421.16 करोड़ रुपये आयोजनेतर मदों के लिए है । पूंजीगत व्यय, राज्य सरकार द्वारा लिये गए ऋणों की वापसी और ऋणों और अग्रिमों के संवितरण सम्मिलित करते हुए पूंजी लेखों का कुल व्यय 3546.69 करोड़ रुपये होने का अनुमान है । इसमें 1910.76 करोड़ रुपये की राशि केन्द्रीय योजनाओं और केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं को सम्मिलित करते हुए आयोजनागत मदों तथा 1635.93 करोड़ रुपये आयोजनेतर मदों के लिए है । इस प्रकार राजस्व और पूंजीगत लेखे में कुल 13234.89 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है जिसके कारण समेकित निधि के अन्तर्गत 1071.33 करोड़ रुपये का घाटा सम्भावित है ।

लोक लेखा के अंतर्गत 924.29 करोड़ रुपये की अनुमानित शुद्ध प्राप्तियों को हिसाब में लेकर आय-व्ययक वर्ष के समस्त लेन-देन के परिणामस्वरूप 147.04 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान है ।

इस घाटे को पूरा करने के उपायों की जानकारी मैं माननीय सदस्यों को वित्तीय प्रबन्ध से अवगत कराते समय दे चुका हूं ।

मान्यवर, इस सम्मानित सदन के समक्ष वित्त मंत्री के रूप में चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक अनुमान की प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा पेश करके मुझे सन्तोष का अनुभव हो रहा है । आदरणीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का यह वाक्य "किसी अर्थ नीति या राजनीति की गुणवत्ता का मापदण्ड यह है कि वह अपने पीड़ित, दुर्बल, बेरोजगार मूक नागरिकों का उद्धार कैसे करती है और उन सभी लोगों को जो असहाय और जिन्हें दूसरे दिन की रोटी का सहारा नहीं है कैसे राहत पहुंचाती है" हमारी प्राथमिकताओं के निर्धारण का मापदण्ड रहा है ।

हजरत मोहम्मद पैगम्बर साहब ने कहा था "कर्मों की जांच नियत से होगी" । यह बुनियादी बात है कि जब नियत साफ तो रास्ता आप । वैसे तो पिछले चार दशकों में वायदे और घोषणायें तो बहुत हुई लेकिन उनका मकसद कदाचित् वोट बैंक की तिजोरी भरना था । परन्तु जनता गुमराह नहीं हुई। जनता दल सरकार निर्वाचित और खुली सरकार है। यह सरकार मनोनीत सरकार नहीं है और इसमें जनता को दिए गए वायदे पूरा करने का उत्तरदायित्व मौजूद है । इसीलिए हम शिलान्यास के बजाय उद्घाटन की परम्परा चलाना चाहते हैं ।

तुलसीदास जी ने कहा था—

मुखिआ मुखु सो चाहिए खान पान कहुं एक ।
पालइ पोषइ सकल अंग तुलसी सहित विवेक ।।

इसी प्रेरणा से हमारी सरकार कुछ मुट्ठीभर लोगों के लिए नहीं बल्कि आम जनता के लिए है । गरीबों और निर्बल वर्ग के लिए है । समाज के किसी वर्ग विशेष के लिये नहीं बल्कि उन सभी के लिये है जिन्हें अभी तक सामाजिक न्याय नहीं मिला है।

मान्यवर, आप सभी सम्मानित सदस्यगण एक कुशल राजनेता के रूप में अगली पीढ़ी के बारे में भी सोचते हुए विभिन्न कार्यक्रमों की प्राथमिकता निश्चित करेंगे । इस पुनीत अवसर पर आज मैं इस राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के साथ-साथ सबसे जड़मूल इकाई ग्राम सभा से लेकर सर्वोच्च पंचायत संस्था तक के समस्त जनप्रतिनिधियों से विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि वे उत्तर प्रदेश की प्रगति और जनता की उन्नति के इस नये अभियान में निजी अथवा दलीय हितों से ऊपर उठ कर सक्रिय लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जिन्हें अभी तक सामाजिक न्याय नहीं मिला है। भागीदारी करें । यह सदन जो फैसला स्वीकार करे उसके एक-एक पैसे के प्रयोग पर भी सतर्क निगाह रखनी होगी क्योंकि हमारा राजकोष इस पिछड़े प्रदेश की अत्यन्त गरीब जनता के पसीने की कमाई से बना है । इस कार्य में हमें सम्मानित प्रेस के प्रतिनिधियों की समालोचनाओं की भी आवश्यकता है जो निःशुल्क ढेर सारी उपयोगी सूचनायें तथा जनता के विचार हमें रोज पहुंचाते हैं ।

इस प्रदेश की विशालता हमारे लिए गौरव की बात है । राजधानी लखनऊ महानगरों और जनपद मुख्यालय से लेकर बुन्देलखण्ड, रुहेलखण्ड, पर्वतीय, पूर्वान्चल और बीहड़ के दुर्गम स्थानों तथा गांव-गांव तक फैले सरकार के हर छोटे-बड़े कर्मचारी/अधिकारी से भी हमारा आह्वान है कि इस प्रदेश की जनता के लिए प्रस्तुत इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में अपनी-अपनी जगह सतर्क, सजग और परिश्रम के साथ सक्रिय भूमिका निभायें । समाज के हर वर्ग से उत्तर प्रदेश के विकास के लिए यही मेरा सन्देश है ।

हम बन्दीश के बजाय परिवर्तन की राजनीति चाहते हैं, जिससे हमेशा के लिए दुख दर्द मिटे । हमारा ध्येय व्यवस्था परिवर्तन और समाज परिवर्तन के लिए आम जनता और विशेष कर गरीबों और दलितों में बराबरी की भूख तथा अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रवृत्ति और शक्ति पैदा करना है । हमारे आज के इस बजट से या प्रस्तावित कार्यक्रमों से प्रदेश की सारी गरीबी या हर समस्या हल नहीं हुई। हमारी सरकार ने आज की स्थिति और सीमित संसाधनों में जितना अधिक तम कर सकती थी उसे करने का प्रयास किया है । आने वाले वर्षों में संसाधनों की बढ़ोत्तरी के साथ कार्यक्रमों का भी विस्तार होगा । लेकिन समाज से असमानता और अन्याय पूरी तरह मिटा कर आम समानता लाने के लिये जनशक्ति जागृत करना होगा । स्वयं में विश्वास जागृत करना होगा । सरकार की तरफ केवल निगाहें नहीं रखनी होंगी बल्कि कर्तव्यों के प्रति सजगता बनानी होगी । एक नयी उद्यमिता की संस्कृति बनानी होगी । केवल विधान मण्डल और संसद द्वारा ही कोई बड़ा परिवर्तन या बड़ी चीज होने वाली नहीं है । यह भी खेतों से, खलिहानों से, गांव

के गलियारों से, कारखानों में मशीनों से, बाजार से, वित्तीय संस्थाओं से ही सम्भव होगा । परिवर्तन वहां से होगा जहां किसान-मजदूर और आम जनता रहती है । सरकार की ओर से यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि वह सदैव जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर विकास के पथ पर चलती रहेगी ।

मंत्रि-परिषद् के सभी सहयोगियों का मैं अत्यन्त आभारी हूं कि उनके सहयोग और परामर्श से तथा सभी विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से बजट समय से प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूं। वित्त सचिव श्री भोला नाथ तिवारी, वित्त सचिव (व्यय नियंत्रण) श्री नवीन चन्द्र बाजपेई, संयुक्त सचिव वित्त श्री प्रेम प्रकाश वौरया एवं बजट अधिकारी श्री उमेश प्रसाद श्रीवास्तव, वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने मुझे बजट बनाने के काम में जो सहयोग दिया है उसके लिये मैं अपना आभार प्रकट करता हूं । राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया है । प्रमुख महालेखाकार, उत्तर प्रदेश एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी मैं उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिए आभार प्रकट करता हूं ।

मान्यवर, प्रदेश की जनता की सेवा में समर्पित इन शब्दों के साथ, मैं वित्तीय वर्ष 1990-91 का आय-व्ययक प्रस्तुत करता हूं ।

(मा0 मुख्य मंत्री द्वारा बजट भाषण पढ़े जाने के मध्य में)

श्री मुलायम सिंह यादव–

बजट भाषण के मध्य में पृष्ठ 17 के पैरा 3 की प्रथम पंक्ति में शब्द "उचित मूल्य" के स्थान पर शब्द "लाभकारी मूल्य" संशोधित † कर लिया जाय ।

प्रदेश के कतिपय जनपदों में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था तथा दुर्नाम दस्यु सरगना संतोषा यादव द्वारा बर्बर आतंक फैलाये जाने से जन आक्रोश के संबंध में नियम-51 के अंतर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष–

आज नियम 51 के अन्तर्गत 10 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें से एक सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त और श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह की जो प्रदेश के कतिपय जनपदों में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति तथा दिनांक 19-3-90 को लमेहटा थाना बदोसा जनपद बांदा में दुर्नाम दस्यु संतोषा यादव द्वारा बर्बर आतंक फैलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, को स्वीकार किया गया है और बाकी सभी को अस्वीकार किया गया है ।

अब हम उठते हैं सोमवार दिनांक 18-6-1990 को फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 5 मिनट पर सोमवार, 18-6-1990 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
15 जून, 1990.

---

†बजट भाषण में संशोधित किया गया ।

नत्थी 'क'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 70 का उत्तर पीछे पृष्ठ 50 पर)

सिन्धोरा पोस्ट आफिस से अनुदान प्राप्त कर रही विधवाओं की सूची ।

क्रम-संख्या	विधवा का नाम	पति का नाम	पता
1	2	3	4
1	अलियारी	स्व0 रज्जाक	ग्राम व पोस्ट सिन्धोरा, वाराणसी
2	आसया	शाहबुद्दीन	,, ,, ,,
3	अमिना	केदार सिंह	डगराडीह, सिन्धोरा, वाराणसी ।
4	अनवरी	अब्बास	ग्राम व पोस्ट सिन्धोरा, वाराणसी
5	अमरावती	सभई	,, ,,
6	इमरती	लच्छू	जाठी, सिन्धोरा, वाराणसी ।
7	इनरा	भग्गूसिंह	सिन्धोरा, वाराणसी ।
8	इन्दिरा	शिव प्रसाद	नाथुपुर, सिन्धोरा, वाराणसी ।
9	इन्द्रावती	बैजनाथ	ग्राम व पोस्ट सिन्धोरा, वाराणसी ।
10	उमराई	राम सुन्दर	जाठी (बरगहा) सिन्धोरा, वाराणसी ।
11	कौशिल्या	भगवती सिंह	डेगराडीह, सिन्धोरा, वाराणसी ।
12	किशना	राजनारायण	ग्राम व पोस्ट सिन्धोरा, वाराणसी ।
13	खैरुन्निशा	मुनीर	,, ,,
14	गिरजा	रामभूरत सिंह	करेमुआ, सिन्धोरा, वाराणसी ।
15	गुजना	मंहगी	ग्राम व पोस्ट सिन्धोरा, वाराणसी ।
16	चनरा	अलियार	,, ,,
17	चनरा	रामचरन	,, ,,
18	छविराजी	बालदत्त	नाथुपुर, सिन्धोरा, वाराणसी ।
19	जैतुन्निसा	मंगली	ग्राम व पोस्ट सिन्धोरा, वाराणसी ।
20	जैतुन	छेदी	,, ,,
21	जमुना	झीमल	,, ,,
22	जैतुन्निसा	मुस्तफा	,, ,,
23	जगपत्ती	रामधारी	,, ,,
24	जगवन्ती	तिलकधारी	करेमुआ, सिन्धोरा, वाराणसी ।
25	यशोदा	चोखे	ग्राम व पोस्ट सिन्धोरा, वाराणसी ।
26	जड़ावती	रमाशंकर दुबे	करेमुआ, सिन्धोरा, वाराणसी ।
27	तपेंसरा	यदुनन्दन	धोबिया कापूरा, सिन्धोरा, वाराणसी ।
28	दुलरी	बलिकरन	जाठी (बिहारीपुर) सिन्धोरा, वाराणसी ।
29	दुईजा	पन्नालाल	ग्राम व पोस्ट सिन्धोरा, वाराणसी ।
30	धनवानी	श्रीनाथसिंह	गड़खरा, डगराडीह, सिन्धोरा, वाराणसी ।
31	धनरा	बैजूराम	ग्राम व पोस्ट सिन्धोरा, वाराणसी ।
32	धनरा	धरभारुराम	,, ,,
33	धीराजी	बहादुर	,, ,,
34	धनरा	देवराज	नाथूपुर, सिन्धोरा, वाराणसी ।
35	नौरंगी	दुलारराम	ग्राम व पोस्ट सिन्धोरा, वाराणसी ।
36	नबीरन	रजा	,, ,,

1	2	3	4
37	नौरंगी	नवरतन	जाठी, सिन्धोरा, वाराणसी।
38	नसीमा	मौसमहाशमी	ग्राम व पोस्ट-सिन्धोरा, वाराणसी।
39	पतिया	रमई	ग्राम व पोस्ट सिन्धोरा, वाराणसी।
40	प्रभावती	पंचग	करेमुआ, सिन्धोरा, वाराणसी।
41	पियारी	निहोर	नाथूपुर, सिन्धोरा, वाराणसी।
42	प्रभावती	शीतला	ग्राम व पोस्ट-सिन्धोरा, वाराणसी।
43	पियारी	विपतराम	.. .. ..
44	फुलपत्ती	सत्यदेव	.. .. ..
45	मुन्ना	अजीज	.. .. ..
46	पौधारी	बेच	,, ,,
47	बेलवत्ती	केदार	सिन्दोरा, परापर, सिन्धोरा, वाराणसी।
48	बुधना	मसे	ग्राम व पोस्ट-सिन्धोरा, वाराणसी।
49	बप्पी	बाबूनन्दन	तैतारी, सिन्धोरा, वाराणसी।
50	बुधन	जगरनाथ	करेमुआ, सिन्धोरा, वाराणसी।
51	बबना	अहकराम	बसन्तपुर, सिन्धोरा, वाराणसी।
52	बेला	सुंधराम सिंह	हमराडीह, कहहरा, सिन्धोरा, वाराणसी।
53	मुखना	सुखराज	करेमुआ, सिन्धोरा, वाराणसी।
54	मनपत्ती	पेखुरी	दशरथपुर, सिन्धोरा, वाराणसी।
55	मुनरा	लल्लूराम	करेमुआ, सिन्धोरा, वाराणसी।
56	मगरा	मंहगीराम	ग्राम व पोस्ट-सिन्धोरा, वाराणसी।
57	सजीवन	मूलनीमियां	ग्राम व पोस्ट-सिन्धोरा, वाराणसी।
58	महराजी	हरिराम	करेमुआ, सिन्धोरा, वाराणसी।
59	मंगरा	सेवाराम	,, ,, ,,
60	मूरता	सुब्बाराम	
61	मुलरी	रामजतन	ग्राम-पोस्ट-सिन्धोरा, वाराणसी।
62	मखना	नन्दलालराम	,, ,, ,,
63	मालती	झगड़राम	,, ,, ,,
64	मोहरा	सचन	नाथुपुर, सिन्धोरा, वाराणसी।
65	मोगरा	अभिमन्यु	बाड़ी, सिन्धौरा, वाराणसी।
66	मुनक्का	छत्तरप्रसाद	जाठी, सिन्धोरा, वाराणसी।
67	मुनरावती	संकठासिंह	करेमुआ, सिन्धोरा, वाराणसी।
68	मकीना	गज्जन	जाठी, सिन्धोरा, वाराणसी।
69	रमदेई	रामकरन	ग्राम पोस्ट सिन्धोरा, वाराणसी।
70	रोजना	लक्कन	,, ,, ,,
71	रमतज्वी	पंचमराम	जाठी, सिन्धोरा, वाराणसी।
72	रमबन्ती	जोड़ूसिंह	डगराडीह, सिन्धौरा, वाराणसी।
73	रूपकली	रज्जू	तलारी सिन्धौरा, वाराणसी।
74	राजकुमारी	घुन्नूराम	ग्राम व पोस्ट-सिन्धौरा, वाराणसी
75	लखनी	श्यामनाथ	,, ,, ,,
76	ललती	दूधनाथ	डगराडीह, सिन्धौरा, वाराणसी।
77	विद्या	ब्रहमदेव	मैथरा, सिन्धोरा, वाराणसी।
78	सकीना	मजीद	,, ,, ,,
79	सुशीला	रामाआसिंह	डगराडीह, सिन्धौरा, वाराणसी।
80	समरत्थी	मुन्नी	करेमुआ, सिन्धौरा, वाराणसी।

1	2		3	4
81	सहदेई	..	रामराज	तेलारी, सिन्धौरा, वाराणसी।
82	सज्जाकी	..	हरिहरसिंह	डगराडीह, गड़खरा, सिन्धौरा,
83	सुरसत्ती	..	राम बहाल सिंह	,, ,, ,,
84	सुखनी	..	खरपत्तू	ग्राम व पोस्ट--सिन्धौरा, वाराणसी।
85	सहदेई	..	सतकू	ग्राम व पोस्ट- सिन्धौरा, वाराणसी।
86	सनीचरा	..	मंगल	,, ,, ,,
87	समकल्ली	..	रामदवत	,, ,, ,,
88	सुखना	..	घोडुर	मंगरा, सिन्धौरा, वाराणसी।
89	सुरसत्ती	..	शंकर	,, ,, ,,
90	सुनरी	..	रामजतन	मैंथरा, सिन्धौरा, वाराणसी।
91	सुखरानी	..	मिठाईराम	करेमुआ, सिन्धौरा, वाराणसी।
92	सुरसत्ती	..	नन्दराम	ग्राम व पोस्ट -सिन्धौरा, वाराणसी।
93	शन्ती	..	राजेन्द्र	,, ,, ,,
94	श्यामा	..	फीथमा	,, ,, ,,
95	सुख्याती	..	फतरयादव	जाठी, सिन्धौरा, वाराणसी।
96	शीतला	..	श्यामधारी	ग्राम व पोस्ट - सिन्धौरा, वाराणसी।
97	शकुन्तला	..	सोमारू	करेमुआ, सिन्धौरा, वाराणसी।
98	हाजरा	..	फरीदआलम	ग्राम व पोस्ट -सिन्धौरा, वाराणसी।
99	हीरापती	..	काशी	तैलारी, सिन्धौरा, वाराणसी।
100	हीरावती	..	दयाशंकर	नाथपुर, सिन्धौरा, वाराणसी।
101	हुबराजी	..	इसरीराम	करेमुआ, सिन्धौरा, वाराणसी।
102	हुबराजी	..	सीताराम	ग्राम व पोस्ट -सिन्धौरा, वाराणसी।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिए अता० प्र० सं० 77 का उत्तर पीछे पृष्ठ 51 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1990 के पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या—77 के उत्तर का संलग्नक

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम (जनपद फतेहपुर)	31 मार्च, 1990 तक कुल अधिष्ठापित हैण्ड पैम्प की संख्या	सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिष्ठापित किये जा रहे हैण्ड पम्प की संख्या
1	2	3	4
1	गनही	2	1
2	पाई	5	1
3	रुहेल्लापुर	3	1
4	रायोपुर	2	1
5	गुरसण्डी	2	1
6	उकाथ	5	2
7	उमर्रा	3	1
8	सुदेशरा	2	1
9	अन्जना कबीर	5	1
10	किशुन चिरई	4	1
11	अन्दमऊ	4	1
12	बरेचा	2	1
13	केशोरामपुर केवटमई	4	1
14	तेन्दुवा	5	2
15	पुरमुई	7	1
16	जहांगीर नगर	10	2
17	मंझनपुर	5	1
18	बरहटा	5	1
19	हमीमपुर खंतवा	5	3
20	डेंडासई	5	2
21	सिहारी पट्टी	3	1
22	सुल्तानपुर भैंरो	2	1
23	सखनपुर	2	2
24	जाम	7	1
25	अमदरा	2	1
26	सेमरहटा	2	1
27	गोविन्दपुर	2	1
28	लिहई	2	1
29	बिरघौलपुर	2	1
30	बबुरारपुर	—	1
31	बछरौली	1	1
32	कोट	5	2
33	रतनपुर	2	2
34	बरईपुर	2	1
35	शिवदासपुर	2	1
36	शाहनगर	2	2

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
37	ओरहा	2	2
38	अढ़ैया	4	1
39	परवेजपुर	2	1
40	घोसी	2	1
41	बेलाई	3	1
42	बेलावां	3	1
43	खरसेंण्डवा	2	1
44	बेनीपुर	—	2
45	उरई	1	1
46	सलेमपुर	2	1
47	सैदपुर	1	1
48	चकशाहजहांपुर	1	1
49	जेलहरा	2	1
50	भलापुर	—	1
51	कल्याणपुर कचरौली	3	1
52	सरसौली	1	1
53	कोरीकानघाता	3	3
54	भेदपुर	—	2
55	अचरौली	2	2
56	बारा	—	1
57	नरसिंहपुर कबराहा	1	1
58	रसूलपुर	1	1
59	भुरचूनी	—	1
60	सुनारी	3	1
61	पल्लावां	2	1
62	भरूउवां	1	1
63	गोकुलपुर	2	1
64	गोपालपुर	2	1
65	अढ़ौली	5	2
66	परसिसपुर	5	1
67	किशुनपुर	2	1
68	कढवा	2	2
69	पौली	5	2
70	खैरई	5	2
71	बसवा	4	2
72	आलमपुर गौरिया	5	2
73	अकिलपुर ऐंराया	4	2
74	बिछियावां	4	2
75	घरवासीपुर	4	2
76	कबरा	1	2
77	अहमदपुर कुसुम्भी	—	1
78	बमरौली	3	1
	योग	218	104

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 81 का उत्तर पीछे पृष्ठ 52 पर)

उत्तर प्रदेश के तीर्थ स्थान जहां तीर्थ यात्री-कर लगता है

क्रम-संख्या	जिला का नाम	तीर्थ स्थानों के नाम	यात्रीकर की दर
1	2	3	4
1	उत्तरकाशी	गंगोत्री व यमुनोत्री	वर्ष 1971--72 में 1 रु0 कर वर्ष 1979--80 में यात्री-कर में परिवर्तन किया गया
2	देवरिया	कुशीनगर	नहीं।
3	चमोली	श्री बद्रीनाथ तथा जोशीमठ	बद्रीनाथ में किसी गाड़ी से यात्रा करने वाले यात्री से 1 रु0 एवं 5 वर्ष से 12 वर्ष के प्रत्येक बच्चे से 50 पैसे की दर से यात्री-कर लिया जाता है। कर्णप्रयाग, चमोली, गोपेश्वर, मलारी, जोशीमठ में वाहन पर सवार प्रत्येक यात्री से 1 रु0 व शीतकाल में पांडुकेश्वर जोशीमठ जो सीमा सिटी बस से यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री बच्चे से 50 पैसे कर लिया जाता है।
4	खीरी	गोला गोकर्णनाथ	1---रेलवे द्वारा:--- गोला से चालीस मील से अधिक यात्रा करने वाले आने तथा जाने का 10 पैसा प्रति यात्री कर लिया जाता है। 2----टैक्सी कार:---- टैक्सी कार, जीप, पिकअप द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों से 75 पैसा प्रति यात्री आने व जाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों या मोटर लारियों एवं किराये पर चलने वाले स्वचालित वाहन से यात्रा करने वाले यात्रियों से 50 पैसा प्रति यात्री आने व जाने पर लिया जाता है।
5	कानपुर (नगर)	बिठूर	यात्रीकर 25 पैसा प्रति यात्री की दर से लिया जाता है।
6	देहरादून	ऋषिकेष	यात्रीकर 50 पैसा प्रति यात्री की दर से लगता है।
7	बांदा	चित्रकूटधाम श्रेणी	कम दूरी के यात्रियों के लिए 30 कि. मी. से 242 कि. मी. तक। / लम्बी दूरी के यात्रियों के लिए. 242 कि. मी. से अधिक दूरी के लिए।
		1--उच्च श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए	0.30 पै0 प्रति यात्री / 0.40 पै0 प्रति यात्री

1	2	3	4
			2 निम्न श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए 0.15 पै0 प्रति यात्री 0.20 पै0 प्रति यात्री
8	हरिद्वार	हरिद्वार	1 रु0 प्रति यात्री कर लिया जाता है।
9	इलाहाबाद	इलाहाबाद	श्रेणी वयस्क बच्चों पर कम दूरी 66 से 242 कि. मी. पैसा / अधिक दूरी 242 कि. मी. से अधिक पैसा / कम दूरी 66 से 242 कि.मी. पैसा / अधिक दूरी 242 कि.मी. से अधिक पैसा वाता0/प्रथम श्रेणी 50 75 25 40 वाता0/चेयरकार 50 75 25 40 द्वितीय श्रेणी 25 35 15 20 तृतीय श्रेणी 10 20 5 10 वापसी टिकटों पर दुगुना यात्रीकर लिया जाता है।
10	मथुरा	वृन्दाबन गोवर्द्धन नन्दगांव	जनपद की नगरपालिका, मथुरा व वृन्दावन एवं नगर क्षेत्र समिति गोवर्द्धन व नन्दगांव में यात्री-कर लिया जाता है। नगर क्षेत्र समिति गोवर्द्धन व नन्दगांव में प्रति यात्री 0.25 पैसे एवं नगरपालिका वृन्दावन में प्रति यात्री 0.50 पैसा आना व 0.50 पैसा आना योग 1 रु0 लिया जाता है। नगर-पालिका मथुरा में आयु व दूरी के अनुपात में अलग-अलग दरों से यात्री-कर लिया जाता है।
11	गाजियाबाद	गढ़मुक्तेश्वर	नहीं।
12	अलीगढ़	बेसवा	नहीं
13	सीतापुर	नैमिषारण्य	मिसरिख-नैमिषारण्य में तीर्थ यात्री-कर लागू है जो 0.75 पैसा प्रति यात्री की दर से लारी बस आदि वाहनों पर यात्री करने वाले यात्रियों से लिया जाता है एवं जीप पिकप कार आदि पर यात्रा करने वाले यात्रियों से 1.50 रुपये प्रति यात्री की दर से लिया जाता हैं।
14	फैजाबाद	अयोध्या	बस द्वारा 10 पैसे, टैम्पों द्वारा 15 पैसे, जीप कार, टैक्सी द्वारा 25 पैसे यात्री-कर लगता है।
15	सहारनपुर	शाकम्भरीदेवी का मन्दिर	यात्रीकर नहीं लगाया गया है।
16	एटा	सोरों	प्रति यात्री कर 50 पैसे लिया जाता है।
17	वाराणसी	वाराणसी	तीर्थयात्री कर नहीं लगाया गया है।

उत्तर प्रदेश गजट

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 86 का उत्तर पीछे पृष्ठ 53 पर)

केयर योजना के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 में आमंत्रित टेण्डर हेतु पांच पार्टियों द्वारा दिये गये दरों का तुलनात्मक चार्ट।—

निविदा दाता	अंकित दरें						
	सीतापुर	हरदोई	इलाहाबाद	फतेहपुर	प्रतापगढ़	शाहजहांपुर	बदायूं
1-मेसर्स आर0 आर0 के0 इडविल आयल प्राइवेट लि0 लखनऊ।	514	521	355	474	361	535	593
2-कानपुर पटना रोड लाइन कानपुर।	490	480	360	450	400	485	488
3-मेसर्स संतोष कुमार सुकिथस लेन, कलकत्ता।	990	551	435	910	380	1050	1150
4-मेसर्स प्रकाश रोड लाइन कारपोरेशन कलकत्ता।	470	470	395	425	424	524	525
5-मेसर्स इंडिया ट्रांसपोर्टेशन लि0 कलकत्ता।	474	465	395	430	419	519	528

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ड'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 87 का उत्तर पीछे पृष्ठ. 54 पर)

संलग्नक--- 1

क्रम-संख्या	मार्ग का नाम
1	कानपुर रोड क्रासिंग से कमला नेहरू रोड तक नवाब यूसुफ रोड का सुधार ।
2	कानपुर रोड क्रासिंग ओवर ब्रिज तक सड़क का सुधार ।
3	जजे कालोनी में सड़कों का सुधार ।
4	घूमनगंज थाने के साभने से रेलवे अन्डर ब्रिज तक सड़क का सुधार।
5	नया कटरा में डी बेली रोड का लाजपतराय रोड बी0के0 बनर्जी रोड एवं महिला शिल्प स्कूल तक सड़क का सुधार ।
6	मोती लाल नेहरू रोड से हाशिमपुर रोड तक पी0सी0 बनर्जी रोड का सुधार।
7	ताशकन्द मार्ग से थार्नहिल रोड तक सरदार पटेल मार्ग का सुधार।
8	नबाब यूसुफ रोड से एम0जी0 मार्ग तक सरदार पटेल मार्ग का सुधार।
9	एम0जी0 मार्ग से यूनिवर्सिटी रोड तक पन्ना लाल रोड का सुधार।
10	कटरा पानी की टंकी से मोती लाल नेहरू रोड तक बैंक रोड का सुधार।
11	लाजपत राय रोड से आबकारी रोड तक "ए" बेली रोड का सुधार।
12	एम0 जेड0 रोड से स्टेनली रोड तक बाया फौड़वारा चौराहा ममफोर्डगंज रोड का सुधार।
13	बालसन चौराहा से बांध रोड तक हाशिमपुर रोड का सुधार।
14	के0बी0 गांधी मार्ग से स्टेनली रोड तक मिशन रोड का सुधार।
15	नेता नगर पर काली मंदिर से नेता पान भण्डार तक पेवर के कारपेटिंग
16	चढ्ढा रोड ।
17	सत्तीय चौराहा रोड।
18	डी0पी0एम0 गेट के पास रोड।
19	गोलपार्क के पास पटेल नगर आदि का भाग।
20	रेलवे ओवर ब्रिज के पास लूकरगंज मार्ग।
21	शंकर लाल भार्गव रोड मसुरियादेवी मंदिर तक सीमेन्ट रोड।
22	शंकर लाल भार्गव रोड।
23	मनोहर लाल भार्गव रोड।
24	साउथ मलाका रोड।
25	जी0टी0 रोड मोरी रोड को जोड़ने वाली रोड ।
26	मोरी गली दारागंज।
27	बाघम्बरी हाउसिंग स्कीम में 60 फुट सड़क का पेवर से कार्य
28	कौशाम्बी मार्ग।
29	काटजू रोड।
30	भारतीय भवन रोड।
31	लक्ष्मी नारायण रोड।
32	गऊघाट रोड।
33	तिलक रोड।
34	तिलक रोड।

35 पंचकुशी रोड।
36 कल्याणी देवी रोड।
37 रोशन सिंह मार्ग।
38 प्रयाग घाट के पास सड़क।
39 मोरी रोड।
40 अलोपीबाग रोड।
41 त्रिवेणी रोड।
42 जमुना बैंक ब्रिज के पास सड़क।
43 सीमेन्ट्री रोड।

1 जी0टी0 सिटी मार्ग से नुरुउल्ला रोड का करैलाबाग गांव तक सड़क को चौड़ा करना एवं कारपेटिंग।
2 लीडर रोड का सुधार एवं सुन्दरीकरण।
3 सरोजनी नायडू मार्ग बाल चिकित्सालय से होते हुए जी0टी0 सिटी मार्ग तक सड़क का चौड़ा कराना एवं सुधार।
4 जी0टी0 रोड से 60 फुट चौड़ी सड़क मटियारा रोड का सुधार।
5 मेन्श हास्टल से प्रयाग स्टेशन तक सड़क का सुन्दरीकरण एवं सुधार
6 बालसन चौराहे से के0पी0 इण्टर कालेज तक सड़क का सुधार।
7 महात्मा गांधी मार्ग से जी0टी0 रोड तक सीमेन्ट्री रोड का सुन्दरीकरण एवं सुधार।
8 अरैल मोड़ रोड का सुधार।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'च'

(देखिए अता० प्र० सं० 100 का उत्तर पीछे पृष्ठ 58 पर)

नगर महापालिका, वाराणसी

निम्नलिखित वार्डों के अन्तर्गत स्थित मुहल्लों में सीवर की सुविधा उपलब्ध नहीं है:—

नगवा वार्ड

1—बिनायका
2—बिरदो पुर।
3—बजरडीहां।
4—सुदामापुर।
5—जोल्हा।
6—सरायसुर्जन।
7—ककरमत्ता।
8—छोटी पतियां तथा पटियां।
9—बड़ी गैबी।
10—तुलसी पुर।
11—रानीपुर।
12—नरियां
13—सुन्दरपुर
14—सरायनन्दन कलां
15—करमजीत पुर
16—करौदी
17—आदित्य नगर
18—चितईपुर
19—भिखारी पुर
20—नेवादा

सिगरा वार्ड

1—लहरतारा
2—शिवपुरवा का आंशिक भाग
3—शिवदास पुर
4—फुलवरिया (लहरतारा)
5—जिउत पुरा।
6—मिश्र पुरा।

चेतगंज वार्ड

1—छित्तपुर।
2—चन्दुआ।

उत्तरी जोन के शिवपुर, सारनाथ तथा सिकरौल वार्ड में अर्दली बाजार के अलावा किसी वार्ड के मुहल्लों में सीवर लाईन नहीं है यहां पर जल निगम द्वारा सीवर डालने हेतु ट्रान्स बरूणा स्कीम बनाई गई है स्वीकृति के उपरांत जल निगम द्वारा डाली जायेगी।

आदमपुर वार्ड

1—तेलियाना मुहल्ले के कुछ हिस्सों में
2—अमरपुर बटलोहिया मुहल्ले में।
3—जलालीपुरा मुहल्ले के कुछ हिस्से में
4—अन्सारा बाद के कुछ मुहल्ले में।
5—कोनिया के कुछ भाग में।

जैतपुरा वार्ड

1—नक्खी घाट
2—कच्ची बाग।
3—वन्धू कच्ची भाग।
2—खेत बरूनियां।
5—अलईपुरा।
6—नवापुरा।
7—कमलगड़ूहा
8—अलईपुरा उत्तरी
9—काजी सादुल्ला पुरा।
10—चौका घाट।
11—बाकरा बाद
12—हुसैन पुरा।
13—रसूल पुरा।

नत्थी 'छ'

(देखिए अता0 प्र0सं0 119 का उत्तर पीछे पृष्ठ. 65 पर)

वर्ष 1989-90 में योजनावार अवमुक्त धनराशि का विवरण:---

1---समन्वित बाल विकास परियोजना की स्थापना (जिला योजना)	43,23,000.00
2---पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास योजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुष्टाहार (जिला योजना)	11,83,80,610.00
(राज्य योजना)	5,35,00,000.00
3---केन्द्रीय पुरोनिधानित समन्वित बाल विकास योजना प्रशासनिक ..	17,12,95,000.00
4---समन्वित बाल विकास के लिए जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था ..	28,23,000.00
5---समन्वित बाल विकास हेतु सचिवालय स्तरीय प्रकोष्ठ ..	2,89,000.00
6---बाल विकास पुष्टाहार निदेशालय	11,87,000.00
7---विश्व खाद्य कार्यक्रम योजना	11,66,000.00
8---आंगनवाड़ी कार्यक्रम का आकाशवाड़ी प्रसारण योजना ..	76,000.00
9---20 परियोजनाओं पर भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुष्टाहार ..	1,00,00,000.0
10---मेडिसिन किट्स की आपूर्ति हेतु लेखा समायोजना	
11---समन्वित बाल विकास परियोजनाओं के संचालन तथा उनमें पुष्टाहार वितरण हेतु स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं को सहायता ..	4,90,720-00
12---केयर नामक अन्तराष्ट्रीय स्वै0 संगठन को पोषाहार वितरण हेतु प्रशासनिक व्यय हेतु अनुदान	14,45,275.00
योग ..	36,48,75,605.00

उत्तर प्रदेश सभा

पी0 एस0 यू0 पी0-एल0 236 वि0 सभा (402)-1990-813 ।